Page No 1

(1)

# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक 11 ] पंचम् विधान सभा के ग्यारहवें सत्र का बारहवां दिवस [ संख्या 9

1 ] [ 2

शुक्रवार

19 मार्च, 1976

विधान सभा की बैठक म० प० 11-00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

**तारांकित प्रश्नोत्तर**

(उद्योग, शिक्षा, पशुपालन, राजस्व, मोटर गैरेज, कृषि, उपनिवेशन, गृह, वन-विभाग)

**प्रश्न संख्या 168**

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न ! श्री जनार्दनसिंह गहलोत।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

**प्रश्न संख्या 169**

श्री भुवनेश चतुर्वेदी।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

नैक्स्ट ! श्रीमती मदन कौर।

**बाड़मेर जिले में अच्छी नस्ल के पशुओं को बाहर ले जाने पर रोक।**

170. **श्रीमती मदन कौर** (पचपदरा): क्या पशु-पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि प्रति वर्ष बाड़मेर जिले से बड़ी संख्या में अच्छी नस्ल के मादा और नर पशु पड़ौसी राज्यों में ले जाये जाते हैं ?

(2) क्या राज्य स्तर और जिला स्तर के अधिकारी भी इस कार्य में सहयोग देते हैं ?

(3) क्या मौजूदा नीति से पशु प्रधान जिलों की अर्थ-व्यवस्था पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता ?

(4) राज्य सरकार अब जबकि प्रदेश में श्वेत क्रान्ति लाने की तरफ प्रयत्नशील है तब अच्छी नस्ल के पशुओं का प्रदेश से बाहर जाना क्या नुकसान-प्रद नहीं होगा ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इन क्षेत्रों से अच्छी नस्ल के पशुओं विशेष रूप से कांकरेज और थरपारकर की गायों के बाहर भेजने पर रोक लगाने का निर्णय लेगी ?

**पशु पालन मंत्री** (श्री शिवचरण माथुर):

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) सरकार ने आम तौर से जानवरों को राज्य से बाहर ले जाने पर रोक लगा रखी है–विशेष परिस्थिति में जानवरों को

# Page No 2

(2)



(श्री शिवचरण माथुर)
विशेष बाहर भेजने के लिए जिलाधीश से इजाजत लेनी पड़ती है।

श्रीमती मदन कौर : बाड़मेर जिले से अच्छी नस्ल के पशु काफी संख्या में बाहर भेजे जा रहे हैं और जिलाधिकारी उसमें मदद देते हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : मेरी जानकारी में ऐसी बात नहीं है। वैसे तो गवर्नमेंट का जो आर्डर है वह यह है कि इस जिले से मवेशी बाहर जाते हैं तो कलेक्टर की परमिट के बिना नहीं जा सकते, और मेरी जानकारी के अनुसार किसी कलेक्टर ने भी इन दिनों परमिट नहीं दिया है। फिर कौन से अधिकारी बाहर भेजते हैं ?

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : कलेक्टर ने परमिट नहीं दिये हों, ऑडर रिकार्ड के अन्दर कुछ नहीं हो उसके बावजूद भी हजारों पशु बाहर गये हैं। सरकार इसकी इन्क्वायरी करा ले।

श्री शिवचरण माथुर : अनधिकृत रूप से बाहर जाते हैं तो इसकी जानकारी नहीं है। अगर आप कहते हैं कि जाते हैं तो स्पेसिफिक जानकारी दें कि फलां जगह से गये तो इन्क्वायरी करा लूंगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : चोरी छिपे जानवर कई जगहों से आते हैं। परमिट ले जाने वालों की बात नहीं है। परमिट देने का सिस्टम नहीं है।

श्री दीपंकर : गांवों के नाम बतायें।

श्री शिवचरण माथुर : किस दिन गये, कौन ले गये यदि इसकी जानकारी हो आपके पास में, तो बता दें। मेरे पास में कोई जानकारी नहीं है।

एक माननीय सदस्य : मध्य प्रदेश के बोर्डर तक जाते हैं और वहां से बाहर जाते हैं।

श्री शिवचरण माथुर : ऑडर का सवाल नहीं है।

श्रीमती मदन कौर : बाड़मेर जिले में बाहर से पशुपालक आते हैं और अच्छी नस्ल के पशुओं को ले जाते हैं। हमारे यहां के अधिकारी उनको मदद देते हैं, और मुझे उन्होंने कई बार यह बताया है कि बाहर भेजने के अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाये हैं। कांकरेज नस्ल के पशुओं और थरपारकर नस्ल के पशुओं को बाहर भेजते हैं।

श्री शिवचरण माथुर : आप कोई स्पेसिफिक जानकारी दें तो मैं जांच करवाऊंगा। मेरे पास जानकारी आई है कि इस प्रकार से कोई पशु बाहर नहीं जाते हैं और जो भी जाते हैं वह कलेक्टर की परमिट से जाते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय (बूंदी) : कलेक्टर किस कानून के तहत इनको परमिट देता है ? कौनसे कानून में इसको प्रोहिबिट कर रखा है ?

श्री शिवचरण माथुर : गवर्नमेंट ने एक आर्डर 1955 में निकाल दिया था जिसमें इस प्रकार के पशुओं के बाहर जाने पर रोक लगा दी थी, और विशेष परिस्थितियों में स्टेट टू स्टेट ले जाने का सवाल है तो कलेक्टर की परमिशन से ही बाहर जा सकते हैं। यह 1955 का ऑडर है।

श्रीमती मदन कौर : इस कानून के तहत…

**श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय** : 1955 के कानून की क्या प्रोग्रेस है ? कितने परमिट जारी हुए हैं ? क्या इस प्रकार के फिगर्स मंत्री महोदय के पास में हैं ?

**श्री शिवचरण माथुर** : यह जानकारी तो मेरे पास में नहीं है ।

**श्रीमती मदन कौर** : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट प्रश्न पूछा था उसमें मंत्री महोदय ने कानून के तहत परमिट देने की बात कही है तो मैं यह पूछना चाहती हूं कि पिछले 5 सालों में बाड़मेर जिले में कितने परमिट इस प्रकार के दिये हैं ?

**श्री शिवचरण माथुर** : 5 वर्ष की जानकारी मेरे पास में नहीं है लेकिन पिछले दो-तीन साल की जिलाधीश के पास से जो सूचना मुझे मिली है कि कोई परमिट नहीं दिया गया है । पांच साल का आप चाहेंगे तो मैं पूछूंगा ।

**श्रीमती मदन कौर** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मतलब यह है कि पशु जाते रहे और परमिट किसी ने प्राप्त नहीं किया । मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकार के पशुओं का बाहर जाना खास तौर से रोकें । वह पशु-प्रधान जिला है वहां से कांकरेज और थरपारकर नस्ल के पशुओं के बाहर जाने से वहां के पशुपालकों को बड़ा नुकसान हो रहा है ।

**श्री शिवचरण माथुर** : माननीय सदस्या से निवेदन है कि अगर उनकी जानकारी है कि पशु बाहर जा रहे हैं तो उसको और टाइटन करने के आदेश दे दिये जायेंगे ।

**श्री उपाध्यक्ष** : नेक्स्ट ।

**औद्योगीकरण को बढ़ावा देने हेतु उद्योगपतियों तथा उपकर्मियों को सुविधा**

171. **श्री चेतराम (टोडाभीम)** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार ने उद्योगपतियों तथा उपकर्मियों को प्रदेश के औद्योगिक आधार को दृढ़ बनाने में योगदान देने का आह्वान किया है ? यदि हां, तो किस प्रकार और इस योजना का प्रारूप क्या है ?

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश के औद्योगीकरण को बढ़ावा देने हेतु उद्योगपतियों तथा उपकर्मियों की अधिक जानकारी देने तथा अधिक सुविधायें प्रदान करने की योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसकी स्थिति क्या है ?

(3) क्या उद्योगपतियों तथा उपकर्मियों से राज्य सरकार के आह्वान पर सन्तोषप्रद उत्तर मिले हैं ? इन लोगों की दृष्टि में राज्य सरकार से ये क्या क्या सुविधाएं चाहते हैं जिससे प्रान्त का औद्योगीकरण हो सके ?

**राज्य मंत्री, उद्योग (श्री गुलाबसिंह शक्तावत)** : (1) जी हां । उद्योगों से संबंधित विभागों एवं निगमों के माध्यम से विज्ञापन, प्रकाशन तथा अधिकारियों द्वारा उद्योगपतियों तथा उपकर्मियों से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करने हेतु आह्वान किया जाता है । राज्य सरकार एवं राज्य के निगमों द्वारा अनेक प्रकार की सहायता एवं सुविधाएं उद्योगपतियों को देने की घोषणा की गई है ।

(2) औद्योगीकरण को प्रोत्साहन देने हेतु पैकेज सहायता कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है जिसके अन्तर्गत हर प्रस्तावित इकाई एक लीड अधिकारी के जिम्मे सौंप दी जाती है । लीड अधिकारी इकाई को घोषित सुविधाएं तथा सहायता

**( श्री गुलाबसिंह शक्तावत )**

उपलब्ध कराने के प्रयत्न करते हैं। राजस्थान औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम द्वारा तकनीकी सलाह प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है और राजस्थान लघु उद्योग निगम भी इस प्रकार का प्रकोष्ठ शीघ्र स्थापित कर रहा है। राज्य स्तर पर भी उद्योगपतियों के सम्मुख प्रस्तुत होने वाली कठिनाइयों का निराकरण करने हेतु अन्तर्संस्था समिति (इन्टर इन्स्टीट्यूशनल कमेटी) गठित की गई है। जिला स्तर पर जिला उद्योग सलाहकार समितियां कार्यरत हैं।

(3) जी हां। कुछ उद्योगपतियों ने बिक्री की वापसी, उदार शर्तों पर पूंजी की उपलब्धि कराने व अनुसंधान एवं विकास केन्द्र स्थापित करने की मांग की है।

**श्री चेतराम** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जो आपने अन्तर्संस्था समिति की घोषणा की है वह घोषणा क्या है? दूसरा मेरा प्रश्न है कि जो इस प्रकार की समिति का कार्यक्रम बनाया गया है वह इन्डस्ट्रीवाइज रखा है या डिस्ट्रिक्टवाइज रखा है या किसी और बेसिस पर रखा है, और लीड अधिकारी का कार्य-क्षेत्र क्या होगा, और उसके क्या कर्त्तव्य होंगे? इसके अलावा हमारा निवेदन है कि इण्डस्ट्रियलिस्टस ने राज्य सरकार से कहा है कि उदार शर्तों के बारे में इस तरह से जो निवेदन किया है तो राज्य सरकार उस पर क्या करने जा रही है? चौथा मेरा निवेदन है कि इन्डस्ट्रियलिस्ट ने पॉवर के लिए निवेदन किया है कि राजस्थान में पॉवर इण्डस्ट्रियेलाइजेशन के लिए नहीं मिल पाती है और विद्युत् की दिक्कत आती है।

**श्री भाबरमल सूण्डा** (फतेहपुर) : समय समय पर प्रवासी उद्योगपतियों को यहां पर लाने के लिए काफी प्रयत्न किये गये हैं तो पिछले सालों में बम्बई, कलकत्ता आदि बाहर काम करने वाले प्रवासी राजस्थान में कितनी संख्या में अपने उद्योग लगाने में सफल हुए हैं?

**श्री दीपंकर** : एक प्रश्न, उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी निवेदन कर दूं कि क्या राज्य सरकार के पास में इस तरह के उद्योगों की योजनाएं बनी हुई हैं जिनको बाहर के उद्योग-पति आकर यहां पर क्रियान्वित कर सकें? वह किस-किस तरह की और किन किन विषयों की व कितनी हैं?

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत** : जहां तक लीड अधिकारी के कार्यक्रम का सवाल है हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो इन्डस्ट्री ऑफिसर लगे हुए हैं उनको एरिया रहता है उस डिस्ट्रिक्ट में। उस डिस्ट्रिक्ट में जो भी बड़ी इन्डस्ट्री रजिस्टर्ड होती है या जिनको लाइसेन्स दिया जाता है उनके लिए आवश्यक भूमि और राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता दिलाने का वह प्रयत्न करते हैं। उनका क्षेत्र उनका पूरा डिस्ट्रिक्ट माना गया है।

जहां तक सुविधाओं का सवाल है राजस्थान में हम भूमि सस्ती दरों पर उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ साथ जो एज्यूकेटेड अनएम्प्लायड हैं या टेक्निशियन्स हैं उनके लिए शैड बनाये गये हैं और उनको हायर पर्चेज पर दिये जाते हैं। इसके साथ-साथ आर० आई० एम० डी० सी० ने भी इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स कायम किये हैं और इन्डस्ट्रियल एस्टेट में जो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर रेट्स की सुविधायें होती हैं वह इन्डस्ट्री को प्रोवाइड की जाती हैं। इसके साथ-साथ उनको फाइनेन्स भी करते हैं। राजस्थान

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)
के छोटे उद्योगों को हमारा विभाग 15 हजार तक 6 पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट पर उपलब्ध कराता है। अगर 15 हजार से अधिक की राशि की आवश्यकता होती है तो राजस्थान फाइनेन्शियल कार्पोरेशन उसको उपलब्ध कराता है। वैसे हमने टेक्निकल ग्रेज्जुएट्स को और अनएम्प्लायड ग्रेजुएट्स को यह सुविधा भी प्रदान की है कि दो लाख तक का ऋण देते हैं उसके लिए मार्जिनल मनी की आवश्यकता नहीं होती है। ग्रेजुएट्स को दो लाख का ऋण उपलब्ध करा दिया जाता है। इसी तरह से कुछ उद्योगों में हमने मार्जिनल मनी की सुविधाएं दे रखी हैं। वह मार्जिनल मनी हम प्रोवाइड करते हैं।

एफ० सी० आई० से दूसरी कार्मशियल पार्टीज को ऋण दिलवाते हैं जो कि हमारे औद्योगिक क्षेत्र में इन्डस्ट्री लगाते हैं तो उसमें रेट आफ इन्ट्रेस्ट में उनको काफी सुविधा होती है। उनको 9 पर्सेन्ट तक के इन्ट्रेस्ट पर रुपया दिलवाते हैं।

जो हमारे 6 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट घोषित किए हुए हैं जिनकी भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कर रखी है उनमें 10 से 15 पर्सेन्ट तक की सब्सिडी उपलब्ध करा सकते हैं। यह सुविधा राज्य सरकार ने दे रखी है।

इसके साथ-साथ जो मशीनरी हायर पर्चेज सिस्टम पर खरीदना चाहते हैं उनको हायर पर्चेज सिस्टम पर मशीनरी उपलब्ध कराते हैं। इस तरह की सुविधा राज्य सरकार ने दे रखी हैं।

तब भी कुछ उद्योगपतियों की मांग यह बराबर आ रही है कि अन्य प्रान्तों की तरह जो बिक्री कर हम वसूल करते हैं वह बिक्री कर हमें ऋण के रूप में उपलब्ध करा दिया जाय। यह राजस्थान में नहीं दे पा रहे हैं। यह सुविधा अभी तक उनको नहीं मिल पा रही है।

जहां तक पॉवर का सवाल है इस संबंध में पॉवर मिलने में कोई दिक्कत नहीं पैदा हो रही है, लेकिन कभी कभी यह सवाल आता है छोटे इन्डस्ट्रियलिस्टों की तरफ से कि कभी पॉवर नजदीक में उपलब्ध नहीं होती है और उनको पॉवर का कनेक्शन दिया जाता है और वह कहीं दूर फैक्टरी स्थापित करते हैं तो ज्यादा लम्बी लाइन लगानी पड़ती है तो उस लाइन का खर्चा उनसे वसूल करने की बात की जाती है। वह खर्चा कभी-कभी अधिक महसूस होता है। छोटा उद्योगपति इतनी बड़ी राशि खर्च कर के कोई छोटा उद्योग लगाना चाहे तो नहीं लगा सकता है। दो लाख की कैपिटल खर्च करता है और लाइन पर 20 हजार लगाना पड़ता है तो वह परेशानी और असुविधा महसूस करता है। इस प्रकार की शिकायत हमारे सामने आई है जिस पर हम विचार कर रहे हैं कि उनको किस प्रकार की रियायत दी जा सकती है कि पॉवर मिलने की कोई कठिनाई नहीं है। पॉवर चार्जेज के बारे में जरूर उद्योगपतियों की शिकायतें आई हैं।

**श्री दीपंकर** : हम यह जानना चाहते हैं मंत्री महोदय से यह बाहर के प्रवासी राजस्थान में इन्ट्रेस्टेड हैं कि राजस्थान में वह इन्डस्ट्री लगायें तो उनके लिए कितने कितने प्रकार की कहां कहां योजना है और रॉमेटीरियल वहां पर ऐसा है उसकी क्या जानकारी है

**मुख्य मंत्री** (श्री हरिदेव जोशी) : इस पर सर्वे कराकर लिट्रेचर काफी बड़े पैमाने पर प्रकाशित किया है। कौनसी

(श्री हरिदेव जोशी)
इण्डस्ट्रीज के लिए कितना कैपिटल हो। कितना रॉ मेटीरियल हो, उसके अलावा और कई चीजें हो सकती हैं, इसको भी प्रकाशित किया है। राजस्थान फाइनेन्स कार्पोरेशन और राजस्थान सरकार ने इसको कम्पलीट किया है।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बड़े स्केल पर इण्डस्ट्रीज हैं, उनकी व्यवस्था के बारे में····

श्री हरिदेव जोशी : जो और इण्डस्ट्रीज को देंगे, वह उनको भी देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्र नाथ हांडा। श्री मूलचन्द सामरिया।

**भाखरा नहर क्षेत्र में मन्डियों का विकास**

श्री. योगेन्द्र नाथ हांडा (सूरतगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आप तो बड़ी तीव्र गति से चल रहे हैं।

172. क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भाखरा नहर क्षेत्र में कितनी मण्डियां कब-कब से स्वीकृत हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सभी मण्डियां विकसित हो चुकी हैं ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

(3) उक्त मण्डियों के विकास के लिए आज तक राज्य सरकार की क्या व्यवस्था रही है ? उसके विकास के लिए कोई कार्पोरेशन बना रही है ? यदि हां, तो कोर्पोरेशन का निर्माण किस स्टेज पर है तथा कार्पोरेशन का क्या प्रारूप है ?

राज्य मन्त्री, राजस्व (श्री मूलचन्द मीणा) : (1) राज्य सरकार द्वारा सन् 1957 में एफ 6 (139) राज।उप।56, दिनांक 12-11-57 में एक ए श्रेणी, सात बी श्रेणी, 13 सी श्रेणी की कुल 24 मण्डियों की स्थापना एवं विकास करने का निर्णय लिया था। इनमें से नोटिफिकेशन नं० एफ 3 (34) राज।उप।64 दिनांक 25-1-73 को सूरतगढ़ हनुमानगढ़ जंक्शन व हनुमानगढ़ टाउन तथा टीबी को राजस्थान परियोजना क्षेत्र की मण्डियों में शुमार कर लिया गया तथा 11 सी श्रेणी की मंडियों को राज्य सरकार द्वारा एफ 4 (4) उप।राज।75 दिनांक 24-10-75 को डिलीट कर दिया गया है। अब भाखरा क्षेत्र की शेष निम्न 6 मण्डियां रही हैं, जिनका विकास किया जा रहा है।

1. भादरा, 2. नोहर, 3. सांगरिया, 4. सादुलशहर, 5. पीलीबंगा, 6. तलवाड़ा झील।

(2) इन मण्डियों को आवश्यकतानुसार विकास कार्य जैसे पानी, बिजली, सड़कें, आदि की व्यवस्था की जा चुकी है तथा इन कार्यों पर आज तक 65,86,205 रुपये व्यय हो चुके हैं। इन मण्डियों में निर्माण कार्य भी सन्तोषजनक हैं।

(3) मण्डियों के विकास के लिए एक मण्डी विकास समिति का गठन क्षेत्रीय विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कर रखा है। उक्त मण्डियों के विकास के लिए निगम की स्थापना का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

**श्री योगेन्द्र नाथ हांडा** : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे प्रथम प्रश्न तो यह है कि आपने 65 लाख रु० इस पर खर्च कर दिया है। करीब 66 लाख रु० के करीब कर दिया है। कितना वाटर वर्क्स विकसित किया। कितने मिडिल इन्कम ग्रुप को प्लॉट अलॉट किये हैं ? केवल दो मण्डियों में वाटर वर्क्स बनाया है।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय मन्त्री जी।

**राजस्व मंत्री** (श्री परसराम मदेरणा): कितने प्लॉट बनाये, वाटर वर्क्स ......

**श्री योगेन्द्र नाथ हांडा** : आपने उत्तर दिया है, मन्त्री महोदय ......

**श्री परसराम मदेरणा** : पानी, बिजली, प्लॉट भी अलॉट किये हैं। यह जिन मण्डियों में हुआ है वह आप भी जानते हैं। यह प्रश्न कार्पोरेशन स्थापित करने का कैबिनेट के सामने विचाराधीन है। अभी होने वाली कैबिनेट की मीटिंग में निर्णय भी लिया जाएगा। ताकि जो आमदनी मण्डियों से हो रही है वह पूरे तौर पर वहां पर खर्च की जाएगी। उनका विकास किया जाएगा।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : सुनिये, 2-2-59 को 15 बीघा जमीन खातेदार को अलॉट की है। आज कोई प्लॉट नहीं है। 20-20 के खातेदारों में एक-एक मुरब्बा की कीमत 50-50 हजार चली गई है। यह तो सांगरिया की स्थिति है। पीलीबंगा में 150 मकान बेच दिये गये हैं। उन 150 दुकानों को कोई एलॉटमेंट नहीं दिया है। आपने 57 में सी कैटेगरी की 12 मण्डियां घोषित की हैं।

**श्री परसराम मदेरणा** : जैसा कि आपको उत्तर में सूचित किया गया है, सी क्लास की मण्डियों को निकाल दिया है। वहां विकास का काम हाथ में ले लिया गया है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : क्यों नहीं किया गया है।

**श्री परसराम मदेरणा** : क्यों नहीं किया गया ? अर्थाभाव के कारण। क्योंकि जो प्रोविजन रहता है, उसके अन्दर ही विकास को गति दी जा सकती है। आज मण्डी के डवलपमेण्ट के लिए एक एक करोड़ की धन राशि उपलब्ध हो तो पैसे से विकास किया जा सकता है। इसलिए राज्य सरकार के किसी भी सेक्टर में प्लानिंग का महत्व है। हम प्रॉयोरिटी से चलेंगे। पॉवर, इर्रिगेशन 60 प्रतिशत है। क्योंकि भारत सरकार कहती है कि जो सेक्टर है, उसका उसी में पैसा रहेगा। इसलिए मण्डी विकास जिस रुप में प्लानिंग कमीशन समझता है, उसी रुप में होगा।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : मेरा प्रश्न तो स्पष्ट है। 12 मण्डियों को टच नहीं किया है। लेकिन मेजर प्रोजेक्ट की क्या स्थिति है ? 1928 में गंग कैनाल आई थी। 2 करोड़ रुपया गंग कैनाल पर लगा है। पहले बहुत कम पर बिक सकते थे। आपने उनको बेचने का कष्ट नहीं किया है। आपकी घरसाना मण्डी को आपने डिक्लेयर किया। अभी वहां कलकत्ता बम्बई से कारें लेकर खरीदने के लिए आये हैं।

**श्री परसराम मदेरणा** : घरसाना भाखरा एरिया में नहीं है। 1928 में बीकानेर में गंग कैनाल आई। 3 करोड़ खर्च हुआ या 2 करोड खर्च हुआ यह तो मण्डी डवलपमेंट का रिकार्ड देख कर बता सकता हूं। मुझे इसके लिए ओल्ड रिकार्ड देखना पड़ेगा।

(श्री परसराम मदेरणा)

जहां तक प्रश्न यह है कि उस वक्त के स्टेट में गंग कैनाल का एक प्रोजेक्ट है, उसका विकास कैसे हुआ तो इस सम्बन्ध में राजस्थान में जिस गति से विकास हुआ उसका लेखा-जोखा मेरे साथी सिंचाई मन्त्री जी ने कल दिया था। राजस्थान के अन्दर 47 छोटे-छोटे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, और 90 पर्सेन्ट विकास आजादी के बाद और यह गवर्नमेन्ट बनने के बाद हुआ है। आप भूल गये राजस्थान कैनाल की डवलपमेन्ट एरिया की बात, आपने भाखरा मण्डियां की बात कही। इसके विकास में 65 लाख रुपया खर्च किया है और जल्दी ही इसका एक कार्पोरेशन बन जायगा। 1928 के सन्दर्भ में आपने जो भावना व्यक्त की है उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि उसके लिये आपमें और मेरे में कोई मतभेद नहीं है। रिजर्व प्राइस पर देने के लिये मुझे वित्त मन्त्री जी से भी राय लेनी पड़ती है। लेकिन अभी आप जो कह रहे हैं, खर्चा करने में मेरी असमर्थता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: मेरा प्रश्न यह है कि इन मण्डियों के अन्दर से आप आमदनी ले सकते थे, मैं खर्चे की बात नहीं कर रहा हूं। मुझे गिला यह है कि आप इन मण्डियों को रिजनरेट कर सकते थे, आपने इनको रिजनरेट क्यों नहीं किया और इण्डस्ट्रियल प्लॉट्स का आॅक्शन क्यों नहीं किया ? जो आपको ·· ····

(समय समाप्ति—सूचक घंटी)

श्री विजयसिंह : और भी प्रश्न है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप ....

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप एक एन्क्वायरी कमेटी इन्स्टीट्यूट कीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : चूंकि पैसा नहीं है, अर्थाभाव के कारण डवलपमेन्ट नहीं हो सका। यह कोई ऐसा मामला नहीं है और मैं इसके लिए एन्क्वायरी की आवश्यकता भी नहीं समझता हूं। डिटेल्स में जाने के बाद और आप कोई तथ्य लायेंगे तो फिर विचार किया जा सकता है। वैसे कमेटी बनी हुई है एरिया डवलपमेन्ट कमिश्नर उसके चैयरमैन हैं और मैं कोई कारण नहीं समझता हूं कि इसकी जांच कराई जाय। मैंने भी कई मीटिंग कराई हैं, कार्पोरेशन की बात मेरे चैयरमेनशिप में आई है, मैंने इसकी पांच-छः मीटिंग कराई हैं, उस वक्त मैं सभी आस्पेक्ट्स की ओर गया हूं। इसलिए भाखड़ा की मण्डियों का काफी विकास हो चुका है तो इसकी परेशानी मुझको नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री मूलचन्द सामरिया।

**मोटर गैरेज द्वारा व्हीकल्स का बेचान**

173. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): क्या मंत्री, मोटर गैरेज विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान मोटर गैरेज विभाग द्वारा गत एक वर्ष में कितने व्हिकल्स बेचे व खरीदे गये ?

(2) उक्त खरीद व बिक्री किस प्रकार की गई ? कृपया सम्बन्धित कागजात की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) जिन-जिन लोगों को अथवा संस्थाओं को गैरेज के व्हीकल्स बेचे गये उनके

(श्री मूलचन्द सामरिया)
नाम वल्दियत, जाति, निवास स्थान, व्हिकल की किस्म, कीमत, किस वर्ष में खरीदा था, कौनसी साल का बना हुआ था आदि का विवरण पूर्णरूपेण सदन की मेज पर रखें तथा व्हिकल बेचने के कारण भी दर्शावें ।

(4) क्या यह सही है कि इन व्हिकल्स के बेचने में नियमों की अवहेलना कर मनमाने तरीके से अपने अपने लोगों को मनमानी कीमत पर बेचे गये ?

(5) क्या यह सही है कि इनमें से कुछ व्हिकल्स दबाव के कारण बेचे गये ?

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : कृपा करके इस प्रकार का विकास और दूसरी जगह मत कीजियेगा ?

**राज्य मंत्री, मोटर गैरेज (श्री मुंशीलाल महावर)** : (1) गत एक वर्ष में गैरेज के लिए 20 तथा पूल के लिये 13 व्हिकल्स खरीदे गये और गैरेज द्वारा कुल 116 व्हीकल्स बेचे गये ।

(2) व्हिकल्स की खरीद नियमानुसार डी० जी० एस० डी० द्वारा निर्धारित दरपर की गई तथा बिक्री खुली नीलामी द्वारा की गई ।

(3) वांछित सूचना तालिका 'क' में अंकित की गई है ।

(4) जी नहीं ।

(5) जी नहीं ।

(तालिका विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालयों में रखी गई)

**श्री मूलचन्द सामरिया** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न के खण्ड 2 और 3 का जवाब नहीं दिया गया है मैंने इसके कागजात मांगे थे, सूची नहीं । जो सूची दी गई है वह भी अधूरी दी गई है । अधिक लम्बे चौड़े प्रश्न में नहीं जाकर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें क्रम संख्या 57 पर श्री ताराचन्द, गांधीनगर, जयपुर जो है, यह बता दें यह कौन साहब हैं ? इतना फर्मा दें ।

**श्री मुंशीलाल महावर** : जो भी रिकार्ड पर है वह सब आपके सामने है ।

**श्री मूलचन्द सामरिया** : आप इनके बारे में बताने की कृपा करें, कौन हैं ये, किसके लड़के हैं ?

(अश्रव्य)

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक सुझाव देना था, इन दोनों को एक कमरे में बन्द कर दिया जाय और चाबी खो दी जाय ।

(अश्रव्य)

**श्री मूलचन्द सामरिया** : आप तो निश्चित तौर से यह फर्मा दें कि श्री ताराचन्दजी कौन हैं, मेरे प्रश्न का उत्तर समाप्त हो जाय 57 नम्बर पर है, श्री ताराचन्द, गांधी-नगर, जयपुर ।

**श्री मुंशीलाल महावर** : जो व्हिकल्स नीलामी द्वारा बेची जाती हैं और जो मोटर गैरेज की गाड़ियां कन्डम हो जाती हैं उनकी लिस्ट पहले तैयार करके फिर उनकी नीलामी की जाती है ।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : उपाध्यक्ष महोदय, यह ताराचन्दजी का कुर्सीनामा है क्या ?

**श्री मूलचन्द सामरिया :** मैं और कुछ नहीं पूछना चाहता, सिर्फ यह बता दें कि आप ताराचन्द को जानते हैं या नहीं ? इतना सा कह दें।

**श्री मुंशीलाल महावर :** मैं यह निवेदन कर रहा था कि गाड़ियां नीलामी के द्वारा बेची जाती हैं। मेरी जानकारी में नहीं आता है कि कौन वहां पर खरीदने के लिये आता है और न मैं किसी को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं।

**श्री मूलचन्द सामरिया :** आपको ताराचन्द का पता है या नहीं ?

(अश्रव्य)

आपके सुपुत्र तो नहीं हैं जो ताराचन्द 57 नम्बर पर हैं, गांधीनगर, जयपुर के, वह आपके सुपुत्र तो नहीं हैं ?

**श्री मुंशीलाल महावर :** ताराचन्द मेरे बच्चे का नाम नहीं, आपके बच्चे का नाम हो तो वह मेरी जानकारी में नहीं है। मेरे बच्चे का नाम नहीं है।

**श्री गोपाल जोशी** (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है । क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान मोटर गैरेज से जो गाड़ियां कन्डेम होती हैं उनको विधान सभा सदस्यों को रिजर्व प्राइस पर दिलाने का सरकार इरादा रखती है ?

**श्री मुंशीलाल महावर :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह निर्णय सचिवालय स्तर पर हो चुका है और कैबिनेट में जायेगा और इस संबंध में जैसा राज्य सरकार निर्णय लेगी वैसा ही क्रियान्वित किया जायगा । यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है। डिफेन्स के पैटर्न पर जिस प्रकार से एम० एल० ए० और एम० पी० को दी जाती हैं उसी प्रकार से यह मामला यहां भी विचाराधीन है।

**श्री उपाध्यक्ष :** नैक्स्ट।

**प्रश्न संख्या 174**

श्रीमती गौरी पूनिया !
(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

**प्रश्न संख्या 175**

श्रीमती उषा प्रकाश !
(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री बेगाराम चौहान !

**प्रश्न संख्या 176**

**राजस्थान कैनाल क्षेत्र में हरिजनों से खालों हेतु राशि**

176. **श्री बेगाराम चौहान** (रायसिंहनगर): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि राजस्थान कैनाल परियोजना क्षेत्र में भूमिहीनों एवं हरिजनों को भूमि अलाट की गई है उनसे पक्के खालों के लिये फार्म भरवाये जा रहे हैं और खालों के लिये 9250 रु० उन हरिजन कृषकों के नाम लिखे जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों और क्या यह राशि वह गरीब हरिजन दे सकेंगे ?

**राज्य मंत्री, उपनिवेशन** (श्री मूलचन्द मीणा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए निवेदन है कि इसको पोस्टपोन कर दिया जाय।

**श्री उपाध्यक्ष :** Yes. Postponed.

# Page No 11

(11)



**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें ऐसी क्या सूचना है जो आपको मंगानी है और आपके पास उपलब्ध नहीं है। सारी सूचना आपकी पुस्तकों में मौजूद है। यह बहुत गम्भीर मामला है।

**श्री उपाध्यक्ष** : I have postponed it. आप विराजिये।

नैक्स्ट। श्री गुरदयालसिंह संधु।

**ट्रक मालिकों द्वारा शिकायतें**

177. **श्री गुरदयालसिंह संधु** (करणपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में जो ट्रक एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं उनसे प्रति माह 5 रुपये प्रत्येक बैरियर व रास्ते में आने वाले थाने और सेल्स टैक्स चुंगी पर रिश्वत का वसूल किया जाता था ?

(2) क्या यह सही है कि आपातकालीन स्थिति के बाद वह राशि 10 रुपये प्रति माह तथा सीकर व अजमेर में बीस रुपये वसूल की जा रही है ?

(3) क्या यह सही है कि जो ट्रक मालिक ऐसी रकम देने से इन्कार करते हैं उनके ट्रक थानों में ले जाकर कई-कई घंटों रोक दिये जाते हैं ?

(4) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की जांच करवायेगी और दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**राज्य मंत्री, गृह** ( श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

**श्री गुरदयालसिंह संधु** : क्या सरकार इस मामले की एक कमेटी बना कर निष्पक्ष जांच करायेगी ? एक ट्रक वाले को एक ट्रिप में कम से कम सौ रुपये पुलिस को रिश्वत के रूप में देने पड़ते हैं।

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : अधिकारी ने जवाब दे दिया, वह मंत्री महोदय ने दे दिया। सरकार इसकी जांच अलग से करवा रही है ?

**श्री गुरदयालसिंह संधु** : मैं समझ नहीं सका।

**मुख्य मंत्री** (श्री हरिदेव जोशी) : सरकार अपने ढंग से इसकी जांच कर रही है।

**श्री उपाध्यक्ष** : नैक्स्ट। श्री रामगोपाल।

**वन खण्ड उसालिया (बूंदी) के ठेकेदार के विरुद्ध शिकायतें**

178. **श्री ओंकारलाल चौहान** (डग) : [श्री रामगोपाल (किशनगंज) की अनुपस्थिति में] : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कुछ काश्तकारों ने बूंदी वन मंडल के वन खण्ड उसालिया में खेतों के वृक्षों को श्री जुम्मा ठेकेदार को सन् 1971-72 में बेच दिया था ?

(2) क्या यह सही है कि ठेकेदार श्री जुम्मा ने बूंदी वन मंडल के उसालिया वन

(श्री ओंकारलाल चौहान)
खण्ड में उक्त ठेकों की आड़ में लगभग ग्यारह हजार पेड़ वन भूमि में से काट लिये थे ?

(3) क्या यह सही है कि मुख्य वन संरक्षक, जयपुर ने ठेकेदारान द्वारा नाजायज आदेश नुकसान का मुआवजा लेने के स्थायी आदेश अपने अधिकारियों को दिये थे जिसके अन्तर्गत कम से कम दस रुपये प्रति वृक्ष ठेकेदार से जुर्माना वसूल करने के आदेश थे ?

(4) क्या यह सही है कि तत्कालीन वन मंडल अधिकारी ने इन 11,000 वृक्षों के 10 रु० प्रति वृक्ष जुर्माना नहीं कर ठेकेदार से सांठ गांठ कर केवल 6,800 रु० ही जुर्माना किया था ?

(5) क्या यह सही है कि इस ठेकेदार ने उक्त लकड़ी का कोयला बना कर लाखों रुपये का मुनाफा कमाया तथा एक बड़ी रकम तत्कालीन वन मण्डल अधिकारी को रिश्वत दी ?

(6) क्या यह सही है कि इस समस्त कांड की जांच करने हेतु शिकायत मुख्य वन संरक्षक के पास की गई किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ?

**राज्य मंत्री, वन** (श्री मूलचन्द मीणा) : (1) जी नहीं।

(2) श्री जुम्मा द्वारा 10924 वृक्ष लसाड़िया वन खण्ड से अवैध रूप में काटे गये थे।

(3) जी हां।

(4) यह सही है कि तत्कालीन मंडल वन अधिकारी ने 10924 वृक्षों का श्री जुम्मा से 6,800 रु० मूल्य व मुआवजा वसूल किया।

(5) यह सही है कि श्री जुम्मा ने उक्त अवैध रूप से काटी लकड़ी में से कुछ का कोयला बनाया। मुनाफा कमाने अथवा मण्डल वन अधिकारी को रकम देने की जानकारी राज्य सरकार को नहीं है।

(6) वन संरक्षक, कोटा ने इस प्रकरण में मुआवजा निर्धारण के संबंध में मण्डल वन अधिकारी द्वारा स्थाई आदेश की अवहेलना पाये जाने पर अपने अ० शा० पत्र संख्या ठेका/बस/75/540 दिनांक 28-11-75 द्वारा मुख्य वन संरक्षण को अग्रिम कार्यवाही के लिए प्रेषित किया है।

**श्री उपाध्यक्ष** : (श्री रामप्रसाद बोहरा के खड़े होने पर) प्रश्नकर्त्ता।

**श्री रामप्रसाद बोहरा** : मेरा भी है।

**श्री उपाध्यक्ष** : जी नहीं।

**श्री रामप्रसाद बोहरा** : मेरा लिखा हुआ गया है।

**श्री ओंकारलाल चौहान** : प्रश्न के सब सेक्शन (5) में जवाब दिया है, मण्डल वन अधिकारी को रकम देने की जानकारी राज्य सरकार को नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्या यह शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त हुई ? क्या जानकारी ली गई ? उसके खिलाफ कोई इन्क्वायरी की गई ?

**श्री मूलचन्द मीणा** : उपाध्यक्ष महोदय, श्री जुम्मा वल्द अब्दुला मुसलमान निवासी कोटा द्वारा उसालिया वन खण्ड में धोक, खैर का 20 गाड़ी अवैध कटान करने पर वनपाल डाबी ने दिनांक 8-3-72 को उसके खिलाफ केस पंजीकृत किया। उस पर कार्य-

(श्री मूलचन्द मीणा)
वाही हुई और उससे नुकसान का मुआवजा 360 रुपये तत्काल जमा कराया गया। इसके बाद में उस जांच से पहले पूछताछ की तो जुम्मा ने यह बतलाया कि मैंने जो काश्तकार हैं उनकी पट्टे वाली भूमि से कटान किया है। इसके बाद डी०एफ०ओ० ने उस पर कार्यवाही की, पूछताछ की, पट्टेदारों से मालूमात की तो मालूम हुआ कि पट्टेदार जमीन से वह पेड़ नहीं काटे गये थे, वाकई अवैध जंगल की लकड़ी काटी हुई है। उस पर वन मण्डल अधिकारी ने 336 गाड़ी का अनुमान लगाया, जितनी काटी हुई लकड़ी थी उससे हिसाब से 15 मन प्रति गाड़ी के हिसाब से 5040 मन लकड़ी का सवा रुपये प्रति मन से 6,300 कीमत और 500 रुपये मुआवजे के जुम्मा से वसूल किये। यह बात यहीं समाप्त हो गई। लेकिन जब इतनी बड़ी जमीन पर अवैध कटान हुआ तो सी०एफ० ने और कार्यवाही की, यह अवैध कटान है और कानून की अवहेलना हुई है तो 10 रुपये प्रति वृक्ष कटाई वसूल की जानी चाहिए थी। इस पर उन्होंने जांच की और वहां के फारेस्ट गार्ड श्री नन्दलाल व वनरक्षक श्री अब्दुल मजीद को नाके से हटा कर कार्यवाही की। इसके बाद पाया कि वहां नियमों की अवहेलना हुई है। उसने सारे केस को सी० सी० एफ० को रेफर किया। अब डी० एफ० ओ० की टिप्पणी मांगी है। उसकी टिप्पणी आने पर आगे कार्यवाही की जायेगी। लेकिन इससे पहले वहां के रेंजर श्री जगदीश दत्त शर्मा एवं वनपाल श्री नन्दलाल को कम्पलसरी रिटायरमेंट दिया गया है।

**श्री ओंकारलाल चोहान** : यह ठीक है कि कम्पलसरी रिटायरमेंट दे दिया गया है। लेकिन क्या उनके कार्य में अवैधता पाई गई? अगर पाई गई, तो कम्पलसरी रिटायरमेंट ही पनिशमेंट नहीं है। क्या राज्य सरकार विचार करेगी कि रिकवरी उनसे नहीं की जा सकती?

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली** (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह गम्भीर प्रश्न है...

**श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : 10900 पेड़....

**श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय** (बूंदी) : 11 हज़ार वृक्ष को....

**श्री रामप्रसाद बोहरा** : मैं बोल रहा हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : एक ही माननीय सदस्य।

**श्री रामप्रसाद बोहरा** : क्या आप मानते हैं कि 10900 वृक्ष बबूल के काटे गये, जिनका वजन लकड़ी का मिनिमम मान लिया जाय तो 10 हजार क्विन्टल एक मन प्रति पेड़ के हिसाब से होता है। उसकी रॉयल्टी या जुर्माना लिया जाय, कीमत ली जाय तो पांच रुपये प्रति क्विन्टल से पचास हजार रुपया होता है। क्या यह अवैध कार्यवाही वहां के वन मण्डल अधिकारी ने की है? उसके खिलाफ 1972 से अब तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई? इसके बारे में बतायें।

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली** : मेरा सवाल करना था, बड़े पैमाने पर जंगल काट रहे हैं। वहां के वन अधिकारी, जो इनके जिम्मेदार हैं उन पर मुकदमात चलाया गया? नम्बर एक, इस जुम्मा का दफा 26 फोरेस्ट एक्ट के तहत प्रोसीक्यूशन हुआ या नहीं? क्या यह मानते हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक लोग इन्वॉल्व होते हैं, जंगलात कट रहे हैं

# Page No 14

(14)



**(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)**
उसके बावजूद कम्पलसरी रिटायर, थोड़े-बहुत फोरेस्ट गार्ड को कम्पलसरी रिटायर करें और कन्टेन्डेड हो जायें, क्या यह उचित है गवर्नमेंट के लिए, इसलिए कि यह बड़ा गम्भीर मसला हो गया है फोरेस्ट काटने का। फोरेस्ट काटने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई आज तक एक्शन नहीं लिया गया ? मैं समझता हूं, जितने अधिकारी हैं उन सबको सस्पेन्ड किया जाय।

**श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय** : मैं वन मंत्री को, जब भी वन का सवाल आता है, निवेदन करना....

**श्री उपाध्यक्ष** : क्वेश्चन।

**श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय** : प्रश्न पर आ रहा हूं।

ऐसा है, रेंजर लेवल के ऑफिसर को कम्पलसरी रिटायर कर दिया, लेकिन इस प्रश्न के चरण 4 में दिया गया है कि 11 हजार पेड़ काटे। एक का 10 रुपये जुर्माना हो, इतना जुर्माना करते हैं तो 1 लाख 10 हजार रुपये वसूल करने चाहिए, उसके बजाय आप 6 हजार 800 करते हैं। उन ऑफिसर को रिटायर किया नहीं, सस्पेण्ड किया नहीं। उस पर तो एक्शन कर सकते हैं मंत्री महोदय। नीचे के अधिकारी की रिपोर्ट मांगी है, वह क्या मांगी है और एक्शन क्या लिया है ? इससे अवगत करायें।

**श्रीमती नगेन्द्र बाला** (दीगोद) : मंत्री महोदय ने बताया कि सवा रुपये प्रति मन पैनल्टी ली है। आज जो लकड़ी की कीमत है, उसके आधार पर सवा रुपया मन पैनल्टी क्या उचित है ?

**एक माननीय सदस्य** : बहुत कम है।

**श्रीमती नगेन्द्र बाला** : क्या यह पैनल्टी उचित है ?

**वन मंत्री** (श्री परसराम मदेरणा) : आपके प्रश्न का जवाब तो मैं अंत में दूंगा। पहले तीन और माननीय सदस्य ने सप्लीमेन्ट्री पूछे हैं, उनका जवाब दूंगा। यह बात सही नहीं है कि दस हजार क्विन्टल के आस पास उस लकड़ी का वजन हो गया। जो एस्टीमेन्ट किया गया पेड़ काटने के बाद में, उनका वजन 5040 मन था। 5040 मन के हिसाब से मूल्य वसूल होना चाहिए, मुआवजा वसूल होना चाहिए। तो मूल्य के लिए टेरीफ बनाई गई थी, वह टेरीफ बहुत पुरानी है। अब मैं आपके प्रश्न पर आ रहा हूं, वह टेरीफ इतनी पुरानी है (राज्य मंत्री से) कौनसे सन् में बनी है.....

**श्री झाबरमल सुण्डा** (फतेहपुर) : जो लिख कर जवाब दे दिया, वही मंत्री महोदय जवाब दे देते हैं ....

**श्री रामप्रताप बोहरा** : ग्यारह हजार पेड़ों का पांच हजार मन वजन है ?

**श्री परसराम मदेरणा** : इसमें बेसिक सवाल यह है कि टेरीफ में दो रुपये लिखे हुए हैं ....

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : वजन की बात है। 11 हजार पेड़ों का वजन 5 हजार मन नहीं हो सकता।

**श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** : यह कौनसी मैथेमेटिक्स है, 11 हजार पेड़ों का वजन 5040 मन बना ?

**श्री झाबरमल सूण्डा** : सही स्थिति का मूल्यांकन नहीं हो पाया है। जो लिख कर दे दिया वही सुनाना चाहते हैं।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : क्या यह गुलाब के पेड़ थे ?

**श्री परसराम मदेरणा** : यह 2 रुपये मूल्य, जो टेरीफ है, रेवेन्यू टेरीफ में यह जलाऊ लकड़ी के लिए है, जो सूखी हुई होती है। यह गीली लकड़ी थी। जब ठेका दिया था तो सवा रुपये फी मन के हिसाब से दिया था। मुआवजा 10 रुपये प्रति वृक्ष होता है तो 1 लाख 9 हजार रुपये बनते हैं। यह इन्क्वायरी की है, मुआवजे की रकम निर्धारित की है, सी० एफ० ने अपने लैटर के अन्दर सी० सी० एफ० को लिखा है, उसमें हवाला दिया है, अक्टूबर 75 में वह भेजा है, उसमें कहा है, 60,800 मुआवजा लिया गया सवा रुपये प्रति मन से मूल्य लिया है, वह हुए 6,300 और 500 मुआवजे के लिये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जब कि उसका मुआवजा 1,092.40 रुपये लेना चाहिये था। इसके लिये उस डी० एफ० ओ० का स्पष्टीकरण मांगा गया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला स्वयं डी० एफ० ओ० ने पकड़ा था और यह दिनांक 15-3-1972 की बात है उस वक्त बी० डी० आचार्य डी० एफ० ओ० थे। उसके बाद में दूसरा डी० एफ० ओ० आ गया। माननीय सदस्यों की जानकारी में यह बात रहनी चाहिये कि डी० एफ० ओ० इसमें दो हैं। एक तो वह जिसने केस पकड़ा है दूसरा डी० एफ० ओ० वह जिसने मुआवजा फिक्स किया। इसी प्रकार यहां पर जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने यह पूछा कि क्या इस मामले में किसी पर कोई मुकदमा चलाया गया या नहीं तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोई मुकदमा किसी प्रकार का नहीं चलाया गया है क्योंकि इस केस को कम्पाउन्ड कर दिया गया था और जब मामला कम्पाउन्ड कर दिया जाता है तो उसमें मुकदमा नहीं चलाया जाता। कम्पाउन्ड करते हैं तभी तो मामले में मुआवजा लिया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब प्रश्न यह है कि इसमें इतनी देरी क्यों हुई। यह प्रश्न काफी गम्भीर है लेकिन राज्य सरकार को तो कल ही इसकी इत्तिला मिली थी। सी० सी० एफ० के पास यह मामला 27 जुलाई, 1975 को आया तो सी० सी० एफ० ने उसके फक्ट्स कनजरवेटर ऑफ फोरेस्ट से मांगे और कन्जरवेटर आफ फोरेस्ट ने डी० एफ० ओ० से इसके बारे में एक्स्प्लेनेशन मांगा। इसमें काफी समय लग गया। राज्य सरकार के सामने कल यह मामला आया तो मैंने इसको बहुत ही गम्भीर प्रश्न मानते हुए रेवन्यू सेक्रेटरी को बुलाया और रेवेन्यू सेक्रेटरी के लेवल पर उनका एक्सप्लेनेशन पूछा। उस वक्त यह भी मालूम हुआ कि कुछ लोगों का कम्पलसरी रिटायरमेन्ट हो गया है। तो माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यहां पर मैं यह कहना उचित समझता हूं कि राज्य सरकार रिटायर होने के बाद भी सी० सी० ए० रूल्स के तहत उन लोगों की पेन्शन को रोक सकती है। मैंने इस प्रकार के आदेश दे दिये हैं, इसके लिये डी० एफ० ओ० को चार्ज शीट दी जावे। तथा रेन्जर और फोरेस्ट गार्ड, जो कि कम्पलसरी रिटायर हो गये हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जावे। और एक गार्ड को ट्रांसफर कर दिया वह बात अलग है। इसमें कौन किस हद तक दोषी है उन सभी के खिलाफ राज्य सरकार कार्यवाही करेगी। जहां तक सवाल डी० एफ० ओ० का है

(श्री परसराम मदेरणा)

उसकी जांच मैंने सेक्रेटेरियेट लेवल पर करने के लिये रेवेन्यू सेक्रेटरी को आदेश दे दिया है। इस प्रकार तमाम केस की फाइलें मंगाकर दोषी लोगों के खिलाफ जो कानूनी कार्यवाही हो सकेगी वह की जावेगी। उसमें जैसे कि सन् 1968 में इसके बारे में जो इन्स्ट्रक्शन दिये हुए हैं, 14-2-68 के जो इन्स्ट्रक्शन्स सी० सी० एफ० के हैं इल्लीसिट फोरेस्ट कटिंग के संबंध में जो मुआवजा लेना चाहिये उसकी जो अवहेलना की गयी है उसमें सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिये। इसमें माननीय सदस्यों से यह निवेदन है किसी भी दोषी व्यक्ति के साथ कोई रियायत नहीं की जावेगी।

**श्रीमती नगेन्द्र बाला** : एक बात, उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहती हूं कि इन्होंने जो यह फर्माया है कि सेक्रेटेरियेट लेवल पर रेवेन्यू सेक्रेटरी डी०एफ०ओ० के खिलाफ जांच करेगा। यह आदेश आपने कौनसी तारीख को दिये ? और सी० सी० एफ० ने कौनसी तारीख को कार्यवाही के लिये आदेश दिया था ? यह दोनों बातें बता दें।

**श्री श्रीकरलाल चौहान** : उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला सन् 72 का है और उसके बाद यह मामला सन् 75 में राज्य सरकार के सामने आया तो यह सन् 72 से लेकर 75 तक सी० सी० एफ० लेवल पर क्या कार्यवाही होती रही ? यह केस इतने दिनों तक कहां पड़ा रहा ? कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ ?

**श्री परसराम मदेरणा** : उपाध्यक्ष महोदय, सी० सी० एफ० के पास ज्योंही रिपोर्ट आयी उसने फौरन सी० एफ० के पास भेजी और उसने दुबारा कब रिमाइन्डर दिया यह मुझे पता नहीं है लेकिन मेरे नोटिस में यह बात कल जब यह प्रश्न आया तब आयी मैंने देखा कि अक्टूबर, 75 में पहले रिपोर्ट पर कार्यवाही हुई। कल जब यह लिस्ट प्रश्नों की मेरे पास आयी तो रात के 12 बजे मैंने इस सभी केस को देखा और इसके लिये इसमें सेक्रेटेरियेट लेवल पर डी० एफ० ओ० के खिलाफ में एक्शन लेने, के लिये मैंने रेवेन्यू सेक्रेट्री को आदेश दे दिये हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : नैक्स्ट श्री रामानन्द अग्रवाल।

## राजस्थान विश्वविद्यालय में यू० एस० आई० एस० द्वारा फिल्म प्रदर्शन

179. **श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर)** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में गत नवम्बर, 1975 में संयुक्त राज्य अमेरिका की आजादी की द्विशताब्दी भारत में अमेरिकी दूतावास के यूनाइटेड स्टेट्स इन्फार्मेशन सर्विस (यू० एस० आई० एस०) के सहयोग से मनाई गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि इस अवसर पर यू० एस० आई० एस० द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय के सभी 18 विभागों में अपनी फिल्मों का प्रदर्शन किया गया था ? यदि हां, तो क्या ये फिल्में भारत सरकार द्वारा सेन्सर शुदा थीं ?

(3) क्या यह सही है कि इन फिल्मों में अपने मित्र देश सोवियत रूस के विरुद्ध अप्रत्यक्ष विषैला प्रचार था ?

(4) क्या यह सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के कुछ विद्यार्थियों ने इन फिल्म प्रदर्शनों का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन करके विरोध किया था ?

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(5) क्या यह सही है कि सन् 1971 में बंगला देश के मुक्ति आन्दोलन और भारत-पाक युद्ध के समय संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा बंगाल की खाड़ी में अपना सातवां बेड़ा भेजकर भारत को धमकाने का कुप्रयत्न किया था ? उसके बाद राजस्थान विश्वविद्यालय में संयुक्त राज्य अमेरिका की गतिविधियां न करने देने का निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो उस निर्णय की अवहेलना क्यों की गई ?

**राज्य मन्त्री, शिक्षा** (श्री फारुक हसन) :

(1) जी नहीं ।

(2) यह सही नहीं है ।

(3) जी नहीं ।

(4) जी नहीं ।

(5) विश्वविद्यालय द्वारा किए गए निर्णय की कोई अवहेलना नहीं की गयी है ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : जो प्रश्न संख्या में जो प्रदर्शन के बारे में नवम्बर में करने का कहा है वह नवम्बर में नहीं किया गया हो, कोई दूसरे महीने में किया गया हो। क्या नवम्बर में प्रदर्शन नहीं हुआ ?

**श्री फारुक हसन** : प्रश्न नम्बर एक के उत्तर अनुसार कोई फिल्म का प्रदर्शन नहीं हुआ ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : क्या अमेरिकन एम्बेसी की इन्फोर्मेशन सर्विस की तरफ से अमेरिका की आजादी की द्विशताब्दी की फिल्म का प्रदर्शन यू० एस० आई० एस० एजेन्सी के द्वारा किया गया ?

**श्री फारुक हसन** : इस सिलसिले में कोई प्रदर्शन नहीं हुआ ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : किसी और सिलसिले में किया गया होगा ?

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : यहां पर बैठे कई माननीय सदस्यों ने अपनी आंखों से देखा और आप इन्कार कर रहे हैं ।

**शिक्षा मन्त्री** (श्री खेतसिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के अन्दर पोस्ट-ग्रेजुएट कोर्सेज में अमेरिकन हिस्ट्री का सब्जेक्ट है ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : क्या यह सही है कि इतिहास विभाग द्वारा यह फिल्म दिखाने के बाद दूसरे और विभागों में इस फिल्म का प्रदर्शन किया गया था ?

**श्री खेतसिंह** : जहां तक मेरी जानकारी है उसके अनुसार किन्हीं और दूसरे विभागों द्वारा उस फिल्म का प्रदर्शन नहीं किया गया ।

**श्री गोपाल जोशी** (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो पूछना चाहते हैं उनके पूछने का मतलब यह है कि क्या जो फिल्म वहां पर प्रदर्शित की गयी थी उसमें हमारे मित्र देश सोवियत रूस के खिलाफ में कोई प्रचार किया गया था ?

(व्यवधान : अश्रव्य)

क्या उस फिल्म का रवैया हमारे मित्र देश के प्रति अच्छा नहीं था ? क्या ऐसा कोई प्रदर्शन किया गया था ? सही मुद्दे की बात यह है जो माननीय सदस्य पूछना चाहते हैं ।

**श्री खेतसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि राज्य मन्त्री ने अपने जवाब के भाग तीन में

# Page No 18

(18)



(श्री खेतसिंह)
कहा जी नहीं । न तो जैसी सूचना हमारे पास यूनिवर्सिटी ने भेजी उसके आधार पर हम कह सकते हैं उस फिल्म में ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं था जिसमें कि हमारे मित्र देश रूस की बुराई की गई हो या हमारे मित्र देश रूस का उसमें किसी प्रकार का कोई अपमान का प्रदर्शन हुआ हो । सिर्फ यही बतलाया गया है कि चूंकि अमेरिकन हिस्ट्री पोस्ट-ग्रेजुएट हिस्ट्री के स्टूण्डेटस् का सब्जेक्ट है इसलिये उन लोगों को इतिहास के लिहाज से यह फिल्म दिखाई गई ।

**श्री गोपाल जोशी :** क्या वह फिल्म दुबारा सदन के सदस्यों की एक कमेटी बना कर दिखायी जा सकती है जिससे कि हम इस परिणाम पर पहुंच सकें कि उसमें हमारे मित्र देश सोवियत रूस के खिलाफ में कोई प्रदर्शन तो नहीं था ? क्या वापिस उस फिल्म को अमेरिकन एम्बेसी से मंगा कर दिखाने की राज्य सरकार व्यवस्था कर सकती है ?

**श्री खेतसिंह :** उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पता नहीं है कि वह फिल्म अभी कहां है और यूनिवर्सिटी वाले उस फिल्म को मंगा कर वापिस दिखाने की व्यवस्था कर सकते हैं या नहीं । इस बारे में मैं यूनिवर्सिटी के वाइस-चान्सलर से पूछताछ करके बता सकता हूं । अभी तो मैं क्या कह सकता हूं ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** क्या राजस्थान यूनिवर्सिटी अमेरिकन हिस्ट्री के सिवाय और दूसरे देशों का इतिहास वहां पढ़ाती है या नहीं ? क्या दूसरे देशों के इतिहास के फिल्म का प्रदर्शन यूनिवर्सिटी के दूसरे विभागों द्वारा या इतिहास विभाग द्वारा किया गया ?

**श्री खेतसिंह :** यह प्रश्न अलग है । वैसे कौन-कौन से देशों के बारे में आपका प्रश्न है ? क्या आपका मतलब चेकोस्लोवाकिया या रूमानिया, या हंगरी या सोवियत रूस के इतिहास के बारे में फिल्मी प्रदर्शन की बात से है ?

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** उपाध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय को यह पता नहीं है जब भारत-पाक युद्ध हुआ था तो अमेरिका का क्या रवैया था और उसके लिये हमारे देश की प्रधानमन्त्री ने कई बार इस ओर अपना ध्यान आकर्षित नहीं किया था ?

**मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) :** उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मन्त्री महोदय ने स्पष्ट अपने उत्तर में कह दिया कि राज्य सरकार की जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है । हम इसकी जांच करा लेंगे । अगर ऐसा कोई प्रचार हमारे मित्र देश सोवियत रूस के खिलाफ किया तो गलत किया है ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** प्रश्न यह है उपाध्यक्ष महोदय····

**श्री हरिदेव जोशी :** मैंने कहा ना कि इसकी जांच करा लेंगे ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** प्रश्न यह है कि इस प्रकार की फिल्मों के प्रदर्शन करने के लिये क्या विश्वविद्यालय ने राज्य सरकार से कोई क्लियरेन्स लिया है ? अगर अमेरिकन एम्बेसी की प्रचार करने वाली एजेन्सी ने राज्य सरकार से इसका क्लियरेन्स लेकर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में दिखायी हो तब तो बात समझ में आ सकती है । लेकिन दूतावास के जरिये डाइरेक्टली युनिवर्सिटी किसी भी फिल्म को मंगाये, क्या गवर्नमेंट उचित समझती है ?

# Page No 19

(19)



श्री खेतसिंह : अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा है हम सारी बात की जांच कर लेंगे। क्या पर्पज था, क्या फिल्म थी, किस उद्देश्य के लिये दिखाई गई थी और क्या उसका प्रदर्शन जरूरी था ? इन सब बातों की जांच करवा लेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या राजस्थान गवर्नमेंट से इजाजत ली गई थी ?

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : इस प्रकार की इजाजतों की जरूरत नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से कहूंगा कि अमेरिकन एम्बेसी अपने पोलिटिकल प्रचार के लिये हिन्दुस्तान में अपने मित्र देशों के खिलाफ प्रचार कर रही है। हमारी प्रधान-मंत्री ने भी इस ओर ध्यान दिया है। युनिवर्सिटीज में इन एक्टिविटीज की बिना किसी क्लियरेन्स के इस प्रकार का प्रदर्शन करें। अभी कुछ दिन पहले क्लार्क होटल आम्बेर में शिक्षाविदों की एक बैठक बुलाई थी जिसके लिये गवर्नमेंट से नहीं पूछा गया, न गवर्नमेंट आफ इंडिया से ही पूछा गया। इसी प्रकार तो सी० आई० ए० अपना फंक्शन ऑपरेट करती है। माननीय मुख्य मंत्रीजी इस पर विचार करें। सी० आई० ए० की एक्टिविटीज थ्रू युनिवर्सिटीज पेनीट्रेट होती है। भारत सरकार से इजाजत लेकर करें।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य इसको बहुत ज्यादा अनावश्यक तूल दे रहे हैं और जो प्रश्न है वह इतना-सा है कि हिन्दुस्तान में उसके मित्र राष्ट्रों के खिलाफ कोई प्रचार, प्रदर्शन करने देना जाना चाहिये। यह हर्गिज नहीं करने देना जाना चाहिये। कोई भी युनिवर्सिटी हो और चाहे कोई भी आटोनोमस बॉडी हो अगर ऐसा किया गया है तो उसके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

**प्रश्न संख्या 181**

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहरसिंह (सार्दूलपुर)।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री गोकुल चन्द।

**औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, अलवर**

181. श्री गोकुल चन्द जाटव (कठूमर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अलवर जिले में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में (प्राइवेट) अर्थात् सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल्स को मिलाकर कुल सीट्स छात्र संख्या क्या है ?

(2) औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षणार्थियों की कुल सीट्स क्या हैं ?

(3) क्या यह सही है कि छात्र संख्या के अनुपात की दृष्टि से औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र में स्थान कम है ? यदि हां, तो क्या स्थान बढ़ाये जाने के लिये सरकार विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री फारुक हसन) :

(1) अलवर जिले की कुल छात्र संख्या 27574 है।

(2) कुल सीट 172 है।

(3) जी नहीं। फिलहाल कोई विचार नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष** : नेक्स्ट ! श्री वृद्धि-चन्द्र जैन !

**बाड़मेर नगर में चिलिंग प्लांट**

182. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कृषि एवं डेयरी विभाग, बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर में डी० पी० ए० पी० कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार कब तक चिलिंग प्लान्ट की स्वीकृति देकर कार्य शुरू कर देगी ?

(2) उक्त चिलिंग प्लान्ट कितने लीटर क्षमता का होगा ?

**पशुपालन मंत्री** (श्री शिव चरण माथुर) : (1) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

(2) अभी प्रश्न ही नहीं उठता ।

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन** : उपाध्यक्ष महोदय, यह चिलिंग प्लान्ट की आवश्यकता के बारे में पूछना चाहता हूं बालोतरा में खोला गया है, क्या इसकी आवश्यकता है ? मैं यह चाहता हूं कि 1976-77 में इसका प्रावधान करके बाड़मेर में चिलिंग प्लान्ट की स्थापना की जाय ।

**श्री शिव चरण माथुर** : उपाध्यक्ष महोदय, चिलिंग प्लान्ट की स्थापना के लिये फिजिबिलिटी सर्वे होना बहुत जरूरी होता है। पहले यह मालूम करना होगा कि चिलिंग प्लान्ट कितना इकोनोमिक होगा और उसकी क्या कामर्शियली यूटीलिटी होगी। इसकी डिटेल जानकारी करना आवश्यक है । आस-पास कितना दूध उपलब्ध है । डेयरी लगाने से पहले यह भी देखना होगा कि किस क्षमता की लगाई जाय । इसकी जांच किये बिना चिलिंग प्लान्ट स्थापित करना उत्तम नहीं रहेगा । इसलिये निवेदन है कि इस समय कोई निर्णय नहीं किया है । जो सुझाव दिया है, आपका ओपन है। हमने इस सारी बात के आदेश दे दिये हैं ।

**प्रश्न संख्या 183**

**श्री उपाध्यक्ष** : नेक्स्ट ! श्री मनोहर कोठारी ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री बनवारीलाल ।

**विभागीय जांच आयुक्त के पास पेन्डिंग मामले**

184. **श्री बनवारीलाल** (निवाई) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) 1 अप्रेल, 1970 से लेकर अब तक विभागीय जांच आयुक्त को किस–किस वर्ष में कितने–कितने मामले जांच हेतु दिये गये और उनमें से कितने मामलों की जांच पूर्ण हुई ? अब किस–किस वर्ष के कितने मामलों में किन–किन अधिकारियों के विरुद्ध जांच हो रही है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिन मामलों की जांच में एक वर्ष से अधिक का समय लगा है उनके प्रत्येक के क्या–क्या कारण हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) ऐसे कितने मामले हैं जिनमें विभागीय जांच आयुक्त के निर्णय को पूर्णतया स्वीकार नहीं किया गया ? प्रत्येक के कारणों सहित सरकार द्वारा अन्तिम रूप से की गई

# Page No 21

(21)



(श्री धन्वंतरी लाल)
कार्यवाही का विवरण देते हुए तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

**राज्य मन्त्री, सामान्य प्रशासन** (श्री गुलाब सिंह शक्तावत) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में चाही गई जानकारी बहुत विस्तृत होने के कारण समय लगने की सम्भावना है। अतः इसको पोस्टपोन कर दिया जाय।

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : कब तक आ जायगा ? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

**श्री उपाध्यक्ष** : Postponed.

नैक्स्ट ! श्री ओंकार लाल !

**राज्य शिक्षा परिषद् का पुनर्गठन**

185. **श्री ओंकारलाल चौहान** (डग) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार ने अभी हाल में राज्य शिक्षा परिषद् का पुनर्गठन किया है ?

(2) यदि हां, तो इसके पुनर्गठन के क्या आधार हैं ?

(3) इसमें कौन-कौन सदस्य सम्मिलित किये हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

**राज्य मन्त्री, शिक्षा** (श्री फारुक हसन) : (1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) इस परिषद् का पुनर्गठन नहीं किया गया है। राज्य-स्तरीय शिक्षा सलाहकार परिषद् का गठन दिनांक 2-12-74 को किया गया था। सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

**श्री ओंकारलाल चौहान** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो यह जवाब दिया गया है कि अभी परिषद् का पुनर्गठन नहीं किया गया है तो क्या इसका विघटन किया जायगा ?

**श्री फारुक हसन** : फिलहाल कोई पुनर्गठन का विचार नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष** : नैक्स्ट ! श्री दीपंकर !

**लाडनूं तहसील की कलस्टर ट्यूब वैल योजना**

186. **श्री दीपंकर** (लाडनूं) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कलस्टर ट्यूब वैल योजना लाडनूं तहसील, जिला नागौर में लागू की गई है और इसके तहत कुछ बेरे खुदे हैं ? इस योजना के तहत कितने गांवों में कितने बेरे खुदे हैं और इनकी लागत क्या आई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि कई कुंओं के खुद जाने के बाद भी उनका सिंचाई में उपयोग नहीं हो रहा है और खुदे हुये बेरों को राज्य सरकार ने एग्रीमेंट कर अब तक काश्तकारों को नहीं संभलाया है ? अगर हां, तो इसका क्या कारण है ?

(3) क्या इस योजना के तहत खोदे गये बेरों को बिजली देने हेतु विभाग ने किसी प्रकार की धनराशि बिजली विभाग को जमा करवा दी है ? अगर नहीं, तो इन बेरों को बिजली दिलवाने की क्या योजना है ?

**कृषि मन्त्री** (श्री शिवचरण माथुर) : (1) जी हां, कलस्टर ट्यूब वैल स्कीम तहसील लाडनूं, जिला नागौर में लागू की गई है व लाडनूं के 6 गांवों में 18 सफल नलकूप लगाये गये। उपरोक्त 18 नलकूपों की लागत लगभग रु० 7,20,000.00 आई है।

(2) जी हां, 11 नलकूपों के खुदवाने के बाद भी इनका सिंचाई में उपयोग नहीं हो रहा है क्योंकि इन नलकूपों पर अभी तक विद्युत् कनेक्शन नहीं हुआ है तथा उक्त नलकूपों को विद्युत् के अभाव में अभी तक काश्तकारों को नहीं संभलाया गया है।

(3) नलकूपों के लिये विद्युत् के अभाव में डिमाण्ड नोटिस जारी करने के पश्चात् राशि विद्युत् विभाग को जमा करा दी जाती है। क्योंकि उक्त 11 नलकूपों के डिमाण्ड नोटिस अभी तक प्राप्त नहीं हुये हैं इसलिये राशि जमा नहीं कराई गई है। उक्त नलकूपों पर विद्युत् कनेक्शन के लिये प्रार्थना-पत्र विद्युत् विभाग को दे दिये गये हैं एवं विद्युत् मण्डल को समय-समय पर उक्त क्षेत्र में कनेक्शन देने के लिये निवेदन किया जा रहा है।

**श्री दीपंकर** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगा कि आपने जिन 11 नलकूपों को बिजली नहीं मिलने से काश्तकारों को नहीं सम्भलाया है और 60 लाख की रकम पड़ी है तो प्रार्थना-पत्र किस तारीख को दिये गये बिजली विभाग को।

**श्री शिवचरण माथुर** : बिजली विभाग को जो प्रार्थना-पत्र दिये हैं वह तो 72 के दिये हैं। विद्युत विभाग यह कहता है वहां की जो लाइन है वह इतनी सक्षम नहीं है कि इन ट्यूब वैल्स का काम कर सके। वहां की लाइन अभी केपेबल नहीं है। इसलिये मूल बात यह है। विद्युत् विभाग को हमने जो कमेटी बना रखी है वह उस मसले को कोऑर्डिनेटेड वे में रखने की कोशिश करती है। उनका मानना है कि अजमेर, मेड़ता, नागौर की विद्युत् लाइन की जब तक केपेसिटी नहीं बढ़ जाती है और डीडवाना की पूरी स्ट्रेन्थन नहीं कर देते हैं तब तक यह सम्भव नहीं होगा। मूल प्रश्न यह है।

**श्री दीपंकर** : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहता हूं कि जब बिजली विभाग बिजली के अभाव में रकम देने को तैयार है तो क्या उस रकम से डीजल इंजिन खरीद कर नहीं लगाया जा सकता है ताकि लगी हुई रकम की तो वापिसी हो जाय ?

**श्री शिवचरण माथुर** : नलकूपों पर कभी भी डीजल इंजिन लगाकर काम नहीं किया जा सकता है और न वे इकोनोमिकल होते हैं तथा साथ में लाभप्रद भी नहीं होते हैं। इसलिये जब तक बिजली नहीं आ जाय तब तक नलकूपों का चलने का प्रश्न नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

## अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

### नये उद्योगों के लिये लाइसेंस

168. **श्री** जनार्दनसिंह गहलोत (गांधी-नगर, जयपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भारत सरकार द्वारा उद्योगों की स्थापना हेतु गत पांच वर्षों में किस-किस माध्यम एवं वृहत् उद्योगों की स्थापना के लिये आशय-पत्र, लाइसेन्स, सी०ओ०बी० पत्र

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

एवं अनुज्ञा-पत्र किस किस उद्योगपति को प्राप्त हुए ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उक्त आशय-पत्र, लाइसेन्स, अनुज्ञा-पत्र एवं सी०ओ०बी० के अनुसार किस किस उद्योगपति ने राजस्थान में अपने उद्योग की स्थापना की व किस किस स्थान पर ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान में अन्य प्रदेशों की अपेक्षा भारत सरकार द्वारा कम प्रोत्साहन दिया गया ? यदि हां,तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूचना प्रश्न के भाग (1) के संदर्भ में संलग्न सूची के कॉलम 2, 3 व 6 में अंकित है।

(3) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

**राजकीय महाविद्यालय, कोटा**

169. **श्री भुवनेश चतुर्वेदी** (कोटा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजकीय महाविद्यालय, कोटा में विद्यार्थियों की अधिक संख्या एवं भवन की कमी को विचार में रखते हुए क्या राज्य सरकार महाविद्यालय का फैकल्टी के आधार पर विभाजन करने का विचार रखती है ? अगर ऐसी कोई योजना है तो जानकारी देने की कृपा करें।

(2) क्या शिक्षा निदेशक एवं उनके प्रतिनिधियों ने इस हेतु कोटा का दौरा किया और जानकारी की ? अगर हां, तो उन्होंने कब और क्या रिपोर्ट राज्य सरकार को दी ?

(3) क्या यहां महाविद्यालय की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) जी नहीं। अभी इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(2) जी हां। यह रिपोर्ट राज्य सरकार को 18-3-76 को प्राप्त हुई है तथा इसमें भवन की कमी की समस्या को हल करने के कुछ सुझाव दिए गए हैं।

(3) जी नहीं। निदेशालय से प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् ही कोई योजना बनाई जा सकेगी।

**नागौर जिले में खोले गये मिडिल स्कूल**

174. **श्रीमती गौरी पूनिया** (मकराना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 1974-75 में राजस्थान में कुल कितने मिडिल स्कूल खोले गये ? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) इसी वर्ष में जिला नागौर में कहां कहां मिडिल स्कूल खोले गये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) सन् 1974-75 में राजस्थान में खोले गये मिडिल स्कूलों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(शिक्षा मंत्री)

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

**भरतपुर जिले की डेयरी विकास योजना**

175. **श्रीमती उषा प्रकाश** (वैर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले के लिये डेयरी विकास योजना स्वीकार की गई है ? यदि हां, तो कब और इस पर कुल कितना रुपया व्यय किये जाने का प्रस्ताव है?

(2) अब तक इस योजना पर किस किस मद में कितना व्यय हुआ है और उत्पादन कब तक प्रारम्भ होने की आशा है ?

(3) क्या उपरोक्त योजना के अन्तर्गत सरकार ने भरतपुर जिले में किसी दुग्ध उत्पादक संघ का गठन किया है ? यदि हां, तो वर्तमान में यह संघ क्या कर रहा है ?

(4) क्या उपरोक्त संघ दुग्ध उत्पादक से दूध एकत्रित करने का काम करता है ? यदि हां, तो 1975 में किस-किस तहसील से कितना-कितना दूध एकत्रित किया गया ?

**उत्तर**

(1) जी हां। पूर्व में भरतपुर जिले के लिए 60 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता के दूध संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई गई थी परन्तु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा ऋण स्वीकार न करने के कारण यह योजना स्वीकृत नहीं हो सकी। इसके बाद विश्व बैंक योजना में भरतपुर जिले को सम्मिलित कर लिया गया है।

(2) अब तक संयंत्र खरीदने पर राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडल आनंद द्वारा 11.1 लाख रुपया खर्च किया जा चुका है। वर्तमान परिस्थिति में उत्पादन प्रारम्भ होने की सही तिथि बताना कठिन है।

(3) जी हां। भरतपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० भरतपुर का गठन किया जा चुका है। परन्तु अभी यहां कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।

(4) जी नहीं।

**चूरू जिले में सागड़ी प्रथा के मुकदमे**

180. **श्री मोहरसिंह** (सादूलपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बंधक मजदूरी (सागड़ी प्रथा) विरोधी अध्यादेश जारी होने के बाद चूरू जिले में कितने बंधन कर्त्ताओं के खिलाफ मुकदमे दायर किये गए हैं और उनमें से कितनों में समझौता हो गया है ?

(2) क्या यह सही है कि पुलिस इस कानून का सख्ती से पालन नहीं कर रही है और शिकायतकर्ता बन्धक मजदूर को बन्धनकर्ता के साथ समझौता करने को बाध्य किया जाता है ?

(3) क्या यह सही है कि थाना पुलिस तारानगर में भी इस प्रकार के मुकदमे दायर कराए गए ?

(4) अगर हां, तो कहां-कहां से किस किस के द्वारा किस-किस के खिलाफ और उन पर क्या कार्यवाही की गई ? अगर नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) इस अध्यादेश के जारी होने के बाद चूरू जिले में 15 मुकदमे दर्ज हुये। किसी केस में राजीनामा नहीं हुआ है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां।

(4) तारानगर थाने में दर्ज मुकदमों का विवरण तालिका में संलग्न है।

(तालिका के लिए कृपया परिशिष्ट संख्या 4 देखिये)

### कर्मचारियों की पदोन्नति

183. श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि द्वितीय वेतन श्रृंखला के अध्यापकों की पदोन्नति के लिये माध्यमिक कक्षाओं के शिक्षण का पांच वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है ?

(2) क्या यह भी सही है कि जो अध्यापक ग्रामीण मिडिल स्कूलों में प्रधानाध्यापक अथवा एस०डी०आई० के पद पर कार्य कर रहे हैं वे उक्त पदोन्नति आधार की पूर्ति नहीं कर सकते ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस विषमता के कारण प्रशासनिक अधिकारियों के दसवें सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि पदोन्नति का आधार माध्यमिक कक्षाओं के पांच वर्ष के शिक्षण अनुभव के बजाय वरिष्ठता कर दिया जाय ? यदि हां, तो इस निर्णय-की क्रियान्विति के लिये राज्य सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

**उत्तर**

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां। उक्त नियमों में संशोधन किये जाने का मामला विचाराधीन है।

### अतारांकित प्रश्नोत्तर

### अनुसूचित जाति तथा जन-जाति के अध्यापकों की पदोन्नति

75. श्री हरिकिशन (राजगढ़) :

श्री रमेश चन्द्र सैनिक (हिंडोली): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कार्मिक विभाग (क-5) के आदेश संख्या एफ. (19) कार्मिक (क-5) 74, दिनांक 10 फरवरी, 75 द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि प्रत्येक क्लास, कैटेगरी, ग्रुप के पदों की पदोन्नतियों में 40 पाइन्ट रोस्टर निश्चित किया है ?

(2) उक्त आदेश जारी होने के पश्चात् राजस्थान सरकार के प्रत्येक विभाग में किस किस क्लास, कैटेगरी, ग्रुप में पदोन्नतियों के लिये कितने कितने पद पदोन्नति हेतु उपलब्ध हुए हैं ? तथा उनमें से अनुसूचित जातियों, जन-जातियों के कितने कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है ?

| विभाग का नाम | नाम पद | पदोन्नति तिथि | रोस्टर पाईंट संख्या | पदोन्नत किये गये कर्मचारियों का नाम | अनुसूचित जाति है जन-जाति अथवा नहीं |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

(3) क्या सभी विभागों द्वारा सभी प्रकार की पदोन्नतियों में भी रोस्टर रजिस्टर

(श्री हरिकिशन)
तैयार किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(4) क्या पदोन्नतियां करते समय मूल वरिष्ठता सूची में से ही अनुसूचित जाति, जनजाति के कर्मचारियों की सूची अलग से तैयार की जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(स्थगित किया गया)

**दुर्घटनाओं में मारे जाने वाले व्यक्ति**

76. **श्री दीपंकर** (लाडनूं): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में पिछले वर्ष किन-किन दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति मारे गए ? जिलेवार सूची मय दुर्घटनाओं के ब्यौरेवार सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) पिछले पांच वर्षों में राजस्थान में विभिन्न दुर्घटनाओं में मारे जाने वाले अथवा अपंग होने वाले कितने व्यक्ति हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या सरकार रेल्वे क्रोसिंग पर समय-समय पर होने वाली दुर्घटनाओं को बचाने हेतु कार्यवाही कर रही है ? अगर हां, तो क्या और कब तक ?

(4) राज्य में यातायात (सड़क) दुर्घटनाएं कम हों इसके लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

**उत्तर**

(1) जिलेवार सूची संलग्न है।

(2) जिलेवार सूची संलग्न है।

(3) जी हां, रेल विभाग को रेल्वे क्रोसिंग पर सिगनल लगाने हेतु निवेदन किया गया है।

(4) 1. राष्ट्रीय उच्च मार्गों को सुधारा जा रहा है।

2. नियमों के विरुद्ध चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के अधीन कार्यवाही की जाती है।

3. शराब पी कर गाड़ी चलाने वालों का मौके पर ही पता चलाने हेतु उपकरण व्यवस्था की जा रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)।

**ग्राम पंचायत बंधनाऊ (सरदारशहर) में कब्जा हटाने के मामले**

77. **श्री लूणाराम** (डूंगरगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम पंचायत बंधनाऊ, तहसील सरदारशहर, जिला चूरू में जनवरी, 1975 में ऐसे कितने सामान्य प्रशासन या अन्य तरह के कितने मामले थे, जिनमें पुलिस की मदद लेकर कब्जा हटाया गया ? सूची नामवार सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उक्त मामलों में पंचायत द्वारा कब-कब पार्टियों को नोटिस दिया गया तथा उन्होंने क्या जवाब दिया ? प्रतियां सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) उक्त मामलों में पंचायत द्वारा कब्जा उठाने के लिये पुलिस एवं सब-डिविजनल आफिसर, चूरू को कब-कब लिखा

(श्री लूणाराम)
गया तथा आखरी मदद कब प्राप्त हुई ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि ये कब्जे श्री हजारीमल, प्रधान ने ही पुलिस को व नायब तहसीलदार को अपने साथ लाकर तुड़वाये ?

(5) यह भूमि आबादी की थी या अन्य नजूल भूमि या कृषि की ?

(स्थगित किया गया)

अनूपगढ़ थाने में दर्ज मामला

78. श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि चक 7 के, तहसील व थाना अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर में एक उच्च चरित्र के व्यक्ति श्री महेन्द्रसिंह पुत्र श्री अच्छरसिंह द्वारा वहां एक गुरुद्वारा बनाया गया जिस पर श्री महेन्द्रसिंह का 110-सी, आर०पी०सी० में चालान किया गया और वह चालान इस समय एस० डी० एम० कार्यालय, रायसिंहनगर में विचाराधीन है ?

(2) क्या सरकार इस मामले की जांच करायेगी कि श्री महेन्द्रसिंह की सिक्ख धर्म में विशेष रुचि के कारण तो ऐसा नहीं है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। श्री महेन्द्रसिंह पुत्र श्री अच्छरसिंह के विरुद्ध पुलिस थाना अनूपगढ़ में चोरी, बलवा, प्राणघातक हमला, डकैती आदि जुर्मों के छः मुकदमे पंजीकृत हुए हैं। उसकी असामाजिक प्रवृत्तियों को देखते हुए उसके खिलाफ धारा 110, जा०फौ० के के अन्तर्गत इस्तगासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जो अदालत के विचाराधीन है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

जयपुर डिविजन के राजनैतिक पीड़ितों को भत्ता

79. श्री बनवारीलाल (धौलपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जयपुर डिविजन के किस किस राजनैतिक पीड़ित व्यक्ति को कितनी कितनी राशि माहवार राजनैतिक पीड़ित भत्ते के रूप में दी जा रही है ? कृपया नाम, पता दर्शाते हुए पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(जयपुर जिले के स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पेन्शन संबंधी सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

मेहरात जाति के लोगों की पुलिस में भर्ती

80. श्री केशरीमल (ब्यावर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य की पुलिस सेवा में पिछले 5 वर्ष में कितने लोगों की भर्ती की गई ? हर वर्षवार एवं पदवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त अवधि में भर्ती किये गये लोगों में मेहरात जाति के लोगों की संख्या

# Page No 28

(२८)



(श्री केशराम)

कितनी है ? हर वर्ष का अलग-अलग ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि मेहरात जाति को पुलिस में व फौज में भर्ती नहीं किया जा रहा ?

(4) क्या यह भी सही है कि वर्षों से यह आवाज उठाई जा रही है कि इस जाति के नवजवानों को पुलिस व फौज में भर्ती के आदेश सरकार दिलाये और केन्द्र सरकार को निवेदन करे ? क्या राज्य सरकार ने ऐसा किया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या राज्य सरकार आगे आने वाले समय में इस जाति के लोगों को भर्ती की व्यवस्था करायेगी और लगाई गई रोक को हटायेगी ?

(स्थगित किया गया)

**उद्योगपतियों को ऋण**

81. श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में कब-कब, किन-किन उद्योगपतियों को किस कारखाने या अन्य उद्योग हेतु कितना-कितना कुल ऋण दिया गया है ? सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) उसमें से कितना ऋण कब-कब वापिस लौटाया गया ? विस्तृत सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) जिन्होंने ऋण अदा नहीं किया, उन पर क्या कार्यवाही की गई ? प्रत्येक के बारे में अलग से विवरण देने का कष्ट करें।

**उत्तर**

(1) राज्य सरकार द्वारा बड़े उद्योगपतियों को दिये गये ऋण की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) प्रश्न भाग 1 के उत्तर में दी गई सूची के कालम 5 में सूचना अंकित कर दी गई है।

(3) प्रश्न भाग 1 के उत्तर में दी गई सूची के कालम 7 में सूचना अंकित कर दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

**अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के अधिकारी**

82. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान के कौन-कौन से जिलों में अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के आई०ए०एस०, आर०ए०एस०, आई०पी०एस०, आर०पी०एस० अधिकारी कार्य कर रहे हैं जिलेवाइज सूची सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के अधिकारियों की जिलेवार सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

**बीदासर रिड़ी सड़क पर गेंगों को पानी पिलाने वालों का भुगतान**

83. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चूरू जिले

# Page No 29

(29)



(श्री लूणाराम)
की श्री डूंगरगढ़ बीदासर सड़क सैक्शन बीदासर से रिड़ी में 1 मार्च से 31 मार्च, 70 तक 110 गंगों का पानी पिलाने के लिये 110 गाड़े लगे थे।

(2) यदि हां, तो क्या उनका भुगतान कर दिया गया ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों तथा कब तक कर दिया ?

(3) क्या यह भी सही है कि इसी सड़क के सैक्शन श्री डूंगरगढ़ रिड़ी कैम्प सालासर पर भी इसी अर्से में पानी पिलाने के लिये 40 गाड़े लगे थे ? यदि हां, तो उनका भी भुगतान किया गया या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों तथा अब कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) चूरू जिले की श्री डूंगरगढ़ बीदासर सड़क सैक्शन बीदासर से रिड़ी में 1 मार्च से 15 मार्च, 70 तक 108 गंगों को पानी पिलाने के लिये 108 गाड़े एवं 16 मार्च से 31 मार्च, 70 तक 104 गंगों को पानी पिलाने के लिए 106 गाड़े लगे थे।

(2) उपरोक्त गंगों के श्रमिकों को व ऊंट गाड़े वालों को भुगतान अप्रेल, 70 से अगस्त, 70 के मध्य की अवधि में कर दिया गया है।

(3) इसी सड़क के सैक्शन श्री डूंगरगढ़ कैम्प सालासर पर 1 मार्च से 15 मार्च, 70 तक 28 गंगों का पानी पिलाने के लिए 11 गाड़े एवं 16 मार्च से 31 मार्च, 70 तक 31 गंगों को पानी पिलाने के लिए 30 गाड़े लगे थे। उनका भुगतान अप्रेल, 70 से अगस्त, 70 के मध्य की अवधि में हुआ है।

राजस्थान नहर कमाण्ड क्षेत्र के विकास पर व्यय

84. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर कमाण्ड क्षेत्र में जून, 1975 में समाप्त हुए पहले वर्ष के दौरान क्षेत्र के विकास पर 5 करोड़ 22 लाख रुपये खर्च करने के लक्ष्य में से 4 करोड़ 93 लाख रुपये ही व्यय हुए हैं ?

(2) क्या कमाण्ड क्षेत्र में इस वर्ष 5 हजार हैक्टर भूमि को समतल करने के लक्ष्य में से काम एक हैक्टर में भी नहीं हुआ है ?

(3) क्या यह सही है कि खेतों की नालियां सुधारने का काम, जो इस वर्ष 30 हजार हैक्टर में किया जाना था, कोई भी नहीं हुआ है ?

(4) क्या यह सही है कि किसानों द्वारा 6 हजार हैक्टर जमीन को समतल बनाने का काम 2 हजार 56 हैक्टर में दस किलो मीटर लम्बी सड़क में केवल 1 किलो मीटर सड़क निर्माण कार्य और पानी के लिये 12 डिग्गियों की जगह केवल 4 का ही निर्माण कार्य हुआ है ?

उत्तर

(1) जी हां। 5 करोड़ 22 लाख रुपये लक्ष्य अनुमानित था।

(2) जी हां।

(3) यह काम सरकार का नहीं है बल्कि किसानों को खुद को करना है।

(कृषि मंत्री)
खालों को पक्का होने के बाद ही किसान इस काम को आरम्भ करेंगे ।

(4) किसानों द्वारा भूमि समतल करने के बारे में स्थिति सही है। सड़क के कार्य में जून, 1975 तक निम्नलिखित प्रगति हुई:–

| | | |
|---|---|---|
| मिट्टी डालना और कन्सालिडेशन | 30 | कि० मी० |
| निर्माण सामग्री जुटाना | 15 | " |
| डाम्बर डालना | 1 | " |

डिग्गी बनाने की प्रगति इस प्रकार है:—

| | | |
|---|---|---|
| डिग्गी जिनमें काम जारी था | 6 | " |
| डिग्गियां जो बन चुकी थीं ? | | |

**कृषि उपज समिति शुल्कों में अनियमिततायें**

85. **श्री मीठालाल मीणा** (लालसोट): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या सरकार ने नए कृषि उपज समिति शुल्कों में अनियमिततायें, भ्रान्तियों, एक ही जिन्स पर रूप बदलने पर बहुउद्देश्यीय शुल्क, फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादित तेल, वनस्पति उद्योगों को सप्लाई करने पर शुल्क, धनी व चावल को दालों की भांति एक इकाई न मान कर अलग अलग शुल्क तथा गधे, घोड़े, ऊंट आदि पर भी शुल्क लगाने आदि के मामलों पर गत विधान सभा सत्र में माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार पुनर्विचार करा लिया है ? यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने गत विधान सभा सत्र में इस सम्बन्ध में पुनर्विचार का जो आश्वासन दिया था उसी प्रसंग में उनके आदेशानुसार अन्य प्रदेशों से इस विषय पर विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा रही है ताकि आगे अपेक्षित कदम उठाये जा सकें।

**नागौर जिले में डी० पी० ए० पी० स्कीम**

86. **श्री रामसिंह कुड़ी** (जायल) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) नागौर में डी० पी० ए० पी० के लिये कौन कौन स्कीम अधिकारी नियुक्त हैं एवं उनकी योग्यता व अनुभव उस काम में कितना कितना है ?

(2) नागौर की डी० पी० ए० पी० स्कीम में वर्ष 1974-75 व वर्ष 1975-76 में किस किस मद में कितना कितना व्यय हुआ है ?

(3) नागौर डी० पी० ए० पी० प्रोग्राम की प्रगति का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(4) नागौर में चिलिंग प्लान्ट कब तक बनने की योजना है ?

(5) नागौर शहर व उसके आस पास के गांव बासनी, ऊलाम आदि में दुग्ध बिक्री की क्षमता कितनी है एवं बालोतरा व मेड़ता सिटी के सर्कलों की क्षमता कितनी कितनी है ?

उत्तर

(कृषि मंत्री)

(1) सूचना नीचे दी जा रही है:—

| | | |
|---|---|---|
| (1) श्री वी० पी० भार्गव, परियोजना निदेशक, डी०पी० ए०पी०। | एम० एससी० (केमिस्ट्री), विकास अधिकारी, क्रेडिट मैनेजमेंट ग्रामीण विकास में प्रशिक्षित। | विकास अधिकारी, उप-जिला अधिकारी, परियोजना निदेशक, लघु कृषक अभिकरण। |
| (2) श्री सी०पी० विनायक, भू-सर्वेक्षण अधिकारी। | एम० एससी० (केमिस्ट्री)। | सहायक कृषि रसायनज्ञ (भू-सर्वेक्षण)। |
| (3) श्री वी० एन० शर्मा, उप-निदेशक, कृषि। | बी० ए० (कृषि), लघु सिंचाई व जल एवं भूमि संरक्षण में प्रशिक्षित। | जिला कृषि अधिकारी, परियोजना अधिकारी, लघु सिंचाई व उप-निदेशक, कृषि। |
| (4) श्री एच० सी० तनेजा, परियोजना अधिकारी, भू-जल। | डिप्लोमा इन ड्रिलिंग। | परियोजना अधिकारी, भू-जल विभाग। |
| (5) श्री एम० एल० कक्कड़, परियोजना अधिकारी, भेड़ विकास। | बी० वी० एससी० एण्ड ए० एच०, एम० वी० एससी० (पेरासाईटोलाजी)। | वेटरिनरी असिस्टेंट सर्जन, फार्म सुपरिन्टेन्डेंट, परियोजना अधिकारी, भेड़ विकास। |
| (6) श्री आई०सी० श्रीवास्तव, परियोजना अधिकारी, डेयरी। | बी० वी० एससी० एण्ड ए० एच० एक्सटेन्शन में आनंद से प्रशिक्षित, न्यूट्रीशन व ए० आई० में भी प्रशिक्षित। | वेटरिनरी असिस्टेंट सर्जन। |
| (7) श्री जगदीश पुरी, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, जोधपुर। | बी० ई० सिविल (राजपूताना), बी० ई० सिविल (आस्ट्रेलिया)। | |

(2) वर्ष 1974-75 के व्यय के एवं वर्ष 1975-76 के प्रावधान के मदवार आंकड़े नीचे दिये जा रहे हैं। वर्ष 1975-76 के व्यय के आंकड़े वर्ष समाप्ति पर उपलब्ध होंगे।

# Page No 32

(32)



(कृषि मंत्री)

(लाख रु०)

| मद | व्यय 1974-75 | प्रावधान 1975-76 |
|---|---|---|
| (1) कृषि | 3.87 | 13.57 |
| (2) भू-जल | 1.25 | 43.35 |
| (3) पशु एवं दुग्ध वि० | 4.91 | 6.56 |
| (4) वन | 1.93 | 0.86 |
| (5) भेड़ विकास | 0.65 | 14.15 |
| (6) लघु सिंचाई | 16.50 | 9.34 |
| (7) भू-अभिलेख | | 0.10 |
| (8) संस्थापन | 1.00 | 1.98 |
| योग .. | 30.11 | 89.91 |

(3) दिसम्बर, 1975 तक 69 हजार हैक्टेयर भूमि का रीकनायसेंस सर्वेक्षण व एक हजार हैक्टेयर भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण हो चुका है। आठ हजार हैक्टेयर भूमि का टोपोग्राफीकल सर्वेक्षण भी किया जा चुका है। नल कूप खोदने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय निविदायें आमन्त्रित कर एक रिग-क्रय की गई है जो नल-कूप पर लगने वाले पूंजीगत व्यय में बचत करेगी जिसके परिणामस्वरूप कृषकों पर भार कम पड़ेगा। 21 कुओं का बोरिंग किया जा चुका है। पशु एवं दुग्ध विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत मेड़ता में ऑक्सीजन सयंत्र स्थापित किया जा रहा है जिसकी शीघ्र ही चालू होने की सम्भावना है। औसतन पांच हजार लीटर दूध प्रतिदिन से एकत्रित किया जा रहा है। पशु-पालकों की 42 सहकारी समितियां कार्यरत हैं। भेड़ विकास के लिये 100 हैक्टेयर के तेरह भू-खण्डों का चयन किया जा चुका है व दो भू-खण्डों में घास के बीज डाल दिये गये हैं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अपूर्ण 11 लघु सिंचाई योजनायें लगभग पूरी की जा चुकी हैं।

(4) नागौर जिले में मेड़ता में चिलिंग प्लांट लगाया जा रहा है जिसके शीघ्र चालू होने की सम्भावना है।

(5) सूचना एकत्रित की जा रही है।

**टोंक जिले की मुन्सिफ अदालतों में केसेज**

87. श्री राजेन्द्र सिंह (उनियारा) : क्या न्याय एवं विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला टोंक में कितने मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के कोर्टस हैं और वे किस-किस जगह स्थापित हैं ?

(2) इन अदालतों में केसेज कितने और किस नेचर के हैं ? कोर्टसवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

**उत्तर**

(1) जिला टोंक में 3 मुंसिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय स्थापित हैं जो निम्नलिखित हैं:—

1. मुंसिफ एवं न्यायिक दण्डनायक, टोंक (स्थित टोंक)

2. अतिरिक्त मुंसिफ एवं न्यायिक दण्डनायक, टोंक (स्थित टोंक)

3. मुंसिफ एवं न्यायिक दण्डनायक, मालपुरा, स्थित मालपुरा।

(2) उक्त अदालतों में कुल 4050 केसेज हैं जो सभी नेचर के हैं। कोर्टवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

**पुस्तकालय अधिकारी के विरुद्ध शिकायतें**

88. श्री बनवारी लाल (धौलपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के किस-किस राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) किन-किन पुस्तकालय अधिकारियों के विरुद्ध जांच की कार्यवाही पूर्ण कर दी गई है ? और जांच के क्या परिणाम रहे ? पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि किसी पुस्तकालय अधिकारी के विरुद्ध 60 (साठ) हजार पुस्तकों की खरीद में गबन तथा अन्य पद के दुरुपयोग सम्बन्धी मामले पाये गये थे ? यदि हां, तो उस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

**उत्तर**

(1) राज्य में इस विभाग से सम्बन्धित केवल एक पुस्तकालय अधिकारी श्री सी० पी० गुप्ता के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही थी जो अब पूर्ण हो चुकी है।

(2) केवल उक्त अधिकारी के विरुद्ध जांच चल रही थी, जो अब पूर्ण हो चुकी है।

(3) ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

**राज्य में सरकारी तथा प्राइवेट कॉलेज**

89. श्री मोहर सिंह (सार्दूलपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में सरकार की तरफ से कितने पोस्ट-ग्रेजुएट व डिग्री कॉलेज कहां कहां चल रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में उक्त दोनों श्रेणियों के प्राइवेट कितने कॉलेज चल रहे हैं ? कृपया सूची स्थानवाईज सदन की मेज पर रखें।

(श्री मोहरसिंह)

(3) कितने जिले तथा सब-डिवीजनल हैडक्वार्टर्स ऐसे हैं जहां कि सरकार का कोई कॉलेज नहीं है ? कृपया नामवाइज सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में सरकार की तरफ से पोस्ट-ग्रेजुएट कॉलेज 10 व डिग्री कॉलेज 40 चल रहे हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) राज्य में उक्त दोनों श्रेणियों के 46 प्राइवेट कॉलेज चल रहे हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) राज्य सरकार के जिला मुख्यालय जयपुर, जोधपुर एवं झुंझुनू में सरकारी कॉलेज नहीं हैं। क्योंकि जयपुर व जोधपुर जिले में विश्वविद्यालय के कॉलेज हैं और झुंझुनू में एक सहायता प्राप्त महाविद्यालय है तथा निम्नलिखित सब-डिविजनल हैड-क्वार्टर्स ऐसे हैं जहां कि सरकार का कोई कॉलेज नहीं है:—

| क्र०सं० | जिला | सब-डिवीजनल हैड-क्वार्टर्स |
|---|---|---|
| 1. | अजमेर | —केकड़ी |
| 2. | अलवर | (1) बहरोड़ (2) तिजारा |
| 3. | बांसवाड़ा | —कुशलगढ़ |
| 4. | बाड़मेर | —बालोतरा |
| 5. | भरतपुर | (1) बयाना (2) डीग |
| 6. | भीलवाड़ा | (1) गुलाबपुरा (2) मांडलगढ़ |
| 7. | बूंदी | —नैनवा |
| 8. | चित्तौड़गढ़ | (1) बेंगू (2) कपासन (3) निम्बाहेड़ा |
| 9. | चूरू | (1) राजगढ़ (2) रतनगढ़ |
| 10. | श्रीगंगानगर | (1) हनुमानगढ़ (2) करणपुर (3) नोहर (4) रायसिंहनगर |
| 11. | जयपुर | —आमेर |
| 12. | झालावाड़ | —अकलेरा |
| 13. | झुंझुनू | (1) खेतड़ी (2) झुंझुनू (3) नवलगढ़ |
| 14. | जोधपुर | (1) फलोदी (2) जोधपुर |
| 15. | कोटा | (1) छबड़ा (2) रामगंजमण्डी |
| 16. | नागौर | (1) मेड़ता (2) परबतसर |
| 17. | पाली | (1) बाली (2) जैतारण (3) सोजत |

(शिक्षा मन्त्री)

| क्र०सं० | जिला | सब-डिवीजनल हैड-क्वार्टर्स |
|---|---|---|
| 18. | सवाई माधोपुर | (1) गंगापुर<br>(2) हिण्डौन |
| 19. | सिरोही | (1) माउण्ट आबू |
| 20. | टोंक | –मालपुरा |
| 21. | सीकर | –फतेहपुर |
| 22. | उदयपुर | (1) भीम<br>(2) झाडोल<br>(3) राजसमन्द<br>(4) सलूम्बर<br>(5) वल्लभनगर |

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

**जोधपुर नगर में स्थित पाठशालाओं को अनुदान**

90. **श्री अमृतलाल गहलोत** (सरदार पुरा, जोधपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जोधपुर नगर में स्थित राजकीय सहायता प्राप्त पाठशालाओं को 1963 के अनुदान नियम के अन्तर्गत उन्हें मिलने वाली अनुदान की राशि का पुनर्वर्गीकरण किया गया ? कृपया इन सभी पाठशालाओं के नाम और उपरोक्त नियमों के लागू होने के पूर्व-पश्चात् के व्यय का अनुदान के रूप में मिलने वाला प्रतिशत का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार के पत्र सं० एफ० 2 (41) ई० डी० यू० सी०। 6166, दिनांक 24 मार्च, 1971 द्वारा यह स्वीकृति प्रदान की गई कि उपरोक्त पाठशालाओं को पुनर्वर्गीकरण के पूर्व जिस प्रतिशत पर अनुदान मिलता रहा था तथा जिस प्रतिशत में अब इनका वर्गीकरण किया गया है, उस अन्तर प्रतिशत का अलग से अनुदान संस्थाओं को दिया जाय ?

(3) यदि हां, तो महाराजा विद्यालय, जोधपुर को उपरोक्त अन्तर प्रतिशत का अलग से अनुदान वर्ष 1973-74 एवं 1974-75 का अभी तक क्यों नहीं दिया गया ?

(4) उपरोक्त बकाया अनुदान कब तक दे दिया जायेगा ?

**उत्तर**

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां।

(3-4) वर्ष 1973-74 में मिलने वाली अनुदान अन्तर की राशि की स्वीकृति दी जा चुकी है। वर्ष 1974-75 म मिलने वाली अन्तर की राशि की स्वीकृति इस वर्ष की नियमित स्वीकृति जारी करने के बाद की जावेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

**राजकीय माध्यमिक विद्यालय बिग्गा के वरिष्ठ लिपिक के बकाया वेतन का भुगतान**

91. **श्री लूणाराम** (डूंगरगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री बालमोहन

(श्री लूणाराम)

मित्तल वरिष्ठ लिपिक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय बिग्गा, जिला चूरू का अक्टूबर, सन् 1971 के बकाया वेतन के 68 रुपयों के भुगतान सम्बन्धी मामला राजकीय माध्यमिक विद्यालय, रींया, जिला नागौर उस समय वहां पर कार्यरत होने के कारण पेन्डिंग है ?

(2) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में प्रार्थी कर्मचारी के कई बार निवेदन करने पर भी अभी तक चुकारा नहीं हुआ है? यदि हां, तो इसके क्या कारण रहे हैं ? और अब कब तक चुकारा कर दिया जावेगा।

**उत्तर**

(1) जी हां।

(2) जी हां।

कर्मचारी का क्लेम कालातीत था। कालातीत क्लेम को चैक कराने हेतु कर्मचारी की सेवा पुस्तिका की आवश्यकता होती है। सेवा पुस्तिका प्राप्त करने के लिये लगातार प्रयत्न किये जा रहे हैं और क्लेम सम्बन्धी प्रगति की सूचना बराबर कर्मचारी को दी जाती रही है। गत माह जिला शिक्षा अधिकारी, नागौर से क्लेम स्वीकृति हेतु शिक्षा निदेशालय को भेजा गया है वहां से स्वीकृति उपरान्त महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर के पास प्री-ऑडिट के हेतु भेजा जायेगा। महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर से क्लेम के प्री-ऑडिट उपरान्त शीघ्र भुगतान की व्यवस्था की जायेगी।

**जयपुर जिले में कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय**

92. श्री **जयकिशनलाल तोसावड़ा** (फागी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर जिले में कितने कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अगले वित्तीय वर्ष में कहां-कहां पर और कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले जा रहे हैं ?

**उत्तर**

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) नौ जिला मुख्यालयों पर कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले जा रहे हैं। जिले निम्न प्रकार हैं:—

(1) जैसलमेर

(2) जालोर

(3) नागौर

(4) सिरोही

(5) बाड़मेर

(6) सीकर

(7) सवाई माधोपुर

(8) झुन्झुनू

(9) झालावाड़

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

**विद्यालयों का अनुदान**

93. श्री **अमृतलाल गहलोत** (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में अनुदान प्राप्त विद्यालयों के पुनर्वर्गीकरण के पश्चात् किन विद्यालयों की इसके अनुसार पूर्व में मिलने वाली अनुदान की राशि में इस वर्ष कमी करदी

(श्री अमृतलाल गहलोत)
गई ? कृपया उनकी पूर्ण सूची मय पुनर्वर्गीकरण के पूर्व एवं पश्चात् की अनुदान राशि दर्शाते हुए सदन के पटल पर रखें।

(2) उपरोक्त कमी किस माह से लागू की गई एवं उससे राज्य भर में शिक्षा विभाग को कितनी वार्षिक एवं मासिक बचत होगी ?

**उत्तर**

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) दिनांक 1-8-75 से। इससे राज्य सरकार को अनुमानत: 2 लाख रुपये वार्षिक की बचत होगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

**उपनिवेशन तहसील लूणकरणसर क्षेत्र की सीमा का पुनर्निर्धारण**

94. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर प्रशासन लिफ्ट द्वारा कैनाल द्वारा सिंचित रकबे जो कि उपनिवेशन तहसील लूणकरणसर में शामिल हैं, के चक प्लान्स उपनिवेशन विभाग को भेजे जा चुके हैं ?

(2) अगर हां, तो राजस्थान नहर प्रशासन द्वारा उपनिवेशन तहसील, लूणकरणसर के चक प्लान्स के मुताबिक उपनिवेशन तहसील क्षेत्र की सीमा का पुनर्निर्धारण सरकारी विज्ञप्ति निकाल कर उपनिवेशन विभाग क्यों नहीं करता ताकि सिंचित क्षेत्रों के काश्तकार व्यर्थ की परेशानियों से मुक्ति पा सकें तथा अपनी कृषि भूमि की सीमाबन्दी एवं खातेदारी हकों से महरूम न रह सकें ?

(स्थगित किया गया)

**जयपुर जिले की जमाबंदियां**

95. श्री जयकिशनलाल तातावत (फागी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जयपुर जिले में कौन से सन् तक की जमाबन्दियां तैयार हो चुकी हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर जिले में सन् 1974 तक की कितनी जमाबन्दी बाकी है ? कृपया तहसीलवाइज सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) बाकी जमाबन्दियां कब तक तैयार हो जायेंगी ?

(स्थगित किया गया)

**राजस्व निरीक्षकों की पदोन्नति**

96. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राजस्व निरीक्षकों की एप्रूव्ड सीनियोरिटी सूची में से क्रम संख्या 135, 125, 158 व 187 पर अंकित व्यक्तियों को तहसीलदार के पद पर लगा दिया है एवं क्रम संख्या 108 अ श्री करामात अली व श्री अर्जुनसिंह नायब तहसीलदार नागौर को अच्छी सी०आर० होते हुए भी अभी तक तहसीलदार नहीं

(श्री रामसिंह कुड़ी)
लगाया गया है ?

(2) क्या नियमों में यह प्रावधान है कि जूनियर होते हुए भी कोई व्यक्ति पहले नायब तहसीलदार लग जावे तो ऐसा प्रमोशन सिनियोरिटी को प्रभावित नहीं करता ? क्या इन नियमों की तहसीलदार पदों पर लगाते वक्त कोई अवहेलना की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस संबंध में सरकार जांच करने को तैयार है ?

(स्थगित किया गया)।

### भू० पू० राजाओं से सीलिंग एक्ट के तहत प्राप्त जमीन

97. **श्री मोहम्मद गफ्फार अली** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भूतपूर्व राजाओं (जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, बूंदी, अलवर व भरतपुर) के कब्जे से कितनी जमीन सीलिंग एक्ट के तहत प्राप्त की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) कितने भूतपूर्व जागीरदारों से, कितनी जमीन सीलिंग एक्ट के तहत प्राप्त की गई ?

(3) कुल कितनी जमीन हासिल करने का लक्ष्य था और उसमें से कितनी हासिल की गई ?

#### उत्तर

(1) भूतपूर्व बूंदी के राजा के कब्जे से 2,351 एकड़ भूमि सीलिंग कानून के अधीन प्राप्त की गई है। अन्य राजाओं के सीलिंग के मामले अभी विचाराधीन हैं। अतः उनके कब्जे से सीलिंग कानून के अधीन कोई भी जमीन प्राप्त नहीं की गई है। सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(2) यह सूचना अभी तक सब जिलों से प्राप्त नहीं हुई है एवं एकत्रित की जा रही है।

(3) भूतपूर्व जागीरदारों से जमीन प्राप्त करने के बारे में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।

### चक 25 बी० डी० तहसील पदमपुर में भूमि के मामले

98. **श्री गुरदयालसिंह संधु** (करणपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चक 25 बी० बी० तहसील पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर में मु०नं० 22, 15, 17, 23, 24, 25 और मु० नं० 35 किस-किस के कब्जे में है कब से है और किस आधार पर है ?

(2) क्या यह सच है कि मु०नं० 35 श्री सुखा हरिजन की मिल्कियत है और श्री बलबीरसिंह ने उस पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है ? मु० नं० 22 व 15 के 10 बीघे जो श्री सोहनसिंह की मिल्कियत है और श्री सोहनसिंह के किस्त न देने व मृत्यु होने के कारण खारिज हो गये थे उसे श्री रघुबीरसिंह ने गलत हस्ताक्षरों से बहाल करवा रखा है और काश्त कर रहा है, और मु० नं० 15 के 10 बीघे का बेचान का इकरारनामा श्री गुलजारसिंह पुत्र श्री मेहरसिंह के नाम पर कर रखा है ?

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

(3) मु० नं० 17 व 25 के तबादले में जिला कोटा में श्री भजनसिंह को भूमि दी जाकर यह भूमि श्री रघुबीरसिंह के कब्जे में है ? मु०नं० 23 व 24 श्री रघुबीरसिंह ने श्री छजासिंह को बेचने का इकरारनामा कर रखा है और पेशगी रकम वसूल कर रखी है। इसी प्रकार केलवाड़ा सोसाइटी, केलवाड़ा, खेरला, सोंदा, लक्ष्मीपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला कोटा में श्री रघुबीरसिंह का बहुत बड़ी काफी मन्दिर की भूमि व सरकारी भूमि पर कब्जा है। सोसाइटी केलवाड़ा की भूमि व फैक्टरी पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है और केलवाड़ा में करीब 3 लाख रुपये की सरकारी भूमि का बेचान कर दिया है ? सरकार उपरोक्त विषयों में क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) चक 25 बी०बी० तहसील पदमपुर में मुरब्बा नं० 22, 15, 17, 23, 24 25 और 35 श्री रघुबीरसिंह के कब्जे में 10 साल से है। हैसियत राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं है।

(2) जी नहीं ।

(3) जी नहीं। गंगानगर जिले के राजस्व रेकार्ड में ऐसा इन्द्राज नहीं है। सोसाइटी केलवाड़ा की भूमि सम्बन्धी जानकारी जिलाधीश कोटा से प्राप्त की जा रही है।

**राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि आवंटन हेतु अनुसूचित जाति, जन जाति के व्यक्तियों के विचाराधीन प्रार्थना-पत्र**

99. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान नहर क्षेत्र में अब तक कुल कितने अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोगों को कितनी कृषि भूमि का स्थायी आवंटन किया गया है ?

(2) राजस्थान नहर क्षेत्र में इन लोगों के लिये कुल कितने एकड़ भूमि आरक्षित की गई है ?

(3) अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के भूमिहीनों के इस समय कितने प्रार्थना-पत्र उपनिवेशन विभाग के विचाराधीन हैं ?

(4) उक्त लोगों के विचाराधीन प्रार्थना-पत्रों पर निर्णय करके कब तक उन्हें भूमि आवंटित कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) राजस्थान नहर क्षेत्र में माह फरवरी, 76 तक कुल 12,594 अनुसूचित जाति एवं जन जाति के भूमिहीनों को 1,69, 151 एकड़ कमाण्ड भूमि का स्थाई आवंटन किया गया है।

(2) राजस्थान नहर क्षेत्र में इनके लिए उपलब्ध राजकीय भूमि की 30 प्रतिशत आरक्षित की जाती है।

(3) प्राप्त आवेदन-पत्रों के जांच का कार्य जारी है। अतः समाप्त होने पर ही सही संख्या बताई जा सकती है।

(4) प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की जांच की जा रही है। जांच समाप्त होने पर शीघ्र ही भूमि आवंटन का कार्य हाथ में लिया जावेगा।

**राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय में विचाराधीन मामले**

100. श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की करेंगे :—

(1) राजस्व अपीलाधिकारी, बीकानेर में इस समय कितने मामले विचाराधीन हैं और कब कब से और उनमें से जिला श्रीगंगानगर के कितने हैं और कब-कब से हैं ?

(2) क्या यह सच है कि जितने मामलों का निपटारा किया जाता है उससे अधिक और नये मामले पेश हो रहे हैं और जितने मामले विचाराधीन हैं उनमें अधिकतर मामले गंगानगर जिले के हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार हर माह दस दिन के लिए गंगानगर में राजस्व अपीलाधिकारी का न्यायालय खोलेगी ताकि गंगानगर की जनता को सस्ता न्याय मिल सके ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर कोर्ट नं० 2 का क्षेत्राधिकार झुंझुनू, सीकर, टोंक, बीकानेर, चूरू एवं श्रीगंगानगर जिलों का है। इस कोर्ट में इन सभी जिलों के फरवरी, 1976 के अन्त तक 2973 मामले विचाराधीन थे, जिनमें से 1836 मामले बीकानेर केम्प के हैं, जो बीकानेर, चूरू व श्रीगंगानगर जिले के हैं। इनके बाबत वांछित सूचना संलग्न है।

(2) यह सही है कि बीकानेर क्षेत्र से दायर होने वाले मामलों की संख्या काफी अधिक है। फैसला होने वाले मामलों की तुलना में भी यह ज्यादा हैं। अधिकतर मामले गंगानगर के हैं।

(3) ऐसा कोई मामला वर्तमान में राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें)।

**पक्की ईंटों का मूल्य निर्धारण**

101. श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राज्य में किसानों को इस समय पक्की ईंट करीब 150 रुपये प्रति हजार मिल रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार पंजाब सरकार की तरह 74 रुपये प्रति हजार इसका मूल्य निर्धारित करेगी और किसानों को राहत दिलायेगी ?

(स्थगित किया गया)

**स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था**

**श्री उपाध्यक्ष** : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री गुरदयालसिंह संधु, सदस्य विधान सभा ने ग्राम अजमेरी जिला सीकर में दिनांक 16 मार्च को ढाणी, खटकल व सामोतान के करीब 400 हथियारबन्द लोगों द्वारा किये गये हमले व लूटपाट के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

अधिसूचना

**श्री परसराम मदेरणा** (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या पं० 7(58))/ ग्रुप-4/ 75; दिनांक 4 मार्च, 1976 को सदन की मेज पर रखता हूं।

समिति का प्रतिवेदन

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन

**श्री उपाध्यक्ष** : समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन।

**श्री शोभाराम** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, 1975-76 समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

विधायी कार्य: विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान सरकारी मतालबा वसूली (संशोधन) विधेयक, 1976

**श्री उपाध्यक्ष** : विधायी कार्य।

**श्री चन्दनमल बैद** (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सरकारी मतालबा वसूली (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : क्या सदन की अनुमति है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**श्री चन्दनमल बैद** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सरकारी मतालबा वसूली (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करता हूं।

अनुदान की मांगें

मांग सं० 6, 24 व 25 का उपस्थापन

**श्री उपाध्यक्ष** : आय-व्ययक, अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। माननीय शिक्षा मंत्री जी।

**श्री खेतसिंह** (शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 6, न्याय प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2 करोड़ 19 लाख 45 हजार तक की राशि प्रदान की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 24 शिक्षा के संबंध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 84 करोड़ 28 लाख 24 हजार तक की राशि प्रदान की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 25 के संबंध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 62,33,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये।

**मांग सं० 6, 24 व 25 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव**

**श्री दीपंकर** (लाडनूं) :

1. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लाडनूं, जिला नागौर में सिविल व सत्र न्यायालय स्थापित करने हेतु चर्चा के लिये)।

2. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगरपालिका क्षेत्रों में अनिवार्य शिक्षा योजना लागू करने पर चर्चा के लिये()।

**श्री ओंकारलाल चौहान** (डग) :

3. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्याय दिलाने में चुस्ती लाने हेतु चर्चा के लिये)।

4. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा नीति को उपयोगी बनाने पर चर्चा के लिये)।

**श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल, जयपुर) :

**श्री बनवारीलाल** (धौलपुर) :

5. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सस्ता व सुगम न्याय दिलाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

6. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कानूनी सलाहकारों की नियुक्ति में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

7. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रिक्त पदों की नियुक्ति कराने में राज्य सरकार की शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

8. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जनता को सस्ता न्याय सुलभ कराने हेतु उच्च न्यायालय की खण्डपीठ जयपुर में स्थापित कराने हेतु चर्चा के लिये)।

9. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रधान-मंत्री के बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत गठित राज्य-स्तरीय समिति द्वारा कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता कारगर ढंग से नहीं दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

10. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीखो कमाओ योजना को व्यापक बनाने हेतु विभागीय असफलताओं पर चर्चा के लिये)।

11. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सैकेण्डरी विद्यालयों व उच्चतर सैकेण्डरी विद्यालय के वर्गीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

# Page No 43

(43)



(श्री श्रीराम गोटेवाला)

12. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (निजी शिक्षण संस्थाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

13. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 278–कला और संस्कृति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुरातत्वीय स्थलों व स्मारकों की बिगड़ती दशा पर चर्चा के लिये)।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) :

14. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जनता को सुलभ न्याय दिलवाना चाहे तो हाई कोर्ट की बैंच जयपुर आना अत्यावश्यक है, इस पर चर्चा के लिये)।

15. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फागी तहसील का मुंसिफ कोर्ट जयपुर आना चाहिए इसके संबंध में चर्चा के लिये)।

16. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील फागी के ग्राम नीमेड़ा में सैकेण्डरी स्कूल खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

17. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चाकसू गांव में हायर सैकेण्डरी स्कूल खोलने के संबंध में चर्चा के लिये)।

18. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय विद्यालयों में अध्यापकों की कमी के संबंध में चर्चा के लिये)।

19. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले में आबादी के अनुपात में शिक्षा पर खर्च नहीं किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

20. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 278–कला और संस्कृति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कला के विकास हेतु नई योजना बनाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

श्री रामगोपाल (किशनगंज) :

21. मांग संख्या 24 मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा के विकास किये जाने पर चर्चा के लिये)।

22. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

23. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 278–कला और संस्कृति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान की कला को अधिक विकसित किए जाने व सुरक्षित रखने पर चर्चा के लिये)।

श्री करनसिंह (डीग) :

24. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक

# Page No 44

(44)



(श्री करनसिंह)

214-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण जनता को सस्ता न्याय दिलवाने हेतु चर्चा के लिये)।

25. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु चर्चा के लिये)।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर):

26. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर जिले के बहरोड़ सब-डिवीजन में स्थित दो मुंसिफ मजिस्ट्रेट की कोर्ट में से एक को उसी सब-डिवीजन के बानसूर तहसील मुख्यालय पर तब्दील करने की जनता की मांग पर चर्चा के लिये)।

27. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा स्कूलों में यौगिक शिक्षा के प्रचार में उपेक्षा बरतने पर चर्चा के लिये)।

28. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये शिक्षा की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

29. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर जिले में D. I. G. S. की नई पोस्ट कायम किये जाने पर चर्चा के लिये)।

30. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [शिक्षा विभाग के डिप्टी इन्सपैक्टर (फिजीकल एजूकेशन) के पदों के लिये सलेक्शन न होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये]।

श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा):

31. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देने हेतु चर्चा के लिये)।

32. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छबड़ा हाई स्कूल को हायर सैकेण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने हेतु चर्चा के लिये)।

33. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छबड़ा सैकेण्डरी स्कूल में कृषि विषय एवं वाणिज्य विषय खोलने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर):

34. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्याय सस्ता सुलभ करने के विषय पर चर्चा के लिये)।

35. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार ने जो गरीब व्यक्तियों को कानूनी सहायता देने के लिये प्रावधान किया है वह

# Page No 45

(45)



(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
पर्याप्त है उस पर असंतोष व्यक्त करने के विषय पर चर्चा के लिये)।

36. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार ने गरीब व्यक्तियों के लिये कानूनी सहायता देने के लिये जो अभी तक कदम उठाये हैं उनकी गति धीमी है जिन्हें तीव्र करने पर जोर देने के लिये चर्चा के लिये)।

37. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर में सेशन्स कोर्ट की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

38. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वकीलों को कमीशन की नियुक्ति कर कोर्ट की फाइलें उन्हें दिखाकर शहादत लेने के जो अधिकार दिये गये हैं उनसे कोर्ट की प्रतिष्ठा को धक्का लगा है और न्याय में निष्पक्षता बरती जाने पर संदेह होने लगा है, इस पर चर्चा के लिये)।

39. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा गत दो सालों में किसी भी स्थान पर प्राथमिक शालायें नहीं खोलने के कारण रेगिस्तानी क्षेत्रों की ग्रामीण जनता में घोर असन्तोष है, जिस पर चर्चा के लिये)।

40. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर के गर्ल्स सैकेण्डरी स्कूल को हायर सैकेण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

41. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में बैसाला, बाटाडू, सवाऊ पदमसिंह व रामसर में सैकेण्डरी स्कूल खोले जाने पर चर्चा के लिये)।

42. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार की शिक्षा प्रणाली की अव्यवहारिता पर चर्चा के लिये)।

43. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

44. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में बायतू सैकेण्डरी स्कूल में विज्ञान की कक्षा खोलने और कवास सैकेण्डरी स्कूल में कॉमर्स (वाणिज्य) की कक्षा खोलने पर चर्चा के लिये)।

45. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर नेहरू युवक केन्द्र पर राज्य सरकार द्वारा वर्क सेन्टर खुलवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

# Page No 46

(46)



(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

46. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान प्रान्त में विभिन्न जिलों में नेहरू युवक केन्द्रों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

47. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर कार्यालय आदेश दिनांक 9-1-76 द्वारा पांच सीनियर टीचर्स (वाणिज्य) की सर्विसेज को बिना नोटिस दिये हुये समाप्त करने एवं उन्हें डीग्रेड कर सैकिण्ड ग्रेड टीचर्स की नियुक्ति के आदेश देने और दूसरी ओर राजस्थान सबोर्डिनेट सर्विस रूल्स, 1971 के नियमों का उल्लंघन कर सैकिण्ड ग्रेड टीचर्स को अनियमित रूप से सीनियर टीचर्स में प्रमोशन करने पर चर्चा के लिये)।

48. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रथम वर्ष टी० डी० सी० के हिन्दी, अंग्रेजी (कम्पलसरी) व अन्य विषयों में आम तौर से हर वर्ष पाठ्यक्रम में परिवर्तन कर दिये जाने के कारण विद्यार्थियों का तीव्र असंतोष व्यक्त करने के विषय पर चर्चा के लिये)।

49. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय एवं कालेज के प्राध्यापकों के वेतनमानों में वृद्धि की सिफारिश को राज्य सरकार द्वारा मान्यता देने में उदासीनता बरतने पर चर्चा के लिये)।

50. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान प्रान्त के पिछड़े हुये जैसलमेर, बाड़मेर एवं जालोर जिले में जिलों के मुख्यालयों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल के भवनों के निर्माण एवं उनकी मरम्मत की ओर विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

51. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर में राजकीय महाविद्यालय में प्रान्त के शिक्षा मंत्री जी द्वारा राजकीय छात्रावास के भवन निर्माण के लिये महाविद्यालय के प्रांगण में सन् 1974 में एक लाख रुपये स्वीकृत करने की घोषणा के बावजूद भी कार्य अब तक आरंभ न होने से महाविद्यालय के विद्यार्थियों में घोर असंतोष के विषय पर चर्चा के लिये)।

52. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर, जैसलमेर एवं बीकानेर सीमावर्ती जिलों के सीमावर्ती छात्रावासों के अनुदान की राशि को प्राप्त करने में बहुत देरी हो जाती है, जिससे छात्रावासों के प्रबन्ध में बड़ी कठिनाई आती है और प्रबन्ध बिगड़ जाता है, अतः अनुदान की राशि की प्राप्ति जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्राप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

53. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर में राजकीय

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
महाविद्यालय में रसायन विभाग के लिये एक्जास्ट फैन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

54. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के प्राइमरी, मिडिल, सैकेण्डरी एवं हायर सैकेण्डरी स्कूलों के भवनों के निर्माण, मरम्मत एवं परिवर्धन कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

55. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग के अध्यापक एवं कर्मचारी जो आर० एस० एस० प्रवृत्तियों में सक्रिय भाग लेते थे वे अब छिपे तौर पर कार्य कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कदम उठाने में शिक्षा विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

56. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार शिक्षा को Job Oriented बनाने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

57. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सन् 1969 में चयनित होने वाले व्याख्याताओं का अभी तक शिक्षा विभाग द्वारा स्थायीकरण न किये जाने के कारण उनमें व्याप्त तीव्र असंतोष पर चर्चा के लिये)।

58. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 278–कला और संस्कृति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के कैराड मन्दिर की पुरातत्व विभाग द्वारा उचित देख-रेख नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़):

59. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मुफ्त कानूनी सहायता के सिद्धांत का व्यवहार में प्रत्यक्ष रूप देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

60. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा को व्यवसायोन्मुख बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री हनुमान सहाय व्यास (बैराठ)।

61. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील कोटपूतली एवं विराटनगर क्षेत्र के मुकद्मों को दौसा न्यायालय के अधीनस्थ किये जाने से उत्पन्न परेशानियों की चर्चा के लिये)।

62. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति, शाहपुरा, जिला जयपुर क्षेत्र में अध्यापकों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

63. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मिडिल स्कूल, करीरी, साहीवाड़, खोरालाडखानी को सैकेण्डरी स्कूलों में क्रमोन्नत किये जाने पर चर्चा के लिये)।

(श्री हनुमान सहाय व्यास)

64. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हायर सैकेण्डरी स्कूल भवन, धवली, राडावास, जाजेकलां को विभागीय सूची में लिए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) :

65. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्याय प्रशासन गरीबों को सस्ता सुलभ करवाने के बारे में चर्चा के लिये)।

66. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर उच्च न्यायालय में जजों के रिक्त स्थानों की पूर्ति करवाने में राज्य सरकार की शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

67. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्यायिक सेवाओं के वेतनमानों में सुधार एवं न्यायिक सेवाओं के लिए आवासीय सुविधाओं के बारे में चर्चा के लिये)।

68. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मुंसिफ मजिस्ट्रेट, अदालत, सांचोर में 156 (3) जाब्ता फौजदारी की धारा के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज करवाने की परिपाटी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

69. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के अभाव एवं जिले की राज्य शिक्षण संस्थाओं की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये)।

70. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

71. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर उच्च माध्यमिक पाठशाला के सार्वजनिक पंजीयक छात्रावास को अनुदान देने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

72. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर उच्च माध्यमिक पाठशाला के भवन निर्माण हेतु सरकारी अनुदान दिलाने में सरकार की घोर उपेक्षा की चर्चा के लिये)।

73. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उच्च प्राथमिक पाठशाला भवन, सांचोर एवं उच्च प्राथमिक कन्या पाठशाला सांचोर के भवन निर्माण हेतु अनुदान दिलाने हेतु चर्चा के लिये)।

74. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर उच्च माध्यमिक पाठशाला में भूगोल एवं कृषि विषयों को खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

75. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय उच्च माध्यमिक पाठशाला, सांचोर के अध्यापकों की सेवायें शिक्षा विभाग द्वारा समाप्त करने के बारे में चर्चा के लिये)।

76. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 278–कला और संस्कृति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय जांभोजी की मण्डोर में स्थित पत्थर की निर्मित मूर्ति में रद्दोबदल करने के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री मोहनराज जैन (बाली):

77. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाली व देसूरी तहसीलों का न्यायिक मामलों में अपील का अधिकार सिरोही से हटाकर पाली के जिला न्यायाधीश के न्यायालय में न करने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये)।

78. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति, बाली में राजकीय प्राथमिक शालाओं में शिक्षकों की कमी के कारण छात्रों की पढ़ाई में हो रही अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

श्री शंकरलाल (पाली):

79. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गरीबों की पैरवी करने व न्याय दिलाने के लिये उचित कदम उठाने हेतु चर्चा के लिये)।

80. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छात्रों को अनुशासित बनाए रखने के लिये स्थायी योजना बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

81. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों के अधीनस्थ कार्यरत प्राथमिक शिक्षा की दुर्दशा को सुधारने में विभाग की असफलताओं पर चर्चा के लिये)।

82. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षकों की हालत सुधारने व अवांछनीय तत्वों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

83. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समय के परिवर्तन के अनुसार शिक्षा के ढांचे में भी परिवर्तन लाने हेतु चर्चा के लिये)।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर):

84. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्याय प्रशासन जिससे गरीब लोग ज्यादा प्रभावित हैं, उन्हें सस्ता न्याय सुलभ न कराने पर चर्चा के लिये)।

85. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक शिक्षा सुलभ कराने के क्रम में चर्चा के लिये)।

**श्री नन्दलाल बंरवा** (पाटन) :

86. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी की तहसील केशवरायपाटन में जुडीशियल न्यायालय नहीं खोले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

87. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में गरीबों को सस्ता न्याय समय पर नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

88. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अनुसार जिला स्तर पर गरीबों को उचित न्याय दिलाये जाने के लिये अब तक समितियां नहीं बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

89. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में हायर सैकेण्डरी एवं सैकेण्डरी नये स्कूल नहीं खोले जाने से उत्पन्न हुई स्थिति पर चर्चा के लिये)।

90. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में छात्र-छात्राओं को समय समय पर विभाग से छात्रवृत्ति नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

91. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केशवरायपाटन जिला बून्दी में अब तक हायर सैकेण्डरी स्कूल नहीं खोले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

92. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के गांवों में वर्तमान शिक्षा स्तर को अब तक उच्च स्तर में क्रमोन्नत नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

**श्री विजयसिंह राठोड़** (मांडल) :

93. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

94. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सोद्देश्य शिक्षा के प्रसार पर चर्चा के लिये)।

95. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों को हायर सैकेण्डरी शिक्षा से आगे न पढ़ने देने पर चर्चा के लिये)।

**श्री नाथूराम** (बागीदोरा):

96. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले के न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

97. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100

(श्री माधूराम)
रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में कलिजरा, आंजना, डडूका, बागीदोरा, गांगड़ेतलाई आदि मिडिल स्कूलों को सैकेण्डरी में क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिये)।

98. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

**श्री लूणाराम** (डूंगरगढ़) :

99. मांग संख्या 7, मुख्य शीर्षक 214–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्रीडूंगरगढ़ तहसील को रतनगढ़ मुंसिफ मजिस्ट्रेट के अन्तर्गत ही रखा जाय, इस पर चर्चा के लिये)।

100. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मुकद्मों के शीघ्र निपटारे हेतु समय की सीमा बांधने के संबंध में चर्चा के लिये)।

101. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम उदरासर, तहसील श्रीडूंगरगढ़, जिला चूरू में उच्च प्राथमिक शाला को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

102. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम बोपऊ, तहसील श्रीडूंगरगढ़ में प्राथमिक शाला को उच्च प्राथमिक शाला बनाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली** (जौहरी बाजार, जयपुर):

103. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मुंसिफों का कम वेतन के कारण व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये)।

104. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय वकीलों की नियुक्तियों की प्रक्रिया पर चर्चा के लिये)।

105. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जुडिशियल अफसरों के मकानात की समस्या का सरकार द्वारा समाधान नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

106. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (निजी शिक्षण संस्थाओं के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

107. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उर्दू अध्यापकों को प्रशिक्षण के लिए छूट दी जाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

108. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
रुपया कम कर दिया जाय (प्राइवेट इन्सटीट्यूशन्स पर कन्ट्रोल करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

109. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 278-कला और संस्कृति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर के कलाकारों को सहायता दी जाये, इसके संबंध में चर्चा के लिये)।

श्री केशरीमल (ब्यावर):

110. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपयाकम कर दिया जाय (मुकदमों को शीघ्र निपटाये जाने हेतु न्यायालय की संख्या बढ़ाये जाने पर चर्चा के लिये)।

111. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्यायालयों में भारी तादाद में मुकदमों का फैसला न हो पाने से इकट्ठे हुए केसेज के संबंध में चर्चा के लिये)।

112. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्यायालयों द्वारा न्याय देने में हो रही देरी से जनता में फैले असंतोष पर चर्चा के लिये)।

109. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ब्यावर न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

114. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिंध से आये अध्यापकों के प्रमाण-पत्रों को मान्यता दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

115. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राइवेट स्कूलों का राष्ट्रीयकरण किये जाने पर चर्चा के लिये)

116. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अध्यापकों को रिटायर होने पर पेन्शन देने में हो रही देरी पर चर्चा के लिये)।

117. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आदर्श विद्या भवन शिक्षण संस्थान, उदयपुर को दिये जाने वाले अनुदान में हुए घोटाले पर चर्चा के लिये)।

118. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (के० डी० जैन स्कूल, किशनगढ़ के व्यवस्थापकों द्वारा विद्यार्थियों पर गलत ढंग की राजनीति थोपने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

119. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति के अध्यापकों को राजकीय शिक्षा विभाग के अध्यापकों के समान सहूलियत दिलाने में विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये)।

(श्री केशरीमल)

120. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (निजी शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों को राज्य सेवा में रत अध्यापकों के समान सुविधायें दिलाने में विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये)।

121. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (देवखेड़ा ग्राम की उच्च प्राथमिक पाठशाला को क्रमोन्नत न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

122. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुनेरा ग्राम में एक अध्यापकीय पाठशाला न खोले जाने पर चर्चा के लिये)।

123. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटड़ा ग्राम की पाठशाला को क्रमोन्नत न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

124. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक, 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लवूरी ग्राम में राजकीय प्राथमिक पाठशाला न खोलने पर चर्चा के लिये)।

125. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100/- रुपया कम कर दिया जाय (कावरा ग्राम की उच्च प्राथमिक पाठशाला को क्रमोन्नत न करने पर चर्चा के लिये)।

126. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 278–कला और संस्कृति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विद्यार्थियों को कला की ओर आकर्षित करने के लिये सहूलियतें बढ़ाने पर चर्चा के लिये)।

127. मांग संख्या 25 मुख्य शीर्षक 278–कला और संस्कृति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्रमिकों के संगठनों को ललित कला हेतु मदद देकर उनमें कला के प्रति आकर्षण पैदा किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

श्री रतीराम यादव (तिजारा) :

128. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज के निर्धन और कमजोर वर्ग को सस्ता न्याय सुलभ कराने पर चर्चा के लिये)।

129. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तिजारा क्षेत्र की जनता के लिये सस्ता और सुविधा-जनक न्याय दिलाने के लिये तिजारा कस्बे में मुंसिफ मजिस्ट्रेट की अदालत स्थापित करने पर चर्चा के लिये)।

130. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षकों की आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति में सुधार लाने हेतु चर्चा के लिये)।

131. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा को सस्ता और प्राथमिक स्तर तक अनिवार्य बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

(श्री रतीराम यादव)

132. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा संस्थाओं से प्रतिक्रियावादी और असामाजिक तत्वों को निकाल बाहर करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

133. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( निजी शिक्षण संस्थाओं के राष्ट्रीयकरण करने हेतु चर्चा के लिये)।

134. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा प्रणाली में सुधार कर व्यवसायोन्मुख बनाने पर चर्चा के लिये)।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** (हवामहल, जयपुर) :

135. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( राजधानी जयपुर में सस्ता न्याय सुलभ कराने के लिये हाई कोर्ट की बेंच स्थापित किये जाने पर चर्चा के लिये)।

136. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गरीबों को मुफ्त कानूनी सलाह दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

137. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्यायालयों में शीघ्र केसेज पर निर्णय हो सकें ऐसी व्यवस्था करने पर चर्चा के लिये)।

138. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गरीब जनता के लिये कानूनी सलाहकार और परामर्शदाताओं की नियुक्ति करने पर चर्चा के लिये)।

139. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले में जनसंख्या के अनुपात में प्राथमिक स्कूल न खोले जाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

140. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 278–कला और संस्कृति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थानी कला की घोर उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

141. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 278–कला और संस्कृति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर स्थित रवीन्द्र मंच की प्रशासन व्यवस्था ठीक न होने पर चर्चा के लिये)।

142. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 278-कला और संस्कृति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [कला अकादमियों का संयुक्त डायरेक्टर (कार्यालय) पुरानी कोर्ट बिल्डिंग, सांगानेरी गेट के पास रवीन्द्र मंच के निकट ही खोले जाने पर चर्चा के लिये]।

143. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 278–कला और संस्कृति के अन्तर्गत मांग में

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर के प्रसिद्ध कत्थक नृत्य का जयपुर में स्कूल प्रारंभ किये जाने पर चर्चा के लिये)।

**श्री रमेशचन्द्र सैनिक** (हिण्डौली):

144. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बूंदी जिले में हिण्डौली क्षेत्र की जनता को मिलने वाले न्याय में कठिनाई पर विचार के संबंध में चर्चा के लिये)।

145. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बूंदी जिले में शिक्षा की मंद गति पर चर्चा के लिये)।

**श्री चेतराम** (टोडाभीम):

146. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान और विशेषतया सवाई माधोपुर जिले में बहुत पुराने मुकदमे पड़े हैं और निपटारा नहीं हो रहा है, इस विलम्ब पर चर्चा के लिये)।

147. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर जिले में शिक्षकों के अभाव से छात्रों की पढ़ाई नहीं हो पाती है, इस पर चर्चा के लिये)।

**श्री सांवरमल मौर** (श्री माधोपुर):

148. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जनता को सस्ता न्याय सुलभ न होने के संबंध में चर्चा के लिये)।

149. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में आगामी वित्तीय वर्ष में कोई माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत न करने के संबंध में तथा निजी संस्थाओं को वर्गीकरण के मुताबिक सहायता न देने के संबंध में चर्चा के लिये)।

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी** (बांदीकुई):

150. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांदीकुई में जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कार्यालय न खोलने की स्थिति पर चर्चा के लिये)।

151. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा पद्धति में आवश्यक परिवर्तन करने में असफलता पर चर्चा के लिये)।

**श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** (गंगापुर):

152. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला सत्र न्यायालय डी०जे० कोर्ट, गंगापुर सिटी में स्थापना करने पर चर्चा के लिये)।

153. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, सवाई माधोपुर

Page No 56



(श्री हरिश्चन्द्र पटवारी)

का केम्प कोर्ट गंगापुर सिटी में लगाने के क्रम में चर्चा के लिये)।

154. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वर्तमान शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन कर नई शिक्षा पद्धति इसी वर्ष से शुरू करने के क्रम में चर्चा के लिये)।

155. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगापुर में कालेज की इसी वर्ष स्थापना कर वहां के प्रतिभाशाली एवं गरीब विद्यार्थियों को सुविधा दिलाने हेतु चर्चा के लिये)।

156. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान विश्व-विद्यालय को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

157. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तृतीय श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के अध्यापकों का अपने निवास-स्थान से 15 किलोमीटर की दूरी से अधिक दूर स्थान पर स्थानान्तरण नहीं करने के क्रम में चर्चा के लिये)।

158. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के समस्त उच्च माध्यमिक विद्यालयों में तक-नीकी कक्षायें खोलने के क्रम में चर्चा के लिये)।

159. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगापुर गर्ल्स सैकेण्डरी स्कूल, गंगापुर में गृह विज्ञान एवं संगीत विषय खोलने के क्रम में चर्चा के लिये)।

160. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान न्यायिक सेवाओं की तनख्वाह व अन्य सुवि-धाओं पर चर्चा के लिये)।

161. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू में न्यायिक अधिकारियों के कार्यालय एवं आवास की कमी पर चर्चा के लिये)।

162. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू में कला संकाय में स्नातकोत्तर पढ़ाई चालू करने पर चर्चा के लिये)।

163. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू में विधि विज्ञान की पढ़ाई की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

**श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) :**

164. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्यायालय करणपुर व न्यायालय रायसिंहनगर में तहसील पदमपुर के अधिक मुकदमे और

Page No 57

(57)



(श्री गुरदयाल सिंह संधु)
लम्बे अर्से से होने के कारण पदमपुर में न्यायालय कायम करने हेतु चर्चा के लिये)।

165. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांव घमूड़वाली तहसील पदमपुर में हायर सैकेण्डरी पाठशाला खोलने हेतु चर्चा के लिये)।

166. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील पदमपुर के गांव 4 जेजे में सैकेण्डरी स्कूल खोलने हेतु चर्चा के लिये)।

167. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [गांव गंगूवाला सिखां (52 आर० बी०), तहसील पदमपुर में सैकेण्डरी कन्या पाठशाला खोले जाने हेतु चर्चा के लिये]।

168. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांव 1 के०के०तहसील पदमपुर में मिडिल स्कूल खोलने हेतु चर्चा के लिये)।

169. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांव 8 एन०एन० ए०, तहसील पदमपुर में मिडिल स्कूल खोलने हेतु चर्चा के लिये)।

170. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांव 2 आर० बी०, तहसील पदमपुर में मिडिल स्कूल खोलने हेतु चर्चा के लिये)।

171. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [गांव 5 एन०के० (सोड़), तहसील रायसिंहनगर में मिडिल स्कूल खोलने हेतु चर्चा के लिये]।

172. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रामसिंहपुर, तहसील अनूपगढ़ में कन्या मिडिल स्कूल खोले जाने हेतु चर्चा के लिये)।

173. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांव बिड़ंग, तहसील करणपुर में सैकेण्डरी स्कूल खोलने हेतु चर्चा के लिये)।

174. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांव माणकसर तहसील करणपुर में एक सैकेण्डरी स्कूल व एक कन्या मिडिल स्कूल खोलने हेतु चर्चा के लिये)।

175. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चक 57 एफ०, तहसील करणपुर में मिडिल स्कूल खोलने हेतु चर्चा के लिये)।

176. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांव जवायेवाला, तहसील करणपुर में मिडिल स्कूल खोलने हेतु चर्चा के लिये)।

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

177. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स विद्यार्थियों के लिये बुक बैंक खोलने हेतु चर्चा के लिये)।

178. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [गांव तामकोट (51 आर० बी०) हायर सैकेण्डरी स्कूल (तहसील पदमपुर) में एग्रीकल्चर की क्लासें खोलने पर चर्चा के लिये]।

179. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [गांव 3 O (तीन ओ), तहसील करणपुर में हायर सैकेण्डरी स्कूल में भूगोल की कक्षायें खोलने हेतु चर्चा के लिये]।

180. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [राजस्थान में पंजाबी (गुरुमुखी) विषय को ऐच्छिक विषय के रूप में एम० ए० तक खोलने हेतु चर्चा के लिये]।

181. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ऐसे स्कूलों में जहां पर लड़के गुरुमुखी पढ़ना चाहते हैं, वहां पर कक्षायें खोलने हेतु चर्चा के लिये)।

**श्री गौरीशंकर मुनीम (खानपुर):**

182. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खानपुर जिला झालावाड़ में मुंसिफ मजिस्ट्रेटी खोले जाने के व समय पर स्टाम्प न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

183. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खानपुर जिला झालावाड़ में उच्च प्राथमिक शाला को माध्यमिक शाला में व माध्यमिक शाला को उच्च माध्यमिक शाला में क्रमोन्नत करने हेतु चर्चा के लिये)।

**श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय (बूंदी):**

184. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बूंदी जिले में जिला जज की अदालत खोले जाने हेतु चर्चा के लिये)।

185. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में शिक्षा प्रणाली में नयी केन्द्रीय पद्धति के अनुसार होने वाले रद्दोबदल के विषय में चर्चा के लिये)।

186. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के बूंदी जिले के राजकीय महाविद्यालय में एम०एम० एवं एल एल० बी० की क्लास खोलने बाबत चर्चा के लिये)।

187. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी जिले की मिडिल स्कूलों को सैकेण्डरी स्कूलों में क्रमोन्नत करने बाबत चर्चा के लिये)।

(श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय)

188. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में अनौपचारिक शिक्षा टेलीविजन द्वारा दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) :

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

189. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दौसा में सैकेण्डरी कन्या स्कूल के भवन की व्यवस्था कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

190. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दौसा कालेज को क्रमोन्नत कर पी० जी० कालेज बनाने पर चर्चा के लिये)।

191. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दौसा संस्कृत कालेज के अधूरे भवन को पूरा कराने में विभाग की शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

192. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दौसा न्यायालयों के कार्य में शीघ्रता लाने हेतु तीसरे न्यायालय की स्थापना पर चर्चा के लिये)।

193. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दौसा न्यायालय क्षेत्र में एडवोकेट्स चेम्बर्स बनाने पर चर्चा के लिये)।

194. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [लालसोट एवं दौसा (जयपुर) तहसीलों के उच्च प्राथमिक शालाओं में शीघ्र अध्यापकों की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये]।

195. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [लालसोट एवं दौसा (जयपुर) तहसील के उच्च प्राथमिक स्कूलों में बोर्ड, दरी पट्टी, तथा आवश्यक फर्नीचर की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये]।

196. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गत तीन वर्षों से क्रमोन्नत राजकीय उच्च प्राथमिक शालाओं में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को स्थायी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

197. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के कन्या उच्च प्राथमिक शालाओं में अध्यापिकाओं की कमी की शीघ्र पूर्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

198. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [श्री सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय लालसोट (जयपुर) को 80 प्रतिशत सहायता देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये]।

(श्री मूलचन्द सामरिया)

199. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277--शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [श्री सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय लालसोट (जयपुर) को भवन विकास हेतु अधिकाधिक धनराशि दिये जाने हेतु चर्चा के लिये ]।

200. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277--शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [राजकीय उच्च प्राथमिक कन्या शाल लालसोट (जयपुर) में शीघ्र प्रधानाध्यापिका की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये]।

201. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277--शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय माध्यमिक शाला लालसोट को शीघ्र क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

202. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277--शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय उच्च प्राथमिक कन्या शाला लालसोट, डीडवाना, रामगढ़ पचवारा, राहूवास आदि में शीघ्र अध्यापिकायें लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) :

203. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर में हाई कोर्ट बैंच खोले जाने के बारे में चर्चा के लिये)।

204. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277--शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा नीति में मूलभूत परिवर्तन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्रीमती सुमित्रासिंह (झुंझुनू) :

205. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214--न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्याय को सस्ता एवं शीघ्र उपलब्ध कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

206. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277--शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा के गुणात्मक विस्तार पर चर्चा के लिये)।

207. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277--शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तृतीय वेतन श्रृंखला के अध्यापकों के अन्तजिला स्थानान्तरों पर लगी रोक को हटाने हेतु चर्चा के लिये)।

208. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277--शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुनः वर्गीकरण संस्थाओं को उनके नये वर्गीकरण के अनुसार ग्रान्ट-इन-एड दिये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

209. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277--शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (महिला शिक्षा में राज्य के पिछड़ेपन पर चर्चा के लिये)।

210. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 278--कला और संस्कृतिअन्तर्गत के मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (साहित्य, कला एवं ललित कला अकादमियों को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

श्री मत्यासिंह (नदबई) :

211. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में न्यायालयों में प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

212. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 278–कला और संस्कृति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थानी कला को विकासोन्मुख करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

213. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भरतपुर, बयाना व नदबई में शिक्षा का व्यापक प्रसार नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

214. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा प्रणाली में सुधार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री किशोरीलाल शर्मा (सलूम्बर) :

215. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागरिकों को सस्ता न्याय शीघ्र उपलब्ध कराने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

216. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सलूम्बर क्षेत्र में उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शालाओं के अभाव पर चर्चा के लिये)।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) :

217. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सस्ता व शीघ्र न्याय दिलाने में सरकार की असमर्थता पर चर्चा के लिये)।

218. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाठशाला भवन निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध नहीं कराने पर चर्चा के लिये)।

219. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 278–कला और संस्कृति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में कला के विद्यालयों की कमी पर चर्चा के लिये)।

श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा) :

220. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [राज्य सरकार के पत्र संख्या प० स० 29 (44) शिक्षा-5173, दिनांक 29-6-73 द्वारा श्री सुमेर हायर सैकेण्डरी स्कूल, जोधपुर को रु० 50,000 का तदर्थ अनुदान स्वीकृत हो जाने के उपरान्त भी अभी तक भुगतान न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये]।

221. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के पोलिटैक्निक्स में नए कोर्सेज के चालू करने एवं डिमोन्स्ट्रेटर्स के ग्रेड और तरक्की के लिए चर्चा के लिये)।

( श्री अमृतलाल गहलोत )

222. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अध्यापकों के स्थानान्तरण की राज्य सरकार की नीति को दृढ़ता से लागू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

223. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुदान प्राप्त विद्यालयों के पुनर्वर्गीकरण को लागू करने पर चर्चा के लिये)।

224. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय मांटेसरी पाठशाला, जोधपुर के नए भवन को, जो पिछले आठ वर्षों से अधूरा पड़ा है, विभाग द्वारा पूर्ण करवाये जाने के लिए चर्चा के लिए)।

225. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार के अनुदान नियमों की गलत तरीके से व्याख्या एवं लागू करके शिक्षण संस्थाओं को शिक्षा निदेशालय द्वारा सताने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

226. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभिन्न शिक्षण संस्थाओं को एड-होक ग्रांट -इन-एड स्वीकार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्पष्ट नीति निर्धारण करने पर चर्चा के लिये)।

**श्री शंकरसिंह रावत** (नसीराबाद) :

227. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बी० ए०, बी० एड० एवं एस० टी० सी० ट्रेंड छात्रों को रोजगार देने में शिक्षा विभाग की असमर्थता पर चर्चा के लिये)।

228. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण छात्रों के लिये परीक्षा केन्द्र शहरों में न रखकर ग्रामीण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ही रखवाये जाने पर चर्चा के लिये)।

229. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षित ग्रेजुएट छात्रों को रोजगार दिलाने पर चर्चा के लिये)।

**श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** (सूरतगढ़) :

230. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान की शिक्षा संस्थाओं में आर० एस० एस०, जनसंघ, आनन्दमार्गियों और नक्सलवादियों की सक्रियता से पैदा हुई स्थिति पर चर्चा के लिये)।

**श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम)।**

231. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय महाविद्यालय अजमेर में लेबर डिप्लोमा व एल एल० एम० की कक्षायें खोलने पर चर्चा के लिये)।

232. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100

(श्री किशन मोटवानी)

रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर व अन्य जिलों में अल्प भाषी बच्चों के लिये अनिवार्य उच्चतर सैकेण्डरी स्कूल खोलने पर चर्चा के लिये)।

233. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर में एम० एड० की कक्षाएं खोलने पर तथा महाविद्यालय में सिंधी विषय में एम० ए० की कक्षाएं खोलने पर चर्चा के लिये)।

234. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गैर सरकारी पाठशालाओं को सहायता की सूची पर लेने में होने वाले विलम्ब पर चर्चा के लिये)।

235. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाकिस्तान से आये अध्यापकों की सेवावधि के मामलों में होने वाली परेशानी पर चर्चा के लिये)।

**श्री नानालाल (राजसमन्द) :**

236. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (माध्यमिक शाला कुरज को उच्च माध्यमिक शाला में क्रमोन्नत कराने हेतु चर्चा के लिये)।

237. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राथमिक शालाओं में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

**श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) :**

238. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ में छात्राओं के लिये हायर सैकेण्डरी स्कूल व कालेज न होने पर चर्चा के लिये)।

239. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालरापाटन शहर में लड़कों के हायर सैकेण्डरी स्कूल न खोले जाने पर चर्चा के लिये)।

240. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ जिले के एक मात्र कालेज में एम० ए० की क्लॉस खोलकर पी० जी० में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

**श्री भोपालसिंह (जैसलमेर) :**

241. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जैसलमेर जिले के कालेज में विज्ञान विषय की कक्षाएं न खोले जाने से जनता में भारी असन्तोष तथा गर्ल्स हाई स्कूल को हायर सैकेण्डरी में क्रमोन्नत न करने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये)।

**श्री राजेन्द्रसिंह (उनियारा) :**

242. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में राज्य क्रीड़ा परिषद् की प्रगति असन्तोषप्रद होने पर चर्चा के लिये)।

# Page No 64

(64)



श्री अजीतसिंह (टोंक):

243. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोंक कालेज में उर्दू भाषा की पोस्ट ग्रेजुएट कक्षा खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री सुरेश चन्द्र शर्मा (कोटपूतली):

244. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा पद्धति में सुधार करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

245. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटपूतली में पोस्ट ग्रेजुएट कक्षा आगामी सत्र में खोलने पर चर्चा के लिये)।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी (कोटा):

246. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में सैकेण्डरी शिक्षा संस्थाओं की कमी पर चर्चा के लिये)।

247. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वर्तमान शिक्षा पद्धति में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री श्रीनिवास शारदा (निम्बाहेड़ा):

248. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (निम्बाहेड़ा कस्बे में आई० टी० आई० की स्थापना एवं वर्तमान हायर सैकेण्डरी स्कूल एवं गर्ल्स सैकेण्डरी स्कूल के अपर्याप्त भवनों की स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री गोकुलचन्द (कठूमर):

249. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [खेड़ली माध्यमिक विद्यालय (अलवर जिला) को क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये]।

श्री सज्जनसिंह (सुमेरपुर):

250. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राथमिक शिक्षा के स्तर व व्यवस्था का पंचायती राज के कारण हो रहे ह्रास को विभाग द्वारा नहीं रोकने पर चर्चा के लिये)।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा):

251. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले की तहसील नोखा की मिडिल स्कूल वान्घडा जसरामर देगलसर आदि सैकेण्डरी स्कूलों के हायर सैकेण्डरी में परिवर्तन के लिये चर्चा के लिये)।

252. मांग संख्या 24,, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले के तहसील नोखा के गांव सासडा, ग्राम नायूसर, झाडेली, मेन्शर आदि में मिडिल स्कूल न होने के कारण शिक्षा से ग्रामीण विद्यार्थी वंचित रह गये हैं इस पर चर्चा के लिये)।

( श्री चुन्नी लाल इन्दलिया )

253. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले के कस्वा नोखा मण्डी में लगभग ग्यारह लाख का कॉलेज भवन उपलब्ध होने पर भी वहां कॉलेज नहीं खोला गया है, इस पर चर्चा के लिये) ।

श्री रावतराम आर्य (छापर):

254. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्वा छापर, बीदासर में हायर सैकेण्डरी स्कूल व चाडवास में सैकेण्डरी स्कूल खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

255. मांग संख्या 24, मुख्य शिर्षक 277—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अधिक प्राइमरी स्कूल खोलने का बजट में प्रावधान करने एवं अधिक हायर सैकेण्डरी स्कूल खोलने के बाबत चर्चा के लिये) ।

256. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (देहाती क्षेत्रों की प्राइमरी व मिडिल स्कूलों में अध्यापकों की कमी को दूर करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

श्री शंकरलाल जाट (कपासन) ।

257. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (निजी उच्च प्राथमिक शालाओं को अनुदान दिलाने के विषय पर चर्चा के लिये) ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) :

258. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील मुख्यालय कस्वा लूणकरणसर की राजकीय माध्यमिक शाला में कृषि पशुपालन के अतिरिक्त विषय के अध्यापन हेतु चर्चा के लिये) ।

श्री देवीलाल (सराड़ा) :

259. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय. (जिला उदयपुर तहसील सराड़ा के गांव देवपुरा में सैकेण्डरी स्कूल का भवन निर्माण कराने के लिये दस हजार रुपया दिलाने पर चर्चा के लिये) ।

260. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा आदिवासी क्षेत्र के गांव टोंक, मोगा, काली गाटी में मिडिल स्कूल खोलने पर चर्चा के लिये) ।

261. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर, तहसील सराड़ा के गांव चावण्डा में हायर सैकेण्डरी स्कूल के लिये भवन हेतु दस हजार रुपया धनराशि दिलाने की चर्चा के लिये) ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना)।

262. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राथमिक शालाओं में अध्यापकों की कमी को पूरा कराने में शिक्षा विभाग की शिथिलता पर चर्चा के लिये) ।

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

263. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण स्कूलों को विभाग द्वारा पर्याप्त मात्रा में भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये)।

264. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पालड़ी, जोधा जिला नागौर की उच्च प्राथमिक शाला को माध्यमिक शाला में क्रमोन्नत करने की चर्चा के लिये)।

265. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डेगाना जंक्शन जिला नागौर की कन्या उच्च प्राथमिक शाला को माध्यमिक शाला में क्रमोन्नत करने की चर्चा के लिये)।

266. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डेगाना जंक्शन की उच्च माध्यमिक शाला को विभाग के अन्तर्गत लेने के संबंध में चर्चा के लिये)।

267. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण स्कूलों में खेल-कूद का स्तर बढ़ाने व और अधिक सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) :

268. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जालोर जिले के पंचायत समिति मुख्यावास रानीवाड़ा में सैकेण्डरी स्कूल खोलने एवं प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु चर्चा के लिये)।

श्री रामलाल (बाड़ी) :

269. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़ी, बसेड़ी व सरमथुरा क्षेत्र की जनता को शिक्षा की सुविधा उपलब्ध नहीं कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री जेठमल बरबड़ (रेवदर):

270. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मकराना में लड़कियों के लिए हाई स्कूल खुलाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री उम्मेदीलाल (हिण्डौन) :

271. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हिण्डौन में आबादी के अनुपात में विद्यालय नहीं होने की स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) :

272. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [राजगढ़ (जिला चूरू) में अब तक महाविद्यालय न खोले जाने पर चर्चा के लिये]।

273. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100

( श्री मोहरसिंह )

रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सलेक्टेड केमिस्ट्री के प्रवक्ताओं को महीनों से नियुक्ति न देने पर चर्चा के लिये) ।

274. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला चूरू में विभागीय ढिलाई से महीनों स्कूल निरीक्षक का पद खाली रहने से हुई हानि पर चर्चा के लिये) ।

275. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला चूरू की तहसील राजगढ़ पंचायत समिति द्वारा चलाए जा रहे भोपाल, रतनपुरा तथा मूंदीलाल मिडिल स्कूल्स की निरन्तर मांग किए जाने पर भी टेक ओवर न करने पर चर्चा के लिये) ।

276. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (स्कूल खोलने में, क्रमोन्नत करने में, नियुक्तियों में तथा अध्यापकों के तबादलों में व विद्यार्थियों के दाखिलों में बढ़ते जा रहे पक्षपात व होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये) ।

**श्री हाजी जान मोहम्मद खां (पिड़ावा):**

277. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पिड़ावा क्षेत्र में अध्यापकों की कमी से छात्रों की पढ़ाई में हर्जा होने पर चर्चा के लिये) ।

278. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पिड़ावा कस्बे में स्कूलों के अध्यापकों के 20 साल से तबादले न किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

**श्री विद्या सागर (खेरवाड़ा) :**

279. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बावलावाड़ा तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर में सैकेण्डरी स्कूल खुलाने हेतु चर्चा के लिये) ।

280. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केशरियाजी ऋषभदेव तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर में कन्या सैकेण्डरी स्कूल खुलाने हेतु चर्चा के लिये) ।

**श्री प्रतापसिंह (किशनगढ़) :**

281. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा के उचित विस्तार एवं प्रसार के अभाव पर चर्चा के लिये) ।

**मांग संख्या 6, 24 व 25 पर विचार**

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री गफ्फार अली !

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली** (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय हमारे बजट का बहुत अहम हिस्सा वह है कि जिस शिक्षा की मांग पर आज हम विचार कर रहे हैं । उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी वैलफेयर स्टेट में सबसे बड़ी अहमियत जो बजट रखता है वह शिक्षा की मांग का होता है । हमारे बजट में भी शिक्षा की जो राशि है उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है और वह सबसे बड़ी

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

राशि है और मैं यह समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय कि, हमारे मुल्क की तरक्की इसी बात पर निर्भर है कि हम अपने लोगों को किस हद तक शिक्षा की सुविधायें उपलब्ध करा सकते हैं।

सबसे पहले जो मैं निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि हमने एक टार्गेट बनाया था, एक निशाना अपने सामने रखा था और वह यह था कि ऐसे हालात इस मुल्क में पैदा होने चाहिए कि जिसमें प्राइमरी एजूकेशन अनिवार्य हो जाये और हर बच्चा जो इस मुल्क में पैदा हुआ है वह बालिग होने के पहले पहले यानि 18 वर्ष की उम्र से पहले पहले प्राइमरी एजूकेशन हासिल कर ले और कोई भी आदमी अशिक्षित नहीं रहे। इतनी बड़ी राशि रखने के बाद भी हमारा अनुभव यह है कि आज भी हिन्दुस्तान में तो क्या लेकिन राजस्थान में बहुत से ऐसे बच्चे और बहुत से ऐसे अनपढ़ लोग हैं जिनको एजूकेशन की सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। तो सबसे पहले तो मैं यह निवेदन करूंगा कि इस तरफ राज्य सरकार को तुरन्त तवज्जोह करनी चाहिए और एक टाइम बाउण्ड प्रोग्राम तय कर लेना चाहिए कि हम इतने अर्से में इस मुल्क के अन्दर प्राइमरी एजूकेशन को अनिवार्य करार देकर उसके आधार पर बच्चों को तालीम देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक दूसरे मुल्कों का सवाल है वहां प्राइमरी एजूकेशन की स्टेज गुजर चुकी है और वहां पर प्राइमरी एजूकेशन के बाद सैकेण्डरी एजूकेशन को कम्पलसरी करार दे दिया गया है लेकिन हमारा यह अभागा मुल्क है कि इतने अर्से की आजादी हासिल करने के बाद भी हम फख्र के साथ नहीं कह सकते कि हमारे मुल्क के सब लोग पढ़े लिखे हैं। इसलिए सबसे पहले तो मैं शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ आकर्षित करूंगा कि वह बतायें कि वह इस दिशा में क्या कदम उठाना चाहते हैं ?

इसके बाद दूसरी चीज जिसके ऊपर मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि हमने अपने विधान में कुछ मूलभूत आधार कायम किये हैं। समाजवाद, सिक्युलेरिज्म और डेमोक्रेसी यह तीन ऐसे सिद्धान्त हैं कि जो हमारे आइने के मूलभूत सिद्धान्त हैं और इनका प्रोटेक्शन न केवल व्यक्ति बल्कि हर उस सांस लेने वाले इन्सान को है जो इस मुल्क में पैदा हुआ हो। तो दूसरी चीज हमको यह देखनी है कि जो एजूकेशन इस समय हमारे यहां प्रचलित है और जो स्लेबस और किताबें हमारे यहां पढ़ाई जा रही हैं क्या इन मूलभूत आधार पर वह खरी उतरती हैं या नहीं ? मैं यह निवेदन किया चाहता हूं, मैं इस सिलसिले में यह कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार इन चीजों को और हमारे जो मूलभूत सिद्धान्त हैं उनको प्रोटेक्ट करने में असमर्थ रही है। यहां एक नहीं अनेकों ऐसी संस्थायें हैं जिनको कि हम बहुत बड़ी राशि इमदाद के तौर पर देते हैं लेकिन उनकी किताबों में और उनकी शिक्षा पद्धति में आप यह देखेंगे कि बजाय इसके कि उसमें सिक्युलेरिज्म का तहफ्फुज किया गया हो या धर्मनिर्पेक्षता का तहफ्फुज किया गया हो या प्रजातंत्र की बात कही गयी हो या सोशलिज्म की बात की गयी हो उसमें इस तरह की संस्थायें अब तक जिन्दा रही हैं कि जिनमें ऐसा व्यवहार सिखलाया जाता हो कि जो हमारे इस कान्स्टीट्यूशन को खत्म करने वाला हो। मैंने एक सवाल दिया था वह बदकिस्मती से

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

नहीं आ पाया। आपने आदर्श विद्या मन्दिर संस्था को इल्लीगल करार दिया। उसमें जो कोर्स की किताबें थीं उसके अलावा जो पर्चे सेट किये जाते थे उनमें यह पूछा जाता था कि गुरु गोलवालकर के बारे में क्या जानते हो, आर०एस०एस० की गतिविधियों के बारे में क्या जानते हो? और हमारा एजूकेशन डिपार्टमेंट 8 फी सदी और 90 फी सदी इमदाद उनको दे रहा है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप अपना कर्त्तव्य नहीं समझते कि जो सिद्धान्त हमको अपनी जिन्दगी से ज्यादा अजीज होने चाहिए जो कि हमारी आजादी के मूलभूत सिद्धान्त हैं उनको हम इस तरह से समाप्त होते हुए देखें। उपाध्यक्ष महोदय, एक उदाहरण आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। पिछले दिनों जो संघर्ष प्रतिगामी और प्रतिक्रियावादी शक्तियों द्वारा चलाया गया उसमें अधिकतर तादाद उन तालिब इल्म की थी और शिक्षा देने वालों की थी जो कि गिरफ्तार किये गये हैं। आर० एस० एस० और दूसरी प्रतिगामी शक्तियों द्वारा संस्थायें चलाई गई हैं तो मैं शिक्षा मंत्री जी से यह दरयाफ्त करना चाहूंगा कि आपके अध्यापकों द्वारा बच्चों को किस तरह की तालीम कालेजों में दी जा रही है? मेरा साफ तौर से यह निवेदन है कि हमारी जितनी भी शिक्षा संस्थायें हैं उनके अन्दर इस किस्म के लोग हैं कि जो पढ़ने वाले बच्चों को यह प्रोत्साहन देते हैं कि हिन्दुस्तान में प्रजातंत्र को समाप्त किया जाये और जो मूलभूत सिद्धान्त हमारे आईन के हैं उनको समाप्त कर दिया जाये। एक बड़ी तादाद इन लोगों की है। आपको मालूम होगा कि ऐसे लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। तो हमको टटोलना पड़ेगा कि क्या चीज है यह।

पिछले दिनों यह सवाल उठाया गया था कि हमारे सेक्रेटेरियट में बैठने वाले एक अधिकारी हैं उनका नाम मैं इसलिए नहीं लेना चाहता हूं कि मैं किसी इन्डीविजुअल के बारे में जब तक उसको डिफेण्ड करने का मौका नहीं देते नहीं कहना चाहता हूं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सवाल उठाया गया था कि ऐसे लोग एजूकेशन डिपार्टमेंट में बैठे हैं जिनका ताल्लुक आर० एस० एस० से रहा है और आज भी राज्य सरकार की इन गलत नीतियों की वजह से ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिल रहा है कि जिन का ताल्लुक प्रतिगामी शक्तियों से है। पिछले दिनों एजूकेशन डिपार्टमेंट की एक कान्फ्रेन्स हुई थी उसमें निर्णय लिया गया और वह यह निर्णय लिया गया कि एक कमेटी का निर्माण किया जाये, जो कमेटी यह तय करे कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे टीचर्स कि जो शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाते हैं और जिनका ताल्लुक ऐसी जमातों से है कि जिनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है तो उनका स्क्रीनिंग किया जाये। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं और तहे दिल से इसको अच्छा कदम समझता हूं लेकिन उसके साथ साथ मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपके आफिसर्स पर भी आप पूरा भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एजूकेशन डिपार्टमेंट में इस किस्म की कमेटी बने उसमें ऐसे दिमाग के लोग हों जो नॉन-आफिशियल्स हों, जो अफसरशाही से ताल्लुक रखने वाले नहीं हों उनको शामिल किया जाये और अच्छा यह हो कि उसमें असेम्बली के ऐसे लोग हों जिनके दिमाग साफ-सुथरे हों और जिनका बीस सूत्री कार्यक्रम में विश्वास हो उनको शामिल किया जाये। ये दो चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं, उसूलन, एक प्राइमरी एजूकेशन की बात है और दूसरी उन संस्थाओं की बात जो

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

संस्थाएं आज नहीं 200 वर्षों से गलत तरीके से चलती आयी हैं और जिनके कारण मुल्क के टुकड़े टुकड़े होते हमने देखा है। हमने यह भी देखा है कि इस महान् मुल्क के, इन्हीं गलत नीतियों की वजह से, कितने बड़े बड़े टुकड़ों को हमें खोना पड़ा है जो हमारे जिगर के टुकड़े थे। सैंकड़ों घर इस कारण से बरबाद हो गये, सैंकड़ों औरतें बेवायें हुईं, सैंकड़ों बच्चे यतीम हो गये। इसलिये हुईं कि हमारे तालीम के जो इदारे-दार थे, तालीम देने वाले अध्यापक थे, उन्होंने इस तरह की तालीम दी, मजहब की, कास्ट की कि सूबे के आधार पर, जबान के आधार पर मुल्क के टुकड़े टुकड़े किये जायं। इसलिये मैं एजूकेशन मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि जो जो कदम उन्होंने उठाये हैं वे स्वागत योग्य हैं। ऐसे व्यक्तियों को शामिल करना चाहिये इसमें कि जिनकी राय पहुंच सके कि इस अध्यापक की यह गलत नीति है और इसको वहां से हटाया जाना चाहिये।

मेरा तीसरा निवेदन यह है, मैं संक्षेप में रखता हुआ सब कट मोशन के अन्दर दिये गये मेरे जो विषय हैं उनको रखना चाहूंगा। हमारे यहां पर बड़े बड़े कालेज हैं, संस्थायें हैं, चाहे वह लाल बहादुर शास्त्री कालेज हो, चाहे वनस्थली विद्यापीठ हो या चाहे लक्ष्मणगढ़ का भगवान दास टोडी कालेज हो, ये बड़ी संस्थायें हैं एजूकेशन की। इनको अपना डोमेन बना रखा है। जिसको चाहे वहां के प्रबन्धक निकाल बाहर करते हैं। न टीचर्स के हकूक का सवाल है और न टर्म्स और कन्डीशन्स का सवाल उठता है और न ऐसी चीजें हैं जिनसे उनकी गतिविधियों पर रोक लग सके। एक बार नहीं अनेक बार, उपाध्यक्ष महोदय, इस ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया और तवज्जोह दिलायी गयी। आज वनस्थली विद्यापीठ में पूरा शास्त्री परिवार छाया हुआ है। मैं शास्त्रीजी की बहुत इज्जत करता हूं और वे आज हमारे बीच में नहीं हैं, मैं उनकी पूरी सराहना करता हूं, लेकिन मुझे कहना पड़ता है कि विद्यापीठ में जाकर देखें तो बहुत बड़ा इलाका है जिसमें उनकी पूरी हुकूमत है। प्रगतिशील नीति रखने वाले टीचर्स संगठन बनाते हैं तो उसको तुड़वा देते हैं। इन्दिरा गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिये इकट्ठा होते हैं और लेक्चरार्स और प्रोफेसर्स को आये दिन निकाला जाता है। आपको उनकी खबर होती है तो आप सुनी अनसुनी कर दिया करते हैं। आपको कुछ मोह है। आखिर यह चीज कब तक चलती रहेगी? हमने हमेशा यह कहा है कि जब आप 90, 95 पर्सेन्ट, 80 फी सदी, तालीम में पैसा देते हैं तो आपको क्या मोह है? इस तरह के इदारे-दार कायम हुए हैं कि वे साम्राज्यवाद चलायें और आप उन पर अंकुश न कर सकें।

लाल बहादुर शास्त्री कालेज का अनेक बार सवाल उठा और एक उच्चस्तरीय कमेटी भी इसके लिये कायम की गयी। उस रिपोर्ट के आधार पर चार सिफारिशें की गयीं, उपाध्यक्ष महोदय। उसमें एक यह सिफारिश थी कि वहां पर एक पर्मानेन्ट प्रेसिडेन्ट नहीं होना चाहिये। और फलां-फलां लोग हटा देने चाहिये। डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता। चारों सिफारिशों को उस कालेज में लागू नहीं किया गया। यह भी जानकारी प्राप्त हुई

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

है कि लागू करना तो दर किनार राज्य सरकार ने न जाने क्यों उन सिफारिशों को ही स्थगित कर दिया। मैं एजूकेशन मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि यह कशाकशी करते हैं और ग्रहकामात में रोजाना तब्दीलियां करते हैं तो उसका क्या दृष्टिकोण है ? क्या चाहते हैं आप ?

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा लक्ष्मणगढ़ में भगवान दास टोडी कालेज है। उसमें चार अध्यापकों को निकाल दिया गया है और पांच अध्यापक मौत के वारन्ट पर दस्तखत करने के लिये तैयार बैठे हैं। इतनी बड़ी रकम आप सब कालेजों को दे रहे हैं और काफी खर्चा हो रहा है। साइन्स फैकल्टी बना कर टीचर्स को निकाला जा रहा है। दस-दस वर्ष के बाद भी उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं, उनको जिन्दगी की सुविधा उपलब्ध नहीं। आप राष्ट्रीयकरण की बात मानें या न मानें इतना तो मानें कि उन पर कुछ अंकुश लगायें। इस सम्बन्ध में हमने निवेदन किया है कि कम से कम राज्य सरकार को यह कदम उठाना चाहिये। एजूकेशन बिल बिलकुल तैयार पड़ा है, उसको लाकर आप पास करा दें। इस सदन में, इस प्रांगण में कई बार शिक्षा मंत्रीजी द्वारा विश्वास दिलाया गया था कि यह बिल लाकर इन प्राइवेट संस्थाओं पर अंकुश लगायेंगे जो अपनी मनमानी करती चली आ रही हैं, ताकि पढ़ाने वाले टीचर्स को प्रोटेक्शन, संरक्षण मिल सके। शिक्षा मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि दो बिल ऐसे हैं, एक टिनेन्सी बिल और दूसरा एजूकेशन बिल जो कितने ही सदनों की जिन्दगी खत्म कर चुके मगर अब तक पास नहीं हुए। सूरज की रोशनी नहीं देखी और शहरेखामोशी में पड़े हुए हैं। कम से कम इन प्राइवेट संस्थाओं पर अंकुश लगाइये जिससे प्रगतिशील नीतियों को प्रोत्साहन दे सकें। आप सुबह उठ कर और रात देर तक 20 सूत्री प्रोग्राम के गुणगान करते रहते हैं और कार्य ऐसा करते हैं कि जिससे कोई उपलब्धि नहीं हो सके और उनको लागू न किया जा सके। हमारे कार्य और कहने में जो कान्ट्रेडिक्शन है उसको दूर किया जाना चाहिये। मेरा निवेदन यह है कि इस तरफ तवज्जोह देना चाहिये।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और करना चाहूंगा और वह यह है कि इस एजूकेशन डिपार्टमेन्ट में बहुत-सी प्राइवेट संस्थाओं की अपीलें वर्षों से जेर तजवीज चली आ रही हैं। उनके फैसले नहीं होते हैं। इसलिये जो अपीलें पैन्डिग हैं और जेर तजवीज हैं और जो शिकायतें चल रही हैं उनको दूर करने का क्या तरीका है ? आपके जोइन्ट डाइरेक्टर्स डील करने के लिये मुकर्रर किये गये, उनके पास बहुत-सी जिम्मेदारियां हैं और अपने फर्ज को वे अदा करने के लिये तैयार नहीं। इसलिये एजूकेशन मिनिस्टर साहब से यह निवेदन करूंगा कि वे यह पता चलायें कि कितनी अपीलें पैन्डिग हैं। जिन लोगों पर ज्यादतियां हुई हैं, उनको कब तक डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे ऐसे फैसले हैं जिन फैसलों को बराबर टालते जा रहे हैं और उनमें एक बहुत अहम फैसला

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

है यूनीवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन की सिफारिशों का । उपाध्यक्ष महोदय, एक बार नहीं अनेक बार सदन में राज्य सरकार के द्वारा यह विश्वास दिलाया गया कि हम वित्तीय साधनों को मद्देनजर रखते हुए जल्दी से जल्दी इसको लागू करने की कोशिश करेंगे । आज जो दीगर सूबे हैं वित्तीय हालत में हमसे कहीं ज्यादा पिछड़े हुए हैं । यहां तक कि काश्मीर जैसी स्टेट है उसने भी यूनीवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन की जो सिफारिशें थीं वह लागू कर दीं और लागू करने के बाद उनका फायदा टीचर्स, प्रोफेसर्स और लेक्चरार्स को पहुंच रहा है । हमारी यूनीवर्सिटी उनको लागू नहीं करना चाहती है और हमारी स्टेट इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाना चहती है । मेरा ख्याल है कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट उसमें एक बड़ी रकम देने को तैयार थी और तैयार है । तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले में राज्य सरकार द्वारा सीधे तौर से स्पष्टीकरण होना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके यहां जो प्रोफेसर्स को सहूलियतें नहीं मिल रही हैं और वह प्रोफेसर्स जो यहां पढ़ाते थे और बड़े काम्पीटेन्ट थे, मैं एक का नहीं अनेक प्रोफेसर्स का नाम ले सकता हूं—यहां पी० एन० श्रीवास्तव थे जो कि ज्योलोजी डिपार्टमेंट में एम० एस० जैन थे, एक सतीशचन्द्र थे जो अब यूनीवर्सिटी ग्रान्ट है कमीशन के चेयरमैन हो गए, एक महरोत्रा थे और गोपाल नारायण हैं जो कि अब जाने की तैयारी में हैं और वह इसलिए हैं कि जो यूनीवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन ने प्रोफेसर्स, लेक्चरार्स और रीडर्स को सहूलियतें उपलब्ध कराई हैं वह आप नहीं देना चाहते हैं । आज यह हालात हो गये हैं कि हमारी इस यूनीवर्सिटी में जो टाप-मोस्ट लोग थे वह या तो जा चुके हैं या जाने वाले हैं । तो मेरा निवेदन यह है कि इस सिल-सिले में राज्य सरकार को अपनी नीतियों का स्पष्टीकरण करना चाहिए । क्या वह यह समझते हैं कि इस तरह से यूनीवर्सिटीज में अनपढ़ लोगों का बाड़ा-सा बना दें, ऐसे लोगों का कि जिनमें न तो दिमाग है और न मुल्क की जरूरियात को समझते हैं । क्या काबिल लोगों को यहां से हटाना चाहते हैं ? हमारे यहां के कई प्रोफेसर्स जहावरलाल यूनी-वर्सिटी में चले गए और यह वह लोग थे जो कि आपकी प्रगतिशील नीतियों के हामी थे । आप आये दिन कुछ कानूनों में तब्दीलियां करते हैं । हमने इस सवाल को उठाया था कि आप अपनी इन नीतियों से और आर्डि-नेन्स के द्वारा वाइस-चान्सलर को एक ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति बना देना चाहते हैं कि जो मनमानी वह करे उसको आप रोक नहीं सकते । उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत बड़ा गम्भीर सवाल है और आज यह हालात हो गये हैं कि जो तब्दीलियां की गयी हैं और जो सलेक्ट कमेटी बनाई गयी है उसमें सबसे बड़ी आवाज आज वाइस-चान्सलर की है । आज जितना रिप्रेजेन्टेशन टीचर्स को, प्रोफेसर्स को, लेक्चरार्स को था वह नहीं रहा और वह इसलिए नहीं रहा कि प्रोफेसर्स तो आज हैं ही नहीं कि जिनको आप शामिल कर सकें । मैं समझता हूं कि यूनीवर्सिटी में प्रोफेसर्स नहीं रहे जिनको कि सलेक्ट कमेटी में शामिल किया जा सके और आज यूनीवर्सिटी में कोई प्रोफेसर्स नहीं रहे और जब कोई प्रोफेसर्स नहीं रहे तो आपके वाइस-चान्सलर को शक्ति मिल गयी कि जिसको वह चाहें अपाइन्ट करें ।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा सवाल

( श्री मोहम्मद गफ्फार अली )

जो है वह यह है, मैं क्षेत्रीय भावनाओं से दूर रहने वाला हूं, लेकिन एक बात निवेदन किया चाहता हूं कि राजस्थान के लोगों को कहीं जगह नहीं मिलती है। मैंने एक बार पहले भी निवेदन किया था कि बिहार की किसी यूनीवर्सिटी में किसी ने दरख्वास्त दी तो कुछ लोग वहां स्टेशन पर आ गये और वह कहने लगे कि तुमने यहां यूनीवर्सिटी में कदम रखा और काम्पीटीशन में हिस्सा लेने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के लोगों को तो यहां से कतई एक्सक्लूयुड किया जा चुका है। मैं आंकड़े बताऊं जो मुझे उपलब्ध हुए हैं। तो मैं अर्ज करूंगा कि आज 90 फी सदी ऐसे लोग हैं कि जिनको वाइस चान्सलर ने अपने सूबे से मंगाकर यहां रखा हुआ है और 70 फी सदी ऐसे हैं कि जिनको उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट अलमोड़ा से बुलाकर रखा है। क्या शिक्षा मंत्रीजी इस बात का अध्ययन करने के लिए तैयार हैं? हमारे यहां के पढ़े लिखे लोग, अच्छी से अच्छी क्वालीफिकेशन के लोग पीछा छुड़ाकर दूसरी जगह जा रहे हैं लेकिन आज वाइस-चान्सलर की बदोलत यू० पी० के लोग इस यूनीवर्सिटी में आ गये है। क्या इसकी जानकारी शिक्षा मंत्रीजी को है या नहीं है? यदि नहीं है, तो मैं यह समझूंगा कि वह अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा सकते, उनको ऐसी जानकारी है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उनको अध्ययन करना पड़ेगा कि जो सलेक्ट कमेटी है और जो वाइस-चान्सलर की ताकत है वह किस हद तक कायम रखना चाहते हैं। आज हमारे यहां के मिनिस्टर को इतनी बड़ी ताकत नहीं है जो कि वाइस-चान्सलर को है। वह जिस तरह से चाहते हैं स्याह और सफेद करते हैं और गवर्नमेंट सिर्फ देखती रहती है। आप किसी किस्म का रिलीफ उनको देने के लिए तैयार नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया, हमारा आज कोई रिप्रेजेन्टेशन यूनीवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन के अन्दर नहीं है और वह इसलिए नहीं है कि यूनीवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन में सिर्फ प्रोफेसर्स ही जाते हैं और बदकिस्मती से हमारी इस यूनीवर्सिटी में कोई प्रोफेसर नहीं है। हमारे यहां लेक्चरार्स के रैंक के लोग हैं या रीडर के रैंक के लोग हैं बाकी प्रोफेसर की रैंक के दो-चार लोग भी नहीं मिलेंगे जिनको आप यूटीलाइज कर सकें और जिनको यूनीवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन में भेज सकें। उसका नतीजा यह हुआ कि यूनीवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन से जो कुछ हमको रकम मिला करती थी उसमें 50 हजार रुपये डिडक्ट कर दिये हैं, खत्म कर दिये हैं। तो यह जो हालात हैं और जिस तरह की गतिविधियां चल रही हैं यह आपको कहां ले जा रही हैं? आप इतना बड़ा 84 करोड़ का बजट बनायें, आप इस बात से खुश हो सकते हैं कि हमने इस एजूकेशन में इतने रुपये सर्फ किये लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहे हैं। आप अपनी यूनीवर्सिटी और कालेजेज को खत्म करना चाहते हैं, ऐसी हमारी धारणा बनती जा रही है। हमने इस चीज को अनेकों बार आप से निवेदन किया है कि आप इस तरफ तवज्जोह फर्मायें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं संस्थाओं के बारे में, कि जो संस्थायें साम्प्रदायिक हैं, जिक्र कुछ कर चुका हूं लेकिन उनके बारे में मैं कुछ व्यक्तिगत भी मिसाल आपके

**(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)**

सामने दूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा आपको मालूम है आदर्श विद्या मन्दिर के बारे में आपने फैसला लिया, आपने उसको बन्द किया और उसका इन्तजाम अपने हाथ में लिया। पिछले सेशन के समय हमने इस सवाल को उठाया था कि बहुत से ऐसे अध्यापक हैं कि जिनको गिरफ्तार किया गया है एन्टी नेशनल एक्टीविटीज की बिना पर और उनको आपका संरक्षण मिल रहा है। वह इसलिए मिल रहा है कि हमारे उच्च अधिकारी हैं उनका ताल्लुक आर० एस० एस० से रहा है। हमारे साथी विधायक रामानन्द जी ने इसी चीज को उठाया था। ऐसे बहुत से टीचर्स हैं जिन्होंने आपका समर्थन किया है और जिन्होंने आपका साथ दिया है उनके बारे में बजाय इसके कि आप कोई हमदर्दी का रवैया रखते, इस सदन में मैं खुले अल्फाज में कहना चाहता हूं कि इस सदन को आप गुमराह करना चाहते हैं और आपने कहा कि रामगोपाल गोयल के ऊपर मुकदमा चला दिया गया है। मैं कहता हूं कि पुलिस द्वारा उस पर कोई मुकदमा नहीं चलाया गया। यह वह है कि जिसने प्रतिक्रियावादी शक्तियों के विरोध में अपना धंधा बन्द किया था, आवाज उठाई थी, गवर्नमेंट के और राज्य सरकार के सामने यह इश्यु रखा था कि यह संस्था इस मुल्क की बरबादी के लिए लगी हुई है, इसलिए यह जरूरी है कि हम इसको खत्म करने के लिए कदम उठायें। आज वह राम गोपाल दर बदर ठोकरें खाता फिर रहा है। वह अपना गुजर तो करता ही है लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिन अध्यापकों ने आपका समर्थन किया, जिन्होंने प्रगतिशील नीतियों का समर्थन किया उनके बारे में आपने इस तरह की गलतबयानी से काम लिया–इसको मैं अफसोसजनक समझता हूं और मैं इस बात को समझता हूं कि आपको अपनी गलती का स्पष्टीकरण करना चाहिए। इसके अलावा इसमें श्री जगदीश प्रसाद टीचर है, नानक चन्द है, प्रेम बिहारी लाल है यह चार टीचर्स हैं जो विक्टिमाइज्ड हैं जिनको अपनी प्रोग्रेसिव नीतियों के कारण निकाला गया। उन्होंने आपका समर्थन किया और वे आज तक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनमें से कुछ लोगों के लिए आपने फैसला लिया है कि उनको ले लिया जायेगा। परन्तु आज तक उनको नहीं लिया गया है। शिक्षा मंत्री महोदय को हमने निवेदन किया कि यह उचित नहीं है कि आप इन लोगों को न लें जिन्होंने आपके प्रजातन्त्र, आपके धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत को और आपके समाजवाद के सिद्धांत को जिन्दा रखने के लिए कुर्बानी दी। क्या आप इन लोगों के खिलाफ कोई बदले का जज्बात रखते हैं? अगर नहीं रखते हैं तो आपका यह कर्तव्य हो जाता है कि आप इन लोगों को तुरन्त लगावें। आज तक इनका प्राविडेन्ट फण्ड रुका पड़ा है। पास बुक उनके पास नहीं है। आपने टेक ओवर कर लिया। कोई कदम नहीं उठाया। उनको पास बुकें दी जायें, उनका पैसा दिया जावे। उनकी जो दिक्कतें हैं उनको कम कीजिये।

मैंने यह चीजें इसलिए निवेदन की हैं कि हम जिन पॉलिसीज का आज तक प्रचार करते रहे हैं, जो बीस सूत्री प्रोग्राम को आपने प्रोपेगेट किया है, जिसको आपने आधार बनाया है, बल्कि हमारा यह कहना है कि हम इस बीस सूत्री कार्यक्रम को किस तरह लागू कर रहे हैं, इस चीज को भी आपको देखना है।

**श्री उपाध्यक्ष** : कृपया समाप्त करें।

श्री मोहम्मद नफकार अली : उपाध्यक्ष महोदय, दस मिनिट और लूंगा। दो इश्यूज और हैं। मैं अकेला ही बोलूंगा, दूसरा कोई मेरे दल से नहीं बोलेगा। मैं अभी समाप्ति कर रहा हूं। आपके आदेश का पालन करूंगा।

इस प्रांगण के अन्दर शिक्षा मंत्रीजी, हमने यह कहा था, हमारा यह कहना है कि ललित किशोर जी आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी एजूकेशन डिपार्टमेंट में है, वह इस ओहदे पर है, उसको आप क्या मानते हैं ? हमने यह निवेदन किया था हम यह समझते हैं, और हमारी यह जानकारी है कि उनका ताल्लुक आर० एस० एस० से है। क्या आपने इसके बाद इस सिलसिले में कोई कदम उठाया है, कोई जांच करायी है ? शिक्षा मंत्रीजी, अगर आपने कोई जांच नहीं करायी है, तो हमको कुछ इस तरह की शंकाएं पैदा होती हैं कि क्या इन लोगों से आपका ताल्लुक तो नहीं है ? क्या ये आपके दरवाजे पर तो नहीं आते हैं ? तो ये शंकाएं पैदा होती हैं। इन शंकाओं को दूर करने के लिए आप जैसे शिक्षा मंत्रीजी का एक बहुत बड़ा कर्त्तव्य हो जाता है। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि हम ने जो उसूल, सिद्धांत उठाये हैं, उनके ऊपर आप गौर करें। प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स के बारे में, यूनीवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन की सिफारिशों को मानने के बारे में, और आप किस किस्म की संस्थाओं को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, इसके बारे में अपने रवैये को स्पष्ट करने का कष्ट करें। क्या आप इस किस्म की संस्थाओं के मुलाजिमों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं जिन में कि आर० एस० एस० और जमाअते इस्लाम के जाने माने लोग, नेतृत्व करने वाले हों और आज भी इन लोगों के रोल मौजूद हैं चाहे वह कोई कॉलेज हो, ए, बी, सी, डी। मेरा निवेदन करना यह है कि आप या तो यह स्पष्टीकरण करें आप इस दिशा में कुछ नहीं करना चाहते हैं या आप कोई सक्रिय कदम इस दिशा में उठा रहे हैं ?

अब मैं दूसरे कटौती प्रस्ताव के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। वह है न्याय प्रशासन के सिलसिले में। शिक्षा मंत्रीजी जो कि न्याय (विधि) मंत्री भी हैं, उनसे मेरा यह कहना है कि यह जो प्रक्रिया है गवर्नमेंट एडवोकेट और प्रोसीक्यूटर मुकर्रर करने की, नियुक्त करने की मैं जानना चाहूंगा कि यह नियुक्तियां किस आधार पर होती हैं ? पहला तो यह एक सवाल आता है, एक आदमी, जिसको कि साल भर का भी अनुभव नहीं है, को आप असिस्टेन्ट गवर्नमेंट एडवोकेट जनरल बना देते हैं। इस किस्म के अपाइन्टमेन्ट आपके यहां पर होते हैं। राज्य सरकार द्वारा ऐसे नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाते हैं। तो इससे शुबह होता है। इसमें क्या है ? क्या कोई सिफारिश है ? कोई लेन देन है या इसमें कोई दबाव है ? ये चीजें हैं। मैंने इस पर एक सवाल भी दिया है। सवाल का उत्तर आवे या न आवे, मैं एजूकेशन मिनिस्टर साहब से, जो लॉ मिनिस्टर भी हैं, यह चाहूंगा कि जो अपाइन्टमेंट आप करते हैं, उसके लिए आप क्या प्रोसीजर अपना रहे हैं ? इसके बारे में कृपया स्पष्टीकरण अवश्य करें। मेरी नालेज में यह आया है कि कुछ लोगों के अपाइन्टमेन्ट किये गये और आखिरी रात में वह फैसला बदल दिया गया। मैं सिर्फ यह बात किसी चार्ज की शक्ल में नहीं कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ दोस्ताना और बादराना मशविरा मिनिस्टर साहब को देना चाहता हूं कि इस किस्म की चीजें होती हैं जो आपके लिए बदगुमानी पैदा करती हैं।

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

मैं आपको एक सलाह यह दूंगा कि आप एक कमेटी बनावे जिसको कि नियुक्ति करने का अधिकार हो। उसमें असेम्बली का एक मेम्बर हो, आपका एक मेम्बर हो सकता है। आप अपने आर्गेनाइजेशन को सही करिये और यह देखिये कि जिसको आप नियुक्त कर रहे हैं वह काम्पीटेन्ट भी है या नहीं है। कुछ रिश्वतखोर तरक्की पा जाते हैं और बड़े बड़े ओहदों पर पहुंच जाते हैं। इसलिए मैं एजूकेशन मिनिस्टर साहब को यह निवेदन करूंगा कि न्याय प्रशासन से लोगों को जस्टिस मिले उसके लिए आप को इस तरह की कमेटी का निर्माण करना चाहिये और ऐसे लोग जो बेचारे शिड्यूल्ड कास्ट्स, ट्राइब्स और माइनोरिटीज से ताल्लुक रखते हैं, उनका भी कुछ ध्यान आपको रखना चाहिये। अगर आप इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो ऐसे बहुत से कोली, रेगर एल एल० बी० हैं, वे कहां जाएंगे? फिर मैं निवेदन किया चाहता हूं कि एक आदमी था, उसको भी हटा दिया। नाम तो उसका मैं नहीं लेना चाहता हूं। इसके लिए मैं स्वयं शिक्षा मंत्रीजी से मिलूंगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपको, मंत्रीजी, इन्साफ पसन्द और उदार दिमाग, कहा जाता है फिर भी इस तरह की नियुक्तियां हो जाती हैं और आपको शिड्यूल्ड कास्ट्स, ट्राइब्स के लोगों की देख-भाल करने की फुर्सत नहीं मिलती है।

(12.37 म० प०)

(श्री फूलचन्द जैन सभापति, पीठासीन)

तो आप जो यह अपाइन्टमेन्ट करते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है, उसका स्पष्टीकरण करें।

इसके अलावा एक निवेदन और करना है। हमारे यहां पर जो मुन्सिफ हैं, उनकी तनख्वाह की ओर आपकी तवज्जोह दिलाना चाहता हूं। जो इनकी तनख्वाह है वह कम है। इन्हीं वजूहात से कि गवर्नमेन्ट कम तनख्वाह देती है उनको गलत तरीके से पैसा जुटाना पड़ता है। यह सही है कि ईमानदार आदमी को कोई बेईमान नहीं बना सकता है परन्तु हालात ऐसे हैं कि हर आदमी को उसके असली नजरिए से हटा देता है। इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में भी आप अपना स्पष्टीकरण करें और यह बताने की कृपा करें कि आप इसके लिए क्या करना चाहते हैं।

सभापति महोदय, मैं न्याय मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि आज जुडिशियल आफिसर के आवास की समस्या गंभीर है। यहां सभी कोर्ट्स मौजूद हैं और इन कोर्ट्स के जितने जुडिशियल आफिसर हैं वे किराये के मकान में रहते हैं। मेरा यह व्यक्तिगत तजुर्बा है कि उनको व्यक्तिगत तौर पर कई परेशानियां होती हैं और मकान मालिक किसी न किसी तरह उनके लिए न्यूसेन्स पैदा करता है। आपने यहां पर यह फर्माया था कि सब को तो एकोमोडेट नहीं कर सकते हैं किन्तु एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट जज के लिए आप मकान मुहैय्या करेंगे ताकि वे आजादी से रह सकें और आजादी से अपना काम कर सकें। किन्तु मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहां पर किसी डिस्ट्रिक्ट जज के पास मकान नहीं है। आप एक तरफ यह चाहते हैं कि न्याय का स्तर ऊंचा हो, उसका लेवल बदले यह भी जरूरी है कि उन्हें ऐसा आवास मिले कि वे आजादी के साथ काम कर सकें। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि इस तरफ भी आपको तवज्जोह देनी चाहिये और उनके लिए यह जो आवास की समस्या

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

है उसको दूर करना चाहिये । .. (समय समाप्ति सूचक घंटी) .... दो लफ्ज ।

सभापति महोदय, एक निवेदन और करना चाहता हूं, यह जो तीसरा विषय है उस पर । मेरा निवेदन करना यह है कि हिन्दुस्तान में जयपुर की एक खास जगह थी । यह जगह म्यूजिक में थी, आर्ट में थी । यहां आर्ट को पैदा करने वाले थे, आर्ट को बनाने वाले थे लेकिन आज राजस्थान का यह जयपुर बहुत पिछड़ा हुआ है । आज यह हमारे सामने मसला है कि हमारे यहां जो इस शहर में ऐसी नायाब किताबें हैं, ऐसे नायाब नुस्खे हैं जो हमारे जयपुर के पोथीखाने में मौजूद हैं; जो आप दुनियां में कहीं तलाश करें तो नहीं मिल सकते । अशरफ साहब हमारे बहुत बड़े नेता थे, जब जयपुर में डाक्टर अशरफ साहब तशरीफ लाए तो उस समय चीफ सेक्रेटरी थे चन्द्रपाल सिंह जी, उस वक्त उनसे निवेदन किया कि यह इतिहास लिखना चाहते हैं, इस सिलसिले में इस पोथीखाने में जाने की इजाजत दें और किताबों को देखने दें । तो उन्होंने इस बात से साफ इंकार कर दिया । यह प्राइवेट प्रोपर्टी है महाराज की और महाराजा कोई इजाजत देने को तैयार नहीं हैं । मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि क्यों नहीं वह चीजें, वह आर्ट की चीजें, वे नायाब किताबें अपने कब्जे में लें जो यहां पर सांपों के कब्जे में हैं ऐसे लोगों के कब्जे में हैं जिनका कोई उपयोग उनके लिए नहीं हैं, उनके लिए उनकी दो पैसे की कीमत नहीं हैं, जिनको वे अमेरिका में या इंग्लैंड में भेजने के लिए या दूसरी जगहों में एक्सपोर्ट करने के लिए आमादा हैं, वे किताबें बहुत कीमती हैं । अभी हाल ही में मुकदमा चला, संग्रामसिंह को सजा भी हो गई लेकिन आप इस किस्म का कानून बनाने को तैयार नहीं हैं कि उन नायाब किताबों को, उन नायाब तस्वीरों को, अनमोल कीमती जो चीजें हैं उनको आप अपने कब्जे में लें । तो सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस सिलसिले में भी आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और वह किताबें जो राजाओं और महाराजाओं के पास में हैं उन किताबों की तरफ तवज्जोह फर्माइये । मैं कहता हूं कि अलवर स्टेट में फारसी और उर्दू की बेइन्तहा किताबें मौजूद हैं और वहां पर वह खराब हो रही हैं । उस खास जुबान को पढ़ने वाला, लिखने वाला, जानने वाला मिलता नहीं है । उन किताबों को महफूज करने के लिए टोंक में जो एकेडेमी है उसको मुस्तकिल कर दीजिए जिससे उनकी वहां पर हिफाजत हो, नहीं तो कुछ समय बाद वह दीमकों के हवाले हो जायेंगी और खत्म हो जायेंगी । वहां उसका उपयोग हो सकेगा और उनको महफूज करके उनका इस्तेमाल कर सकेंगे । सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन किया चाहूंगा कि हमने अपनी इन बेबाक किताबों का बेच कर दूसरे मुल्कों को बड़ी दौलत दी है । उन्होंने इन किताबों से बड़ा फायदा उठा लिया है और किस हद तक उठा लिया है यह आप सब को मालूम है । होना तो यह चाहिए कि आर्ट की जो किताबें हैं, जो नायाब किताबें हैं, जो पेंटिंग्ज हैं उनकी कदर हो लेकिन आज उनकी चोरियां होती हैं । तो मैं यह निवेदन किया चाहूंगा कि इस दिशा में भी मंत्री महोदय को तवज्जोह फर्मानी चाहिए और अब संक्षेप में मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि जो चीजें नागवारे खातिर गुजरी हों उसको भूल जाइये लेकिन जो चीजें आपको निवेदन की हैं उनको याद रखिए । आप आर० ए स० एस० और इसी किस्म की जमातों का पेनीट्रेशन करें, उनको

# Page No 78

(78)



(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
दूर करने को तैयार हों, आप अपनी संस्थाओं से फिरकापरस्ती दूर करें और भ्रष्टाचार को दूर करें। इन सवालों का फैसला करना है तो आपको करना है, ठण्डे दिल से करना है, राज्य सरकार को करना है, हमको नहीं करना है।

श्री सभापति : श्री दीपंकर।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : सभापति-महोदय, आज की इन मांगों के सिलसिले में जहां तक कला और संस्कृति का सवाल है इसके मुतल्लिक मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भारतीय संस्कृति पर जब भी बाहरी संस्कृतियों का हमला हुआ तो उससे भारतीय संस्कृति को संरक्षण प्रदान करने में जिन महान संतों और महान व्यक्तियों ने कार्य किया उनमें राजस्थान को भी गौरव प्राप्त है। जब भी बहुत अधिक बाहर की और यूरोप की संस्कृति का इधर प्रचार हुआ, इधर प्रचार किया जाने लगा तो उस समय ऋषि दयानन्द एक राजस्थान की ही उपज थे जिन्होंने न केवल राजस्थान में काम किया बल्कि हिन्दुस्तान में काम किया। तो इस तरह से भारतीय संस्कृति को बचाए रखने के लिए जो हमारे यहां पर दादू, मीरा और इसी तरह से ऋषि दयानन्द जैसे हुए उन्होंने इन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और उन्होंने चिंतन और मनन किया। उनके विचारों का प्रचार और प्रकाशन करने के लिए जो भी इस प्रकार की आपकी एकेडेमी बनी हुई हैं उनसे यह कार्य करवाया जाना चाहिए। आज वे संस्थायें मृत: प्राय हैं। उनके भवन खड़े हैं और उनके पदाधिकारियों में झगड़े हैं। तो इसलिए यह जरूरी है कि इनका संरक्षण हो। जहां तक जैसलमेर की कला का सवाल है, चाहे आपके बीकानेर की कला का सवाल हो इसमें कोई शक नहीं कि बड़े बड़े भवन जितने भी थे और उनके पहले जो प्रशासक रहे हैं उन्होंने कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है। उनके यहां बहुमूल्य चीजें हैं। वहां बहुत सी, तरह तरह की कलात्मक चीजें है उनका संरक्षण होना चाहिए। उनको जनता के बीच में लायें। कैसे भी लावें किन्तु उनको बाहर लाना अत्यावश्यक है। जहां तक सवाल यह रह जाता है कि जो आपके राजस्थानी साहित्य के जरिये संस्कृति के प्रचार का सवाल है तो राजस्थान साहित्य के प्रकाशन की व्यवस्था अभी तक सही तौर पर हो नहीं पाई है। आज भी अगरचन्द नाहटा बहुत बड़ा भंडार लिए बैठे हैं। व्यक्तिगत उनकी अपनी बड़ी भारी उपलब्धि है। वे बड़े भारी ग्रंथ रखते हैं, जो गद्य, पद्य और सभी तरीके की कहानियां और लेख हैं जो उनके पास में हैं। आज वह उनके अकेले के पास में हैं, उनका संरक्षण किया जावे और प्रकाशन किया जावे। मैं समझता हूं कि भारतीय संस्कृति के अनुरूप रखने में ये हमें बड़ी भारी सहायक रहेंगे।

जहां तक सवाल न्याय प्रशासन का है, मैं निवेदन करना चाहूंगा न्याय मंत्री महोदय से कि यह ठीक है कि एक सीमित दायरे में न्यायालय खुल सकते हैं। परन्तु न्याय सस्ता मिले इस दृष्टि से बहुत तरह की आवाजें उठती हैं। तो आप . . .

श्री श्रीराम गोटेवाला : हाई कोर्ट जयपुर में हो, यह कह दें।

श्री दीपंकर : जयपुर की फिर क्यों बात करते हैं, यह तो वहीं रहेगा।

# Page No 79

(79)



**श्री श्रीराम गोटेवाला** : आप तो हंसते हंसते हां कर लो । . . . .

(व्यवधान - अश्रव्य)

**श्री दीपंकर** : इस पर तो हाउस ने फैसला कर दिया है । अपने प्रधान मंत्री के ऊपर जिस बात को छोड़ दिया, उस विषय को दुबारा यहां लाना वाजिब बात नहीं है । मैं तो यही चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय रखें तो एक ही जगह रखें . . .

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : सर्वोच्च न्यायालय की मांग नहीं कर रहे हैं

**श्री दीपंकर** : आप गुमराह कर रहे हैं

**श्री श्री राम गोटेवाला** : मैं तो यह कह रहा हूं कि जो आप सर्वोच्च न्यायालय के लिए निवेदन कर रहे हैं, हम उसकी मांग नहीं कर रहे हैं ।

(व्यवधान - अश्रव्य)

**श्री सभापति** : ऑर्डर प्लीज ।

**श्री दीपंकर** : निवेदन करने जा रहा था कि जहां जहां आपने अपने मुंसिफ न्यायालय खोल रखे हैं, उन न्यायालयों को खोलने का आधार है, जितनी भी आपकी जनसंख्या है, मुकदमों की संख्या है उसके आधार पर होगा उसके हिसाब से आप गणना करवाइये और उसके हिसाब से ही विभाजन हो तो अच्छा रहे और जहां भी आपको न्यायालय बढ़ाने की स्थिति हो तो बढ़ावें । अगर बढ़ाने की स्थिति में नहीं हों तो मेहरबानी करके कुछ समय के लिए टेम्प्रेरी तौर पर दूसरी जगहें अदालतें लगें यह व्यवस्था करने की आप कृपा करें । मैंने कटमोशन के जरिये नागौर जिले की एक बड़ी भारी आबादी लाडनूं की ओर आपका ध्यान दिलाने की कोशिश की है । वैसे नागौर खुद मुख्यालय होने की वजह से सरकारी अधिकारियों के रहने की संख्या ज्यादा है परन्तु फोर्मर जोधपुर स्टेट में पाली के बाद नागौर और लाडनूं का ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है । यहां के लोग दक्षिण भारत में और सब जगह फैले हुए हैं । बहुत से प्रान्तों में हैं और वहां पर इतने मुकदमे हैं कि बीस बीस माइल तक लोगों को जाना पड़ता है । वह चाहे जमीन के बंटवारे का सवाल हो, सम्पत्ति के अधिकार का सवाल हो, लेन देन का सवाल हो, बहुत से मुकदमे हैं । वहां आप अगर न्यायालय स्थापित कर सकें तो महती कृपा होगी । अगर आज भी मुंसिफ मौका देखने के लिए और जगहों पर जाते हैं तो मेहरबानी करके महीने में एक हफ्ता, दस दिन के लिए भी उनका अस्थाई मुकाम करवा दें तो लोगों को बड़ी सुविधा होगी । मकानों की कोई समस्या उनके लिए नहीं होगी न्यायालय रखने के लिए, यह मैं आपको विश्वास दिला देना चाहता हूं । इसलिए न्यायालय की सुविधा के लिए ऐसे कई और भी स्थान हो सकते हैं लेकिन मैंने तो आपके सामने अपने क्षेत्र का उदाहरण दिया है, राजस्थान में और भी ऐसे स्थान हो सकते हैं । इसमें बहुत मुश्किल भी नहीं है और न खर्चे का सवाल है । आपने कई तरह के कमीशन कायम किए हैं । अगर न्यायालय कुछ समय के लिए स्थापित करते रहें तो मैं समझता हूं कि लोगों को राहत मिलेगी ।

जहां तक न्यायालयों के काम करने का प्रश्न है, इसमें विलम्ब होता है । हाई कोर्ट में एक एक साल की, डेढ़ डेढ़ साल की पेशियां मिलती हैं । जजों की संख्या कम है, तो बढ़ाइये । जहां तक सवाल आपकी

(श्री दीपंकर)

मुंसिफ अदालतों का है, वहां भी काफी विलम्ब होता है। और जहां तक स्टाफ के व्यवहार का सवाल है, प्रबन्ध न्यायालय और इन न्यायालयों में कर्मचारियों के व्यवहार का सवाल है, दोनों में समानता है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उनके व्यवहार में कोई अन्तर नहीं है। वह जिस तरह से पैसा लेते हैं, जिस तरह से सम्मन को वह तामील नहीं करवाते हैं, जिस तरह से पेशियां देने में मिसलों को ऊंचा नीचा रखने में काम करते हैं, यह आपके प्रबन्ध न्यायालय हैं, ए० डी० ओ० और ए० डी० एम० की कोर्ट्स में, तहसीलदार के यहां पर और इन न्यायालयों में बराबर है, इसमें कोई फर्क नहीं है। वही साथ रहते हैं, आपस में जानते हैं कि कितना शाम तक लेकर जाते हैं। तो इस दिशा में अन्तर नहीं आया है। न्यायिक न्यायालय में और प्रबन्ध न्यायालय के नाम पर जो अन्तर आना चाहिए था वह अन्तर नहीं आया है। फिर निवेदन है कि जो आज न्यायिक सुविधा दी है उनसे पूरी उम्मीद थी कि वहां पर अच्छी तरह से कार्य होगा लेकिन कोई फर्क नहीं आया। वहां पर चर्चा होती है, आम जनता जो सम्पर्क में आती है उसमें चर्चा होती है। तो उनको जो न्याय मिलना चाहिए, सस्ता मिलना चाहिए, जल्दी मिलना चाहिए, निष्पक्ष मिलना चाहिए और उनकी जो लूट होती है वह बन्द होनी चाहिए और न्यायालयों के विस्तार की आवश्यकता हो तो वह भी करना चाहिए इस विषय पर मुझे निवेदन करना है।

अब मैं शिक्षा के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में मुझे यह निवेदन करना है कि इसमें कोई शंका नहीं, कि मंत्री महोदय ने जब से इस विभाग को सम्भाला है, इस विभाग की तरक्की की है और राजस्थान इस पर गौरव कर सकता है। राजस्थान विश्वविद्यालय के ऊपर हम गौरव कर सकते हैं। हिन्दुस्तान में चंडीगढ़ को छोड़कर, दूसरा किसी का स्थान आता है विश्वविद्यालय के अन्दर तो वह राजस्थान विश्वविद्यालय का आता है। इतनी बड़ी यूनीवर्सिटी यहां पर है। इसमें पहले काम नहीं हो पाता था, कई तरह के गड़े थे और कई तरह की उलझनें थीं। आपने, शिक्षा मंत्री ने इनको दूर किया। यही नहीं, जो एडेड स्कूल की समस्याएं थी, सरकारी कालेजों की समस्या थीं और एडेड कालेजों पर जो राजनीतिक संस्थाओं का दबाव, प्रभाव था, उसको भी हमारे शिक्षा मंत्री महोदय ने दूर किया। इस प्रकार हमारी शिक्षण संस्थाओं में जो एक अव्यवस्था का वातावरण बना हुआ था, उस वातावरण पर हमारे शिक्षा मंत्री ने काबू पा लिया है। इसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूं और बधाई देता हूं। आज हमारी शिक्षण संस्थाओं में इस तरह का वातावरण शिक्षा के लिए बना है कि एक प्रकार से वे सही मायने में सरस्वती के मंदिर बन गये हैं। इसमें कोई शंका नहीं है। परन्तु फिर भी कई व्यक्ति बगुला भक्त की तरह इनमें घुसे पड़े हैं जो कि आर० एस० एस०, जमायते इस्लामी और अन्य साम्प्रदायिक संगठनों के सदस्य हैं। इनकी एक स्पेसिफिक लिस्ट विभाग को विश्वास के साथ बनानी चाहिए। चाहे ऐसे व्यक्ति एडेड स्कूल, कालेजों में हों, सरकारी स्कूलों में हों, चाहे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में हों, कालेजों और यूनीवर्सिटिज में हों। ऐसे व्यक्तियों को तो कम से कम

(श्री दीपंकर)

शिक्षण संस्थाओं से दूर करना चाहिए क्योंकि हमारा यह देश धर्म निरपेक्ष है और हम ने सभी धर्मों को मान्यता दी है। इतना बड़ा मुल्क बना रहे, इस देश की अखंडता बनी रहे उसके लिए यह लाजमी बात है कि ऐसी शिक्षण संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये। इसके अलावा जो पाठ्य पुस्तकें हैं उन में किसी तरह की साम्प्रदायिकता अश्लीलता हो तो उनको दूर किया जाना चाहिये और जो व्यक्ति इन चीजों के पोषक हैं, इन संस्थाओं में रह कर इन को पालते हैं, उनको इस क्षेत्र से हटा दिया जाये। परन्तु कई ऐसे व्यक्ति इन शिक्षण संस्थाओं में हैं। उन्हें और कहीं रोजगार नहीं मिला, वे आपके विभाग में आ जाते हैं। उन्हें यह खुला क्षेत्र मिल जाता है। उनका यह ध्येय नहीं होता है कि बच्चों को पढ़ाया जाये। वे मास्टर बन जाते हैं। मैं स्वयं अध्यापक रहा हूं और जानता हूं। कई ऐसे मास्टर हैं, दूसरा कोई धंधा नौकरी नहीं मिली, वे मास्टर बन गये। वे कहते हैं, समय काटना है, इसलिए इधर आते हैं। समाज में मास्टर शब्द का एक व्यापक अर्थ है। मास्टर शब्द के अनुसार इस तरह का व्यक्ति होने चाहिए जो समाज की रचना में हिस्सेदार बने, जो समाज के निर्माण में अपना योगदान दे सके, जो राष्ट्र को चमकाने वाला हो, जो देश को उन्नति की ओर ले जाना वाला हो। इस तरह के विचारों के व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति शिक्षण संस्थाओं में होने चाहिये जो हमारे स्कूल के लड़कों के विचारों में क्रान्ति ला सकें, जो इस देश को बदलने में, नव निर्माण करने में लग सकें परन्तु इसके विपरीत हमारी शिक्षण संस्थाएं आपसी लड़ाई झगड़े का अखाड़ा बनी हुई हैं। इन चीजों से ऊपर उठाने के लिए यह बात लाजमी है कि मास्टर को बदलें। यह काफी बड़ा क्षेत्र है। काफी बच्चे यहां आते हैं। उनके परिवार से, उनका सम्पर्क होता है मास्टर के जरिए। तो हमारे बच्चों में राष्ट्रीयता की भावना पनपे, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति उनमें सम्मान जाग्रत हो, इसके लिए अच्छे मास्टर का होना जरूरी है। इसकी मुख्य जिम्मेदारी शिक्षा विभाग, शिक्षण संस्थाओं की है। आज हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को भी सम्मान नहीं दे पाते हैं। सिनेमाओं में जब राष्ट्रीय गीत होता है तो हमारे नागरिक बीड़ी, सिगरेट पीते रहते हैं। यह हमारे समाज का एक बेजा स्वरूप है। यह एक सवाल हमारे सामने आता है। तो, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह निवेदन करूंगा कि आपने बजट में शिक्षा के लिए काफी बजट रखा है। परन्तु मैं यह चाहूंगा कि पहले राज्य सरकार जितने भी मिडिल स्कूल हैं उनको ही अच्छी तरह से चलावे। कम से कम यह जो प्राइवेट संस्थाओं के स्कूल, कालेज हैं, उनको ले ले चाहे इसके लिए आप एक साल कोई नये मिडिल स्कूल न खोलें, कोई बात नहीं। पिछली बार भी मैंने यहां पर निवेदन किया था कि उचित स्कूल भवन नहीं हैं, मास्टर नहीं हैं, लड़कों को परेशानियां हो रही हैं। जो स्कूल हैं उनमें एजूकेशन सही तरीके से शुरू करें, उनको सुव्यवस्थित रूप से चालू करें। इसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि जो प्राइवेट संस्थाओं के कालेज, स्कूल हैं उनको भी आप अपने हाथ में ले लें और कोई प्राइवेट एजूकेशन न रहे। आज पचास पर्सेन्ट आपके विभाग की बदनामी इन प्राइवेट संस्थाओं के कारण है। इनकी कई शिकायतें भी हैं। किस प्रकार से सर्टिफिकेट दिये जाते हैं। अध्यापकों को पूरा वेतन नहीं

Page No 82

(82)



(श्री दीपंकर)

दिया जाता है। जो सरकारी सरक्यूलर जारी होते हैं उनको मैनेजमेन्ट नहीं मानता है। एक बात यह कही जा सकती है कि जो प्राइवेट इन्स्टीटयूशन्स हैं उनका मापदंड, रिजल्ट अच्छा है। परन्तु मेरा निवेदन है कि यह मापदंड छोटी कक्षाओं से नहीं लिया जाना चाहिये। जो सैकेन्डरी और हायर सैकेन्डरी परीक्षाओं का पर्सेन्टेज है, वह इन स्कूलों का देखा जाना चाहिये और उसी के आधार पर मान्यता दें। छोटी कक्षाओं को देख कर न दें। इस तरह की जो शिक्षण संस्थाएं हैं, जो प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं हैं, मेरी मांग है कि इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये।

दूसरा यह निवेदन है जो आपके कालेज हैं, हम ने भी जाने अनजाने में यह किया है इनमें दो जिले की तहसीलें, गांव लगे हुए हैं। यह गलती माननीय मंत्री महोदय आपकी नजर से ओझल नहीं रही है। उसका दिग्दर्शन भी आपने किया है। यह मिला जुला एजूकेशन का सेन्टर जसवन्त गढ़ रेल्वे स्टेशन पर है। दानदाताओं से पैसा इकट्ठा कर के यह कालेज जसवन्त गढ़ रेलवे स्टेशन पर है। यहां पर सुजानगढ़ के एक व्यक्ति ने वाणिज्य संकाय, साहित्य संकाय और लाडनू के व्यक्ति ने विज्ञान संकाय, ये दोनों भवन बनाये हैं। ये भवन सही नहीं बन पाये हैं। वहां पर पानी भरा रहता है। वहां पर छात्रावास पूरा नहीं है। कई दानदाताओं ने यहां पर हमारे मंत्रियों से शिलान्यास करवाया है। किसी ने टेक्निकल कालेज के नाम से, तो किसी ने और कोई तरीके से आधार शिला रखी है। इन समारोहों में हमारे मुख्य मंत्री और शिक्षा मंत्री भी उपस्थित रहे हैं। किन्तु ये भवन आज तक पूरे नहीं हो पाये हैं। दानदाताओं ने इनकी घोषणा की है परन्तु ये पूरे नहीं हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या एजूकेशन डिपार्टमेंट इन व्यक्तियों को कम्पेल नहीं कर सकता है कि इस तरह की जो घोषणाएं इन्होंने की हैं, वे उसको पूरी करें, चाहे तो इसके लिए वे रकम जमा करावें। कितनी रकम की जरूरत है यह आपको पता है। आपके पास से भी साधन जुटाये जायें अन्यथा वहां के जो छात्र हैं, अध्यापक हैं, उनको पूरी सुविधा नहीं है। दो तहसीलों के लड़कों को पढ़ाने के लिए वहां पर यह कालेज रखा गया है और अच्छे प्रोफेसर भी वहां पर नियुक्त होकर आते हैं परन्तु प्रोफेसर वहां पर रुकते नहीं हैं। वे कहते हैं हम कहां रहें? पढ़ावें जसवन्तगढ़ में और रहें 6-7 मील की दूरी पर। आज हमारे यहां पर अच्छा स्टाफ नहीं मिलता है और इस कारण वहां का रिजल्ट खराब रहता है। वहां के भवन की मरम्मत भी नहीं हो रही है। इसलिए इस कालेज की ओर माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। वहां पर कई दानदाता हैं। श्री सोहनलाल दुग्गड़ ने 25 हजार का चैक पुस्तकें खरीदने के लिए दिया किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि हमारे शिक्षा विभाग ने वह चैक वापिस लौटा दिया यह कहकर कि किताबें रखने के लिए हमारे पास भवन नहीं है। यह चैक आज भी कलकत्ता के सोहनलाल दुग्गड़ के ट्रस्ट में पड़ा हुआ है। वह पच्चीस हजार रुपया कालेज के विद्यार्थियों की पुस्तकों के लिए देना चाहते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह रकम प्राप्त हो, इससे विद्यार्थियों की पुस्तकें खरीदी जावें और उनके रखने की जगह बनावें। लोग

(श्री दीपंकर)

जगह देने के लिए भी तैयार हैं। एक बार प्रारंभ कर दें तो आगे कुछ और हो जायेगा। एक बात और मैं, सभापति महोदय, अन्त में निवेदन करना चाहूंगा और वह यह है कि हमारे क्षेत्र में विद्या का प्रचार विशेष तौर से है। हमारे यहां पर जैन विश्व भारती नाम की संस्था खोली गई है जिसके लिए पन्द्रह सोलह लाख का मकान है और चार-पांच लाख किताबें भी उसके अन्दर इकट्ठी की गई हैं जिनमें सभी धर्मों की पुस्तकें हैं, सभी धर्मों के लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं और विदेशों से भी वहां पर कई लोग रिसर्च करने आते हैं। इसको आप एक विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्रदान करें। इसको इस निगाह से देखें कि राजस्थान के बारे में, राजस्थान के रीति-रिवाजों के बारे में, राजस्थान की भावनाओं के बारे में, हिन्दुस्तान के बारे में, हिन्दुस्तान की संस्कृति के बारे में, राजस्थान को और हिन्दुस्तान को अमर रखने के लिए एक बहुत ही महत्व की चीज होगी। इसको विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि जो दानदाता लोग हैं उनसे दान प्राप्त करके शिक्षा के क्षेत्र में उसका उपयोग करेंगे तो इससे लाभ होगा। जैन विश्व भारती को एक विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी जायगी, इसी आशा के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

**श्री सभापति** : श्री ओंकारलाल चौहान।

**श्री ओंकारलाल चौहान** (डग) : माननीय सभापति महोदय, अनुदान की मांग संख्या 6, 24 और 25 पर मैंने कटौती प्रस्ताव पेश किये हैं। सर्व प्रथम मैं शिक्षा की मांग पर अपने विचार प्रस्तुत करता हूं।

माननीय सभापतिजी, यह सही है कि शिक्षा विभाग का जो वार्षिक प्रगति पत्र 75 करोड़ का हमको पढ़ने को मिला है उसमें माननीय मन्त्री महोदय ने कई उपलब्धियों का जिक्र किया है। वैसे तो यह प्रगति पत्र पूर्ण रूप से विस्तृत नहीं है फिर भी 35 सफे में यह दिया गया है और कई प्रकार की योजनाओं का जिक्र इसमें किया गया है। माननीय सभापतिजी, मैं सर्व प्रथम शिक्षा का क्या एम होना चाहिए और शिक्षा की क्या पालिसी होनी चाहिए, इस सम्बन्ध में संक्षेप में अपने विचार प्रगट करूंगा। माननीय सभापतिजी, आजादी के बाद और उससे पहले भी हमारे शिक्षा शास्त्रियों और देश के कर्णधारों का यह मत था जिनमें प्रमुख महात्मा गांधी थे, उनका यह मत था कि एक राष्ट्रीय नीति हमारी शिक्षा की होनी चाहिए। जिस प्रकार से हम हमारे देश की रीढ़ की हड्डी कृषि पर आधारित मानते हैं, उसी प्रकार से देश के सुचारु रूप से संचालन के लिये, उसको स्वच्छ बनाने के लिये, देश के नौजवानों का भविष्य उज्ज्वल बनाने के लिये, देश का सर्वांगीण विकास करने के लिये, देश में शिक्षा की क्या नीति हो, वह एक राष्ट्रीय नीति राष्ट्रीय स्तर पर तय होनी चाहिए। इसके लिये कई कमीशन भी बनाये गये, उन्होंने अपनी अपनी राय भी दी, कोठारी कमीशन बैठा, मुदालियर कमीशन बिठाया गया, और भी कई इस प्रकार के कमीशन बने और मैं समझता हूं कि राजस्थान में भी कई कमेटियां गठित की गईं लेकिन अभी तक कोई भी राष्ट्रीय

(श्री ओंकारलाल चौहान)

स्तर की ऐसी नीति नहीं बनायी गई है जिससे यह मालूम हो सके कि हमारे देश की जो शिक्षा है उसकी सही दिशा क्या है, सही दिशा क्या होनी चाहिए, एजूकेशन का क्या एम हो और एजूकेशन का जो मूल उद्देश्य है जिस पर हमारे नौजवानों और होनहार बच्चों का भविष्य निर्भर है उसको सही दिशा किस प्रकार से मिले, देश की रीति-नीति क्या हो, उसी प्रकार से देश की एक राष्ट्रीय पालिसी क्या हो–यह हम आज तक तय नहीं कर पाये हैं। यह एक प्रकार से हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यहां भी उसी प्रकार की नीतियां अपनाई गई हैं, पहले तो पी०यू०सी० या टी०डी०सी० था, फिर उसके बाद में बीच-बीच में हमारे मंत्री ने कई कमेटियां भी शिक्षा के लिए बनाई और कमेटियां बनाकर मैं समझता हूं कि अब वह 10 प्लस 2 प्लस 3 की योजना को हमारे राज्य में लागू कराना चाहते हैं। उसे अभी कुछ समय के लिए पोस्टपोन भी करना उचित समझा गया है। मैं, माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो योजनाएं शिक्षा के लिए बनती हैं, उनसे शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी अव्यवस्थाएँ फैलती हैं और कई बार कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। वैसे जो भी योजनाएँ बनाई जायें शिक्षा में सुधार करने के लिये वह तो अवश्य होनी चाहिए, यह तो ठीक है। लेकिन जब हम एक नई योजना को लागू करते हैं, उसके लक्ष्य हमको ठीक प्रकार से प्राप्त होने लग जायं तब तक उसको लागू रखना चाहिए जिससे हमको मालूम हो सके कि हम क्या सुधार कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि बार-बार योजनाओं को बदला जाता है जिससे विद्यार्थियों में एक प्रकार से अस्थिरता की भावना पैदा हो जाती है और एक प्रकार का अस्थिर वातावरण छात्रों के मन पर बन जाता है जिससे स्वतः ही एक अस्थिरता और इनस्टेबिलिटी का वातावरण बनता है। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस दिशा के अन्दर सोचेंगे कि प्राइमरी एजूकेशन का जहां जिक्र आता है, अभी तक हम इसको सुव्यवस्थित रूप से नहीं कर पाये हैं, यह बहुत ही ताज्जुब की बात है। अभी तक हम लोगों को साक्षर नहीं कर पाये हैं। यह जानकर हमको बहुत ही अफसोस होता है कि अभी तक हमारी एजूकेशन की स्थिति है वह पुरुष शिक्षा की 25 पर्सेंट है और महिलाओं की केवल 8 पर्सेंट।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : 8 पर्सेंट नहीं है 12 पर्सेंट है।

**श्री ओंकारलाल चौहान** : मेरे पास जो फिगर्स हैं और जो इन्फार्मेशन है वह मैं दे रहा हूं। हो सकता है वह गलत भी हो। लेकिन इस रिपोर्ट को देखने से जो स्थिति नजर आती है, माननीय सभापति जी, वह स्थिति बहुत ही दयनीय मालूम पड़ती है। शिक्षा मंत्रीजी ने जब से चार्ज लिया उनके समय में बहुत सारी उपलब्धियां हुई हैं उनका भी जिक्र इसमें किया गया है और यह बताया गया है कि सभी जगह कालेजों में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज में सभी की रिपोर्ट में आया है कि सारी स्थिति ठीक है और शान्ति का वातावरण है और किसी प्रकार की गड़बड़ियां नहीं हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें केवल शिक्षा मंत्री जी को ही श्रेय दिया जाय तो वे भूल करेंगे। वास्तव में इसका श्रेय हमारी प्रधान मंत्री जी को है जिन्होंने देश की

(श्री ओंकारलाल चौहान)

वास्तविक स्थिति को समझ कर वक्त के रहते हुए आपात्कालीन स्थिति की घोषणा की। जब कि हमारे देश के नौजवान और देश के कर्णधार होने वाले नौजवान ऐसे रास्ते पर जा रहे थे जो तोड़-फोड़ और अव्यवस्था का रास्ता था, ऐसे समय में हमारे देश की प्रधान मंत्री ने आपात्कालीन स्थिति की घोषणा की और देश को एक सही दिशा प्रदान की। मैं यह नहीं कहना चाहता कि इसमें मंत्रीजी का हाथ नहीं है, उनका भी शेयर है, उनके भी प्रयास रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि उनका शेयर नहीं है, यह उनके साथ ज्यादती होगी।

**श्री खेतसिंह** (शिक्षा मंत्री) : बड़ी महरबानी है।

**श्री ओंकारलाल चौहान** : मैं इतना कठोर नहीं हूं कि कोई काम करे और उसको एप्रिशिएशन न दिया जाय या वाह-वाही न दी जाय। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मंत्रीजी, जो कुछ भी वातावरण देखने को मिला है, उसका श्रेय उनको भी है लेकिन फिर भी अभी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम निश्चित हो जायें। इसलिए हमको इसको समझना पड़ेगा। आज भी प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स में, जिनका जिक्र माननीय सदस्य दीपंकरजी ने भी किया, ऐसी संस्थाएं हैं, एडेड इन्स्टीट्यूशन्स हैं जिनके अन्दर आर०एस०एस० और आनन्दमार्गी लोग बैठे हुए हैं, वे लोग हमारी बुनियादी नीति को असफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और तोड़-फोड़ और अव्यवस्था की नीति पर काम कर रहे हैं। जो देश में अस्थिरता लाना चाहते हैं, ऐसे फासिस्टवादी लोगों को भी हमको देखना पड़ेगा। इस संबंध में उन्होंने कुछ लोगों को कम्पलसरी रिटायर भी किया है, इसमें आंकड़े भी दिये गये हैं शायद 306 हैं, अगर मैंने सही केलकुलेशन किया है तो। माननीय मंत्रीजी, यह सदन भली भांति समझता है और जानता है कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा गड़बड़ियां होती हैं और शिक्षा का क्षेत्र ही सबसे विस्तृत क्षेत्र है, सबसे बड़ा क्षेत्र है जहां नीचे से लेकर ऊपर तक चाहे छोटे स्तर के अध्यापक हों, चाहे बीच की श्रेणी के अध्यापक हों, प्रोफेसर हों, लेक्चरार हों, यह जो लोग हैं, यह अलग अलग ढांचे में पढ़ाते हैं। उनकी मनोवृत्ति हमको देखनी पड़ेगी। आप क्या संतोष करते हैं, माननीय मंत्री जी कि 306 व्यक्तियों को कम्पलसरी रिटायर करने से आपने दशा सुधार दी? मैं नम्रता-पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, मेरा किसी व्यक्ति पर आक्षेप नहीं है, किसी पर आरोप नहीं है, हमको जनहित की दृष्टि से, देश हित की दृष्टि से, राज्य की दृष्टि से देखना पड़ेगा और आंकना पड़ेगा, चाहे कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा क्यों न हो, अगर देश के खिलाफ चलता है, बुनियादी नीति के खिलाफ काम करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाना पड़ेगा। आज वक्त आ गया है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से मैं कहना चाहता हूं कि आपको कोई विजिलेंस सैल रखना चाहिए, कायम करना चाहिए किसी भी स्तर पर, जो इन सब चीजों को, गतिविधि को देखता रहे और आपको सही रिपोर्ट मिलती रहे। मैं यह मान कर चलता हूं कि इस सैल में भी वेस्टेड इन्ट्रेस्ट का कोई हो। तो इस पर भी निगाह रखने को किसी व्यक्ति को रखना चाहिए। हमारे देश की प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी के तीन सैल हैं और कई प्रकार से, कई तरीकों से सही चीज को जानने की कोशिश करती हैं। सारे हिन्दुस्तान की

# Page No 86

(86)



(श्री ग्रोंकारलाल चौहान)

साठ, पैंसट करोड़ जनता की जानकारी, अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग तरीके से करती है– यह खूबी की बात है, अलग अलग तरीके से जानकारी उनके पास पहुंचती है। इसलिए आपके पास ऐसा सैल हो, ऐसा तरीका आपको अपनाना चाहिए जिससे सही जानकारी आपको मिले।

मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है, 'उपलब्धियां एक वर्ष की', इसमें एक बात मुझे अखरने वाली लगी। इसमें पाण्डे साहब की तारीफ की गई है, वाइस चान्सलर की। मुझे आपत्ति नहीं है। तारीफ होनी चाहिए। तारीफ करने में मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन पुराने वाइस चान्सलर, डा० पादी और वी० वी० जोन, वी० वी० जोन एक बढ़िया और दबंग वाइस चान्सलर रहे...

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : जोधपुर में थे।

**श्री ओंकारलाल चौहान** : जोधपुर में थे। अच्छे शिक्षा शास्त्री रह चुके हैं। मैं समझता हूं उन्होंने बड़ी होशियारी और दबंगता से काम किया है। मैं समझ नहीं पाया कि इस बात का उल्लेख क्यों किया है, जोधपुर विश्वविद्यालय के वाइस चान्सलर, वी० वी० जोन और राजस्थान विश्वविद्यालय के वाइस चान्सलर, डा० पादी को मजबूर होकर इन विषम परिस्थितियों में त्याग-पत्र देना पड़ा। मैं इसकी कम्पेरेटिव डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन मुझे इस प्रकार की बात आपत्तिजनक लगी। ठीक है, तारीफ करनी चाहिए लेकिन कम्पेरेटिवली ठीक नहीं लगी।

सभापति महोदय, मुझे थोड़ा समय लगेगा। मैं मान कर चलता हूं...

**श्री सभापति** : पांच मिनिट और लें।

**श्री ओंकार लाल चौहान** : बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पांच मिनिट में समाप्त करने की कोशिश करता हूं। वैसे, सभापति महोदय, आप पारंगत हैं......

**श्री सभापति** : मैं मानता हूं, फिर भी जितने सूक्ष्म में जो महत्वपूर्ण बात कही जा सकती है वह कहें।

**श्री ओंकार लाल चौहान** : खैर, ठीक है। धन्यवाद।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात को देखना चाहिए। मैं इस बात की ओर इसलिए ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भविष्य में इस बात की पुनरावृत्ति नहीं हो और अच्छी बात आये। यह मैं आशा करता हूं।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, इस सम्बन्ध में आपने जिक्र किया है, ट्राइबल एरियाज के डवलपमेंट का। आपने कहा कि ट्राइबल एरियाज में विकास करेंगे। कब करेंगे? कब योजना बनायेंगे? ट्राइबल एरिया की, आज राजस्थान में, कई बैल्ट हैं, जोन हैं, जो बहुत अशिक्षित हैं। वहां शिक्षा प्राप्त करने का सवाल पैदा नहीं होता है। राजस्थान की केवल 25 प्रतिशत जनता शिक्षित है। मैं एक बात बता देना चाहता हूं, माननीय शिक्षा मंत्री जी, डाक्टर अम्बेडकर कान्स्टीट्यूशन के निर्माता थे, उन्होंने एक बात कही थी, बुलन्द आवाज में, बुलन्द शब्दों में, किसी व्यक्ति को जन्म से अन्धा कर दीजिये तो वह लकड़ी का सहारा लेकर चल सकता है। लेकिन अगर किसी के ज्ञान के दरवाजे बन्द कर दिये जायं तो उसका जीवन, भविष्य अन्धकारमय हो जायगा। मैं निवेदन

(श्री ओंकारलाल चौहान)

करना चाहता हूं, शिक्षा मंत्री इस ओर ध्यान दें, इस प्रकार की जो ट्राइबल बेल्ट है, जोन हैं राजस्थान के अन्दर, उनको देखें और और जगहों की तुलना में उनको टोप प्रायरिटी मिलनी चाहिये। जो ट्राइबल बेल्ट हैं, ट्राइबल एरियाज हैं, उनकी ओर ज्यादा ध्यान जाना चाहिए।

सभापति महोदय, जोब ओरियेंटेड स्कीम आपने शुरू की है। आपने कहा कि सब रोजगार में लग गये हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि आपके पास कोई डिटेल्स नहीं हैं। कहीं भी डिटेल आपने दी नहीं। 'सीखो-कमाओ-योजना' का क्या परिणाम निकला, इसकी कोई डिटेल्स नहीं है। आपने लिखा है "यह उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त सभी कालेजों में 1975 तक उपाधि प्राप्त स्नातक या तो रोजगार में लग गए हैं अथवा एप्रेन्टिस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं" लेकिन इसकी डिटेल्स नहीं हैं। क्या यह केवल लिखने वाली बात है? दूसरे आपको इस बात का संतोष कैसे है? आज भी एजूकेटेड अन-एम्प्लायमेंट बढ़ता जा रहा है। एजूकेटेड व्यक्तियों के सामने कोई रोजगार के एवेन्यूज नहीं हैं। छात्रों के सामने भविष्य स्पष्ट नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी डिटेल्स इसमें आनी चाहिए। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि डिटेल में जवाब देने की कोशिश करें।

इस संदर्भ में, सभापति महोदय, ज्यादा लम्बा जा नहीं सकता, मैं मोटी मोटी बातें निवेदन करना चाहता हूं, आपने कई बातें कही हैं, क्लस्टर योजना प्रारम्भ की है, सिमेस्टर प्रणाली प्रारम्भ की है। यह एप्रीशियेबल काम किया है। आपने उर्दू अकादमी की स्थापना करने की कोशिश की है-यह स्वागत योग्य चीज है। उर्दू का डवलपमेंट होना चाहिए। उर्दू का डेवलपमेंट हो रहा था लेकिन धीमी गति थी। अब उर्दू के डवलपमेंट के लिए, विकास के लिए बात की है, और उर्दू भाषा भाषी की ओर ध्यान दिया है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, कई बातें ऐसी हैं, जिनकी ओर माननीय मंत्री का ध्यान दिलाना मैं आवश्यक समझता हूं। मेरे क्षेत्र की बात आती है तो उसकी आपने उपेक्षा की, हमेशा से करते आ रहे हैं। हम क्या करें! हमें अफसोस है। अफसोस आपको भी है, कि आप ध्यान नहीं देते हैं। आप क्वेश्चन आवर में मान लेते हैं। इसमें हमें आपत्ति नहीं। लेकिन पक्षपात महरबानी करके मत करिये। आपको याद होना चाहिए, सभापति महोदय, मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, मेरा क्षेत्र रिजर्व कान्स्टीट्यूएन्सी है, वह भी कहां है, झालावाड़ में, झालावाड़ बैकवर्ड है, इंडस्ट्रियली बैकवर्ड है, सोशली बैकवर्ड है, इकानामिकली बैकवर्ड है, पालिटिकली बैकवर्ड है, backward in all sphere and in all sectors.

श्री गोकुल चन्द जाटव : मेरा क्षेत्र भी है।

श्री सभापति : कृपया आपस में बहुत धीमी बात करें, अगर आवश्यक हो।

श्री ओंकार लाल चौहान : आपने हमारी उपेक्षा की। आपने फर्माया कि लिखित में दीजिये। हमने लिख कर दे दिया। आपने फर्माया कि मुख्य मंत्री जी से निवेदन कर

(श्री ओंकारलाल चौहान)

दीजिये। हमने बहुत अदब, नम्रता से उनसे निवेदन किया। लेकिन उस सबका नतीजा सिफर मिला। हम संतोषी व्यक्ति हैं। हमें चिन्ता नहीं है। हमें चिन्ता इस बात की है कि आपकी रीति-नीति है, जिस ढंग से काम करना चाहते हैं उससे हटकर काम करेंगे तो आपको एप्रीसियेशन मिलेगा। मैं कहना चाहता हूं कि आपको इस ओर ध्यान देना चाहिए। हमारे क्षेत्र में एक स्कूल है, इसे क्रमोन्नत......

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : आप भिखारी नहीं हैं जो मांग रहे हैं। आपका अधिकार है......

**श्री ओंकारलाल चौहान** : माननीय सदस्या का कहना ठीक है, अधिकार है। अधिकारपूर्वक हमें अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन शिक्षा मंत्री जी, कभी न कभी हमारे अधिकार पर गौर करेंगे और हम चाहते हैं कि हमें हमारे अधिकार से वंचित नहीं रखने की कोशिश करेंगे। उस सम्बन्ध में आप विचार करें। मैं निवेदन कर रहा था, माननीय सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में कि कई जगह इस किस्म की बात मेरे क्षे में हुई है। आपने कुछ स्कूल खोले हैं, ठीक है, दो सौ स्कूल दिये। आप दो सौ स्कूल दें लेकिन महरबानी करके उनमें पक्षपात या रीजनलिज्म न कीजिये। एक ही क्षेत्र में स्कूल खोल दें तो दुखदायी रहेगा। दुखदायी हमारे लिए ही नहीं होगा क्योंकि हम तो मैदान में खड़े हैं, क्षेत्र में खड़े हैं लेकिन यह आपके देखने की बात है। आपने कोई चीज झालावाड़ में नहीं की है। अब आप जिस स्कूल के लिए, सघन स्कूल के लिए कहते हैं तो मैं समझता हूं, आप सघन स्कूल देंगे झालावाड़ में और झालावाड़ में हायर सैकेण्डरी स्कूल की बात पर गौर करेंगे। कोई गर्ल्स हायर सैकण्डरी स्कूल भवानीमण्डी में नहीं है। वह इंडस्ट्रियली डवलप होने जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारी बात की ओर ध्यान आकर्षित कीजिये......

**श्री सभापति** : माननीय मंत्री जी, आपस में बात न करें।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : सुझाव दे रही हूं।

**श्री सभापति** : सदन में सुझाव देने की जरूरत नहीं है। यह सदन का तरीका नहीं है।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : सुझाव देने में तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

**श्री सभापति** : यह सुझाव देने का तरीका नहीं है।

**श्री ओंकारलाल चौहान** : माननीय मंत्री जी, हर जगह आप हमारी उपेक्षा करते हैं। यहां तो उपेक्षा मत करिये।

**श्री सभापति** : आर्डर प्लीज !

**श्री ओंकारलाल चौहान** : तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि भवानी मण्डी में लड़कियों का हायर सैकेण्डरी स्कूल नहीं है। वह अगर आप भवानी मण्डी को दे सकेंगे तो बहुत अच्छा होगा।

सभापति महोदय, इसके बाद में मैं मन्त्री महोदय से टीचर्स के सलेक्शन्स और टीचर्स के ट्रांसफर्स के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, इसमें राज्य सरकार की क्या रीति-नीति है, यह हमारी

# Page No 89

(89)



(श्री ओंकारलाल चौहान) समझ में अभी तक नहीं आ सकी। इसमें बहुत भारी राजनीति देखने में आती है। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता और न ही ज्यादा उदाहरण ही देना चाहता हूं लेकिन मैं आपके सामने एक लेडी टीचर के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। लाखेरी के स्कूल में एक लेडी टीचर है जिसका आपने तीन महीने में कई बार ट्रांसफर कर दिया। मैं उसका नाम तो आपके सामने लेना नहीं चाहता क्योंकि आप उसे अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन इतना जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि आखिर आपकी ट्रांसफर्स के बारे में क्या रीति-नीति है। यह मैं मानता हूं कि आपके सामने माननीय सदस्य भी आते हैं और ट्रांसफर्स के बारे में जोर देते हैं लेकिन आपकी आखिर कोई रीति-नीति, कोई फिक्स पोलिसी तो होनी चाहिये जिससे लोगों को पता रहे। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि आप इस बारे में अपनी एक पॉलिसी बनालें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, बस मैं समाप्त कर ही रहा हूं।

अब थोड़ा मैं टीचर्स के ट्रांसफर्स के बाद टीचर्स के सलेक्शन के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, आज आपने जो टीचर्स अपोइन्ट कर रखे हैं उनके अपोइन्ट-मेन्ट में किसी प्रकार की कोई निष्पक्षता मुझे नजर नहीं आती। आखिर कुछ मोरल स्टेन्डर्ड तो होना चाहिये। अगर आप मोरल स्टेण्डर्ड नहीं रखते हैं तो ठीक नहीं है।

इसके साथ साथ मैं शिक्षा की बुनियादी नीति के बारे में कुछ कहना चाहूंगा जैसा कि एक ने कहा :

"Mistake of a doctor is buried in the grave; mistake of an engineer is cemented in bricks; mistake of a lawyer is buried in files; while mistake of a teacher is reflected in the nation."

**एक माननीय सदस्य** : क्या फर्मा रहे हैं the mistake of a teacher is reflected in the nation.....

**श्री ओंकारलाल चौहान** : Please, you will not disturb me. तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि टीचर्स के अपोइन्टमेन्ट की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। क्योंकि वह हमारे देश के निर्माता होते हैं.....

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

बस अभी समाप्त कर रहा हूं।

सभापति महोदय, मैंने दो तीन कटौती के प्रस्ताव और रखे हैं। इसमें शिक्षा के बारे में तो मैं निवेदन कर चुका हूं अब थोड़ा जुडिशियरी के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। जब आप शिक्षा और जुडिशियरी की मांगों का जवाब दें तो उसकी भी जानकारी आप मुझे देने की कृपा करें। एक तो आपके जुडिशियल कोर्टस के संबंध में जहां काफी भ्रष्टाचार फैला हुआ है दूसरे जो आप अपोइन्टमेन्ट करते हैं गवर्नमेन्ट एडवोकेट्स पब्लिक प्रोसीक्यूटर्स का और ए० पी० पी० वगैरह का यह आप किस आधार पर करते हैं? आपकी इसमें क्या रीति-नीति है? इसका भी आप जवाब देने की कृपा करें।

(श्री ओंकारलाल चौहान)

सभापति महोदय, इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज हम सस्ते न्याय की बात करते हैं लेकिन हमारे यहां पर राजस्थान हाई कोर्ट की कोई दूसरी जगह बेंच नहीं होने के कारण सस्ता न्याय मिलना दूभर हो रहा है। पहले भी यहां पर हाई कोर्ट की बैन्च जयपुर में लाने के लिये सदन में प्रश्न उठाया गया था लेकिन उसमें क्या हुआ, क्यों नहीं बेंच यहां पर आ सकी इस सारे विवाद में मैं नहीं पड़ना चाहता हूं। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि यह राजस्थान का एक अहम् मसला है इस पर पुनः विचार किया जाना चाहिये। इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज हमारे यहां पर जो कोर्ट्स हैं जिनमें खास तौर से जो यह नीचे के कोर्ट्स हैं वहां भयंकर रूप से भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी चल रही है। यह नीचे के स्तर पर काफी अधिक मात्रा में पायी जायेगी। पहले किसी स्टे के लिये लोग जाते तो दो दो या पांच पांच रुपये में काम हो जाते थे लेकिन अब जब से इमर्जेन्सी लगी है तब से उसमें भ्रष्टाचार में कमी तो नहीं लेकिन वृद्धि जरूर हुई है। वहां के बाबू लोगों ने भी अपनी फीस बढ़ा दी है। अब वह लोग पांच पांच रुपये से ऊपर उठकर 25-25 रुपये रिश्वत के लेते हैं। साथ में यह और कहते हैं कि अब चूंकि इमर्जेन्सी लग गयी है, हमें पकड़े जाने का खतरा है। अगर पकड़े गये तो हमें कौन बचायेगा। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिये आपको कारगर उपाय उठायें। मेरा इसमें यह सुझाव है कि इन कोर्ट्स में भ्रष्टाचार को रोकने के लिये इन जुडिशियल कोर्ट्स का वक्तन फवक्तन हाई कोर्ट के जजेज द्वारा मुआयना होना चाहिये जिससे कि लोगों में भय बना रहे और भ्रष्टाचार में कमी आये। इस संबंध में आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करता हूं। इसके साथ में मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि 20 सूत्री कार्यक्रम, जो कि हमारे देश की नेता प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने शुरू किया है, उसमें शिक्षा के संबध में जो कार्यक्रम बताये गये हैं उन्हें भी जल्दी अमल में लाया जाये। मुझे विश्वास है कि राज्य सरकार इस ओर अपना ध्यान देगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

**श्री सभापति** : श्री श्रीराम गोटेवाला।

**श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय, मैंने शिक्षा, न्याय और पुरातत्व विभाग पर अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। सभापति महोदय, सर्व प्रथम तो मैं हमारे यहां की न्याय प्रणाली के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, आज से लगभग दो वर्ष पहले इसी सदन के अन्दर कुछ माननीय सदस्यों ने एक रिजोल्यूशन पास करके हमारे मुख्य मन्त्रीजी को यह अधिकार दिया था कि वह राजस्थान की जनता को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के संबंध में जयपुर में हाई कोर्ट की बैन्च लाने के बारे में हमारे देश की प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी का ध्यान इस ओर आकर्षित करें और उनसे यह निवेदन करें कि वह इस निर्णय पर दुबारा विचार करें क्योंकि आज राजस्थान की आधे से अधिक जनता को न्याय मिलने में बहुत भारी कठिनाई हो रही है।

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

सभापति महोदय, मैं जयपुर के निर्वाचन क्षेत्र से आया हूं और यहां पर मैं कई जगह जाता हूं चाहे वह बार एसोसियेशन हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे और कोई जगह हो वहां पर इस बात के बारे में पूछा जाता है कि आपने जो मुख्य मन्त्रीजी को अधिकार दिया था कि जयपुर में हाई कोर्ट की बैन्च आये उसके लिये वह प्रधानमन्त्रीजी से बात करें। क्या उन्होंने प्रधानमन्त्रीजी से बात कर ली या नहीं की? और अगर बात की, तो उन्होंने अपना क्या फैसला दिया? सभापति महोदय, आज राजस्थान के करोड़ों लोगों को इससे तकलीफ हो रही है। इसके लिये मैं विधि मन्त्रीजी से भी यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस बारे में मुख्य मन्त्रीजी से जानकारी करें कि इस प्रश्न पर मुख्य मन्त्रीजी की प्रधानमन्त्रीजी से क्या बात हुई, उसका क्या निर्णय हुआ और वह सदन के समक्ष रखें।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे राजस्थान के हाई कोर्ट के अन्दर एक अनिश्चितता का वातावरण बना हुआ है। हमारे आप न्याय मन्त्री जी हैं और आज हमारे हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब जो हैं वह अभी तक अस्थायी हैं। आज हाई कोर्ट के अन्दर हजारों केसेज पैन्डिंग पड़े हुए हैं। आज हमारे राजस्थान में हाई कोर्ट के कई जजेज की पोस्ट्स वेकेन्ट है। उन्हें किन्हीं कारणवश भरा नहीं जा रहा है। आज सात सात और आठ आठ साल हो गये, लोगों को बार बार कोर्ट्स में न्याय के लिये जाना पड़ता है, लोगों को सैकड़ों चक्कर जोधपुर के काटने पड़ते हैं। न्याय मन्त्रीजी आप जनता के न्याय मन्त्री हैं और इस नाते आपकी जिम्मेवारी हो जाती है कि आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से इस बारे में बात करके चीफ जस्टिस की पर्मानेन्ट नियुक्ति करावें ताकि जो यह अनिश्चितता का वातावरण फैला हुआ है वह समाप्त हो सके।

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अभी थोड़े दिन हुए हमारे जस्टिस श्री कृष्णा अय्यर ने यह कहा था कि लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय मिले, इसके लिये आज जरूरत है हमारे फौजदारी कानून को बदलने की। सभापति महोदय, आज जो हमारा फौजदारी कानून है वह अंग्रेजों के जमाने का है उसे बदला जाना चाहिये। वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल वर्तमान फौजदारी कानून बिलकुल ठीक नहीं है। क्योंकि जब आज हम 20 सूत्री कार्यक्रम को असली जामा पहनाना चाहते हैं तो उसके अन्तर्गत हमें गरीबों को मकान और जमीन देनी होगी। जब कि अभी लोगों ने कई गरीब लोगों के मकान तुड़वा दिये हैं और लोगों को घर से बेघर कर दिया है। अगर हम मकान नहीं देंगे तो हम अपना जो 20 सूत्री कार्यक्रम है उसे पूरा करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि वर्तमान परिस्थितियों में यह फौजदारी कानून है इसे बदलना अत्यन्त आवश्यक है। जस्टिस कृष्णा अय्यर ने यह भी कहा है कि जिन लोगों ने गरीबों के मकानों को तुड़वा दिया है उन लोगों का चालान किया जाना चाहिये क्योंकि वह लोग बीस सूत्री कार्यक्रम को पूरा करने में रोड़ा अटका रहे हैं। जहां आपने गरीबों के चालान किये हैं उनके मकान तोड़े हैं उनका चालान न करके आपको उन अधिकारियों का चालान करना होगा। उन पर आपको मुकदमा चलाना चाहिये। सभापति महोदय, मैं दूसरे देशों में गया हूं। मुझे

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
ऐसे देशों में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जहां पर कि फौजदारी कानून के तहत बहुत जरूरी फैसला हो जाता है । उसमें सिर्फ सात दिन में ही कत्ल जैसे केसेज में फैसले कर दिये जाते हैं ।

**एक माननीय सदस्य** : कौन से देश में देखा है फादर लैण्ड में ।

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : फादर लैण्ड की बात तो मैं नहीं जानता लेकिन मैं मास्को गया था वहां पर मैंने न्याय के लिये देखा कि केवल कत्ल जैसे केसेज में सात दिन में फैसला हो जाता है । यही कारण है कि वहां पर अपराध की संख्या कम है । विधि मन्त्रीजी खुद वकील रह चुके हैं। उन्हें पता होगा कि जितना ज्यादा समय फौजदारी कानून में लगता है उतना ही उसमें न्याय मिलने की कम गुन्जायश रहती है क्योंकि जो लोग सम्पन्न होते हैं वह दूसरे गवाहों वगैरह को बदल देते हैं और इससे उन लोगों के खिलाफ में कोई कार्यवाही नहीं हो पाती है । वह लोग बरी हो जाते हैं । इसलिये मेरा निवेदन है कि फौजदारी कानून को बदला जाना चाहिये । न्याय मन्त्री खुद जब वकील होते थे तो उन्होंने भी फौजदारी केसेज लम्बे करवाये होंगे । गवाह को किस प्रकार बिगाड़ा जाता है वह जानते हैं । इसलिये मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के फौजदारी कानून को शीघ्रातिशीघ्र बदला जाना चाहिये ।

**एक माननीय सदस्य** : आपको पता है क्या कि गवाहों को बदलवाया है ?

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : मुझे पता नहीं । मैं तो इतना ही कहता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में यह कानून बदला जाना नितान्त आवश्यक है । इसके लिये उन्हें भारत सरकार से बात करनी चाहिये ।

इसके अलावा मैं जो बात निवेदन करना चाहता हूं वह यह है, सभापति महोदय, हमारे यहां पर एडवोकेट जनरल हैं उनका आफिस दिल्ली में है । सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनका आफिस राजस्थान में होना चाहिये, दिल्ली में नहीं होना चाहिये । मैंने कई बार सदन में कहा कि उनका कार्यालय दिल्ली में नहीं होना चाहिये । राजस्थान में उनका कार्यालय नहीं होने के कारण हमारे यहां के लोगों को काफी दिक्कत रहती है, साथ में राजस्थान सरकार को भी काफी दिक्कत रहती है । पर पता नहीं क्या कारण है कि उनका कार्यालय दिल्ली में है ? क्या उनका कोई असाधारण व्यक्तित्व है या ऐसी क्या बात है जिसके कारण ऐसा हो रहा है ? शायद उनका असाधारण व्यक्तित्व है जिसके कारण हमने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, ऐसा मुझे लगता है उनके विचार भी हमारी नीतियों के अनुसार नहीं लगते हैं । जिस समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर श्री ए० के० राय की नियुक्ति हुई थी, मेरी जानकारी के अनुसार इन्हीं लक्ष्मी मल जी सिंघवी ने उनका विरोध किया था । मैं यह मानता हूं कि हमारी नीतियों के अनुकूल भी वे आचरण करने वाले नहीं हैं........

**एक माननीय सदस्य** : शेरगढ़ की भी कोई बात होगी........

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : शेरगढ़ वेरगढ़ की तो आप जानो लेकिन मैं तो इतना जरूर निवेदन करूंगा कि उनका कार्यालय जयपुर में होना चाहिये और एडवोकेट जनरल को यहीं बैठना चाहिये ।

( श्री श्रीराम गोटेवाला )

एक बात और निवेदन करूंगा, आपके डिपार्टमेन्ट से सम्बन्धित है या नहीं यह मुझे पता नहीं लेकिन यहां पर मीसा में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनको जब कोर्ट्स में लाया जाता है तो वे बहुत होहल्ला करते हैं और सारे वातावरण को बिगाड़ते हैं। उसके बारे में मैं क्या निवेदन करूं, कभी आप कचहरी में पधारें तो देखें किस प्रकार का वातावरण रहता है। इसके साथ मैंने एक बात और देखी जो मुलजिम है इसमें, छोटी छोटी बातों में जैसे दांत में दर्द हो गया, उनको अस्पताल ले जाया जाता है और उनके वहां अनेक मित्र, अनेक रिश्तेदार खुल्लम-खुल्ला उनसे मिलते हैं और काफी देर तक बात करते रहते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, यदि आपका महकमा है तो आप व्यवस्था कर सकते हैं और अवश्य कीजिये और यदि आपका महकमा नहीं है तो गृह मंत्रालय से आप अपना आग्रह करेंगे।

अब मैं शिक्षा के बारे में आपसे निवेदन करना चाहता हूं। जो पुस्तिका हमें आपकी मिली है, उसको मैंने पढ़ा है। उसमें आपके यहां से जो कार्य किया गया है, उसकी तारीफ करता हूं। मुझे इस बात को कहते हुये गर्व है कि आपने अभी बजट स्पीच के बाद सारे हैडक्वार्टर्स पर सैकेन्डरी स्कूल्स खोलने की घोषणा करवाई, उसके लिये मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। केवल मात्र राजस्थान, जिसमें 19 प्रतिशत शिक्षित लोग हैं, में पहले आप एक करोड़ खर्च कर रहे थे और आज आप 85 करोड़ खर्च करने जा रहे हैं। आज शिक्षितों की संख्या बढ़ी है। पहले की जनगणना के अनुसार एक करोड़ 30 लाख निरक्षर थे आज की जनगणना के अनुसार राजस्थान में करीब दो करोड़ अशिक्षित हैं लेकिन उसके बावजूद 85 करोड़ खर्च हो रहा है। मैं इस बात के लिये तो मुबारक देता हूं। अभी माननीय सदस्य यहां हैं नहीं, मैं उनकी गलतफहमी का निराकरण करना चाहता हूं। आपने विज्ञान की शिक्षा पर ध्यान दिया है और आपने उसके अच्छे रिजल्ट्स दिये हैं। मुझे दिल्ली में एक मित्र कह रहे थे कि राजस्थान के हायर सैकेन्डरी के ऊपर के जो रिजल्ट्स हैं वे सराहनीय हैं और राजस्थान के काफी प्रयास टेक्निकल एजूकेशन के रहे हैं। अभी तकनीकी प्रशिक्षणार्थियों ने, जिसमें आई०टी०आई० के प्रशिक्षणार्थी थे, हिस्सा लिया था। मुझे भी उसको देखने का सौभाग्य मिला है। मैं कह सकता हूं उन लड़कों की रुचि को जिस प्रकार जाग्रत किया है उनमें और रुचि जाग्रत करें तो जो शिक्षित रोजगारों की बाढ़ खड़ी है-50 लाख शिक्षित कर पाये हैं और 50 लाख में ग्रेजुएट और आगे निकल कर जाते हैं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करते हैं तो मैं यह मानकर चलता हूं कि आप राजस्थान की ही नहीं सारे देश की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं।

हमारे यहां 50 लाख शिक्षित हैं इनमें अध्यापक भी हैं जो एक लाख के आस पास है-प्राइमरी और सैकेन्डरी के-उन सबको मिलाकर लगभग यह संख्या आ जाती है। मैं निवेदन करूंगा आपके यहां अब गर्मियों की छुट्टियां हो रही हैं और चाहे आप अध्यापकों को 1-1 वेतन वृद्धि दीजिये लेकिन यहां एक अभियान चलाइये कि एक अध्यापक 50 व्यक्तियों को साक्षर करें।

मैं राजस्थान विश्वविद्यालय की तारीफ करना चाहता हूं। उन्होंने अभी जयपुर शहर में साक्षरता का अभियान छेड़ा है और जयपुर में उनके केन्द्र चल रहे हैं। मैं शिक्षा मंत्रीजी,

(श्री श्रीराम गोदेवाला)
आपसे भी इसलिये निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान के ऊपर यह एक कलंक है, राजस्थान शिक्षा के मामले में जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सारी स्टेट्स से पीछे है। हमें इस कलंक को दूर करना है। राजस्थान के पास प्रतिभा है, राजस्थान के पास धन है। माननीय दीपंकर जी जैसा कह रहे थे, मैं एक ही सेठ नहीं पचासों सेठों के बारे में कह सकता हूं जो अपने नाम से, अपने पिता के नाम से या किसी और के नाम से स्कूल बिल्डिंग देने को तैयार हैं। हम उन बिल्डिंगों को किस रूप में ले सकते हैं, यह देखना चाहिये। आज जो अशिक्षा का वातावरण बना हुआ है उसको किस प्रकार दूर कर सकते हैं, इस पर चिन्तन करना चाहिये।

मैं विज्ञान की शिक्षा के बारे में निवेदन कर रहा था। मुझे एक बात राष्ट्रीयकृत पुस्तक मंडल के बारे में कहनी है। कई बार कहा गया है कि समय पर पुस्तकें नहीं मिलीं। गत बार आपने आश्वासन दिया था और इस बार हमें छात्रों की तरफ से यह शिकायत सुनने का अवसर नहीं मिला। मैं आगे भी कहना चाहता हूं 8वीं तक की जो व्यवस्था की है उससे 9वीं, 10वीं व 11वीं कक्षा तक की पुस्तकों का प्रकाशन भी राष्ट्रीयकृत पुस्तक मण्डल ले ले तो अच्छा रहे। आज दूसरे प्रकाशन इन पुस्तकों को बहुत ऊंची कीमत पर बेचते हैं। इसलिये मैं मांग करूंगा, इसका भी राष्ट्रीयकरण करके समय पर पुस्तकें उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें ताकि हमारे छात्रों को बहुत ऊंची कीमतें देकर पुस्तकें नहीं पढ़नी पड़े और ठीक ढंग से एक प्रकार की व्यवस्था हो सके।

इसके साथ ही जहां मैंने पुस्तकों की और इसकी बात की है मैं इस बात के साथ साथ ही आपसे इस बारे में भी निवेदन करूंगा कि हमारी युनिर्वसिटी से जो छात्र निकलते हैं, आज जो उनका मानस है, आज जो उनकी स्थिति है वह बड़ी दयनीय है। युनिवर्सिटी से निकलने वाले छात्र को यह पता नहीं कहां जायें, किस जगह जायें, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कृपा करके आप इस बारे में अवश्य व्यवस्था करें। छात्र जब पढ़ पढ़ कर निकलते हैं मैंने कई जगह देखा है प्लान्ड वे में प्राइमरी स्कूल, हायर सैकेन्डरी स्कूल तक कम्पलसरी एजूकेशन चलती है, मैं यह तो नहीं कहता हूं, क्योंकि अभी तक हम इस लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हैं लेकिन मैं मांग करूंगा प्राइमरी एजूकेशन हम कम्पलसरी करें। हमने हमारे संविधान में इस बात को बुनियादी सिद्धान्त माना है, आप अभी कितना कर पाये हैं। मैं कुछ कह नहीं सकता हूं लेकिन आप जैसे हिम्मत और हौसले वाले व्यक्ति यह फैसला कर लें तो इस सारी बात को सम्भव बना सकते हैं। मैं बहुत कम मांग कर रहा हूं प्राइमरी तक कम्पलसरी कीजिये और इसके बाद जिस प्रकार की छात्र की रुचि देखें, उसी प्रकार उसको आगे बढ़ायें।

जो शिविर लगाये गये हैं, आपकी इस पुस्तिका से जानकारी मिली है, 250 छात्रों का शिविर लगा था, उसमें से 35 लड़के छांटे गये हैं, यह संख्या काफी अच्छी है। 35 हजार की जो छात्रवृत्ति मिलती है और 35 छात्र, राजस्थान के अन्दर 10 प्रतिशत की संख्या यह देश के हिसाब से बहुत अच्छी है। मैं अनुरोध करता हूं कृपा करके इस प्रवृत्ति को और आगे बढ़ायें।

संस्कृत एजूकेशन के बारे में एस०टी०सी० का स्कूल है जहां तक मुझे जानकारी है

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

वह सारे देश में राजस्थान में ही है और इसकी स्थापना के लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

उर्दू अकादमी की आपने स्थापना की। उसके लिये भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन एक बड़ी कमी को आपने पूरा नहीं किया। राजस्थानी अकादमी की आपने स्थापना नहीं की। सब लोग इस बात को जानते हैं कि आपका राजस्थानी से बहुत बड़ा लगाव रहा है। मैं कई संस्थाओं में गया हूं और कई जगह गया हूं वहां राजस्थानी भाषा को प्रोत्साहन देने की बात कही गयी है। विदेशों में चर्चा हुई, मुझ से पूछा गया कि आपने राजस्थानी भाषा को क्यों नहीं शामिल करवाया। मास्को के लोग इस बात को जानने के लिये बहुत उत्सुक थे कि राजस्थानी भाषा की कोई व्याकरण उपलब्ध है, कोई साहित्य उपलब्ध है। मैं बाहर की बात नहीं कहता। बंगाल की ही बात कहता हूं। कलकत्ता मैं गया तो वहां के लोग कहते थे कि राजस्थान और राजस्थानी भाषा के ज्ञान के संबंध में यहां पर बड़ा अन्धकार है, हम यह मान कर चलते हैं कि राजस्थान के साहित्यकारों का और राजस्थानी साहित्य के लेखकों का हम नाम भी नहीं जानते हैं। शिक्षा मंत्रीजी, हमारे लिये यह शर्म की बात है। जिस प्रकार का गौरव हमारे प्रान्त का रहा है उसकी भाषा को प्रोत्साहन देने के लिये कोई आप अकादमी की स्थापना न करें, उसके लेखकों को, उसके साहित्यकारों को, रुचि रखने वालों को प्रोत्साहित न करें तो यह उचित बात नहीं लगती है। इसलिये मेरा आप से साग्रह निवेदन है कि राजस्थानी को प्रोत्साहन देने के लिये आप एक स्वतंत्र अकादमी की स्थापना करें। तीनों अकादमियों के मुख्यालय हों। मैं क्षेत्रीयता की बात नहीं करूंगा कि जयपुर में मुख्यालय होना चाहिये लेकिन किसी भी जगह मुख्यालय खोलिये। आपने कायम नहीं किये तो लेखकों, साहित्यकारों, कलाकारों को जो प्रोत्साहन मिलना चाहिये वह नहीं मिल पा रहा है। यह भी अनुरोध करूंगा कि संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी में सुधार की आवश्यकता है। राजस्थान के संबंध में जितना काम होना चाहिये उतना नहीं हो रहा है। मैं किसी अधिकारी की आलोचना भी नहीं करना चाहता। जैसा गफ्फार साहब फर्मा रहे थे कि हमारे यहां की कला उच्च शिखर पर थी वह आज मृत प्राय: है और समाप्त प्राय: है। उसको प्रोत्साहन की बहुत आवश्यकता है। वह क्यों नहीं मिल पाता है? मैं अनुरोध करूंगा कि व्यक्तिश: आप इन सारी चीजों को देखें कि आप किस प्रकार से अकादमियों को सक्रिय कर सकते हैं। आप स्वयं इसके बारे में सोचें और इसको देखें।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

दो मिनिट और लूंगा।

आपने वनस्थली विद्यापीठ और उदयपुर के विद्याभवन को ओटोनोमस बाडीज मान लिया। जयपुर में भी निजी विद्यालय हैं, निजी तौर पर चलते हैं और जिस प्रकार की समाज को शिक्षा की आवश्यकता है उसके अनुसार शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं। राष्ट्रपति से लेकर एक साधारण आदमी तक सब इस बात को कहते हैं कि लार्ड मैकाले के द्वारा चलाई हुई पद्धति, जो कि बाबू क्लास पैदा करती है, की आज आवश्यकता नहीं है। मैथलीशरण गुप्त के शब्दों में मैं निवेदन करूंगा कि यह शिक्षा पद्धति केवल क्लर्क;

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
बाबू पैदा करती है और घरवाली की जूतियां तक खाने की नौबत आ जाती है। इस देश की आवश्यकताओं के अनुरूप आज की शिक्षा, पद्धति नहीं है। कई शिक्षण संस्थायें हैं हायर सैकेण्डरी शिक्षण संस्थायें चलती हैं उनको भी अधिकार दें। कई योजनायें बना रखी हैं।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : आप भी कोई सौरठा और छन्द कहने जा रहे हैं ?

**श्री राम गोटेवाला** : वे खुद ही शिक्षा मंत्रीजी हैं सारी बातें वह ही कहेंगे। मैं तो मांग कर रहा हूं कि उनको अधिकार देने चाहिये।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : वे तो सौरठा हैं आप छन्द कहिये।

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : मैं एक बात और निवेदन कर दूं कि 68–69 में आपने कई शिक्षण संस्थाओं को हायर सैकेण्डरी क्लासेज खोलने की इजाजत दी। लेकिन पांच साल के बाद भी उनको ग्रान्ट-इन-एड देनी थी वह किन कारणों से नहीं दी ? ग्रान्ट-इन-एड न देने के कारण ये संस्थायें छात्रों से अधिक फीस वसूल करती हैं। उनकी चार कैटेगरीज हैं। उन्होंने सारा कर्ज तो कर लिया और अब क्यों नहीं उन संस्थाओं को, जिनसे आपने वायदा किया था, पैसा देते हैं, ग्रान्ट-इन-एड देते हैं ? मैं निवेदन करूंगा कि आप उन संस्थाओं को पैसा दिलायें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनिट, सभापति महोदय।

पुरातत्व विभाग के संबंध में दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा। यह विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है लेकिन इसके अन्दर बजट का अभाव है। भूतपूर्व रियासतों में काफी संख्या में पुरातत्व की सामग्री उपलब्ध थी। लेकिन ठीक प्रकार से उसकी व्यवस्था न हो सकने के कारण बाहर के लोगों को वे अमूल्य वस्तुयें देखने को नहीं मिलतीं। इसके लिये आप देखें और व्यवस्था करें। पुरातत्व सामग्री या तो नष्ट होती जा रही है या लोगों ने अनधिकृत रूप से उन पर कब्जा कर लिया है। उनकी सम्हाल नहीं हो पाती है। झाड़ू भी नहीं निकल पाती है। मैं अनुरोध करूंगा कि उनको ठीक करने की व्यवस्था करें।

आपने बुक बैंक की योजना चालू की है। यह बहुत ही अच्छा प्रयास है जो आपके विभाग की ओर से किया गया है। आपके शिक्षा विभाग ने शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया है उसके लिये हम आभारी हैं। लेकिन कुछ माननीय सदस्यों और कुछ लोगों की ओर से अभियान चलते हैं उससे कई संस्थाओं की बदनामी का बुरा असर पड़ता है। इसलिये मैं शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा और अनुरोध करूंगा कि इस बात को देखें। पर्टीकुलरली वनस्थली विद्यापीठ के बारे में निवेदन करूंगा कि मेरी व्यक्तिशः इस संस्था के बारे में जानकारी है। अच्छे ढंग से यह शिक्षण संस्था चल रही है और अपनी सानी की एक ही यह संस्था है पूरे देश में। एक अध्यापक का मामला हो गया उसको लेकर शिक्षण संस्था को बदनाम किया जाता है वह गलत काम है और उसको रोका जाना चाहिये।

शिक्षा विभाग की ओर से प्रकाशन निकल रहे हैं। शिविरा हों या नये प्रकाशन

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

हों। उनके लिये तारीफ सुनने को मिली है और मुझे बताया गया है कि सारे देश में राजस्थान का शिक्षा विभाग ही एक विभाग है जिसने इस प्रकार की पत्रिका निकाली है जिसमें पढ़ने लिखने की सामग्री ठीक तरह से निकलती है। राजस्थानी में जो पुस्तकों का प्रकाशन हो रहा है, राजस्थानी में लेखक रचनायें लिख रहे हैं उनको भी प्रोत्साहन देना चाहिये। इसके लिये आवश्यक कार्यवाही करें। कुछ आज भी जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि राजस्थानी के लेखकों को पूरा प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, आप सक्रिय हो कर इस बात के लिये कदम उठायें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

**श्री सभापति** : कृपया समाप्त करिये।

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : सभापति महोदय, समापन कर रहा हूं।

हमारे यहां पर पब्लिक संस्थायें चलती हैं। एक तरफ तो हम समाजवादी व्यवस्था करने की सोचते हैं और दूसरी तरफ ये संस्थायें हैं जहां पर लिमिटेड लोगों के बच्चे ही शिक्षा प्राप्त करते हैं। सैण्ट जैवियर है, सैंट एन्जिला है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां समाज में वर्गभेद को मिटाना चाहते हैं निश्चित रूप से यह मान कर चलिये कि वर्गभेद इस प्रकार की संस्थाओं के रहते नहीं मिट सकता क्योंकि जितने भी अधिकारी बनते हैं, उद्योगपति बनते हैं वे सारे इन स्कूलों में से निकल कर जाते हैं। हम साधारण आदमियों के बच्चों के लिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं कर पा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप कम से कम 30 प्रतिशत स्थान यहां पर गरीब लोगों के बच्चों के लिए रिजर्व कराइये ताकि उनको भी विकास का सही जरिया उपलब्ध हो सके। हमारे यहां व्यवस्था इस ढंग की होनी चाहिए कि अन्य कार्यक्रमों के अनुसार हम प्रारम्भ से ही बच्चों को अच्छी शिक्षा में ढालें, चाहे किसी का भी बच्चा हो क्योंकि बच्चे एक तरह से जन्मते हैं और एक ही तरह की बुद्धि होती है। इसलिए उनका विकास करना आवश्यक है। मैं यही कहना चाहता हूं कि साधारण आदमियों के बच्चों को हम अच्छी शिक्षा दिला सकें उसके लिए व्यवस्था करें।

**श्री सभापति** : श्री जयकिशन लाल।

**श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा** (फागी) : आदरणीय सभापति महोदय, आज सदन के अन्दर न्याय, प्रशासन, शिक्षा और कला एवं संस्कृति की मांगों पर विचार किया जा रहा है। शिक्षा की दृष्टि से हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। राजस्थान प्रान्त के अन्दर केवल 19 प्रतिशत ही शिक्षित हैं। यह कोई सार्थकता की बात नहीं है। यदि शिक्षा सही रूप में हम प्रत्येक व्यक्ति को देना चाहते हैं तो उसके लिए हमें किसी न किसी प्रकार की योजना निर्धारित करनी पड़ेगी। केवल किताबों के अन्दर ही ऐसे नियम बना दिये जायें और अभ्यास स्वरूप में समाज में उपस्थित नहीं करें तो उसका कोई लाभ नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आज का विद्यार्थी, जो भविष्य के लिए बहुत भारी आकांक्षायें लेकर उपस्थित होता है, वह मैट्रिक पास करता है, बी० ए० में प्रविष्ट होता है, एम० ए० करता है, एलएल० बी० करता है, पीएच०डी० और डी० लिट० आदि

(श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा)

आदि की उपाधियां प्राप्त करता है लेकिन उसके बाद भी उसका भविष्य अंधकार में रहता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि विद्यार्थी को शिक्षा देने से उसके भविष्य में किस प्रकार की अच्छाइयां हम ला सकें या सारी की सारी स्थिति जब तक हम पैदा नहीं करें वह कॉलेज और स्कूल से निकलने से पहले ही अपने भविष्य का सही रास्ता नहीं ढूंढ़ लें तब तक शिक्षा पद्धति वास्तविक रूप से समाज के लिए सही सिद्ध नहीं हो सकती। इसलिए मेरा निवेदन है कि प्रत्येक विद्यार्थी भविष्य के अन्दर शिक्षा की दृष्टि से कैसे आगे बढ़ सकता है, किस प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है यह सारी की सारी व्यवस्थाएं उसके जीवन में कर दी जायें तब ही जाकर शिक्षा देना सार्थक हो सकता है अन्यथा ऐसी शिक्षा व्यर्थ है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हर समय इस प्रकार की योजनायें बनाई जाती हैं:

**श्री सभापति** : आर्डर प्लीज। एक बात मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि समय के अभाव को देखते हुए जो आपके कटमोशन हैं उनके ऊपर ही बोलें तो अच्छा ज्यादा रहेगा। वरना आप इसके ऊपर बोलकर फिर कटमोशन पर बोलना चाहेंगे तो समय ज्यादा लग जायेगा। इसलिए आप इसका ध्यान रखें।

**श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा** : तो मेरा निवेदन था कि हम योजनायें बनाकर विद्यार्थियों को सही रूप में आगे तभी ला सकते हैं जब हम उनके भविष्य को सुधारें। कॉलेज से निकलने के बाद विद्यार्थी यह सोचें कि आगे जीवन में वह क्या करें। यह उचित नहीं है। यह व्यवस्था नहीं होगी तब तक हमारे देश का प्रत्येक विद्यार्थी अपने जीवन को सफल नहीं बना सकता।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि आज हम शिक्षा स्तर पर इस प्रकार की योजनायें लेकर चलते हैं कि हरिजन जाति के व्यक्तियों को या अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों को शिक्षा की दृष्टि से अच्छे साधन देना चाहते हैं या उनको छात्रवृत्ति देना चाहते हैं, छात्रवृत्ति देकर उनको आगे की ओर बढ़ाना चाहते हैं, एक उदाहरण मैं आपको दूंगा संस्कृत विभाग का। मेरे क्षेत्र फागी तहसील का एक विद्यार्थी है जो कि एम०ए० संस्कृत में फर्स्ट क्लास फर्स्ट है और नम्बर दो राजस्थान में भी फर्स्ट क्लास फर्स्ट है और केवल मात्र इतनी सी भूल के कारण वह बैठा हुआ है कि संस्कृत डिपार्टमेंट के अन्दर लेक्चरार की उम्र होनी चाहिए 20 वर्ष की और प्रोफेसर की उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष की। यह कौन सा न्याय है? यह समझ में नहीं आता कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि शिक्षा स्तर के अन्दर हम सारी बुराइयों को मिटाकर अच्छाइयां लाना चाहते हैं लेकिन दूसरी तरफ हमारे शिक्षा विभाग के अन्दर इस प्रकार भयंकर की भयंकर गलतियां हैं। केवल मात्र इसलिये दो साल से वह विद्यार्थी बैठा हुआ है कि वह 30 साल का नहीं हो पाया है और दूसरी गलती दिखाई, सभापति महोदय, उसको पहले शाहपुरा के अन्दर नियुक्त कर दिया गया। संस्कृत शिक्षा संस्थान ग्रुप नं० 2 पंजीयन 2174175:252189 डेटेड 5-9-75 के आधार पर शाहपुरा में एक रोज तो सलेक्शन कर दिया जाता है और दूसरे रोज

( श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा )

ही संस्कृत शिक्षा संस्थान ग्रुप नं० 1 पंजीजन 111975-7612596-60 डेटेड 17-9-75 से उसकी नियुक्ति कैंसिल कर दी जाती है और केवल इस आधार पर कि उसकी एज 30 वर्ष की नहीं है। जब कि दूसरा उदाहरण देखिये उसी आधार पर, माननीय सभापति महोदय, जो श्रीमती वीना श्रीवास्तव, प्रवक्ता, संस्कृत महाविद्यालय, जयपुर का है। उनका क्यों अन्डर-एज के अन्दर सलेक्शन किया ? यह क्या है ? उसकी भी ऐज का सर्टीफिकेट मंगा लीजिए। वह बलाई जाति का लड़का है और मेरे फागी क्षेत्र का अमरपुर गांव का रहने वाला है। एक तरफ कहते हैं कि हम शिक्षा की स्थिति अच्छी कर रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसा अन्याय है। मंत्री महोदय के सामने रिप्रेजेन्टेशन दिलाया है, एजूकेशन कमिश्नर के सामने भी दिलाया है, डाईरेक्टर साहब को भी दिया है और अग्रवाले साहब बैठे हैं डिप्टी सैक्रेटरी उनको भी दिया है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : अंधों के आगे रोओ और अपने नैन खोओ।

**श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा** : यह वास्तविकता में क्या है, पता नहीं है। एक तरफ हम कहते हैं कि शिक्षा की दृष्टि से हरिजनोत्थान करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी ओर उन्हीं के विद्यार्थियों को दबोचा जा रहा है और सवर्ण जाति के केन्डीडेट को प्रोत्साहन देकर दो वर्ष से उसी संस्था में नियुक्त किया जा रहा है। यह क्या है ? इसलिए मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह क्या है ? हम बड़ा बवंडर मचाना चाहते हैं कि ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता देखी जाये तो यह है।

एक उदाहरण और देना चाहता हूं और शिक्षा विभाग की भूल आपके सामने रखना चाहता हूं। अभी गत वर्ष सैकिण्ड ग्रेड के टीचर्स थे उनका प्रमोशन कर दिया गया और उन प्रमोशन के बारे में शिक्षा विभाग के अन्दर ज्वॉइन्ट डाइरेक्टर साहिब बैठे हुए हैं उनके सामने कहा था। उन्होंने यह बात मानी है। इसके अन्दर यह है कि एक पूरनमल शर्मा है यह मेरे क्षेत्र के हैं और इसके अलावा तीन अध्यापक और हैं। कुल मिलाकर 4 हैं जिनके अलग अलग सैकेन्डरी स्कूल के नाम बताऊंगा तो ज्यादा समय लगेगा लेकिन उनको अलग-अलग नियुक्त कर दिया गया है केवल मात्र शिक्षा विभाग की भूल के कारण इसके अन्दर आप देखिए राजस्थान एजुकेशनल सबआर्डीनेट सर्विस रूल्स, 1971, शिक्षा विभाग के रूल्स हैं अपोइन्टमेंट करने के कि किस ग्रेड के व्यक्ति को किस जगह नियुक्त करना चाहिए, कब-कब उसका प्रमोशन कर देना चाहिए और प्रमोशन में यदि कमी रह गई तो रिवर्शन कर देना चाहिए। डिपार्टमेंट की भूल उस वक्त नहीं दिखती। हम लोग जगह-जगह जाकर चिल्ला कर आ गए। रूल्स और रेगुलेशन की किताब बनी हुई है, सबके सामने रखी लेकिन फिर भी कुछ नहीं। रूल्स और रेगुलेशन के कालम नम्बर 4 के नीचे जो पेराग्राफ है, कॉलम नम्बर 6 में भी है। इनसे आज तक दिक्कत मिट जाती। लेकिन किसी को देखने की

(श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा)

फुरसत ही नहीं है। शिक्षा मंत्री लम्बी-चौड़ी बातें करते हैं कि शिक्षा विभाग में यह परिवर्तन कर दिया, वह परिवर्तन कर दिया और एक माननीय सदस्य शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद दे रहे थे लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है कि ऐसी कमियों को भी नहीं देखते। यह नहीं देखते कि मेरे विभाग में कितनी खामी है। उसकी जरा सी भूल के कारण गरीब अध्यापकों का नुकसान हो रहा है। यह मामला कोई फागी का ही नहीं है, अन्य क्षेत्रों का भी यही हाल है। (व्यवधान-अश्रव्य) आप अपने क्षेत्र के लिए नहीं चिल्लाते हो। अपने क्षेत्र की बात कहने का अधिकार है।

**श्री मूलचन्द सामरिया** : ये तो शिक्षा मंत्री को एनकरेज करते हैं।

**श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा** : इतनी बड़ी भयंकर भूल है जिसको हम दुरुस्त नहीं कर सकते। बार-बार इन सारी चीजों को ले जाकर अधिकारियों के सामने रखा, हमारे मंत्री महोदय के सामने ले जाकर के रखा लेकिन उनके कान पर आज तक जूं ही नहीं रेंगी। एक तरफ तो हम कहते हैं कि शिक्षा विभाग बड़ी भारी उन्नति कर रहा है और दूसरी तरफ इतना बड़ा भारी अन्याय करते जा रहे हैं। जो गरीब अध्यापक हैं, हरिजन अध्यापक हैं, जो अपनी रोजी रोटी के लिए इधर उधर भटकते हैं, उनके ये सारे उदाहरण सामने हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि शिक्षा की दृष्टि से यदि किसी प्रकार की डिपार्टमेंट में कमी रहती है तो इन सारे नियमों को, रूल्स और रेगुलेशन जितने भी बने हैं, बनाने से पहले या संशोधन करने से पहले उनको कम से कम हमें देखना तो चाहिए। इतनी बड़ी लापरवाही किस काम की है? आगे जाकर बड़ी भयंकर भूलें शिक्षा विभाग में हो सकती हैं। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से निवेदन करना है कि इस प्रकार की व्यवस्था को देखें। इस प्रकार की व्यवस्था को नहीं देखेंगे तो वास्तव में इस प्रकार की कमियां चलती रहेंगी और आए दिन गरीब व्यक्ति इस अन्याय के नीचे पिसते रहेंगे। यह मेरा निवेदन है और इसके साथ ही मेरा निवेदन यह भी है कि छात्रवृत्तियों का प्रोविजन छात्र वर्ग के लिए रखा हुआ है। लेकिन गांवों के अन्दर आज छठी क्लास से छात्रवृत्ति देते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के विद्यार्थियों को, लेकिन आज तक विद्यार्थी गांव के अन्दर हर वर्ष फार्म तो जरूर भर देते हैं छात्रवृत्ति के लिए, लेकिन उनको यह पता नहीं है कि हमारा फार्म मंजूर भी होगा या नहीं! हमारे फार्म स्कूल में पड़े हैं या डिपार्टमेंट में चले गए, यह पता ही नहीं चलता। कई विद्यार्थी आकर शिकायत करते हैं। जिनको दो दो, तीन तीन साल हो गए, छठी से लेकर मैट्रिक, हायर सैकेंडरी तक जा पहुंचे, विद्यार्थी उनमें पढ़ते हैं उनको किसी प्रकार की कोई छात्रवृत्ति का सहयोग नहीं मिल रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सारे के सारे छात्रों को छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए और इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे वास्तव में गरीब बच्चों का भला हो सके।

मेरा दूसरा निवेदन है (समय-समाप्ति-सूचक घन्टी) न्याय प्रशासन पर भी दो मिनिट में बात कह देना चाहता हूं।

**श्री मूलचन्द सामरिया** : हाई कोर्ट की बात कह दो।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य बीच में नहीं बोलें, कई बार कह चुका हूं।

**श्री जयकिशनलाल लोसावड़ा** : प्रत्येक जनता को सुलभ न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए वह कैसे हो सकती है? वह तभी हो सकती है, क्षेत्रवाइज या जनसंख्या के आधार पर या गवर्नमेंट को कितनी रेवेन्यू किस क्षेत्र से अधिक उपलब्ध होती है उस आधार के ऊपर यदि कोर्ट्स की स्थापना कर दी जावे तो वास्तव में जो बीस सूत्री प्रोग्राम द्वारा हमारी भारतीय प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने हमारा आह्वान किया है, उस आह्वान की पूर्ति हम तब ही कर सकते हैं जब प्रत्येक समाज के व्यक्ति को सस्ता और सरल और आसानी से न्याय उपलब्ध हो जाय। वह तभी हो सकता है, सभापति महोदय, जब जिस हिसाब से क्षेत्र के अन्दर जितना रेवेन्यू अधिक उपलब्ध होता है उस आधार पर उस क्षेत्र के मध्य स्थित स्थान पर कोर्ट स्थापित कर दें। अभी स्थिति क्या है, सभापति महोदय, तहसील कहां लगती है और उसका सब-डिवीजन कहां है और मुंसिफ मजिस्ट्रेट कहां है। मेरे क्षेत्र की बात बता देना चाहता हूं कि फागी तहसील है चाकसू तहसील के पास। जब चाकसू और फागी तहसील दोनों तहसील मिला कर एक कांस्टीट्यूएंसी है तो चाकसू तहसील को सुविधा इसलिए है कि उसकी मुंसिफ कोर्ट जयपुर में लगती है। 25 मील दूर है और जनता आसानी से आ जाती है। लेकिन, सभापति महोदय, फागी तहसील की बड़ी भारी समस्या यह है कि उनका मुंसिफ कोर्ट जो है वह लगता है सांभर में। वहां से उस कोने से चलता है वह बेचारा आदमी, बरसात के दिनों में कहीं नदी आ जाती है, सड़क टूट जाती है इसलिए वह सही तारीख पर नहीं जा पाता इसलिए कि कोर्ट दूर है। जयपुर और फागी तहसील के बीच में केवल बीस माईल का फर्क है और हैडक्वार्टर से तीस माईल का फर्क है। अब वह जनता पचास माईल, 80 किलोमीटर से चल कर सांभर जाती है। सभापति महोदय, कई केसेज तो इसलिए खारिज हो जाते हैं, पब्लिक के लोगों को सजाएं हो जाती हैं कि वह समय पर नहीं पहुंचे। इतनी दूर जाने का साधन उपलब्ध नहीं होने के कारणवश वह अपनी तारीख पर उपस्थित होने से वंचित रह जाता है जबकि हमारी तहसील उस डिवीजन में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देती है। इसकी बाकायदा इंक्वायरी करवा लें, राजस्व मंत्री जी से करवा लें, डिपार्टमेंट से करवा लें, कोई भी इंक्वायरी कर लें, हमारी फागी तहसील रेवेन्यू सबसे अधिक देती है फिर भी उसका मुंसिफ कोर्ट वहां लगा हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस कोर्ट को यदि जयपुर में लगा दिया जावे, हमारी को जयपुर से जोड़ दिया जावे तो दिक्कत मिट जाय। चाकसू और फागी तहसील को मिला कर ग्राम में एडीशनल कोर्ट खोली जावे ताकि वहां की जनता को सस्ता न्याय मिल जाय। यह तो हम कह देते हैं कि प्रत्येक जनता को सुलभ न्याय मिलना चाहिए लेकिन क्षेत्र की वास्तविक दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है इसको जब तक हम नहीं देखेंगे तब तक सुलभ न्याय की प्राप्ति नहीं हो सकती, यह मेरा निवेदन है।

( समय-समाप्ति-सूचक घंटी )

(श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा)
एक मिनिट में एक बात और कह दूं.........

**श्री सभापति** : आप जल्दी समाप्त करें।

**श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा** : तो इसी प्रकार से, सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि आज हम ऐसी नीति तो बना रहे हैं कि हरिजनों और गरीब पिछड़े तबके के लोगों को सुलभ न्याय देना चाहिए। उनको वकील समाज कल्याण विभाग की तरफ से मुफ्त में मिलेगा। लेकिन आज तक नहीं मिला। कई बेचारे व्यक्ति कोर्ट में धक्के खाते फिर रहे हैं और धक्के खाने से वास्तव में न्याय प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कहीं पर जुर्माना हो जाता है, कहीं पर सजा हो जाती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की व्यवस्था करें, प्रत्येक गांव में ऐसा सर्वेक्षण करावें कि किस किस गांव में किस प्रकार के, किस धारा के तहत मुकद्दमे चल रहे हैं और उनकी कौनसी तारीख है। यदि वास्तव में गरीब को न्याय दिलाना चाहते हैं तो जिस समय उसकी तारीख हो, उस व्यक्ति पर, हरिजन पर जितने केस हों, गरीब तबके के लोग और मजदूर पर केस हों उन सब की एक ही तारीख निश्चित कर दी जावे और इन सारे केसेज के लिए वकील उपलब्ध हो जावे। यह तभी हो सकता है कि जब प्रत्येक ग्रामवाइज सर्वेक्षण करवा कर तहसील स्तर पर सूचना दी जावे कि तुम्हारे जितने केसेज हैं उनके लिए समाज कल्याण विभाग की तरफ से अपना वकील वहां मिलेगा। इस प्रकार से सुलभ न्याय उपलब्ध हो सकता है, यह मेरा निवेदन है। इसलिए इन सारी व्यवस्थाओं को देखें, चाहे शिक्षा की दृष्टि से देखें, चाहे वह कला की दृष्टि से देखें, चाहे भाषा की दृष्टि से देखें, भाषा विभाग के बारे में एक बात निवेदन कर दूं . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

**श्री सभापति** : अब नहीं, प्लीज समाप्त करें।

**श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा** : इसलिए मेरा निवेदन है कि यह सारी की सारी, शिक्षा की दृष्टि से, भाषा सम्बन्धी दृष्टि से, चाहे न्याय प्रशासन की दृष्टि से हो उनकी व्यवस्था को जब तक नहीं देखेंगे तब तक हमको इस प्रकार की परेशानियां होती रहेंगी। इसको एक प्रकार से सही ढंग से जब तक व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक कोई लाभ नहीं होगा। ठीक व्यवस्था करेंगे तभी जाकर हमारे समाज को वास्तव में लाभ मिल सकता है। यही कह कर मैं अपने विचारों को समाप्त करता हूं।

**श्री सभापति** : श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** (बानसूर) : सभापति महोदय, आज जो डिमांड हमारे सामने है उनमें न्याय, प्रशासन और शिक्षा मुख्य हैं। पहले शिक्षा के बारे में अर्ज करूंगा।

विभाग की जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, वार्षिक-विवरण उसमें विभाग का कार्य काफी अच्छा बताया गया है पर एक बात कहीं नहीं कही गयी है। पिछली बार जब इस डिमांड के बारे में बात हुई थी, मैंने मंत्री महोदय से निवेदन किया था कि हमारे राजस्थान में यौगिक शिक्षा के बारे

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

में ज्यादा से ज्यादा प्रचार और प्रसार होना चाहिये। उन्होंने अपने उत्तर में कहा था, और इस सदन को यह सूचना दी थी कि इस पर एक लाख रुपया रखा गया है। मैंने यह भी कहा था कि भारत सरकार इसके लिए पैसा देने को तैयार है। हिन्दुस्तान में यौगिक शिक्षा ज्यादा से ज्यादा हो, यह हमारी भारत सरकार की नीति है परन्तु यह जो रिपोर्ट आई है उससे यह पता नहीं लगता है कि इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ...

**श्री भीमसेन** : आप जब मन्त्री थे इस विभाग के उस वक्त यह क्यों नहीं किया ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : मैं उस वक्त इस विभाग का मन्त्री नहीं था। मेरे पास उस वक्त मेडिकल डिपार्टमेंट था। उस वक्त से यह योगिक सेन्टर चला है। भारत सरकार की ओर से मदद मिली है और वहां पर गवर्नमेंट की ओर से बीस बैड की फ्री व्यवस्था है। इसके मुकाबले और कोई दूसरा स्थान नहीं है। इसकी यहीं पर प्रशंसा नहीं हुई है बल्कि फारेन कन्ट्रीज में भी इसकी प्रशंसा की गयी है। बहुत से उच्च अधिकारियों ने इसका फायदा उठाया है। मैं माननीय सदस्यों से नम्रता से निवेदन करूंगा, जो भी किसी भी प्रकार की बीमारी हो, वे इसका लाभ उठावें। ऐसे ऐसे बीमार इस योगिक संस्थान में आये हैं जिनको कोई फायदा नहीं हो रहा है, उन्हें लाभ मिलेगा। इसलिए मैं नम्रता के साथ निवेदन करता हूं कि आजकल की जितनी भी बीमारियां हैं इनमें से ब्लड प्रेशर, पेट की बीमारियां निश्चित तौर पर इस योगिक संस्थान से फायदा हुआ ...

**श्री भीमसेन** : इसके लिए शिक्षा मन्त्री जी क्या करेंगे ?

**श्री सभापति** : आप कृपया डिस्टर्ब न करें। शिक्षा से आप मेडिकल पर चले गये ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह जो वार्षिक प्रतिवेदन है उसमें इस बात का कोई उल्लेख नहीं है। यह मेरी जानकारी में है और मुझे मालूम है कि इस सम्बन्ध में कुछ हो रहा है। इसके लिए माननीय शिक्षा मन्त्री और राज्य मन्त्री भी हां कर रहे हैं। इस मामले में मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूं जो कई बार यह बात इस सदन में कह चुका हूं। और शायद जो हमारे एम. एल. ए. यहां पर मौजूद हैं वे सोचते हैं मैं दकियानूसी बात कह रहा हूं। परन्तु यह हमारी संस्कृति और सभ्यता का मूल है। हमारी संस्कृति की दृष्टि से हमें इसको इम्पार्टेन्स देनी चाहिये। अगर हिन्दुस्तान का कोई आदमी बाहर जाता है और उससे योग के बारे में पूछा जाता है और उस आदमी को इसका ज्ञान नहीं है तो वे लोग कहेंगे, योग तो हिन्दुस्तान की संस्कृति है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि हम को अपनी संस्कृति और सभ्यता को नहीं भूलना चाहिए।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। हमारी यह जो महान् संस्कृति रही है उसका मूल संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा की प्रगति के बारे में इस विवरण पुस्तिका में बताया गया है परन्तु जितनी प्रगति होनी चाहिये उतनी नहीं हुई है। सारी दुनियां के लोग यह अनुभव करते हैं कि हमारी सभ्यता का जो मूल है वह

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

संस्कृत भाषा है। इसलिए इसके महत्व को हमें जानना चाहिये। मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि बहुत से विदेशी लोगों ने भी संस्कृत का अध्ययन किया है। कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस थे जो इंग्लैन्ड से आये थे और वे कई साल तक जज रहे, और चीफ जस्टिस भी रहे, उन्होंने हमारी संस्कृत भाषा का अध्ययन किया और संस्कृत भाषा का अध्ययन करने के बाद उन्होंने योग का भी अध्ययन किया। उन्होंने एक पुस्तिका भी लिखी 'कुण्डलिनी योग' यह हमारी लाइब्रेरी में है। मेरी समझ में भी यह पुस्तक नहीं आती कि क्या क्या लिखा है। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि पश्चिम से आये आदमियों ने हमारे वेद, पुराण, संस्कृत ग्रन्थों का अध्ययन किया और वे इनके प्रशंसक हैं परन्तु हम इस भाषा को भूल गये हैं। यह हमारी गलती है हमारे एजूकेशन डिपार्टमेंट को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

इसके साथ ही एक बात और निवेदन कर देना चाहता हूं बीस सूत्री कार्यक्रम के सम्बन्ध में। दो रिपोर्ट हैं एक तो विभाग की और दूसरी यूनीवर्सिटी की। हमने बीस सूत्री कार्यक्रम लागू किया है--क्योंकि हम देश में सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति करना चाहते हैं। शिक्षा के जरिए हमको इसका प्रचार प्रसार करना चाहिये। हम देश का नव-कल्याण करना चाहते हैं और देश के विद्यार्थियों में यह भावना नहीं भर सके कि देश में आध्यात्मिक, सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति क्यों होनी चाहिये तो मैं समझता हूं हम इस बीस सूत्री कार्यक्रम को कामयाब नहीं कर सकेंगे। यह जरूरी है। थोड़े दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट के एक जज श्री कृष्ण अय्यर का एक भाषण आया था। उन्होंने यह कहा था कि एम०एल०एज०, हाई कोर्ट के जज, इन सब के विचारों में क्रान्ति होनी चाहिये। हम अपने मुल्क में प्रजातन्त्र के जरिए आर्थिक और सामाजिक क्रान्ति करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इसमें कामयाब हो सकें। सभापति महोदय, मैं नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में हमने अहिंसा के जरिए आजादी ग्रहण की और दुनिया के इतिहास में वह निराली है। आज जो प्रयास कर रहे हैं और दूसरे मुल्कों ने जो प्रगति की है वह तलवार के जोर पर की है। हम आज प्रजातंत्र को कायम रखते हुए ही प्रगति करना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं जो दुनियां के इतिहास में अद्वितीय है, अगर कामयाबी हो जाती है तो इसका मूल क्या है? आर्थिक और सामाजिक क्रान्ति क्यों होनी चाहिये, गरीबी क्यों मिटनी चाहिये? इसके मिटाने से क्या फायदे हैं! यह भावना बच्चों के अन्दर भरने और उनको बताने का कार्य हमारे अध्यापक का कार्य है, शिक्षा विभाग का कार्य है। इसलिए वह यह प्रचार, प्रसार करे और हमारे बच्चों और अध्यापकों को यह शिक्षा दे, इसकी आज परम आवश्यकता है। हम बहुत सी बातों का अध्ययन करते हैं। हमने भी एम० ए० में पोलिटिक्स पढ़ी है। बहुत सी बातें बताई जाती हैं परन्तु मैथेमेटिक्स को भूल जाते हैं। उस जमाने की कितनी बातें आज याद रही हैं। आजादी की लड़ाई के जमाने में यह आसान काम था लेकिन आर्थिक और सामाजिक क्रान्ति के बारे में हर एक आदमी का दिमाग साफ होना चाहिये? गरीबी क्यों मिटनी चाहिये?

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

यह हमारा आध्यात्मिक धर्म है, यह हमारी मोरल ड्यूटी है, यह हमारे धर्म का एक अंग है। यह शिक्षा हमको देनी चाहिये। मैं समझता हूं कि हमारे शिक्षा मंत्री और राज्य मंत्री दोनों ही बहुत योग्य हैं और उन्होंने अपनी योग्यता से इस विभाग को संभाल लिया है। वे इस बात पर जरूर ध्यान देंगे।

कुछ छोटी छोटी बातें और कहना चाहता हूं। पिछली बार भी कही थी। हमारे अलवर जिले में डिप्टी इन्सपेक्टर की पोस्ट होनी चाहिये। अलवर जिले में बहुत से स्कूल बढ़ गये हैं। उनकी रोज की आवश्यकता को देखते हुए यह जरूरी है कि वहां पर हैडक्वार्टर हो। एक पोस्ट को कन्वर्ट करके हमारे इलाके के लड़कियों के जो स्कूल हैं, उनके अध्यापक अध्यापिकाओं के लाभ के लिए यह करना चाहिये। उनको लाभ होगा। आशा है इस सम्बन्ध में सरकार उचित ध्यान देगी। मुझे जानकारी है कि पिछले साल से इस बात का जिक्र चल रहा है, सभापति महोदय, और उसके आंकड़े मांगे भी जा रहे हैं, लेकिन इस साल यह बात हो जानी चाहिए।

दूसरी एक बात और मैं कहना चाहता हूं हमारे यहां पर अलवर में एजूकेशन डिपार्टमेंट के डिप्टी इन्सपेक्टर हैं, सारे राजस्थान में ट्रेन्ड डिप्टो इन्सपेक्टर्स बहुत से काम कर रहे हैं उनके लिए एक समस्या पैदा हो गई है और उनके लिए जो योग्यता प्रेस्काइब की गई है वह है 10 साल का एक्सपीरियन्स और सैकण्ड क्लास ग्रेजुएट। उनको आपने ट्रेनिंग दे रखी है। उनके लिए न तो डी० पी० सी० बैठती है और न उनका सलेक्शन होता है और न उनको 4-5 महीनों से तनख्वाहें मिल रही हैं। उनका सलेक्शन भी नहीं होता है। इसलिए मैं नम्रता के साथ में निवेदन करना चाहता हूं कि यह सारे राजस्थान की समस्या है। मैं अपने क्षेत्र की ही बात नहीं कहना चाहता हूं लेकिन जानकारी के हिसाब से निवेदन करना चाहता हूं कि जो मौजूदा लोग हैं उनकी क्वालिफिकेशन्स को रिलेक्स करके उनके लिए डी० पी० सी० बैठाकर उनका सलेक्शन करें। उनकी 10 साल की सर्विस हो गई है। यह एडहॉक मामला कब तक चलता रहेगा। उनको एक्सपीरिएंन्स तो है ही लेकिन सैकण्ड क्लास ग्रेजुएट नहीं हैं तो थर्ड क्लास को भी लें और समस्या को समाप्त करें।

इसी तरह से एक बात और मैं कहना चाहता हुं। आपकी यह ग्रन्थ अकादमी है जिसके डाइरेक्टर की पोस्ट खाली है। मुझे यह जानकारी मिली है कि पर्चेजेज में भारी गड़बड़ हुई थी और उसकी सी० बी० आई० ने एन्क्वायरी की है। उसमें तो मैं जाना नहीं चाहता। यह विभाग का काम है कि क्या एक्शन ले। आपने वहां पर एक पार्ट टाइम आदमी को लगा रखा है। एक शख्स आलरेडी उस पोस्ट पर काम कर रहा है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं चाहे उन्हें आपने लिया हो लेकिन फुल टाइम एपाइंट कर दें क्योंकि यह बड़ी इम्पार्टेन्ट पोस्ट है। आपने एप्लीकेशन्स इन्वाइट की हैं, उसका निर्णय जल्दी होना चाहिए और फुल टाइम आदमी लगाना चाहिए ताकि आइन्दा ऐसी गड़बड़ नहीं हो और ऐसी फेक पर्चेजेज आइन्दा न हो। इसकी सी० बी० आई० ने एन्क्वायरी की है।

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं। ट्रान्सफर्स के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। आपका ऐलान होता है कि जुलाई के बाद ट्रान्सफर्स नहीं होंगे। उसकी आप तारीख बढ़ा देते हैं और अगस्त में ट्रान्सफर्स होते हैं। फिर कह देते हैं, शायद 15 जनवरी के बाद, ट्रान्सफर्स नहीं होंगे। यह ट्रान्सफर्स की बात कब तक चलती रहेगी ? आखिर में राजस्थान सरकार के सभी विभागों में यह बीमारी है लेकिन शिक्षा विभाग के लिए इसलिए मैंने कहा है कि इसके जो मंत्री महोदय हैं वह सहृदय हैं, बड़ी योग्यता है उनमें और जो स्टेट मिनिस्टर हैं यह भी बड़े योग्य हैं। लेकिन यह समस्या इतनी बड़ी है ट्रान्सफर की समस्या कि इसको हल करना चाहिए। आप कह दें कि 15 जुलाई या 15 अगस्त के बाद आयन्दा ट्रान्सफर नहीं होंगे ताकि यह झगड़ा खत्म हो जाय। ट्रान्सफर वाले हमको बड़ा परेशान करते हैं।

**श्री ओंकारलाल चौहान** : अब आपके पास काम ही ट्रान्सफर का है।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : मैं एक बात और कहना चाहता हूं। पिछले साल दो आइटम मैंने छोड़ दिये थे। एक तो यह है कि आपने 200 मिडिल स्कूल का कहा है, लेकिन मिडिल स्कूलों की आवश्यकता है नहीं, हायर सैकेण्डरी स्कूलों के बारे में कई जगहों से डिमाण्ड आ रही हैं उसको कम्पलीट करने के लिये मिडिल स्कूलों के बजाय हाई स्कूल खोलने से यह समस्या हल हो सकती है। मेरे सामने इसकी बड़ी समस्या है।

अब मैं न्याय प्रशासन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हमारे यहां पर बहरोड़ सब-डिवीजन है, अलवर जिले में तो उसमें दो तहसीलें हैं बहरोड़ और बानसूर, और बानसूर मेरा चुनाव क्षेत्र है। मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट्स दोनों जगह के लिए हैं लेकिन दोनों कोर्ट का हैडक्वार्टर बहरोड़ में है। मैंने एक प्रश्न पूछा था उसका जवाब भी आया है और सिंघल साहब हाई कोर्ट के जज थे उनसे भी कहा था। वह समस्या को जानते थे क्योंकि वह हमारे यहां अलवर स्टेट के समय तहसीलदार और मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की पोस्ट पर थे। यह सुप्रीम कोर्ट में चले गये और वह समस्या बनी हुई है। दो तहसील हैडक्वार्टर्स पर दो पोस्टें हैं, दोनों को अलग अलग कायम कर दें तो बड़ी आसानी हो जायेगी। उसमें न खर्च की बात है और न परेशानी की बात है। बरसात के टाइम में दोनों तहसीलों के बीच में नदी आती है तो उस समय लोगों को आने जाने में बड़ी परेशानी होती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस बारे में जो हमारे न्याय मंत्री महोदय जानकारी कर रहे हैं, ऐसी जानकारी मिली थी वह इस बारे में जल्दी ही कुछ व्यवस्था कर सकें तो जनता को बड़ा लाभ होगा।

गोकुलचन्दजी कह रहे हैं कि उनका एक कटौती प्रस्ताव है अलवर में कालेज में क्लासेज बढ़ाने का, उसके बारे में कह दूं। अलवर कालेज राजस्थान में सबसे बड़ा कालेज है उसमें क्लासेज बढ़ानी चाहिए और वहां पर जो आई०टी०आई० है उसमें क्लासेज बढ़ानी चाहिएं और अजमेर के मुकाबले में बढ़ानी चाहिए इस सम्बन्ध में कार्यवाही होनी चाहिए। यह मैं नम्रता से निवेदन करूंगा और इसके बाद समाप्त करूंगा।

**श्री सभापति** : श्रीमती निर्मला कुमारी।

**श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत** (चित्तौड़गढ़) : माननीय सभापति महोदय, शिक्षा और न्याय-प्रशासन की मांग पर मैंने कटौती-प्रस्ताव पेश किये हैं। इसी संदर्भ में मैं कुछ सुझाव निवेदन करना चाहूंगी। मान्यवर, शिक्षा के ऊपर इस वर्ष 85 करोड़ का व्यय होगा। शिक्षा जो है वह एक तरह से कोहिनूर है जो प्रत्येक बच्चे की जन्मजात योग्यता है उसको प्रकाश में लाता है। एक कल्याणकारी राज्य में कल्याणकारी राज्य की सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि अधिक से अधिक व्यक्तियों के जीवन को प्रकाशमान करें। परन्तु हमारे अपने देश में शिक्षा का प्रतिशत नहीं बढ़ पाया है। हमारे प्रान्त में केवल हम 19 प्रतिशत व्यक्तियों को ही शिक्षित कर पाये हैं। यदि यह रफ्तार रही, इसी गति से चलते रहे तो महात्मा गांधी, जो राष्ट्रपिता थे, उनका जो उद्देश्य था कि अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए, इसको पूरा करने में बहुत सारा समय लग जायेगा।

शिक्षा का स्वरूप क्या हो ? इसके ऊपर 28 वर्ष से विचार हो रहा है और उन 28 वर्ष से परीक्षण की सोच रहे हैं। परन्तु एक निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं कि हमारी शिक्षा का स्वरूप क्या हो ? मान्यवर, जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे ही समाज के आदर्श, समाज की मान्यताएं और समाज के मूल्यों में परिवर्तन हो जाता है। यदि इस परिवर्तन के साथ साथ शिक्षा वहीं की वहीं रही, शिक्षा में परम्परावादिता रही तो समाज तरक्की नहीं कर सकता है, परन्तु हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश और प्रान्त में भी व्यवसायिक शिक्षा की बहुत आवश्यकता है, लेकिन शिक्षा को उसके अनुकूल नहीं ढाल सके हैं। मान्यवर, आपने एक रिपोर्ट प्रकाशित की शिक्षा की। इसमें आपने यह बात स्वीकार की है कि सिद्धान्ततः हम दस प्लस दो प्लस तीन वाली शिक्षा-पद्धति लागू करेंगे हमारे प्रान्त में। यह बात आपकी समझ में तो काफी समय के बाद में आई है। लेकिन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने इस पद्धति का सुझाव दिया है और कई आयोगों ने जैसे डॉक्टर राधाकृष्णन् और डाक्टर मुदालियर ने भी इसका सुझाव दिया है। लेकिन इतने लम्बे अर्से के बाद हमने यह सिद्धान्त स्वीकार किया है कि हमारी शिक्षा दस प्लस दो प्लस तीन वाली हो। इस प्रकार की शिक्षा पद्धति के लिए छः करोड़ का और अतिरिक्त व्यय जो है वह राज्य सरकार पर आयेगा मान्यवर, मन्त्री महोदय जो हैं, वह 6 करोड़ के अतिरिक्त व्यय से अधिक घबराते हैं। आये दिन यह घोषणा किया करते हैं कि हम अगले सत्र से नयी योजना को लागू करेंगे। फिर कहते हैं कि 77 से लागू करेंगे। फिर 6 करोड़ की कंजूसी कर रहे हैं। आप इस प्रकार से बच्चों का भविष्य खराब क्यों कर रहे हैं ? क्या आप नहीं चाहते कि देश में सभी जगह शिक्षा में समानता हो ? क्या आप नहीं चाहते कि आज प्रगतिशील राष्ट्रों के बनिस्बत विश्वविद्यालय स्तर पर जो शिक्षा का गिरता हुआ स्तर है वह सुधरे ? क्या आप नहीं चाहते कि विश्वविद्यालयों में अनावश्यक रूप से जो भीड़ है वह कम हो ? अतः क्या आप नहीं चाहते कि बढ़ती हुई बेरोजगारी का अन्तर 2 वर्ष व्यवसायिक शिक्षा

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

देकर करें ? हमारे जो विद्यार्थी हैं, वह शिक्षा ग्रहण करने के बाद बेरोजगार बनकर घूमते हैं, उनको रोजगार मिले । आपने घोषणा की है कि 77 में हम इस योजना को लागू करेंगे। आपने यह घोषणा की है तो आप इस पर अडिग रहें तथा बार बार आप इस प्रकार की घोषणाएं नहीं करें । शिक्षा विभाग की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, उसमें यह कहा गया है कि हम 10 वर्ष सामान्य शिक्षा देंगे। दो वर्ष व्यवसायिक शिक्षा देंगे । 3 वर्ष स्नातक शिक्षा देंगे। मान्यवर, व्यवहार और सिद्धान्त भिन्न होता है । कहीं ऐसा नहीं हो कि हम व्यवहार में असफल हो जायें । कहीं ऐसा नहीं हो कि डाक्टर्स और इन्जीनियर्स की तरह से व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त बेकारों की एक लाइन खड़ी हो जाये, और यह कहा जाये कि हमारी पूर्व पीढ़ी ने शिक्षा की पद्धतियों के परीक्षण में ही विद्यार्थियों के जीवन को बरबाद किया है। शिक्षा का लक्ष्य यही होना चाहिए कि वह युवक नौकरी तथा बाबूगिरी की मृगतृष्णा की ओर आकर्षित है उसमें परिवर्तन आये, उनमें इतनी योग्यता आये कि वह अपना कार्य ढूंढ सके। तब जाकर 10+2+3 वाली शिक्षा पद्धति को सफल कर सकेंगे। यह तो हुआ भविष्य की शिक्षा पद्धति के बारे में। अब हम वर्तमान शिक्षा पद्धति जिस रूप में चल रही है उस पर आयें। जो रिपोर्ट प्रकाशित की है उसमें बताया है कि संख्यात्मक तथा गुणात्मक दृष्टि से हमने विकास किया है ? मैं तो यह कहूंगी कि आपने आंशिक विकास किया है। वास्तव में कुछ नहीं है। केवल संख्यात्मक विकास अवश्य हुआ है। जब हम इस शिक्षा पद्धति के बारे में विचार करते हैं तो बरबस ही हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित होता है । जब शिक्षा की मांगों पर डिस्कशन होता है तो स्वतः ही बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं। परन्तु मान्यवर, मुझको तो यही पता चल रहा है कि विधायकों की आवाज मात्र नक्कारखाने में तूती की आवाज है। उसका अर्थ किसी के ध्यान में नहीं आता है।

मान्यवर, ग्रामीण प्राथमिक स्तर की शिक्षा को आपने अशिक्षित सरपंचों को सौंप रखा है । वह भी 11 वर्षों से सौंप रखा है । इससे आपने शिक्षा के मूल स्वरूप को ही समाप्त कर दिया है। मान्यवर, एक अध्यापक है, तो उसकी आकर्षक एप्रोच होनी चाहिए । बच्चों के चेहरे स्कूल में घुसते ही प्रसन्नता से खिल जाने चाहिए। गांवों में जाकर आप देखें तो आपको पता चलेगा, शिक्षकों के स्वयं के चेहरे मायूस हैं, वह प्रसन्न नहीं हैं, परेशान हैं । टीचर होने के कारण एक तो पढ़ाने के बाद सरपंच की चापलूसी करना है, बी०डी०ओ० के मक्खन लगाना है । जो एक साधारण टीचर है, वह इस प्रकार से दोहरी भूमिका कैसे निभायेगा ? इस कारण हम असफल सिद्ध हुऐ हैं। मान्यवर, मैं तो यह निवेदन करना चाहती थी कि ग्रामीण जीवन में नयी पीढ़ी को विशेष प्रकार मार्गदर्शन दे सकते हैं परन्तु व्यवस्था में ऐसा नहीं हुआ है । मैंने पिछली बार यह निवेदन किया था कि गांवों में रूरल अलाउन्स होना चाहिए। विशेष प्रकार का भत्ता दिया जाना चाहिए । आज स्कूलों कि स्थिति वैसी ही है जैसी गांवों की है। वहां बिल्डिग की व्यवस्था नहीं है । एक ही कमरे में कई कक्षायें चलती हैं, उसी प्रकार से भरे रहते हैं । बरसात होती है तो पेड़

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)
के नीचे बच्चे इकट्ठे होते हैं, जैसे भेड़ बकरियां पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती हैं। रुग्ण बच्चे आते हैं। एक बच्चा आता है, जिसके फोड़ा हो रहा है तो उस पर स्याही डाल दो। एक को फोड़ा हो गया तो उसके ऊपर मिट्टी डाल दी गई। इस प्रकार दयनीय अवस्था है। मान्यवर, प्राथमिक शिक्षा स्तर पर स्वास्थ्य बच्चों के लिए अनिवार्य होना चाहिए। आपने 'स्कूल चलो अभियान' की बात कही है। यह रिपोर्ट में है। यह प्रचार से नहीं होता है, व्यवहार से होता है। आपको खेल के लिए मैदान साथ में छोड़ना होगा।

मान्यवर, मैंने निवेदन किया था कि प्राथमिक शिक्षा में महिलाओं का उपयोग हो सकता है। क्योंकि महिलाएं ही ज्ञान को मातृत्व का स्पर्श देकर अधिक उपयोगी बना सकती हैं। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि प्राथमिक शिक्षा में महिलाओं को प्राथमिकता देंगे। उनके लिए क्वार्टर्स की व्यवस्था जन सहयोग से करेंगे। सभी चीजें आप नगरों में विभाग द्वारा बनायेंगे स्टाफ क्वार्टर्स भी आप नगरों में ही बनायेंगे। लेकिन गांवों में सभी जन सहयोग से करेंगे। आपने रिपोर्ट में यह भी कहा है कि टेलीविजन के माध्यम से बच्चों को शिक्षित करने का प्रयत्न किया है।

(2.40 म० प०)

(श्री रघुनाथ विश्नोई, सभापति, पीठासीन)

मगर वास्तव में वह कितनी संख्या में हैं? इससे कितनों को लाभ मिल सकेगा? मान्यवर, मेरा निवेदन है कि हर इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स के आफिस में प्रोजेक्टर होना चाहिए। और बालोपयोगी जो चीजें हैं, देश विदेश की जानकारी है, वहां पर किस प्रकार की स्थिति है उसकी सारी जानकारी बच्चों को फिल्मों द्वारा करानी चाहिए। फिल्म शो, जो शिक्षा प्रद हों, भी बच्चों के लिये होने चाहिए जिससे उनका जो निराश मन है उसमें कुछ उत्साह दिखाई दे और मायूसी को, मौन को दूर किया जा सके।

मान्यवर, माध्यमिक स्तर के बारे में मन्त्री महोदय को शायद बहुत जानकारी नहीं होगी। मैं सोचती हूं कि उनको मात्र जोधपुर की जानकारी होगी क्योंकि उनका अधिकतर ध्यान जोधपुर की ओर ही केन्द्रित होता है, राजस्थान के अन्य भागों में किस प्रकार का काम चल रहा है, वहां पर किस प्रकार की व्यवस्था है उसकी जानकारी शायद मन्त्री महोदय को नहीं है। मेरे व्यक्तिगत अनुभव की बात है। मैं चाहती थी कि मेरे क्षेत्र में जो शिक्षा के सम्बन्ध में कमियां हैं, जो त्रुटियां हैं उनका मैं अध्ययन करूं, व्यवसाय स्तर पर उनकी स्टडी करूं, लेकिन खेद की बात है कि मेरी इस प्रकार की इच्छा पूरी नहीं हुई। मन्त्री महोदय को समय नहीं मिला। तो मैं यह कह रही थी कि कैसी अवस्था चल रही है यह सभी जानते हैं। आपका पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षा का डिफेक्टिव है, आपकी परीक्षा प्रणाली डिफेक्टिव है। क्रियाशील अवकाश की बात जो इस रिपोर्ट में की गई है मैं इसका स्वागत करती हूं क्योंकि अवकाश के समय विद्यार्थी किसी काम में 'सीखो और कमाओ' योजना के तहत लग जायं तो यह एक बहुत ही अच्छा कार्य होगा।

मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहां

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)
पर जो प्रशासनिक खर्च है वह बहुत ही ज्यादा है । बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है नालंदा वहां पर एक विशेष प्रकार का प्रयोग किया है । वहां पर यह बात अनुभव की गई है कि निरीक्षक और अध्यापक के पद अलग अलग होने से शिक्षा में कोई तालमेल नहीं बैठता है । इसलिए इस व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिये उन्होंने एक स्कूल की व्यवस्था की और यह प्रयोग किया कि एक निरीक्षक शिक्षक का और शिक्षक निरीक्षक का काम भी कर सकेगा । तो इस प्रकार से इन्सपेक्टर और टीचर के पद में एक प्रकार से कोर्डीनेशन करने की कोशिश की गई है, जिससे अलग-अलग खर्च नहीं हो । इसी प्रकार से बिहार में यह बात भी मान ली गई है कि किसी स्कूल विशेष की जो सम्पत्ति विशेष है तो यह उस स्थान विशेष की सारी स्कूलों की होनी चाहिए । उदाहरण के तौर पर किसी महाविद्यालय में कोई कृषि फार्म है तो वह सम्पत्ति केवल उसी महाविद्यालय की ही नहीं समझी जायगी बल्कि उस स्थान में जितने भी स्कूल हैं वह सब उसका उपयोग कर सकते हैं और सभी बच्चे उससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं । उसी प्रकार से मान लीजिये कि किसी स्कूल में कम्प्यूटर है तो वह एक ही स्कूल का न होकर उस स्थान के सारे स्कूलों के लिये होगा । एक बहुत अच्छा इंग्लिश का टीचर है वह उसी स्कूल विशेष का जहां पर वह पढ़ाता है, सम्पत्ति न होकर उस स्थान में जितने भी स्कूल हैं वहां के छात्र भी उनका लाभ प्राप्त कर सकते हैं । इसी प्रकार का एक स्कूल-काम्पलेक्स आपको यहां राजस्थान में भी पैदा करना चाहिए और राजस्थान में भी इस प्रकार का प्रयोग किया जाना चाहिए । यह ठीक है कि दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो अच्छी बातें हैं उनको हम अपने यहां भी लागू कर सकते हैं । इस प्रकार की नकल करने से हमारे यहां शिक्षा का जो प्रशासनिक खर्चा है उसमें निश्चित रूप से कमी आयेगी । मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर देखें, शिक्षकों की स्थिति हमारे समाज में बिल्कुल गिरी हुई है । आज एक पुलिस विभाग के कर्मचारी का, यहां राजस्व विभाग के कर्मचारी का जितना मान और सम्मान होता है उतना इस सरस्वती के उपासक का नहीं होता है । आज अगर हम कम्पलसरी रिटायरमेन्ट का पर्सेण्टेज भी देखें तो अधिकतर रिटायरमेंट शिक्षा विभाग में किये गये हैं, जहां पर वे ईमानदारी से अपना कर्त्तव्य निभाते हैं । जहां पर किसी शिक्षक की किसी हैड मास्टर से नहीं बनी या किसी लेक्चरार की प्रिन्सिपल से नहीं बनी, छोटी-छोटी बातों पर उनको नौकरी से निकाला गया है जब कि पुलिस विभाग में, राजस्व विभाग में और ट्रान्सपोर्ट विभाग में जो बड़े-बड़े डाकू बैठे हुए हैं उनकी ओर आपका ध्यान नहीं गया ।

मान्यवर, उच्च शिक्षा के बारे में जो भी प्रगति हुई है, जो कार्य इस क्षेत्र में हुआ है, मैं निःसन्देह उसकी प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकती, बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ है । जैसे उदाहरण के लिये मैं निवेदन करूं, असफल होने वाले विद्यार्थियों पर प्रवेश में रोक लगा दी गई है । इससे यह लाभ होगा कि जो भी कॉलेजों में असामाजिक तत्व आते हैं वे पढ़ने के नाम पर गुण्डागर्दी करते हैं, उन पर आपने रोक लगा दी । दूसरा काम

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

किया आपने कि विद्यार्थियों के लिए 30 पर्सेन्ट नम्बर इन्टरनल असेसमेन्ट के होंगे, आन्तरिक मूल्यांकन के, इससे गुरु शिष्यों के सम्बन्धों में लगाव होगा, उससे इनमें सामंजस्य आया है और निरंकुशता की प्रवृत्ति कम हुई है। साथ ही पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेन्ट्स के लिए सिमेस्टर सिस्टम प्रारम्भ किया गया है। बुक बैंक खोलने का कार्य है : यह भी बहुत ही सराहनीय है। किन्तु, मान्यवर, एक और बात की ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। आपने जो क्वेश्चन बैंक कायम किये हैं उनकी व्यवस्था को ठीक नहीं कहा जा सकता है। फर्स्ट ईयर मैथेमेटिक्स में उदाहरण के तौर पर जहां आपने 100 क्वेश्चन्स बनाये हैं वह तो एक टीचर दस पन्द्रह दिनों में ही या ज्यादा से ज्यादा एक महीने में खत्म कर देगा। साल भर का कोर्स एक महीने में ही करा देगा और उसमें से ही 75 पर्सेन्ट सवाल आ जायेंगे तो इससे जो मेहनती छात्र हैं, जो मेधावी हैं और जो अच्छी पढ़ाई करने वाले हैं उनकी कार्यकुशलता सीमित हो जायगी। हिन्दी में आपने जो आब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन्स रखे हैं वह विद्यार्थी एक घंटे में ही कर सकते हैं। साथ ही यह भी है कि क्वेश्चन बैंक क्रियाशील नहीं हुए कि उनकी की (कुन्जियां) मार्केट में आ गईं। मुझे समझ में नहीं आता कि आपात् स्थिति में जो भ्रष्ट व्यापारी हैं, राज्य कर्मचारी जो भ्रष्ट हैं या दूसरे लोग जो हैं उनको तो रोका जा रहा है और ऐसे व्यक्तियों पर, जो सरस्वती का सौदा करते हैं और विद्या के सौदागर हैं, आप कोई रोक नहीं लगा रहे हैं। मान्यवर, मैं चाहती हूं कि जो कुन्जियां मार्केट में आती हैं उनसे विद्यार्थियों की बुद्धि संकुचित होती है और स्वतंत्र रूप से किसी विषय पर सोचने या पढ़ने की ओर उनका ध्यान ही नहीं जाता। तो, मान्यवर, मेरा कहना यह है कि इससे विद्या का संकुचित दायरा पैदा हो जायगा, इस पर हमको रोक लगानी होगी, नहीं तो विश्वविद्यालयों और कालेजों में जो हजारों पुस्तकें रखी हुई हैं वे शोभा के लिए रह जायेंगी। वन-डे सक्सेस, सेवन-डे सक्सेस इस प्रकार के नोट्स ने कालेजों और विश्वविद्यालयों में जो उपयोगी पुस्तकें रखी हुई हैं उन पर धूल चढ़ा दी है। इसके अलावा एक बात और कहना चाहूंगी कि क्लस्टर योजना आपने लागू की यह सराहनीय है। इस मामले में आपने नेशनल सोशल सर्विस के लिए भी सराहनीय कार्य किया है। क्योंकि युवा शक्ति, जो कि एक विध्वंसात्मक कार्य में लगी हुई थी, को एक रचनात्मक कार्य में लगाया है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण लोगों को सुखद आश्चर्य हुआ जब विभिन्न मानसिकता और विभिन्न सामाजिक स्तर और क्षेत्र के विद्यार्थी गांव में आये। उनका यह पहला प्रयास था। यह सराहनीय है।

सभापति महोदय, मैं समाप्त ही करना चाहती हूं। आप बन्द कराने वाले हैं शायद। मैं दो मिनिट और लूंगी।

तो उन्होंने सराहनीय कार्य किया है वैसे यह प्रथम प्रयास था। मैं इस संबंध में सुझाव देना चाहती हूं। मेरा सुझाव यह है, हर विद्यार्थी को बी०ए० की डिग्री तब दी जाय जब कि वह तीन एन०एस०एस० के केम्प अटेन्ड कर ले। और इस प्रकार के केम्प में जिन व्यक्तियों ने अच्छा प्रदर्शन

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

किया है, अच्छी योग्यता दिखायी है उनको प्रान्तीय स्तर पर, जिला स्तर पर, पुरस्कृत किया जाना चाहिए ।

मान्यवर, इसी प्रकार से मैं कहना चाहूंगी यूनिवर्सिटी के बारे में एक बात । आज आपकी यूनिवर्सिटी है, वह एक तरह से अमीर बाप के स्पॉइल्ड चाइल्ड की तरह है। अमीर बाप अपने बच्चे को पढ़ाने पर बहुत अधिक व्यय करता है, फिर भी ऐच्छिक परिणाम उपलब्ध नहीं होता । उसी प्रकार से आपकी यह यूनिवर्सिटीज हैं, उन पर हमने बहुत अधिक व्यय किया है, पर आज उनमें किस प्रकार की व्यवस्था है–इसके बारे में किसी का चैक नहीं है । पिछले कुछ दिनों तक चैक और बैलेन्स के लिए एम० एल० एज० का नामिनेशन किया जाता था, अब परन्तु नामिनेशन हटा लिया है । खैर, कोई बात नहीं । उससे जो थोड़ी जानकारी मिलती थी कि यूनिवर्सिटी की चाहरदीवारी में क्या होता है, वह जानकारी आपकी रुक गई है । मान्यवर, उदयपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी में क्या होता है, इसके बारे में मैं डिटेल में नहीं बता सकती । परन्तु जिस उद्देश्य से इनको कायम किया था, वह उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ है मैं यह कहना चाहूंगी ।

अब अन्तिम पक्ष पर मैं आ जाती हूं न्याय प्रशासन पर । किसी भी कल्याणकारी राज्य के अन्दर सस्ता न्याय हर नागरिक को मिलना चाहिए—इसकी व्यवस्था होनी चाहिए । क्योंकि सामाजिक वातावरण में अगर गरीबी का वातावरण रहा और गरीबी की वजह से अगर हर व्यक्ति को न्याय नहीं मिल सका तो वह राज्य कल्याणकारी नहीं कहा जा सकता । यद्यपि 1952 और 1956 में भारत सरकार ने इस प्रकार के आदेश दिये थे कि निर्धन को मुफ्त कानूनी सहायता मिलनी चाहिये । फिर भी हमने बहुत देरी से इस ओर कदम उठाया, यद्यपि तामिलनाडू में 1933 में ही और इसी प्रकार से बम्बई में 1944 में ही यह कार्य शुरू हो गया था । अब मैं इस सदन में एक बात यह कहना चाहती हूं कि सारा का सारा कानूनी सहायता का काम है, यह मात्र पब्लिसिटी में, अखबार में दिखाई देता है । वास्तव में क्या काम हुआ है, यह स्पष्ट दिखाई नहीं देता । मान्यवर, एक बात इसमें यह है कि यह परिभाषित करना जरूरी है कि गरीब कौन है, गरीब कहते किसको हैं । मान्यवर, यह कहा गया कि एक हजार रुपये की जिसकी प्रापर्टी है वह गरीब नहीं है । तो एक हजार की प्रापर्टी तो मामूली आदमी की हो जायगी । जिसके पास साधारण सी जमीन है और मामूली झोंपड़ी है वह गरीब नहीं रह गया तो करोड़ों में से आप एक को ही न्याय दे पायेंगे । इसलिए आपको परिभाषित करना होगा कि गरीब कौन है । इसके अलावा, मान्यवर, इसके दो पक्ष हैं, एक कानूनी सहायता, दूसरी कानूनी सलाह । कानूनी सलाह बहुत आवश्यक है । कई बार ऐसा होता है कि एक महिला के ऊपर उसके पति ने बहुत अत्याचार किया लेकिन उस महिला को मालूम नहीं है कि कौनसा कानून है, जिसके माध्यम से उसे छुटकारा पाने में सहायता मिल सकती है । मान्यवर, इस सम्बन्ध में संक्षेप में मैं सुझाव देना चाहूंगी, इजरायल की तरह हमें इस दिशा की ओर बढ़ना होगा ।

(श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत)

इजरायल में प्रत्येक वकील के लिए अनिवार्य है कि साल में एक मुकद्दमा वह गरीब का लेगा और उस मुकद्दमे के लिए जो उसका पारिश्रमिक होगा वह विधि मंत्रालय की तरफ से दिया जायगा। क्या आप इस तरह का प्रयोग राजस्थान में नहीं कर सकते ? इस सम्बन्ध में बहुत अधिक न कहकर, क्योंकि आपकी आज्ञा हो गई है, इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि दीवानी, फौजदारी और राजस्व सम्बन्धी मामलों में ग्रामीण व्यक्ति उलझे हुए हैं, गरीब व्यक्ति उलझे हुए हैं, उनको उसमें से निकालने के लिए हमें इस व्यवस्था को बनाना होगा, ठीक करना होगा, तभी जाकर हमारी जो नीति है, इन्दिरा गांधी का जो बीस सूत्री कार्यक्रम है, उसको हम सफल होते हुए देख सकेंगे।

**श्री सभापति :** श्री जगमोहनसिंह !

**श्री मूलचन्द सामरिया :** मेरा नाम लेते नहीं हैं। गफ्फारजी के बाद कह दिया था।

**श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा) :** मेरा नाम ले लिया है।

सभापति महोदय, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे न्याय का क्षेत्र हो, चाहे कोई और क्षेत्र हो, आज के दिन उसके अन्दर हर योजना बनाने से पहले, हर मुद्दे पर विचार करने से पहले देखा जाय कि हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने देश को जो नया निर्देश दिया है, देश की लड़खड़ाती नैया को जो स्थिरता दी है, उसके लिए देश का आह्वान किया है उसको पूरा करने के लिए आवश्यक है, चाहे शिक्षा के सम्बन्ध में सोचें, चाहे न्याय प्रशासन की बात करें, चाहे चिकित्सा की बात करें, किसी और की बात करें हमें हमारा केन्द्र बिन्दु यह बनाना होगा और हमारा चिन्तन उस ओर डाइवर्ट करना पड़ेगा।

शिक्षा के क्षेत्र की आज हम बातें करें, तो सभापतिजी, जो हमारा थिंकिंग आज शिक्षा का है हमारी प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये निर्देश के संदर्भ में, मैं तो यह समझ पाया हूं कि अस्सी पर्सेन्ट लोग, जो गांवों में रहते हैं, पिछड़े, दलित वर्ग के हैं, गरीब लोग हैं, सारा का सारा कार्यक्रम उनका उत्थान करने और जो गेप है बहुत बड़ा, उस गेप को फिलअप करने की बात है इस कार्यक्रम के माध्यम से उसको जल्दी फिलअप कर सकते हैं। आज हम हमारी शिक्षा पद्धति के बारे में देखें तो एक तरफ तो हमारे सैण्ट जेवियर में पढ़ने वाले बच्चे हैं, सैण्ट पाल जैसे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, दूसरी तरफ सुदूर गांवों में, जहां कि विद्यार्थी के पास पढ़ने की पुस्तक नहीं है, बैठने का कमरा नहीं है, विद्या-अध्ययन के मामूली साधन हैं; एक कच्ची झोंपड़ी है जो वर्षा में चूती है—यह हमारा स्तर है। प्रधान मंत्री ने हमारा जो ध्यान इंगित किया है, वह उस झोंपड़ी की ओर, साधन-विहीन शिक्षा के वातावरण में पढ़ने वाले बच्चों की ओर किया है। मान्यवर, एक बहुत बड़ा गेप है, बहुत बड़ा काम है, इस ओर बहुत तेजी से कार्य करने की आवश्यकता है तब जाकर हम कुछ कर पाने की स्थिति में रह सकते हैं। आज, मान्यवर, हमारे शिक्षा विभाग का एलोकेशन है, जो मांग पास करने जा रहे

# Page No 114

(114)



(श्री जगमोहन सिंह)

हैं, उसको हम देखें, कोई क्रिटिसिज्म की दृष्टि से नहीं, लेकिन जो एक हमारा उद्देश्य है; और जो एक्शन हुआ है उसके आधार पर इसका क्रिटिकल एनेलेसिस करें तो इस वर्ष जो कुछ खर्च करने जा रहे हैं, उस ओर, उस काम को डाइवर्ट किया है? मैं मानता हूं कि हमारे थिंकिंग में उस ओर मुड़ने में कुछ कमियां रही हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ लाख रुपये की आपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि हम स्कूल बिल्डिंग के लिए देंगे और स्कूल बिल्डिंग्स ठीक करायेंगे। उसे पढ़ कर और देखकर, मान्यवर, बड़ी खुशी हुई थी, शायद हमने कुछ सोचा है करने का। लेकिन, मान्यवर, जब उसके एलोकेशन को देखा, आखिर पैसा कहां खर्च होगा, कहां बिल्डिंग्स पर खर्च होगा, तो सारा का सारा केन्द्रीकरण है शहरों में, उस ओर है, वहां पर है, वहां पर खर्च होता जा रहा है और उसमें से एक पैसा भी किसी गांव के सैकेण्डरी स्कूल, किसी जरूरतमन्द स्कूल, जहां पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं, गरीब रहते हैं, वहां स्कूल की हालत सुधारने के लिए हमने खर्च नहीं कीया है। यह खेदजनक स्थिति यहां बन गई है। यह विचारणीय प्रश्न बन जाता है, सभापति महोदय, जिस पर आपको विचार करना पड़ेगा और उस ओर विचारधारा को इंगित करना पड़ेगा। इसी तरह से जो कुछ भी परिस्थितियां पैदा हुईं, देश की एक तरह से 26 जून से पहले वाली स्थिति को देखें कि जो डूबने की स्थिति में जा रहा था, देश पर क्या होने वाला था, कुछ नहीं कह सकते, यह पोलिटिकल नारा उनका रहा, यह सत्य बनकर संसार के सामने आ रहा है। जो विदेशी हमसे मुंह मोड़ते थे वह भी मान गए हैं कि वास्तव में हिन्दुस्तान में ऐसी शक्तियां काम कर रही थीं जिनसे हमारी आजादी, लोकतंत्र और देश को खतरा था। यह खतरा मुख्य तौर से फासिस्टों की ओर से था जिन्हें कानून बनाकर बैन किया है। आर०एस०एस० का मुख्य केन्द्र शिक्षण संस्थायें हैं, इसका यदि आप चाहें तो कमेटी बिठाकर इवेल्यूएशन करायें या किसी भी माध्यम से सर्वेक्षण करवा सकते हैं। ज्यादातर आर० एस० एस० के लोग शिक्षण संस्थाओं में गए हैं। छोटे छोटे बच्चों से आर० एस० एस० की शाखायें लगवाना, शहरों में लगवाना, सारा वातावरण स्कूलों के अंदर ज्यादातर पैदा हो रहा था। उस ओर हमने क्या किया? 20 सूत्री कार्यक्रम के संदर्भ में क्या हमने इस ओर कोई भी कदम उठाए जिससे यह मालूम पड़ सके कि वास्तव में उस विचारधारा में या कार्य पद्धति में परिवर्तन आ रहा है? केवल खामोशी है, वह आज भी है लेकिन आज भी गांवों में जो पहले आर० एस० एस० की बातें थीं, मौजूद हैं और सबको समय का इंतजार है। इस ओर बहुत कुछ किया जाना चाहिए। चाहे किसी भी स्तर पर जो लोग भी इन संस्थाओं से संबंद्ध हैं, उनके खिलाफ इनका पता लगाकर तुरंत कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

मान्यवर, यह भी सवाल उठता है कि एकदम सारे पब्लिक स्कूल्स, जिनमें बड़े बड़े एरिस्टोक्रेट, बड़े अधिकारियों के बच्चे पढ़ते हैं, को बंद किया जाए या तो वैसी व्यवस्था गांवों में भी करें। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर नए कार्यक्रम के संदर्भ में शिक्षा शास्त्रियों को विचार करना पड़ेगा और जो हम यहां बैठे हैं उनको भी सोचना पड़ेगा, तब जाकर कुछ हो सकता है।

(श्री जगमोहन सिंह)

आज जो आई० ए० एस० या आई० पी० एस० बन जाते हैं या बड़ी बड़ी नौकरियों में जाते हैं, वे सेन्ट जेवियर या ऐसे ही बड़े स्कूलों के लड़के होते हैं, जिनके पास साधन हैं अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जिनकी कल्पना प्रधान मंत्री करना चाहती है वे हरिजन और गांव के बच्चे जब तक प्रशासन के अन्दर भाग नहीं लेंगे, हम चाहे कुछ भी कहें लेकिन प्रशासन को हायर ब्यूरोक्रेसी चलाती है। प्रशासन के अन्दर जब तक उस तबके का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, तब तक प्रधान मंत्री जो सामाजिक क्रांति चाहती हैं उसमें समय लगेगा। इसलिए शीघ्र ही और सीरियसली इन सारी बातों पर विचार करना पड़ेगा।

दूसरी ओर इस साल इस बजट के अन्दर 200 मिडिल स्कूल खोलने की बात कही है। मेरा इस संदर्भ में निवेदन है कि आज, फिर वही संदर्भ आता है। हमने बजट में अमेंडमेंट करके 9 हायर सैकेण्डरी स्कूलों के खोलने का जिला-स्तर पर प्रावधान किया है। आज मेरे क्षेत्र को देख लीजिए। छबड़ा सब-डिवीजनल मुख्यालय है, पूरी तहसील में एक लाख की पापूलेशन है, लेकिन आज तक वहां सैकेण्डरी स्कूल ही है जो सन् 1950 से बना हुआ है। इस तरह से राजस्थान में कई जगह कई कस्बे हैं। एक एक लाख की जनसंख्या पर एक सैकेण्डरी स्कूल है। पिछले तीन-चार साल में मैंने सवाल दिया था तो विभाग की तरफ से कहा गया कि इस साल बजट में हायर सैकेण्डरी स्कूल्स के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए इस साल नहीं खोलेंगे और जब बजट में प्रावधान होगा तब इस ओर ध्यान देंगे। इतने साल निकल गए, हम आशा करते थे कि जो पुरानी बातें कही गई हैं सदन में उनकी ओर अपना ध्यान इंगित करके बजट बनाया जाएगा और कुछ किया जाएगा लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज भी 28 साल के बाद सब-डिवीजनल हैडक्वार्टर्स पर एक लाख की आबादी के बावजूद सन् 1950 का खुला हुआ सैकेण्डरी स्कूल चल रहा है, जिसको आज तक हायर सैकेण्डरी स्कूल में रेज नहीं किया। मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें। स्कूल तो हम काफी खोल चुके हैं लेकिन कम से कम 100 सैकेण्डरी स्कूलों को हायर सैकेण्डरी में कन्वर्ट किया जाए ताकि यह इम्बेलेंस जो एपरेंट है, दूर हो। यह बुरा मानने की बात नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

दो मिनिट में समाप्त करता हूं।

मैंने न्याय व्यवस्था पर भी कटौती प्रस्ताव दिया है। सस्ता न्याय दिलाने की काफी दिनों से बात चल रही है। रोजाना कहा जा रहा है कि गरीबों को सस्ता न्याय दिलायेंगे। इस ओर प्रगतिशीलता व कान्क्रीट विचारधारा से जल्दी से जल्दी सोचना पड़ेगा। गरीबों के लिए कोर्ट फीस माफ होनी चाहिए। जो शिड्यूल्ड कास्ट्स व ट्राइब्स के लोग हैं जो वास्तव में न्याय से वंचित हैं उनको न्याय दिलाने की बात है, उनको तो कम से कम से मार्फ करना चाहिए। दूसरी बात, हर तहसील मुख्यालय पर एक वकील को नियुक्त करना चाहिए जैसे कि आपने पी० पी० नियुक्त किया है जिसके लिए पंचायत मुख्यालय और दूसरी

(श्री जगमोहन सिंह)
जगहों पर पब्लिसिटी की जाए कि इन लोगों से कोई भी व्यक्ति जाकर कानूनी सहायता ले सकता है। यह जो शुरुआती कदम है इसको एडाप्ट करना चाहिए।

इसी संदर्भ में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज हाई कोर्ट बेंच के लिए पूर्व व पश्चिम की दृष्टि से न सोचें। आज के कान्टेक्स्ट में हर आदमी को न्याय मिले, इस संदर्भ में इस समस्या पर विचार करें, मैं तो कहता हूं कि जयपुर, कोटा, बीकानेर और दूसरी जगह हाई कोर्ट बैंच कायम करे। पिछले 28 साल में कितने गरीब आदमियों ने रिट्स की हैं? मुश्किल से 1 पर्सेंट। तो आज के कान्टेक्स्ट में हर चीज को सोचने की बात है। किसी वर्ग विशेष की या इलाके विशेष की बात न सोचकर जो मुख्य मुद्दा है वह है गरीबों को कानूनी सहायता। इसी संदर्भ में आज जो हमने शिड्यूल्ड कास्ट्स व ट्राइब्स के लिए कार्यक्रम चलाया है, एग्जीक्यूटिव आफिसर्स को कुछ पॉवर्स दी हैं। सब-डिवीजनल लेवल पर बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो गई है। यहां तक कि एस० डी० ओ० जो है वह 20 सूत्री कार्यक्रम को देखें या दैनिक समस्यायें हैं उनको देखें?

सभापति महोदय, उसके पास बहुत से काम हैं। कोई उसके पास चीनी के परमिट लेने जाता है कोई और दूसरे काम से जाता है जिससे कि वह अपना काम ठीक तरह से नहीं कर सकता है। आपको मेरा सुझाव है कि इसके लिये एक अलग से सेल क्रियेट करना चाहिये। तथा एक अधिकारी अलग होना चाहिये जिसके पास अलग से वाहन भी होना चाहिये ताकि वह अपने काम को सुचारु रूप से चला सके। ऐसा करने पर ही हम जो 20 सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति तेजी से करना चाहते हैं वह कर पायेंगे अन्यथा नहीं। नहीं तो ज्यादा काम होने के कारण वह अधिकारी ठीक तरह से काम नहीं कर सकता और उसमें कई लेकूना रह जाते हैं। इसलिये मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि इस ओर ध्यान दें। बस मुझे इतना ही निवेदन करना है।

**समितियों का गठन : मनोनयन-पत्र**

**श्री सभापति :** श्री मूलचन्द सामरिया।

इससे पहले मुझे यह सदस्यों को सूचित करना है कि जनलेखा समिति, 1976-1977, प्राक्कलन समिति, 1976-77 तथा राजकीय उपक्रम समिति, 1976-77 के चुनावों हेतु निम्नांकित उम्मीदवारों के मनोनयन-पत्र जांच के पश्चात सही पाये गये हैं।

**जनलेखा समिति, 1976-77**

1. श्री मूलचन्द सामरिया
2. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा
3. श्री भोमाराम
4. श्री रतीराम यादव
5. श्री मोहम्मद गफ्फार अली
6. श्री मागाराम
7. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता
8. श्रीमती प्रभा मिश्रा
9. श्री भीमसेन
10. श्रीमती कान्ता कथूरिया
11. श्रीमती मदनकौर
12. श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास
13. श्री दीपंकर
14. श्री विद्यासागर
15. श्री वृद्धिचन्द्र जैन

(श्री सभापति)

16. श्री रघुनाथ विश्नोई
17. श्री सहदेव शर्मा
18. श्री ओंकारलाल चौहान
19. श्रीमती उषा प्रकाश
20. श्री मोहरसिंह (111)

प्राक्कलन समिति, 1976-77

1. श्री अजीतसिंह
2. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा
3. श्री मोहरसिंह (138)
4. श्री मोहम्मद गफ्फार अली
5. श्री रतीराम यादव
6. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता
7. श्री केशवदेव
8. श्रीमती नगेन्द्रबाला
9. श्री भंवरसिंह
10. श्री सुरेशचन्द्र शर्मा
11. श्री राम रघुनाथ चौधरी
12. श्री ज्ञानसिंह चौधरी
13 श्री जेठमल आर्य
14. श्री पूनमचन्द विश्नोई
15. श्री नाथूराम
16. श्री विजयसिंह
17. श्री गौरीशंकर
18. श्री रामप्रसाद बोहरा
19. श्रीमती गौरी पूनिया
20. श्री कालूराम आर्य
21. श्री मतीनिर्मला कुमारी शक्तावत
22. श्री नन्दलाल
23. श्री सांवरमल मोर
24. श्री किशोरीलाल शर्मा
25. श्री राम सिंह विश्नोई

राजकीय उपक्रम समिति, 1976-77

(1) श्री गुरुदयालसिंह सन्धु
(2) श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा
(3) श्री अमृतलाल गहलोत
(4) श्री गोपालसिंह
(5) श्री अमृतलाल गहलोत
(6) श्री मोहम्मद गफ्फार अली
(7) श्री रतीराम यादव
(8) श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता
(9) श्री रामचरण
(10) श्री भुवनेश चतुर्वेदी
(11) श्री प्रद्युम्नसिंह
(12) श्री दलपतसिंह
(13) श्री घासीराम यादव
(14) श्रीमती जमुना सोलंकी
(15) श्री गोकुलचन्द
(16) श्री अमृतलाल गहलोत
(17) श्री गोपाल जोशी
(18) श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय
(19) श्री राजेन्द्रसिंह
(20) श्रीमती सुमित्रा सिंह

मांग संख्या 6, 24 व 25 पर अग्रेतर विचार

**श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा) : सभापति महोदय, आज की मांगों में सर्व प्रथम में न्याय प्रशासन के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदय, न्याय को हम मूलरूप से दो सूत्र में बांट सकते हैं, पहला, न्याय सस्ता सुलभ और शीघ्र मिलना चाहिये। न्याय के लिये यह कहा जाता है कि Justice should not only be done but it should be shown done and justice delayed justice denied.

इसी लाइट में मैं आपके माध्यम से न्याय मन्त्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं। जब आप आज हमारे कान्स्टीट्यूशन को आये दिन किसी न

Page No 118

(118)



(श्री मूलचन्द सामरिया)

किसी बहाने से चाहे वह उचित हो या अनुचित, चाहे किसी भी सन्दर्भ में हो आप उसको बदलते रहते हैं। उसमें आये दिन संशोधन कर रहे हैं। सभापति महोदय, स्थिति यह है कि कानून में इस प्रकार से तेजी से संशोधन किये जा रहे हैं कि जो कल कानून था वह आज नहीं है और जो आज कानून है वह कल नहीं रहेगा। पार्लियामेंट किस प्रकार से संशोधन करती है, किस उद्देश्य के लिये कर रही है, किसी व्यक्ति विशेष के लिये कर रही है। आज एक चीज एकार्डिंग टू लॉ है या नहीं, एकार्डिंग टू लॉ वेलिड है या नहीं, वह वोइड है या नहीं। वोइड है या वैलिड है इन सभी चीजों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिये हमारे देश में आज संविधान के अन्तर्गत बनाये गये कानूनों के लिये इन्डिपेन्डेन्ट जुडिशियरी की आवश्यकता है। इस सन्दर्भ में हमारे यहां प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसकी ड्यूटी होती है कि राज्य सरकार जो भी कानून बनावे चाहे जैसे मनमाने ढंग से बनाये जाते हैं, जितने भी संशोधन किये जाते हैं उन पर सही ढंग से कन्ट्रोल किया जावे। हाई कोर्ट उसका एक तरह से गार्जियन होता है। हाई कोर्ट को इसकी तरफ ध्यान रखना चाहिये।

सभापति महोदय, हमारा राजस्थान जब बना था तब जयपुर में एक हाई कोर्ट की बैंच थी लेकिन उसके बाद में वह बैंच जयपुर से हटा दी गयी। सभापति महोदय, आज हमारे कांग्रेसी भाइयों ने 20 सूत्री कार्यक्रम का नाम लेकर जनता के सामने जनता को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के लिये, गरीबों को शीघ्र न्याय दिलाने के लिये न्याय प्रणाली में सुधार करने की बात की है। आज गरीब लोगों को कानून की राहत देने की बात की जाती है और 20 सूत्री कार्यक्रम और इन्दिरा गांधी का नाम इस प्रकार लेते हैं जिस प्रकार कि संत लोगों की वाणियों में कहा जाता है कि 'कहत कबीर सुनो भाई साधो', जो सम्पुट दिया जाता है उसी प्रकार हमारे यहां पर श्रीमती इन्दिरा गांधी का नाम लिया जाता है और इन्दिरा गांधी के 20 सूत्री कार्यक्रम का मंत्र जाप करते हैं। आज हर जगह माननीय सदस्य इनके नामों का तुक जरूर लगाते हैं। लेकिन मैं श्रीमान् न्याय मन्त्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या आज भी जनता को सस्ता न्याय मिल रहा है? आज जयपुर में हाई कोर्ट की बैंच उठ जाने के बाद क्या लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। क्या श्रीमती इन्दिरा गांधी नहीं चाहतीं कि लोगों को सस्ता न्याय मिले? क्या एक जगह हाई कोर्ट हो और दूसरी जगह हाई कोर्ट की बैंच हो तो लोगों को राहत नहीं मिलेगी? क्या आज हमारे धौलपुर, कोटा, अलवर, भरतपुर, गंगानगर, जयपुर की जनता को दूर जोधपुर नहीं जाना पड़ता है? अगर आप जयपुर में हाई कोर्ट बैंच स्थापित कर देते हैं तो मैं समझता हूं कि पूर्वी राजस्थान की जनता को, जो कि करोड़ों की तादाद में है, बहुत राहत मिलेगी। नहीं तो श्रीमान्-जी आप गरीबों को कोई सस्ता और सुलभ न्याय नहीं दिलवा रहे हैं। इसके लिये श्रीमान् लॉ मिनिस्टर साहब मुझे जवाब दें।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना

(श्री मूलचन्द सामरिया)

चाहता हूं कि हमारे यहां सदन में आप कहते हैं और अपनी डींग मारते हैं कि हम जनतान्त्रिक पद्धति में विश्वास रखते हैं तो श्रीमान् लॉ मिनिस्टर साहब मुझे यह बतायें कि इसी विधान सभा में कुछ समय पहले माननीय सदस्यों ने जो कि करीब 125 माननीय सदस्य होंगे, सरकार से यह मांग की थी, एक प्रस्ताव पास किया था और अपने दस्तखत करके न्याय हेतु जनता को सुलभ और सस्ता न्याय मिलने के लिये गरीबों को शीघ्र न्याय मिले, लिख के दिया। सभापति महोदय, हर व्यक्ति को जल्दी से जल्दी न्याय मिले इस बात को मानते हुए लोगों ने दस्तखत किये और यह मांग की कि जयपुर में हाई कोर्ट की बैंच स्थापित की जावे। जब यह प्रश्न विधान सभा में जोरों से उठा तो इन्हीं लॉ मिनिस्टर साहब ने, जो कि चीफ व्हिप भी हैं, कांग्रेसी सदस्यों पर ऐसा व्हिप का डंडा घुमाया कि वह सभी 125 सदस्य सस्ते और सुलभ न्याय मिलने की बात करने वाले ठण्डे हो गये। उसके बाद में आपने कौनसा जनतान्त्रिक रास्ता अपनाया? आपने अपना व्हिप डण्डा घुमा कर उन लोगों का ही नहीं बल्कि जनतन्त्र का गला घोंट दिया। क्या यही आपका न्याय है? मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, न्याय मन्त्रीजी, अगर आप जनतन्त्र में विश्वास रखते हैं तो आप इसके लिये चाहें तो जनमत करा लें, सदन के माननीय सदस्यों का बहुमत मांग लें, अगर आप प्रजातन्त्र में विश्वास रखते हैं तो आप उनसे वोट निष्पक्ष करवा कर देख लें, वह सभी कहेंगे कि जयपुर में हाई कोर्ट की बैन्च स्थापित होनी चाहिये। व्हिप लगाकर तो आप उनका और जनतंत्र का गला ही घोंट रहे हैं। आज किसी व्यक्ति को कोई रिट करनी होती है तो उसको धौलपुर से चल कर, कोटा से चल कर जोधपुर जाना पड़ता है और वहां पर ठहरने के लिये, वकीलों और कोर्ट फीस में उसके 200-400 रुपये तो यों ही बिगड़ जाते हैं। तो लॉ मिनिस्टर साहब से मैं यह पूछना चाहता हूं कि आज प्रदेश में गरीब लोगों की, किसानों की आमदनी उतनी नहीं है कि वह जिससे अपने अधिकारों के लिये हाई कोर्ट पहुंच सकते हैं। क्या एक गरीब मजदूर जिसके साथ कारखानेदार या मालिक ने अन्याय किया है, उस अन्याय से बचने के लिये और न्याय प्राप्त करने के लिये वह धौलपुर से, कोटा से, भरतपुर से चलकर जोधपुर पहुंचे? इसलिये मैं निवेदन कर रहा था, लॉ के सामने सब समान हैं लेकिन प्रेक्टिकली यह नहीं है और हमारी सरकार ने असम्भव बना दिया है और जयपुर से हाई कोर्ट की बैन्च उठाकर रख दी है।

सभापति महोदय, राव कमेटी के मुताबिक, एकीकृत हाई कोर्ट की बैन्च के बारे में कहा गया था लेकिन बहुत सी सरकारों ने इसको व्यवहारिक न मानकर हाई कोर्ट की बैंचें अपने अपने राज्यों में अलग अलग जगह की हैं। लेकिन, सभापति महोदय, जब इस बात को उठाया जाता है, जब इस बात की न्यायोचित मांग की जाती है और यह कहा जाता है कि न्याय सस्ता मिले, जल्दी मिले और सुलभ तरीके से मिले—जब कभी इस प्रकार कहा जाता है तो इसमें पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान का बखेड़ा खड़ा करके लोगों को डरा दिया जाता है और लोगों का मुंह बन्द व्हिप के द्वारा कर

(श्री मूलचन्द सामरिया)

दिया जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं अगर यह सरकार श्रीमती इन्दिरा गांधी के 20 सूत्री कार्यक्रम में विश्वास करती है और अगर यह सरकार किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को न्याय की समानता की बात करती है तो जो यह न्याय की बात है उसमें कथनी और करनी का अन्तर नहीं है तो और क्या है? जयपुर में हाई कोर्ट की बैन्च लाने से पूर्व पश्चिम की बात बनने-बिगड़ने वाली नहीं है। हम यह नहीं चाहते हैं कि हाई कोर्ट की पूरी बैन्च ही यहां लाई जावे। हम चाहते हैं केवल हाई कोर्ट की एक बैन्च जयपुर में स्थापित हो तो जयपुर के व्यक्ति को जोधपुर न जाना पड़े, कोटा के व्यक्ति को जोधपुर न जाना पड़े, धौलपुर के व्यक्ति को जोधपुर न जाना पड़े और हम भी यह नहीं कहते हैं कि उनको भी वहां सस्ता न्याय न मिले। उन लोगों को काफी दूर चलकर यहां तक न आना पड़े। हम तो चाहते हैं, सब लोगों को न्याय आसानी से मिल सके, इसलिये एक बैन्च जयपुर में और खण्ड पीठ जोधपुर में हो। मेरा निवेदन है कि आप इस पर न्यायपूर्वक और गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे तो मैं मानता हूं माननीय मंत्रीजी स्वयं इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करने में कहीं एक सूत्र तो कम नहीं पड़ रहा है और अगर कहीं कम पड़ रहा है तो ठीक है, अन्यथा 20 सूत्री कार्यक्रम आपका पूरा नहीं पड़ेगा।

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करूंगा, आज रेजीडेन्स की बात करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर्स के लिये अलग से मकानों की व्यवस्था सरकार की ओर से होती है लेकिन जुडिशियल आफिसर्स की जहां बात होती है तो सरकार धनाभाव बता कर कह देती है कि हम नहीं कर सकते हैं और कभी न कभी करेंगे। न्याय व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेशन से बिलकुल भिन्न व्यवस्था है और यह माना जाता है कि जजेज को और लोगों से मिलने का बहुत कम मौका मिलना चाहिये। मैं समझता हूं, उन लोगों के लिये सरकार को उदारता से विचार करना चाहिये और न्याय मानते हुये विचार करना चाहिये। कम से कम एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर को जिस रेन्ट में हाउसिंग फैसिलिटी मिलती है उसी रेन्ट में जुडिशियल अधिकारियों को भी सुविधा मिलनी चाहिये।

आज हमारी सरकार शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का नारा लगाती है और डिपार्टमेंट्स के बारे में तो मैं ज्यादा निवेदन नहीं कर सकूंगा लेकिन जिस मांग की चर्चा हो रही है, मैंने जानने की कोशिश की राजस्थान के शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग इस काबिल हुये या नहीं हुये कि उनको राजस्थान हायर जुडिशियल सर्विसेज के योग्य माना जाय या नहीं। सरकार कहती है कि कास्ट्स और ट्राइब्स के लोग तो ऊंचे पंहुचे हैं और शायद इतने ऊंचे पहुंचे हैं कि एवरेस्ट तक पहुंच गये हैं। लेकिन, सभापति महोदय, मैंने जानकारी चाही थी प्रश्न के द्वारा तो मुझे जानकारी मिली कि राजस्थान हायर जुडिशियल सर्विसेज में एक भी शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का व्यक्ति नहीं है। मैं यह नहीं कह सकता हूं कि

(श्री मूलचन्द सामरिया)

जुडिशियल सर्विसेज इतनी निकम्मी सर्विसेज है कि किसी भी व्यक्ति को देखकर कोटा पूरा किया जाय लेकिन मैं यह भी नहीं मानता हूं कि राजस्थान में ऐसे व्यक्ति नहीं मिले हों कि उनको सर्विस में लेने की व्यवस्था की गई हो।

सरकार में 1-2 लोगों को राज्य मंत्री पद देकर, ऐसे डिपार्टमेंट्स जो अन-इम्पार्टेन्ट हैं देकर कास्ट्स और ट्राइब्स का भला होने वाला नहीं है, बल्कि यह जलील करने वाली बात होगी कि ऐसे लोगों को आपने बैठाया है। यदि शिड्यूल्ड कास्ट्स का और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का सही कल्याण करना चाहते हैं तो हर प्रशासनिक पद पर उनका होना आवश्यक है। कैबिनेट में रहें या नहीं रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन जो रोजमर्रा काम आने वाले डिपार्टमेंट्स हैं और रोज के काम में आने वाली जो मशीनरी है उसमें उचित प्रपोर्शनेट तरीके से आई० ए० एस० और आई० पी० एस० आफिसर्स की नियुक्ति होनी चाहिये। जब तक 28 पर्सेन्ट की पूर्ति नहीं होगी तो कास्ट्स और ट्राइब्स का भला नहीं हो सकता है। या तो सरकार यह स्वीकार करे कि हम अयोग्य रहे और हायर जुडिशियल सर्विसेज के पदों पर नौकरी नहीं कर सकते हैं असफल रहे हैं या फिर उनको नौकरी दिला कर चित प्रतिनिधित्व दिलायें। मैं विश्वास करता हूं जवाब के वक्त विधि मंत्रीजी इस पर कुछ न कुछ कहेंगे।

जहां तक दौसा का सम्बन्ध है, जो एडीशनल मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की कोर्ट स्थापित की है उसके लिये तो मैं धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता हूं, क्योंकि बहुत पुराने समय से जो वाजिब मांग थी, प्रेशर आफ वर्क बहुत ज्यादा था, अब आपने न्याय सुलभ करवाया। लेकिन जो छोटी छोटी चीजें हैं जैसे लेवी का मामला है, खाद्य पदार्थों में मिलावट का मामला है—चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट है तो एडीशनल एण्ड डिस्ट्रिक्ट सेशन्स जज के लिये जयपुर भागकर आना पड़ता है। इसलिये चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट को दौसा में स्थापित करने की कार्यवाही करेंगे तो वास्तविक रूप से किसानों के भले की बात कर सकेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं यह निवेदन करूंगा जुडिशियल सर्विसेज में जो अपाइन्टमेंट होते हैं वह विधि मंत्री जी अपनी सिफारिश से करते हैं, क्योंकि हमारी कास्ट्स का एक अपाइन्टमेंट हुआ था तब उन्होंने कहा कि उनसे रिक्वेस्ट करें वे ही करवाते हैं। तो इसमें भी रिजर्वेशन की बात करा सकें तो बड़ी महरबानी होगी। मैं यही निवेदन करता हूं जो रेजिडेन्शियल क्वार्टर्स की बात कही है, उस पर अवश्य ध्यान दिया जाय तो न्याय देने वाले लोगों को फैसिलिटी मिलेगी और फैसिलिटी के मिलने पर वे निर्भीकता से और चिन्तामुक्त होकर न्याय करेंगे और इससे न्याय का स्तर भी बढ़ेगा।

मैं शिक्षा के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। एक तरफ शिक्षा के बारे में राष्ट्रपतिजी की स्पीच सुनी तो वे कहते हैं कि हमारी शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिये, प्रधान मंत्रीजी की स्पीच सुनी तो वही बात कि शिक्षा में

(श्री मूलचन्द सामरिया)

आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिये, मुख्य मंत्री जी की स्पीच सुनें तो वही बात कि शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिये। आमूल चूल परिवर्तन की बात सभी करते हैं शिक्षा मंत्रीजी भी यही बात करते हैं। मैं नहीं समझ सका कि यह आमूल चूल परिवर्तन कौन करने आवेगा ? क्या यह फरिश्ता करेगा ? राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्री, शिक्षा मंत्री के अलावा क्या फरिश्ते को न्यौता दिया है आपने जो आकर परिवर्तन कर सकेगा ?

मैं निवेदन करूंगा कि आपने 10+2+3 का फार्मूला अपनाया। यह सुन्दर है। आप किसी विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, किसी ने बी० ए० कर लिया, एलएल० बी० कर लिया, इन्जीनियरिंग कर लिया, एम० बी०ए० कर लिया लेकिन यह सब कर लेने के बाद वह करेगा क्या ? जब वह पास करके आता है, शिक्षा मंत्रीजी, तो उसको असली धरातल का पता लगता है। जब वह पास करके आता है तब वह जन-प्रतिनिधियों के पास जाता है, ऐसे जन-प्रतिनिधियों के पास जाता है चाहे वह शिक्षा के मामले में समझते हों या न समझते हों, वह पढ़ा लिखा व्यक्ति बेरोजगारी के कारण आपके सिविल लाइन्स में चक्कर काटता है। जब वह चक्कर काटते काटते थक जाता है और असली स्थिति को देखता है तो वह सोचता है कि मैं इतना नहीं पढ़ता तो ही अच्छा रहता। इससे तो भले ही मैं कोई धन्धा करता तो अच्छा रहता। इसलिये शिक्षा मंत्रीजी, आप शिक्षा को इस प्रकार की शिक्षा बनायें कि व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद, विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के बाद स्वतः कोई काम कर सके, कोई धन्धा कर सके और जिन्दा रह सके। उसका स्वयं का आत्म बल जग सके।

**श्री योगेन्द्र नाथ हांडा** : शिक्षा मंत्रीजी का आत्मबल जाग्रत नहीं हुआ है।

**श्री मूलचन्द सामरिया** : इस प्रकार की शिक्षा पर आप ज्यादा जोर दें तो अच्छा है। इसके साथ साथ यह भी कहना चाहूंगा कि बहुत से ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, जो गरीब लोगों के बच्चे होते हैं, उनके माता पिता उनको पढ़ा नहीं सकते हैं। वे फर्स्ट डिवीजन आये हों, चाहे अच्छे नम्बरों से पास हुए हों, मैरिट से आये हों लेकिन वे आगे इसलिए नहीं पढ़ सकते हैं कि उनके पास आगे पढ़ने के लिए पैसा नहीं होता है। दूसरी तरफ मंत्री महोदय के बच्चे होते हैं, सरकारी गाड़ियों में स्कूल जाते हैं, और अगर वे वीक बच्चे हैं उनके ट्यूटर भी लगा दिया जाता है, और वे पास कराये जाते हैं और पास होने पर नौकरी के चान्सेज भी जल्दी हो जाते हैं। इसलिए आप यह व्यवस्था कर दें कि अमक स्टेन्डर्ड तक सब बच्चों को पढ़ाया जायेगा और अमुक स्टेन्डर्ड तक शिक्षा नेशनेलाइज होगी। जो भी बच्चा मेरिट के आधार पर उच्च शिक्षा लेना चाहता है उसको आपको उच्च शिक्षा देनी चाहिए और किस प्रकार से कम नम्बर वाले बच्चों को उसमें प्रिफरेंस न दिया जाय और उनके मुकाबले में उसको न लिया जाय। दूसरे जो गरीबों के बच्चे हैं और मैरिट में आते हैं उनको सरकार की ओर से खर्चा करके पढ़ाया जाय। इन्जीनियर, अधिकारी और राजनेताओं की सिफारिशों के आधार पर उनके बच्चे आगे आ जाते हैं और उन गरीब बच्चों को कोई प्रोत्सा-

(श्री मूलचन्द सामरिया)
हन नहीं मिल पाता है वह उनको मिल सकेगा और वे भी उच्च शिक्षा प्राप्त करके होनहार बन सकेंगे। पढ़ने वाले बच्चों को, गरीव बच्चों को, जो आज महरूम रह जाते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होने से वे शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और सरकार को और शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद देंगे।

साथ ही साथ यह भी निवेदन करूंगा कि प्राथमिक शिक्षा के संबंध में भारद्वाजजी, जो जमुआ रामगढ़ के सरपंच हैं, ने डाइरेक्टर साहब को लैटर लिखा था। जिला परिषद् में चर्चा हुई। सरकार के खिलाफ निन्दा प्रस्ताव की बात हुई और सरकार के मिनिस्टर मुंशीलालजी महावर ने भी वकालात की और कहा कि सरकार निकम्मी है उसके खिलाफ प्रस्ताव पास किया जाय। कन्याओं के लिए स्कूल भवन नहीं, हैं। दौसा, लालसोट आदि कई जगहों से कन्याएं पढ़ने आती हैं। शिक्षा मंत्रीजी जब यूनिवर्सिटी और कालेजेज आदि के अनेक बड़े-बड़े भवन आप शहरों में बनाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कालेज बड़े बड़े शहरों में बनाते हैं, उसके लिए सारा रेवेन्यू आपके काश्तकारों के पास से ही आता है। जब मैंने निवेदन किया, प्राथमिक कन्या शाला के लिए कहा जाता है कि जनसहयोग से भवन बना कर दें। तो मैं निवेदन करूंगा कि मजदूर किसान हैं वहां आधा पर्सेन्ट भी मालदार नहीं है। शिक्षा मंत्रीजी, आप अनुदान देकर ही वहां भवन बनवा देंगे तो बड़ी कृपा होगी। शहरों में बड़ी 2 आलीशान बिल्डिंग बनाई जाती हैं, बड़े 2 लोगों के बच्चे यहां पर अध्ययन करते हैं। किसान आज सुसंगठित नहीं है, वे मांग नहीं कर सकते हैं, गरीब आदमी के जवान नहीं है, उनकी आवाज नहीं है और इस कारण आज आप गरीब आदमियों का शोषण कर रहे हैं। जनसहयोग की बात आप कृपया गांवों के लिए न करें। शहरों में आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, महिला वर्ग है, बच्चियों के लिए आप महरबानी करके प्राथमिक शाला के भवन अपने कर कमलों से शिलान्यास करके पूरा करा दें। आपके पीरियड में यदि भवन बन जावेगा तो दौसा की जनता आपको मान-पत्र समर्पित करेगी। जनसहयोग की बात तो चलने वाली नहीं है। इतना जन सहयोग में पैसा नहीं मिल सकता वहां की गरीब जनता से कि वह भवन बना सके।

( समय-समाप्ति-सूचक घंटी )

आप इस ओर ध्यान दें।

पोस्ट ग्रेजुएट कालेज की मांग को बिफोर लास्ट ईयर तक तो मंजूर किया और अब उसको भी ड्राप कर दिया। क्या आप यह चाहते हैं कि दौसा, कोटपूतली आदि के सारे के सारे बच्चे जयपुर में आकर पढ़ें? क्या आप यह चाहते हैं कि आज जो मोस्ट क्राउडेड जयपुर सिटी है वहां पर और भी ओवरक्राउडिंग हो जाय भले ही बच्चों को सीट न मिल सके और न पढ़ सकें? क्या 20 सूत्री कार्यक्रम में यह लिखना आप भूल गये कि उच्च शिक्षा भी ग्रामीण क्षेत्रों में दी जावेगी? शिक्षा भी पोस्ट ग्रेजुएट की क्षेत्रों में दी जावेगी तो गरीब इलाकों के जो बच्चे हैं थोड़े पैसों में वे पढ़ लिख जावेंगे और हजारों रुपयों का खर्चा उनको नहीं करना पड़ेगा। 20 सूत्र में नहीं है तो 22वें सूत्र में इसको

(श्री मूलचन्द सामरिया)

फर्मा दें। आप डिसेन्ट्रेलाइज कीजिये। हायर एजूकेशन आप शहरों में ही क्यों रखना चाहते हैं? ग्रामों में शुद्ध वातावरण मिलता है। बच्चे उस शुद्ध वातावरण में क्यों नहीं उच्च शिक्षा प्राप्त करें? गांवों में रखेंगे तो शहरों में आने से रुकेंगे, बाढ़ कम होगी और वातावरण भी शहरों के बजाय ग्रामों में शुद्ध मिलेगा। इस तरह से करके आप ग्रामों के बच्चों को भी आज के युग में कामीटेन्ट कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट कालेज खोलें। अदर देन दौसा शायद दो तीन नम्बर हैं।

( समय-समाप्ति-सूचक घंटी )

जनता मोर्चा की ओर से तो मैं अकेला ही बोल रहा हूं।

**श्री सभापति** : समाप्त करिये।

**श्री मूलचन्द सामरिया** : यह समाप्त हुआ साहब यहीं।

**श्री सभापति** : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन** ( बाड़मेर ) : सभापति महोदय, मैंने शिक्षा, न्याय प्रशासन और कला पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। मैं पहले शिक्षा पर बोलना चाहूंगा।

शिक्षा के सम्बन्ध में पहले तो मैं माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा, 200 मिडिल स्कूल खोलने के सम्बन्ध में वित्त मंत्रीजी ने घोषणा की, वह शिक्षा मंत्रीजी का ही त्याग है। माननीय शिक्षा मंत्रीजी के कष्ट को भी कुछ कम करना चाहते हैं। शिक्षा मंत्रीजी को पहले सैकेन्डरी स्कूल किन किन स्थानों पर खोले जायं उसके लिये बड़ी कठिनाई महसूस हुई थी मैं यह चाहता हूं कि उनकी कठिनाई दूर हो। उसको दूर करने के लिये श्री चन्दनमलजी बैद जब शिक्षा मंत्री थे उस वक्त डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटीज का निर्माण हुआ था।

(3.40 म०प०)

( श्री भीमसेन, सभापति, पीठासीन)

बाड़मेर में कितने खुलने चाहिये, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी का मैं भी एक मेम्बर था। वहां उस कमेटी में उसको तय कर लिया गया। कोई वह अनडेमोक्रेटिक नहीं हुआ और माननीय मंत्रीजी जो कठिनाइयां महसूस करते थे एम०एल०एज० के प्रस्तुत करने के कारण वे उनकी दूर हो गयीं। माननीय सभापतिजी, शिक्षा मंत्रीजी जब भाषण दें तो इसकी घोषणा करें कि डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी का निर्माण किया जाये और वही तय करे कि किन किन स्थानों पर खोले जायें। दूसरी कठिनाई इनके सामने आती है कि किन किन स्थानों पर स्कूलों का निर्माण किया जाये। वह राशि तय करे। उसके लिए भी राशि विभिन्न जिलों की तय कर देनी चाहिए और वही डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी तय करे कि किन किन स्थानों पर स्कूल बिल्डिंग्स बनाई जायें और मरम्मत की आवश्यकता है तो वहां मरम्मत और जहां कमरा बढ़ाना है वहां कमरा बढ़ाना यह सब वह कमेटी तय करे। यह डेमोक्रेटिक मेथड होगा और इससे आपकी प्रशंसा होगी। इसलिए यह निर्णय तो आपको ले लेना चाहिए।

दूसरा प्रश्न यह रखना चाहता हूं कि आप मिडिल स्कूलों की स्थापना कर रहे

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

हैं परन्तु प्राइमरी स्कूलों के लिए मैं देख रहा हूं कि तीन सालों से एक भी प्राइमरी स्कूल राजस्थान में नहीं खोला गया है। मेरे जिले में भी नहीं खोला गया। अब जब कि कान्स्टीट्यूशन में यह प्राविजन है कि कम्पलसरी एजूकेशन होगी तो प्राइमरी एजूकेशन इस समय तक सेन्ट पर्सेन्ट हो जानी चाहिए थी लेकिन राजस्थान में अभी 58 पर्सेन्ट ही प्राथमिक शिक्षा है। तो प्राइमरी शिक्षा के लिए भी आपको निर्णय और निश्चय करना चाहिए और प्राइमरी स्कूल खोले जाने चाहिए। हमारे रेगिस्तानी क्षेत्रों में तो ऐसी स्थिति है, वहां गांव भी इस प्रकार के हैं कि कोई 100 स्क्वायर मील और कोई 50 स्क्वायर मील के अन्दर है और ऐसे गांवों में भी विद्यार्थियों को स्कूल जाने के लिए 8 मील तक जाना पड़ता है या 6 मील तक जाना पड़ता है। तो उन स्थानों में अगर यह अचीवमेन्ट हुआ कि सभी गांवों में प्राइमरी स्कूल की स्थापना कर दी। एक एक गांव में तीन-तीन और चार-चार प्राइमरी स्कूल होने चाहिए। उसके लिए यह क्राइटेरिया हो कि दो मील से अधिक विद्यार्थी को नहीं जाना पड़े। इसके लिए प्राइमरी एजूकेशन को भी शिक्षा मंत्री को जोड़ देना चाहिए और सेन्ट्रल गवर्नमेंट से कोशिश करके जो राशि मिलती है; मिडिल स्कूल की राशि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से प्राप्त होती है वह लेकर प्राइमरी स्कूल को आपको खोलने का प्रयास करना चाहिये।

मैंने कटौती प्रस्ताव रखा है बाड़मेर जिले के हैडक्वार्टर बाड़मेर नगर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जिसको आई०टी०आई० कहते हैं; की बहुत आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में मैंने कोशिश की है और एजूकेशन कमिश्नर से भी मिला हूं जो हूजा साहब थे और उनसे पहले भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि बाड़मेर जिले के हैडक्वार्टर बाड़मेर नगर में आई०टी०आई० की बहुत ही आवश्यकता है। अब प्रश्न उठता है कि इसकी क्यों आवश्यकता है? वहां पर विद्युत की दृष्टि से फिटर की आवश्यकता होती है, लाइनमैन की आवश्यकता होती है। वहां पर ग्रामीण जल प्रदाय योजनायें हैं उनके लिए भी फिटर की आवश्यकता होती है और वहां मोटर गाड़ियां भी बहुत बढ़ गयी हैं इसलिए मोटर मैकेनिक्स की भी आवश्यकता होती है। रेडियो भी काफी हैं इसलिए रेडियो मैकेनिक की भी आवश्यकता होती है। तो इसके लिए जोधपुर जाना पड़ता है और वहां प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ता है जो बहुत ही मंहगा होता है। इसलिए यह प्रशिक्षण संस्थान आप बाड़मेर नगर में ही स्थापित करते हैं तो जो सैकेण्डरी पास लड़के हैं और जिनको सर्विस नहीं मिलती है वह आई०टी०आई० की एजूकेशन प्राप्त कर सकते हैं। 8 वीं क्लास वालों को भी प्रशिक्षण मिल सकता है, ऐसा प्राविजन है तो ऐसे लड़के प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने आप खुद धंधा चला सकते हैं। इसलिए मैंने इस बात के लिए विशेष जोर दिया है और मेरा यह निवेदन है कि बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर में आई०टी०आई० का सेन्टर स्थापित किया जाये।

अब यह बात मैं कहना चाहता हूं कि 5 सीनियर टीचर्स, जो कि कामर्स के हैं, की सर्विसेज 9-1-76 को डाइरेक्टर, प्राइमरी एण्ड सैकेण्डरी एजूकेशन ने बिना

# Page No 126

(126)



(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

नोटिस दिये हुए टर्मिनेट कर दी। जो पांच, छः साल से सर्विस में हैं उनकी सर्विसेज को बिना नोटिस दिये हुए टर्मिनेट करने का प्रावधान कहीं कान्स्टीट्यूशन में नहीं है, कहीं भी सर्विस रूल्स में प्रावधान नहीं है और अभी तक उनको सर्विस नहीं मिली है। तो आप को एग्जामिन करना चाहिए कि जब पांच-पांच साल से सीनियर टीचर की जगह पर काम कर रहे हैं और ओवर एज हो गये हैं उनको बाद में सर्विस मिलने का प्रश्न ही नहीं होता है। तो उन केसेज को भी आप देखें और उनका अच्छी तरह से अध्ययन करें। मैंने भी अच्छी तरह से अध्ययन किया है तो यह पाया है कि उनकी सर्विसेज टर्मिनेट करने के बाद में जो उनको जवाब मिला है वह यह मिला है कि आप सैकिण्ड ग्रेड टीचर में जाओ। अब सैकिन्ड ग्रेड टीचर के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि 1968 से लेकर 1975 तक 16 टीचर्स का पब्लिक सर्विस कमीशन ने सलेक्शन किया। तो जो सब-आर्डिनेट सर्विस रूल्स हैं उनके अन्तर्गत जब डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट 50 पर्सेन्ट का करते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिये तो 50 पर्सेन्ट को ही प्रमोशन देना चाहिए। तो 50 पर्सेन्ट प्रमोशन नहीं देकर 16 के बजाय 50 से भी अधिक आपने सैकिन्ड ग्रेड के टीचर्स को सीनियर टीचर बना दिया। अब 50 को जब बना दिया और फिर आप कहते हैं कि अब तो कोई स्थान नहीं रहा आपके लिए, अब तो आप सैकिन्ड ग्रेड में जाइये तो 50 आपने क्यों बनाये? वह नियमों के विरुद्ध बनाये तो जो नियमों के विरुद्ध किया है और उसमें जो जूनियर्स हैं उनको आप रिवर्ट कीजिए, वापिस सैकिन्ड ग्रेड में और इनको स्थान देना चाहिए। जो राजस्थान सब-आर्डिनेट सर्विस रूल्स का रूल 6 है उसके अन्तर्गत मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस रूल्स के माफिक इनकी सर्विस को रेगुलराइज किया जा सकता है।

"That a person holding any of the following grade I posts in sections B, C, D, E and F or any of the posts in section A of the schedule on 31-12-72 in an officiating/ad-hoc/temporary capacity and who had continuously held the said post, or would have held such post but for his appointment on a higher post, or would have held any of these posts but for his deputation elsewhere, for a period of not less than six months on 15-12-71 and was working as such on the date of publication of the said Amendment Rules shall be screened by a committee referred to in rule 25 for adjudging his suitability for such post; provided he possesses the qualifications prescribed in the rules."

अब यह जो अमेन्डमेन्ट किया 15-12-71 का 6 महीने का सर्विस का प्राविजन है तो 15-6-71 तक जून में तो कोई अपाइन्टमेन्ट नहीं होते तो फिर कौन से स्पेशल रूल में अमेन्डमेन्ट किया है? अपाइन्टमेन्ट होता तो जुलाई में होता, अगस्त में होता, सितम्बर में होता किन्तु 6 महीने का जो प्राविजन बनाया है इससे तो जून का महीना आता है। तो

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

जून में तो किसी तरह के अपाइन्टमेन्ट नहीं होते। तो इसमें अमेन्डमेन्ट करके 12 महीने का उसका अमेन्डमेन्ट किया जा सकता है और जो 5 सीनियर टीचर्स को निकाला है उनको लिया जा सकता है। उनको सर्विसेज से टर्मीनेट करना उनके ऊपर अन्याय होगा।

अब प्रश्न यह उठता है कि

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

**श्री सभापति** : जल्दी समाप्त करें।

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन** : अभी तो ऐसा है, एक पाइन्ट पर ही मैं आया हूं। अभी तो शिक्षा के बारे में ही दो तीन मेरे कटमोशन्स हैं जिन पर प्रकाश डाला है और दूसरे कटमोशन्स हैं

**श्री सभापति** : दूसरे माननीय सदस्यों का भी ध्यान रखिए।

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन** : मैं जल्दी ही संक्षेप में कह दूंगा।

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित जो लेक्चरार हैं, ईयर 1969 में जो सलेक्टेड हैं उनका अभी तक कन्फर्मेशन नहीं किया गया है। इसलिए कहता हूं कि आप कुछ रूल्स बना दीजिए कि इतने साल के बाद कन्फर्मेशन होगा। हर सर्विसेज में रूल्स बना दीजिए कि अपोइन्टमेन्ट के दो साल बाद, तीन साल बाद, चार साल बाद, पांच साल बाद इतने समय में कन्फर्मेशन होता है। हर सर्विसेज में यह प्रावधान बना देना चाहिए कि इतने साल के बाद में कन्फर्मेशन होगा। तो इसके बारे में भी व्यवस्था कर दी जानी चाहिए।

एक मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे गवर्नमेंट कालेज बाड़मेर में शिक्षा मंत्रीजी ने यह घोषणा की थी कि एक लाख रुपये की राशि बोर्डिंग हाउस के लिए, बाड़मेर राजकीय बोर्डिंग हाउस के लिए राज्य सरकार से दी जायेगी। अब प्रश्न यह उठता है कि शिक्षा मंत्रीजी के लिए कठिनाई का प्रश्न है। मैं यह समझता हूं कि यह उनके लिए कठिनाई का प्रश्न है परन्तु जब उन्होंने घोषणा करदी तो हमारी कांग्रेस की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। अब विद्यार्थियों को मेरे को फेस करना पड़ता है। आपके शिक्षा मंत्रीजी ने यह घोषणा कर दी और कालेज के प्रांगण में घोषणा कर दी और फिर बाद में इम्प्लीमेंटेशन न हो तो यह हमारे लिए अपमानजनक है। यह कांग्रेस के लिए अपमानजनक चीज होती है और हमारी गवर्नमेंट के लिए अपमानजनक होती है, शिक्षा मंत्रीजी के लिए अपमानजनक चीज हो जाती है। तो मेरा निवेदन है कि शिक्षा मंत्रीजी को कष्ट उठा करके, तकलीफ उठा करके भी इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इसके साथ ही मेरा यह निवेदन है शिक्षा मंत्रीजी से कि घोषणा वही करो जिनकी क्रियान्विति हो अन्यथा घोषणा नहीं करनी चाहिए। किसी भी मंत्री को घोषणा नहीं करनी चाहिए। उससे प्रेस्टिज गिरती है। हमारी प्रेस्टिज गिरती है, कांग्रेस की प्रेस्टिज गिरती है। हमें एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। इसलिए कोई भी घोषणा करते वक्त में पूरी तरह से सोच लेना चाहिए और पूरा कंसीडरेशन करके फिर घोषणा करनी चाहिए।

नेहरू युवक केन्द्र के बारे में भी निवेदन कर दूं कि राजस्थान के एक एक जिले में नेहरू युवक केन्द्र स्थापित हों। मैं चाहता

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

हूं कि आर०एस०एस० की एक्टीविटीज को अगर कमजोर करना चाहते हैं तो हमारे को संगठन के आधार पर तो लड़ना ही चाहिये परन्तु संगठन के अलावा हमें नेहरू युवक केन्द्र की विभिन्न जिलों में स्थापना करनी चाहिए। बंगाल में सारे जिलों के मुख्यालयों पर नेहरू युवक केन्द्र स्थापित किए गए हैं और ब्लाक लेवल तक नेहरू युवक केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इनकी एक्टीविटीज इस प्रकार की हैं कि युवकों को प्रोत्साहित करने के लिए हैं, उनको खेल-कूद की ओर प्रोत्साहित करने के लिए और उनकी मानसिक क्रिया शक्ति को बढ़ाने के लिए हैं। उनकी एक्टीविटीज बहुत ही यूजफुल हों, इसलिए मैं चाहता हूं कि कोशिश करके, केन्द्रीय सरकार से कोशिश करके सारे जिलों के मुख्यालयों पर यह नेहरू युवक केन्द्र की स्थापना करनी चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अब मैं न्याय प्रशासन के बारे में कह देता हूं। न्याय प्रशासन के बारे में मेरा निवेदन है कि जो अधिकार दिये गए हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अन्तर्गत वकीलों को क्या अधिकार दिये गए हैं? अब एवीडेंस लेने का अधिकार वकीलों को दिया गया है। कोई केस हो, मजिस्ट्रेट वकील को प्रस्तुत कर देता है और वकील शहादत के बयान लेता है। एग्जामिनेशन लेता है। केस एग्जामिन होता है। इससे बहुत ही न्याय में बाधा पड़ती है और वास्तविक रूप में न्याय नहीं मिल पाता है। इसलिए इस प्रोसीजर को आपको समाप्त करना चाहिए। क्रिमिनल प्रोसीजर में अमेंडमेंट करने की आवश्यकता हो तो आप कर सकते हैं। यह कोई जरूरी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की राय लेने की आवश्यकता नहीं है और इस प्रोसीजर में जो अमेंडमेंट के पहले प्रोविजन था उसी प्रकार का प्रोविजन आपको करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ में मैं मेरे कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

**श्री सभापति** : श्रीमती सुमित्रा सिंह।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** (झुंझुनू) : माननीय सभापति महोदय · · · ·

( विद्युत् व्यवस्था भंग )

**श्री गौरीशंकर मुनीम** : यह स्वागत किया है।

**श्री किशन मोटवानी** : बिजली खड़ी हो गई है।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : माननीय सभापति महोदय, आज सदन में 84.24 करोड़ की शिक्षा विभाग से सम्बन्धित मांगें रखी गई हैं। करीब राजस्थान के बजट का 23 प्रतिशत हम इस विभाग पर खर्च करते हैं। एक रिपोर्ट तो हमको शिक्षा विभाग की ओर से, शिक्षा विभाग के द्वारा सदन में दी गई है। एक यूनिवर्सिटी से सम्बन्धित है जिसमें यूनिवर्सिटी के कार्यकलाप, जो एक साल भर में हुए, के बारे में काफी कुछ कहा गया है। मैं इससे पहले कि कुछ और कहूं, जो मैंने अपने कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं उनके बारे में बहुत संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगी।

माननीय सभापति महोदय, पिछली बार शिक्षा मंत्री जी ने शिक्षण संस्थाओं का पुनर्वर्गीकरण करने के लिए एक कमेटी

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

बनाई थी, उसने अपनी रिपोर्ट भी दे दी। उस रिपोर्ट के मुताबिक जिन शिक्षण संस्थाओं का अनुदान कम किया जाना था वह कम किया जा कर के उनको तो कम अनुदान मिलने लग गया है लेकिन पुनर्वर्गीकरण के आधार पर जिन शिक्षण संस्थाओं के अनुदान में बढ़ोतरी होनी चाहिए थी वह बढ़ोतरी नहीं हो सकी है। मैं शिक्षा मंत्री जी से इस सम्बन्ध में स्पष्ट आश्वासन चाहूंगी कि वे इस बारे में स्पष्ट कहें कि जिन संस्थाओं को पुनर्वर्गीकरण के आधार पर और अधिक अनुदान दिया जाना है उस बारे में उनको केवल आश्वासन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि उन संस्थाओं को जल्दी से जल्दी बढ़ा हुआ अनुदान मिल जाना चाहिए।

महिला शिक्षा के बारे में, जैसा कि सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं, राजस्थान सबसे पिछड़ा हुआ प्रान्त है। जम्मू-काश्मीर के बाद सबसे पिछड़ा हुआ दूसरे नम्बर का प्रान्त है। वैसे तो शिक्षा का प्रतिशत भी, लिट्रेसी का प्रतिशत भी राजस्थान का बहुत नीचे है। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि यूनिवर्सिटी की जो रिपोर्ट हमें दी गई है उसमें लिट्रेसी का पर्सेन्टेज 25 प्रतिशत बतलाया है और आल इंडिया के जो आंकड़े हैं और हमें शिक्षा विभाग द्वारा और स्टेटिस्टिक डिपार्टमेंट द्वारा जो आंकड़े अभी तक दिए गए हैं वह केवल 18 के हैं बहरहाल 19 प्रतिशत है। लेकिन मान लीजिए इस बात को कि साल भर में हमारे प्रयत्नों से, शिक्षा मंत्री जी की जागरुकता से, हमारे इतने सारे विशाल बजट से कुछ सुधार भी हुआ हो तो भी 21 प्रतिशत से ज्यादा किसी भी हालत में नहीं होता है, फिर यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में 25 पर्सेंट लिट्रेसी किस प्रकार बताई है यह मेरी समझ में बात नहीं आ रही है। कृपया मंत्री जी स्पष्ट करेंगे।

मैं निवेदन करना चाह रही थी कि महिला शिक्षा में जम्मू-काश्मीर के बाद में जहां हमारा जनरल शिक्षा का 19 प्रतिशत है वहां महिला शिक्षा में केवल 8 प्रतिशत है। शिक्षा मंत्री जी ने अपने शिक्षा के बजट में कुछ बढोतरी करवा कर के घोषणा की थी, वित्त मंत्री जी के द्वारा घोषणा करवाई गई थी कि जिन जिला हैडक्वार्टर्स पर लड़कियों के हायर सैकेन्डरी स्कूल नहीं हैं वहां पर इस वर्ष से सैकेन्डरी स्कूल से हायर सैकेन्डरी स्कूल में क्रमोन्नित कर दिया जावेगा। इस प्रकार से कुल मिला कर सारे राजस्थान में आठ या नौ स्कूल आते हैं। खैर, उसके लिए तो मैं उनको धन्यवाद दे देती हूं क्योंकि मैं जानती हूं कि धन्यवाद देने में कोताही अपनी तरफ से नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं निवेदन करना चाहती हूं कि महिला शिक्षा में हम अभी भी बहुत पिछड़े हुए हैं। महिलाओं की शिक्षा के लिए मैं इसलिए जोर देकर कहना चाहती हूं कि महिलाएं न केवल हमारी संस्कृति की आधार हैं, महिलाएं न केवल इस समाज की आधार हैं बल्कि महिला शिक्षा पर इस देश का भविष्य बहुत कुछ निर्भर करता है। जैसा कि गांधीजी ने भी कहा था कि एक आदमी को पढ़ाने से एक आदमी ही पढ़ता है लेकिन अगर एक महिला पढ़ गई तो सारे घर वाले पढ़

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

गए तो मैं निवेदन करती हूं कि 64 करोड़ के बजट में केवल 9 हायर सैकेन्डरी स्कूल, हाई स्कूल से हायर सैकेन्डरी स्कूल्स में परिवर्तित कर के ही यदि शिक्षा मंत्री जी संतोष प्राप्त कर लेते हैं तो मैं समझती हूं कि यह उचित नहीं होगा। महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत कुछ किया जाना चाहिए। मैं जब पढ़ा करती थी तो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, उस समय गर्ल्स एजूकेशन बिलकुल फ्री थी मुझे अपनी जिन्दगी में पढ़ते समय किसी प्रकार की ट्यूशन फीस नहीं देनी पड़ी। राजस्थान में महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए महिलाओं की सारी एजूकेशन में कहीं कोई ट्यूशन फीस नहीं होनी चाहिये। आज हायर सैकेन्डरी के दर्जे तक यह बात सही है कि छात्राओं को कोई ट्यूशन फीस नहीं देना पड़ती है परन्तु इसके बाद जब स्नातक शिक्षा की बात आती है, यदि छात्रा का पिता टैक्स पेयर नहीं है तो उससे कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है। आज जिसकी 8 हजार की सालाना इनकम है, उस पर इनकम टैक्स और जिसके चार बच्चे हैं तो वह क्या शिक्षा दिला सकता है अपने बच्चों को। अगर जिसके दो बच्चे भी कालेज में पढ़ते हैं तो उसकी हालत खराब हो जाती है। वह अपने पेट पर पट्टी बांध कर ही अपने बच्चों को कालेज पढ़ने भेज सकता है। महिलाओं की शिक्षा में राजस्थान खास तौर से पिछड़ा हुआ है इसको प्रोत्साहन देने की हम बात करते हैं। इसके बारे में सोचना होगा। स्नातक तक ही नहीं पोस्ट ग्रेजुएट तक की शिक्षा तक महिलाओं से एजूकेशन के लिए ट्यूशन फीस नहीं ली जानी चाहिये। तब ही महिलाओं की तरक्की के लिए हमारा यह यथार्थवादी और प्रोत्साहन का कदम होगा। मैं शिक्षा मंत्री जी से नम्र शब्दों में अनुरोध करूंगी कि वे केवल लिप सिम्पेथी तक ही न रहें। वास्तव में आप महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने की बात करते हैं तो कदम उठावें और मेरे इन सुझावों पर गौर फर्मावें।

सभापति महोदय, शिक्षा के गुणात्मक विकास के लिए, शिक्षा विभाग ने जो रिपोर्ट दी है, उसमें शिक्षा विभाग ने कहा है कि हम शिक्षा के गुणात्मक विकास एवं संख्यात्मक विस्तार के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, बड़ा ध्यान दे रहे हैं। शिक्षा विभाग प्रत्यनशील है कि आगामी वर्ष में शिक्षा के सभी क्षेत्रों में द्रुत गति से गुणात्मक एवं संख्यात्मक विकास हो। इस दिशा में विभाग के पास अगले सत्र के लिए निम्न कार्यक्रम विचाराधीन है।

सभापति महोदय, इसमें जो कुछ भी सुझाव दिये गये हैं वे संख्यात्मक तो अवश्य हैं लेकिन शिक्षा के गुणात्मक विकास का कोई भी सुझाव इसमें नहीं दिया गया है। बहुत लम्बे समय से, स्वाधीनता के बाद से, शिक्षा शास्त्री और समाज के जो कुछ पढ़े लिखे और प्रबुद्ध लोग हैं, जिनमें इस बात की चाह है कि हमें शिक्षा के गुणात्मक विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा मंत्रीजी ने पिछली बार आपने भाषण में कहा था, वित्त मंत्री ने भी अपने बजट भाषणा में शिक्षा के गुणात्मक विकास के लिए कहा था और राज्यपाल महोदय ने भी अपने भाषण में यही कहा कि शिक्षा के गुणात्मक विकास के लिए

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)
राजस्थान में प्रयत्न किये जायेंगे। लेकिन मुझे अफसोस है कि....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनिट ही हुए हैं। कम से कम मुझे अपनी बात तो कहने दीजिये...

**श्री सभापति** : सात मिनिट हो गये हैं।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : तो, सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रही थी शिक्षा के गुणात्मक विकास के लिए। शिक्षा के गुणात्मक विकास की बात जब हम करते हैं तो मुझे रवीन्द्रनाथ टैगोर के वे शब्द याद आते हैं जो, माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन में आपकी इजाजत से दोहराना चाहूंगी :

"The mistake of a doctor is buried in the grave."

डाक्टर की गलती श्मशान में दब जाती है।

"The mistake of an engineer is cemented in bricks."

इन्जीनियर की गलती सीमेंट और ईंट में दब जाती है।

"The mistake of a lawyer lies in the files."

और एक वकील की गलती फाइल में रह जाती है,

"But the mistake of a teacher is reflected in the nation for a long time."

एक शिक्षक की गलती लम्बे समय तक राष्ट्र में प्रतिबिम्बित होती रहती है।

**श्री भुवनेश चतुर्वेदी** : And the mistake of a lady ?

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : माननीय सदस्य, कोई गलती नहीं है। कोई गलती नहीं है। गलती होगी तो देख लेंगे।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रही थी कि सब की गलती को तो क्षमा किया जा सकता है लेकिन एक अध्यापक की गलती को बिलकुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसकी गलती आने वाले भविष्य में प्रतिबिम्बित होती रहती है इसलिए ऐसे समय में हमें इस बात का लोभ छोड़ना पड़ेगा कि कौन किसके कितना नजदीक है, कितना समीप का आदमी है। शिक्षा विभाग में कितने लोगों को रिटायर किया गया है, वहां इससे भी ज्यादा लोगों को रिटायर करने की जरूरत है। क्यों, आज के टीचर ने गुरु की गरिमा को छोड़ दिया है। हमारे टीचर अर्थात् शिक्षक के चालचलन को देखकर, उसकी कर्त्तव्यहीनता को देखकर हमारा छात्र वर्ग न केवल उच्छृंखल हो गया है बल्कि उसमें अनुशासन भी नहीं रह गया है। यह सही बात है। हमें इस बारे में बहुत स्ट्रिक्ट तौर से, सख्ती के साथ चलना होगा। जो कुछ हमने किया है वह इस शिक्षा के गुणात्मक विकास के लिए, उसके लिए अभी बहुत कुछ किया जाना है।

लेकिन माननीय शिक्षा मंत्रीजी को यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि यह जो शिक्षा विभाग के साथ, यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट मिली है, यहां मैं सदन के माननीय सदस्यों को भी याद दिलाना चाहूंगी कि यह जो रिपोर्ट हमें यूनिवर्सिटी की मिली है उसको पढ़ कर हमें बहुत-बहुत अफसोस हुआ कि इसमें केवल वाइस-चांसलर, श्री

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)
जी०सी० पाण्डे का यशोगान किया गया है। इसके सिवाय और कुछ नहीं है। उनका केवल एक जगह ही नाम नहीं है। जो भी गतिविधियां हुईं उनमें उनका जिक्र किया गया है। रोशनी नहीं है। इसलिए मैं इसको ठीक से नहीं पढ़ सकूंगी।

**श्री केशरीमल** : यह शिक्षा विभाग का वरिष्ठ आदमी है।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : माननीय शिक्षा मंत्री जी, आज कोई भी जानकारी इस सदन के माननीय सदस्यों को देना चाहें तो उसको देने के पहले मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि उस जानकारी को आप पढ़ा करें। इस रिपोर्ट में कुछ नहीं है जी० सी० पाण्डे के यशोगान, विरुदावली के अलावा कोई तथ्य नहीं है। बार-बार आपात्‌कालीन स्थिति का जिक्र किया गया है और जो कुछ उपलब्धि हुई उसका सारा श्रेय जी० सी० पाण्डे को है। जी० सी० पाण्डे वाइस-चांसलर हैं, ठीक है…

**एक माननीय सदस्य** : आनंदमार्गी हैं।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : पहले भी यह बात यहां पर उठी है परन्तु हमारे शिक्षा मंत्री जी मौन रहे। माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी इसका कोई जवाब नहीं दिया। मैं आपसे फिर निवेदन करूंगी कि यह एक बहुत ही गम्भीर मसला है। हम इनके हाथों अपने बच्चों के भविष्य को बिगाड़ रहे हैं, इन प्रतिगामी हाथों से भविष्य के कर्णधारों को बिगड़ने का अवसर दे रहे हैं। हमारे आने वाले समय की जो पौध है, जो कच्ची है, वह कैसी बनेगी, इसके लिए हमें समय रहते ही निर्णय कर लेना चाहिये। मैं यह निवेदन करूंगी कि 'Cosmic society' नामक आनंद मार्ग का एक पत्र निकला करता था उसमें शिक्षा के बारे में एवं आनंद मार्ग के बारे में श्री जी० सी० पाण्डे ने लिखा है। मैं इसकी तीन पंक्तियां माननीय शिक्षा मंत्री जी आपका ध्यान आकर्षित करने और सदन के माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए सुनाना चाहती हूं।

"सा विद्या या विमुक्तए" ····यह हमारे उपनिषद् ग्रंथ, जो कि एक पवित्र ग्रंथ है, उनको डिफाइन कर रहे हैं। उपनिषद् में विद्या का क्या लक्ष्य है। "सा विद्या विमुक्तए" ···by G. C. Pandey, M. A., Head of Deptt. of History & Indian Culture" उस वक्त हैड आफ डिपार्टमेंट थे, Savidya ya vimuktye.

> "That is education which leads to lasting and complete freedom. This is the fundamental principle on which the education policy and programme of Anand Marge is based."

आनंद मार्गियों की धारणा शिक्षा के बारे में क्या है? 'सा विद्या या विमुक्तए' हमारे उपनिषद् का प्रथम सूत्र, उससे मुकाबला कर के दिया है। मैं बड़े अदब के साथ निवेदन करना चाहती हूं और वह निवेदन यह करना चाहती हूं कि जो कुछ भी इस यूनिवर्सिटी की

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के अन्दर जो कुछ भी उन्होंने लिखा है, सारे कार्यों का श्रेय जी० सी०पाण्डे को ही दिया गया है। उसमें लिखा है : "एक चुनौती थी-सामने उसे स्वीकार करना था, उसके लिए संकल्प का बीड़ा उठाया नये कुलपति, डा० गोविन्द चन्द्र पांडे ने, और उसी संकल्प की सिद्धी का यह एक वर्ष विश्वविद्यालय के इतिहास में रचनात्मक विकास और अनुशासन का वर्ष है" उसकी उपलब्धियों का ब्यौरा यहां प्रस्तुत है । तो माननीय शिक्षा मंत्रीजी, क्या यह रिपोर्ट आपने पढ़ी है ? सदन के माननीय सदस्यों को मैं यह निवेदन करना चाहूंगी जहां कहीं भी बहुत अच्छा काम किया गया, जगह-जगह पर ऐसा कोई पेज नहीं है इस रिपोर्ट का जिसके अन्दर कि हर कार्य के लिए उप-कुलपति का यशो-गान नहीं किया गया हो, उनको धन्यवाद नहीं दिया गया हो। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : मैं निवेदन यह करना चाहती हूं......

**श्री सभापति** : आप समाप्त करें।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : मैं समाप्त कर रही हूं ।

सभापति महोदय, मैं इस बारे में एक बात और निवेदन करना चाहती हूं, माननीय शिक्षा मंत्रीजी नोट करें। आनंद मार्ग की मासिक पत्रिका 'कास्मिक सोसाइटी' है उसमें जो इनका लेख है उस लेख के बारे में क्या जांच करवाई है, क्या किया ? और कब किया ? 1971 के सितम्बर माह में आज के वाइस-चान्सलर हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट थे पोलिटिक्स के नहीं हिस्ट्री के, उस समय प्रभात रंजन सरकार का सांगानेर हवाई अड्डे पर स्वागत किया गया। आनन्द मोन्टेसरी स्कूल, सांगानेर की संचालिका, जो इन जी० एस० पांडे की पत्नी थी और अभी भी है, ने स्वागत किया था। भंवर गोविन्दसिंहजी जब यहां पर एस० पी० थे तब एक दीन दयाल नाम के छात्र को अवधूत बनाने के हेतु पटना भेजा गया था जिसकी रिपोर्ट पुलिस में पेश की गई थी और दर्ज कराई गई थी।

इतना ही नहीं मैं और निवेदन करना चाहूंगी कि यह तो, जब वे हिस्ट्री के हैड आफ दी डिपार्टमेंट थे, उस समय की बात है जब वे हिस्ट्री के हैड आफ दी डिपार्टमेंट से वाइस-चान्सलर बन गये तो आप लोगों ने शायद सुना होगा कि 26 अक्तूबर, 1974 को यहां पर जयप्रकाश नारायण आये थे और जयप्रकाश नारायण ने राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रांगण में विश्वविद्यालय के छात्रों को एक छात्र सभा में उद्बोधित किया था। वाइस-चान्सलर साहब ने इस सभा की अध्यक्षता की थी और उसमें जयप्रकाशजी ने छात्रों को समग्र क्रांति राजस्थान में लाने के लिए भाषण दिया था। आज अलग बात है कि इमर्जेन्सी में वह यह कह दें कि पहले मैं आनन्द मार्ग में था और अब नहीं हूं। यह अलग बात है मामूली तौर से उन्होंने यह कह दिया हो। 26 अक्तूबर, 1974 को वह वाइस-चान्सलर थे और उनके वाइस चान्सलर रहते हुए जयप्रकाश नारायणजी विश्वविद्यालय के प्रांगण में आये थे और उन्होंने सारे स्टूडेन्ट्स को सम्बोधित किया था और समग्र क्रान्ति के लिए आह्वान किया था।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

इतना ही नहीं इससे भी आगे बढ़कर मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि राजस्थान विश्वविद्यालय में संघीय और आनन्द मार्गी छात्रों को प्रवेश दिया गया, और वह इससे स्पष्ट होता है कि पिछली बार राजस्थान विश्वविद्यालय में 45 पर्सेन्ट अंक से नीचे के विद्यार्थियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ छात्रों को अपवाद बनाकर एडमिशन्स वहां पर दिये गये थे और वह इस तरह के एडमिशन्स हैं जो कि सारे आनन्द मार्ग से सम्बन्धित हैं या वह सब संघी हैं।

इतना ही नहीं माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने जैसा कि अभी स्वीकार किया था प्रश्नोत्तर-काल में कि 23 अक्टूबर को राजस्थान विश्वविद्यालय में 3 दिन तक लगातार अमरीकी फिल्मों का प्रदर्शन करवाया था और निःशुल्क अमरीकी साहित्य बंटवाया था।

माननीय सभापति महोदय, क्योंकि आपकी घन्टी बज चुकी है मुझे वार्निंग दी गई है, अन्त में यही निवेदन करना चाहती हूं कि आज सही बात तो यह है कि शिक्षा हमारी इस प्रकार की हो गई थी कि जिसने युवा शक्ति की रचनात्मक नेतृत्व क्षमता को कम कर दिया था, युवकों के आर्थिक प्रश्न और इसका तालमेल नहीं था। विद्यार्थी न तो आर्थिक संकट से पार पा रहा था और न नैतिक मूल्यों को महत्व दे पा रहा था, इसलिए आवश्यकता है कि विश्वविद्यालय सरस्वती के मन्दिर हैं साधना के क्षेत्र हैं उनको राजनीति से दूर रखकर पवित्र स्थान किस प्रकार से बनाये रख सकते हैं ?

मेरा एक कटौती प्रस्ताव ललित कलाओं के बारे में भी है। मैं इसके बारे में इतना ही निवेदन करना चाहती हूं कि हमारी जो ललित कलाएं हैं यह मनुष्य के जीवन की वह धरोहर हैं, उसकी शिक्षा का ऐसा आधार है जो उसके जीवन में सांस्कृतिक रुझान पैदा करती हैं, रुचि पैदा करती हैं, उसके जीवन में संगति पैदा करती हैं, और उसे निर्माणकारी प्रवृत्तियों की ओर अग्रसर करती हैं। इन ललित कला अकादमी और साहित्य अकादमी के द्वारा हम अपनी संस्कृति और साहित्य की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। हम अपनी लोकल कलाओं के प्रति लोगों को आकर्षित भी ही न कर सकें लेकिन कहीं उनके विपरीत तो काम नहीं कर रहे हैं, यह हमें देखना चाहिए। मैं इतना ही निवेदन करना चाहती हूं कि इन तीनों अकादमियों का जो वर्तमान स्वरूप है, और जो कार्यकलाप हैं उनसे इनको मिलने वाले बजट का औचित्य नजर नहीं आता है। इनकी प्रवृत्तियों के द्वारा वास्तव में कला के प्रति रुझान पैदा हो सके मानव की जो विकृतियां है उन विकृतियों को दूर कर सकें तथा निर्माणकारी कार्यों की ओर जन जीवन को आकर्षित कर सकें इन बातों को ओर ध्यान देना चाहिए। इसलिए तीनों ही अकादमियों का इस तरह से पुनर्गठन किया जाना चाहिए। इनको सक्षम बनाया जाना चाहिए और इनके सारे कलापों को जिन्हें कहना चाहिए हम ठीक तरीके से रचनात्मक दिशा कैसे प्रदान कर सकते हैं वह व्यवस्था की जानी चाहिए।

**श्री सभापति** : समाप्त करें।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : माननीय सभापति महोदय, अन्त में मैं यही निवेदन करती हूं कि शिक्षा मंत्रीजी को इसी बजट में

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

महिला शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए और गांवों और शहरों की शिक्षा के क्षेत्र में असमानता को कम करना चाहिए। गांवों के लिए हर क्षेत्र में शर्त लगा रखी है भवन की तो इस डिस्क्रीमिनेशन को दूर करने की प्रार्थना करूंगी।

**श्री सभापति :** श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल।

**श्री गोपाल जोशी :** सभापति महोदय, मुझे भी टाइम दें।

**श्री सभापति :** श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल।

**श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** (गंगापुर) : सभापति महोदय, मैंने जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं उनके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं न्याय-प्रशासन की ओर मंत्री महोदय और राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमारी सरकार सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध है। इसके बारे में मेरा यह निवेदन है कि सी०जे०एम० चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट की जो स्थापना की गई है उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। राज्य सरकार ने यह डिसीजन लिया था कि हर डिस्ट्रिक्ट हैड-क्वार्टर पर सी०जे०एम० कोर्ट की स्थापना की जाय। इसलिए, सभापति महोदय, हमारे सवाई माधोपुर जिले के लिए सवाई माधोपुर के अन्दर सी०जे०एम० कोर्ट की स्थापना की गई है। सभापति महोदय, सवाई माधोपुर नगर हमारे सवाई माधोपुर जिले के एक कोने के अन्दर बसा हुआ है, और हमारे सवाई माधोपुर जिले में गंगापुर सब-डिवीजन, करौली सब-डिवीजन और हिन्डौन सब-डिवीजन इन तीनों सब-डिवीजनों के 90 पर्सेन्ट केसेज सी०जे०एम० कोर्ट के अन्दर हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि जनता को सुलभ न्याय दिलाने की आप बात करते हैं वह कहां तक इससे पूरी होती है। सवाई माधोपुर नगर एक कोने में होने के कारण गंगापुर, करौली और हिन्डौन सब-डिवीजनों की जनता को कितनी कठिनाई के साथ में वहां आना पड़ता है। सवाई माधोपुर नगर एक कोने में बसे होने के साथ-साथ वहां पर आवागमन के साधन में रेल्वे के अलावा और कोई साधन नहीं हैं। बरसात के अन्दर इतनी भयंकर खराबी लोगों की होती है कि सवाई माधोपुर पंहुचने के लिए दो-दो, तीन-तीन दिन लग जाते हैं। तो, सभापति महोदय, मेरा इस बारे में यह निवेदन है कि सवाई माधोपुर में यदि सी०जे०एम० कोर्ट रखी जाय कम से कम गंगापुर के अन्दर जो जिले के मध्य में है तो सारे सवाई माधोपुर जिले के लोगों को राहत मिल सकती है अगर वहां पर एक कैम्प कोर्ट स्थापित की जाय। अभी मंत्री महोदय जवाब देंगे कि व्यय होने के कारण गंगापुर में सी०जे०एम० की कैम्प कोर्ट नहीं लगा सकते हैं, लेकिन इसके बारे में मेरा यह निवेदन है कि गंगापुर में पहले ए०डी०जे० की कोर्ट थी फिर भी सवाई माधोपुर में ए०डी०जे० की कैम्प कोर्ट क्यों लगाई गई? क्या उसका भार राज्य सरकार पर नहीं पड़ता है? क्या उस समय आपके ऊपर आर्थिक भार नहीं पड़ा? इसको भी मैं समझता हूं। विधि राज्य मन्त्री महोदय के कारण अगर सवाई माधोपुर में ए०डी०जे० कैम्प कोर्ट लगाई जा सकती है, तो करौली, गंगापुर, हिन्डौन सब-डिवीजनों की जनता को सस्ता

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)
न्याय दिलाने के लिये गंगापुर के सी०जे०एम० की कोई कोर्ट भी लगानी चाहिये अगर इसकी स्थापना नहीं की गई तो यह सारा बेकार जाएगा। दूसरा मैं यह निवेदन करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट जज कार्यालय की स्थापना करने के लिए यह तो हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर नहीं रखा जाये। केसेज के आधार पर खोला जावे। मेरा निवेदन यह है कि सवाई माधोपुर जिले में गंगापुर मध्य में आता है। कार्यालय गंगापुर में केसेज भी अधिक हैं। फिर भी खोलें वहीं नहीं। सवाई माधोपुर जिले में कलेक्टर कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के आफिसेज वगैरह मौजूद हैं। तो उसका सेण्ट्रलाइजेशन कर दिया जाये जिससे अन्य कस्बों को महत्व मिल सके।

अब मैं आपका ध्यान शिक्षा विभाग की ओर दिलाना चाहता हूं। वैसे तो शिक्षा विभाग ने गत 28 वर्षों से काफी तरक्की की है। काफी प्राइमरी स्कूल खोले हैं। लेकिन कालेज शिक्षा के लिए जो प्रतिभाशाली हैं, जो पढ़ने में बहुत होशियार हैं जो कि शहरों में जाकर नहीं पढ़ सकते हैं उनकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए। हमारे गंगापुर में 1945 में हाई स्कूल बना था। सवाई माधोपुर जिले के अन्दर छात्रों की संख्या के हिसाब से यदि देखते हैं तो आपने कहा था कि जब कालेज खोले जायेंगे तो प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन इस बजट में उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। हम आपको भवन बनाकर देने के लिए तैयार हैं। फिर आपको क्या परेशानी है। मैं बहुत विनम्र शब्दों में यह निवेदन करूंगा कि गंगापुर में कालेज खोलने की कृपा करें। दूसरा, सभापति महोदय, शिक्षा विभाग में इन्सपेक्टर हैं, डायरेक्टर और ज्वाइन्ट डायरेक्टर हैं, मंत्रीजी हैं, एम०एल०एज० हैं। इनका एक ही काम है वह है तबादला। अगर इनके कार्यों को हिस्सों से बांटा जाये तो 50% इनका काम तबादलों का काम है। इसके अलावा और कोई काम नहीं है। इसके अन्दर एम० एल० ए० भी शामिल हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, अभी तो मैंने बोलना शुरू किया है।

**श्री सभापति** : जल्दी समाप्त करें।

**श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** : जल्दी ही समाप्त करूंगा।

हमारे राज्यपाल महोदय, ने घोषणा की थी कि द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय के अध्यापकों का अपने निवास स्थान से 15 किलोमीटर की दूरी से ज्यादा पर तबादला नहीं किया जाये। तो मेरा निवेदन है, कार्य की बचत होगी। 50% तबादलों से बचत होगी। आप एक आर्डर निकलवा दें, 15 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर किसी का तबादला नहीं किया जाएगा। दूसरे आपने पिछले दिनों घोषणा की थी कि किसी का 30 नवम्बर के पश्चात् तबादला नहीं किया जाएगा। लेकिन आप देख लें, फिर भी तबादले किये गये। सवाई माधोपुर जिले में 30 नवम्बर के पश्चात् कितने तबादले किये हैं चाहे वे इन्स्पेक्टर या मंत्री महोदय ने किये हैं उस सारी लिस्ट को मंगवा कर देख लें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

यूनीवर्सिटी के बारे में मुझे कहना है। यूनीवर्सिटी में इस समय, सभापति महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय में 174

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

लेक्चरार हैं जो अस्थायी (टेम्प्रेरी) काम कर रहे हैं। उनमें से कुछ हैं जो कि 5 साल से अधिक के होंगे । वह 23 हैं। 56 ऐसे हैं जो कि 3 साल अधिक के होंगे बाकी एक-दो साल के होंगे। इस तरह से हमेशा उनको छः-छः महीने की पोस्टिंग का लेटर पकड़ा दिया जाता है। वह हमेशा यह मानकर चलते हैं कि उनका भविष्य खतरे में है। उनको पहले निकाल दिया गया था फिर आपके आदेश से लिया गया। तो मेरा निवेदन है कि उनको स्थायी कर दिया जाये। यह कहा जाता है कि वे वेल क्वालिफाइड नहीं हैं। सर्विस करते हैं तो क्यों नहीं कन्फर्म किया जाता है। तो मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के जो लेक्चरार हैं उनको कन्फर्म किया जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

तो मेरा निवेदन है कि गंगापुर की और सवाई माधोपुर की जो समस्या रखी है, वह पूरी करेंगे।

**श्री सभापति** : श्री रघुनाथ विश्नोई।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : सभापति महोदय, मैंने तीन चार कट मोशन्स दिये हैं। उनके जरिये मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपने गरीबों को सस्ता न्याय दिलाने के लिए स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमेटियों का गठन किया है। उससे कुछ होने वाला नहीं है। कुछ थोड़े से वकील हो सकते हैं जो कि गरीबों के मुख्तारनामा ले लें परन्तु उससे गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा। जोधपुर हाई कोर्ट में बहुत-से स्थान जजों के रिक्त पड़े हुए हैं। इस सस्पेंस को दूर करेंगे। सभापति महोदय, इसके अलावा जजेज की यह जो हाउसिंग फैसिलिटीज हैं जो सेशन जज और डिस्ट्रिक्ट सेशन्स जज को है अन्य मुन्सिफ लोगों को भी होनी चाहिए। कई बार इनको प्रमोशन नहीं मिलता है। तो अपनी ही स्टेट में एक ही तरह के लोगों में डिफरेन्स किया जाता है ऐसा नहीं होना चाहिये। सभापति महोदय, जो 156 (3) के और कत्ल के मुकदमें दर्ज करने के लिये जाते हैं, संगीन मुकदमे जाते हैं सांचोर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की अदालत में आखिर में उन पर फाइनल रिपोर्ट होती है। ऐसी परिपाटी बन्द होनी चाहिये। इससे सिर्फ लोगों को हरेशमेन्ट और बरबादी होती है। इसलिए इस बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में एक ही स्थान सांचोर है जहां पर आपको डाइरेक्शन देकर अदालत के जरिये मुकदमे मिलेंगे और उसका रिजल्ट जीरो है। इसलिए हाई कोर्ट से इन्सपेक्शन होना चाहिए और उनकी डाइरेक्शन्स भी लोअर कोर्ट्स में नहीं दी जानी चाहिए। और लोअर कोर्ट्स में करप्शन को दूर करने का एक-मात्र उपाय यही है कि पहले तो स्टेट के टाइम पर सालाना हाई कोर्ट के इन्सपेक्शन हुआ करते थे, परन्तु अब तो, मैं समझता हूं कि सांचोर और जालोर में तो मुन्सिफ कोर्टों का इन्सपेक्शन सालों से नहीं हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इनका इन्सपेक्शन सालाना होना चाहिए जिससे लोगों को सही न्याय मिलने में मदद मिलेगी और नीचे अदालतों के कार्य में भी सुधार करने में मदद मिलेगी।

सभापतिजी, इसके अलावा प्राइमरी स्कूलों में जो एजूकेशन देने की बात है,

(138)



(श्री रघुनाथ विश्नोई)

पिछले दो-तीन सालों में हम देख रहे हैं कि शालायें तो खोल दी गई हैं लेकिन उनमें शिक्षक नहीं दिये गये हैं, सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिये कि हमने इतनी संख्या में स्कूल खोल दिये। स्कूल तो खोल देते हैं लेकिन केवल इससे ही काम चलने वाला नहीं है। शालाओं के लिए बिल्डिंग नहीं हैं, उनमें शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो रही है और अगर शिक्षक हैं तो कम हैं और वह भी ऐसे कि प्राथमिक शिक्षा, जो बच्चों के लिये बहुत जरूरी है, सही रूप में देने के लिये वहां पर आप एक मैट्रिकुलेट टीचर भेज देते हैं जो स्वयं ढंग से नहीं रहता और जिसकी हेबिट्स भी ठीक नहीं हैं, इस बारे में राज्य सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। इस बारे में सुधार करके विशेष तौर से ध्यान दिया जाना चाहिए वरना यह जो फन्डामेन्टल एजूकेशन है, इसमें जो हमारी जनरेशन बहुत वीक आ रही है वह आगे भविष्य में नहीं सुधारी जा सकती है। अगर फन्डामेन्टल एजूकेशन ठीक नहीं हुई और खास तौर से जो गरीब छात्र हैं, जो ग्रामीण छात्र हैं, उनको अगर अच्छी शिक्षा नहीं मिली तो उनमें शिक्षा के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं रह जायगी।

इसके अलावा, सभापति महोदय, सांचोर में एक सार्वजनिक राजकीय स्कूल है उसके लिये छात्रावास अनुदान के लिये मैं कई सालों से बराबर निवेदन कर रहा हूं, वहां पर गरीब छात्र पढ़ते हैं, जब शिवचरणजी शिक्षा मन्त्री थे तब उन्होंने दो हजार रुपयों की ग्रान्ट दिलाई थी। मेरी समझ में नहीं आता कि आप उस स्कूल को क्यों नहीं ग्रान्ट दे रहे हैं जो कि सुदूर इलाके में है जहां पर गरीब गांवों के छात्र पढ़ते हैं? कहीं पर अनुदान आप अधिक दे देते हो और कहीं पर बिल्कुल नहीं। इसलिए आपको इसमें मानवीय दृष्टिकोण से सोचने की आवश्यकता है।

सभापतिजी, बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी एक टीचर के बारे में कहा था, हमारे यहां पर भी एक कामर्स का टीचर है जो पांच साल से काम कर रहा है और उसका रिजल्ट सेन्ट-पर्सेन्ट है, उसकी सर्विसेज सरकार द्वारा टर्मिनेट कर दी गई—विदाउट नोटिस गवर्नमेन्ट ने टीचर को हटा दिया है जबकि आप दूसरी तरफ टीचर को फायदा देने के लिये नियम बना रहे हो। आप संशोधन पहिले एक बार कर चुके हो, इतना बड़ा भारी अन्याय आप कर रहे हो। आपने आश्वासन भी दिया था, डाइरेक्टर आफ एजूकेशन भी उसकी मदद करना चाहते हैं। शिक्षा आयुक्त ने भी मदद करनी चाही है लेकिन वे कहते हैं कि हेल्पलेस हैं। क्या आप रूल्स बनाने में समर्थ नहीं हैं? इस तरह से पहले भी आप नियमों में संशोधन कर चुके हैं। तीन साल तक कन्टीन्यू सर्विस होने के बाद भी आपने उसकी सीधी छुट्टी कर दी, तो इस बारे में मेरा निवेदन है कि आपको न्याय करना चाहिए और ऐसे टीचर्स जो हैं, तीन झुन्झुनू के हैं, एक सांचोर का और एक-दो और दूसरी जगहों के हैं, नियमों में अमेन्डमेन्ट करके उन्हें नौकरी दिलाई जाय तो कोई प्रलय नहीं हो जायगी। अच्छे टीचर्स तो मिलते ही बहुत कम हैं। इसलिए आप इसमें अमेन्डमेन्ट

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)
कीजिये, इसमें आप विधि विभाग की राय भी ले लीजिये। बहुत से ऐसे गरीब टीचर हैं जो बेचारे हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, इसलिए आपसे न्याय की आशा है कि माननीय मन्त्री महोदय अगर रुचि रखते हैं तो जरूर अमेन्डमेन्ट करेंगे। इससे कई गरीब लोगों का भला हो जायगा।

**श्री सभापति** : हाजी जान मोहम्मद।

**श्री किशन मोटवानी** : सभापति महोदय, पांच मिनिट के लिये·······

(व्यवधान : अश्रव्य)

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य सन्तोष रखें तो सभी की बारी आ सकती है। ऑर्डर, ऑर्डर।

**श्री गोपाल जोशी** : सभापति महोदय, हमको भी पांच मिनिट का समय मिले तो हम इन्तजार करें।

**श्री उम्मेदो लाल** : सभापति महोदय, मैं पांच मिनिट में समाप्त कर दूंगा।

**श्री सभापति** : श्री हाजी जान मोहम्मद।

**श्री हाजी जान मोहम्मद खां** (पिड़ावा): सभापति महोदय, मैं गवर्नमेंट को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने शिक्षा के लिए कई स्कूल खोले हैं। स्टेट के जमाने में पहले हाई स्कूल होते थे और आज गवर्नमेन्ट ने करोड़ों रुपया खर्च करके कई लड़कों को शिक्षा दिलाई है लेकिन अफसोस है, मिसाल के तौर पर जितने भी मिडिल स्कूल हमारे यहां पर हैं उनमें कुल मिलाकर दो तीन-टीचर्स हैं तो क्या वे पढ़ायेंगे? पिछले साल भी मैंने इसके लिये कहा था इनकी संख्या बढ़ाने के लिये लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। शिक्षा मन्त्रीजी वैसे तो जिम्मेदार हैं, वे बातें कर रहे हैं, मेरी बात को सुनते तो हैं नहीं।

तो मैं अर्ज करने जा रहा था कि जितने भी हमारे यहां पर मिडिल स्कूल खोले हैं उनमें टीचर्स का कोटा पूरा नहीं किया गया है। कितनी ही बार कहा लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। आपने और भी कई स्कूल खोले हैं लेकिन उनमें टीचर्स कहां पर हैं? आपने एलान भी किया है कि दो स्कूल और खोले हैं लेकिन मिडिल स्कूल और हिम्मतगढ़ स्कूल, गादिया पहले ही जो स्कूल हैं उनमें टीचर नहीं हैं। उनमें टीचर का इन्तजाम किया जाय। इसलिए शिक्षा मन्त्रीजी से मेरा अर्ज करना यह है कि आपने जो स्कूल खोले हैं वह तीन-चार वर्ष से बन्द पड़े रहते हैं, शिक्षा मन्त्रीजी बात तो सुनते नहीं, बातें कर रहे हैं।

(व्यवधान : अश्रव्य)

**श्री सभापति** : ऑर्डर, ऑर्डर।

**श्री हाजी जान मोहम्मद खां** : मैं यह अर्ज कर रहा था कि एक टीचर था, अब्दुल रहमान जो आपने तैनात किया, कब वह आर्डर पहुंचा? डाइरेक्टर साहब को भी पूरा अधिकार है। मैंने उसके सम्बन्ध में गोपाल जोशी को भी चिट्ठी लिखी, मन्त्री महोदय को भी लिखा कि आर्डर भिजवाइये आप। लेकिन अफसोस है, शिक्षा मन्त्रीजी से अर्ज करने पर भी कोई

(श्री हाजी जान मोहम्मद खां)

सूचना नहीं मिली। मैंने कान्ता कथूरियाजी को और गोपाल जोशी को चिट्ठी लिखी लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। सिरोही जिले से एक आदमी भेजा गया, उसका लड़का मर गया लेकिन उस पर किसी को रहम नहीं आया। उसने कहा कि घर के बाहर भेज दिया और मुझे यहां पर लगा दिया। ऐसा क्यों जुल्म करते हैं? उसकी वाइफ मर गई, उसका लड़का मर गया। इस केस को देखना चाहिए। वह मास्टर अब भी वहां रहता है। वह चाहता है कि सिरोही उसे वापिस भेज दिया जाय····

**श्री किशन मोटवानी :** नाम तो बताइये। लिख लें।

**श्री हाजी जान मोहम्मद खां :** मैंने निवेदन किया, गादिया और हिम्मतगढ़ के जिले में स्कूल हैं लेकिन टीचर नहीं। जिला झालावाड़, जो जिला हैडक्वार्टर है, वहां बीस-पैंतीस स्कूल खोले हैं लेकिन बीस टीचर वहां हैं। यह शिक्षा मन्त्री के देखने की बात है, डाइरेक्टर साहब के देखने की बात है।

झालावाड़ के अन्दर जो इन्सपैक्टर आफ स्कूल्स है, उसका तबादला कर दिया है। वह दो साल पहले कर दिया है। जबकि आॅर्डर में कहा गया है कि दो साल पहले तबादला नहीं होता है लेकिन दो साल पहले उसका तबादला हो गया। यह आॅर्डर भेज दिया है लेकिन फिर भी तबादला कर दिया है। महरबानी करके इसके तबादले को कैंसिल किया जाय और वहीं रखा जाय। हमारे पिड़ावा में पच्चीस-तीस साल से लोग पड़े हुए हैं लेकिन उनका तबादला नहीं करते हैं। यह कानून हमारे पिड़ावा में लागू नहीं होता है, बीस-पच्चीस साल से टीचर वहां रह रहे हैं लेकिन उनका ट्रान्सफर नहीं कर रहे हैं। उनका जैक मालूम पड़ता है। जैक होने के कारण उनके ट्रान्सफर का विभाग नाम नहीं ले रहा है जो कि वहां बीस साल से हैं······

**श्री रघुनाथ बिश्नोई :** डबल जैक है।

**श्री सभापति :** अब समाप्त करें।

**श्री हाजी जान मोहम्मद खां :** यह शिक्षा की बात है, यह ठीक है। अब हमारे यहां उर्दू के स्कूल खोल दिये गये और उर्दू मास्टर, ट्रेण्ड दस-पांच टीचर लगा दिये। लेकिन वह टिक कर नहीं रहते हैं। एक मास्टर भी नहीं रहता है तो आप अनट्रेण्ड भी लगा सकते हैं, बाद में उनको ट्रेण्ड करायें। आज उन स्कूलों में किताब नहीं है, टीचर नहीं हैं और जो ट्रेण्ड हैं उनको लगायें तो वे टिकते नहीं हैं तो यह स्कूल क्यों चालू रखते हैं? उर्दू के जो हैं, उनको आप बन्द कर दीजिये। आप यह बताते हैं लोगों को कि हमारे यहां उर्दू स्कूल हैं, इतने उर्दू स्कूल हैं। लेकिन राजस्थान में वास्तव में उर्दू का स्कूल नहीं है। आप कह रहे हैं कि इतने उर्दू स्कूल हैं, तो उनके टीचर कहां चले गये? दस-पांच आपने लगाये हैं और बाकी जगह नहीं हैं (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

**श्री सभापति :** समाप्त कर दें।

**श्री हाजी जान मोहम्मद खां :** पिड़ावा झालावाड़ से चालीस मील दूर हैं, वहां पर मजिस्ट्रेटी है। काश्तकार परेशान है, आये

(श्री हाजी जान मोहम्मद खां)

जाने में उनके रुपये लगते हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि वहां मजिस्ट्रेट की सीट होनी चाहिए और एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होना चाहिए। वहां पर एक लाख की आबादी है, वहां बिल्डिंग मौजूद है। मैं लॉ मिनिस्टर से निवेदन करूंगा कि महरबानी करके जनता को न्याय दिलाने के लिए एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट लगायें। आप जनता पर महरबानी करें तो वह आपको दुआ देगी।

**श्री सभापति** : श्री मोहनराज।

**श्री किशोरी लाल** : जान मोहम्मद खां के बाद मेरा नम्बर है, हुकम।

**श्री मोहनराज** (बाली) : सभापति महोदय, माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने जो शिक्षा विभाग के लिए बजट पेश किया है उसमें मेरे कटौती प्रस्ताव इस संबंध में हैं कि जो भी स्कूल इस वक्त, प्राथमिक शालायें अथवा उच्च प्राथमिक शालायें चल रही हैं, उनमें अध्यापकों की सभी जगह कमी है। बाली पंचायत समिति क्षेत्र के लिए विशेष तौर से निवेदन करना चाहूंगा। बहुत सारी ऐसी शालायें हैं कि जहां पर 150 से 200 तक विद्यार्थी प्राथमिक शालाओं में हैं लेकिन वहां पर एक अथवा दो अध्यापक काम करते हैं। पांचवीं कक्षा तक स्कूल चलता है तो एक-दो अध्यापक छात्रों के साथ न्याय नहीं कर सकते। इसी तरह उच्च प्राथमिक शाला है उसमें यह स्थिति है। गत वर्ष आपने लाठी गांव प्राथमिक शाला को क्रमोन्नत करके उच्च प्राथमिक शाला बनाया है। वहां छठी कक्षा खुल गई है लेकिन एक अध्यापक जुलाई से लेकर आज तक वहां बच्चों को पढ़ाये तो उनको आगे पढ़ाने में कितनी कितनी कठिनाई आ रही होगी। यह इससे साबित है कि अभी आपने आंकड़े प्रस्तुत किये प्रगति के, विकास के उसमें आपने मंजूर किया है कि 'भर्ती अभियान' के दौरान छोटी उम्र के बच्चे प्राथमिक शाला में जाते हैं, लेकिन हम उच्च प्राथमिक शाला में बढ़ी हुई संख्या को मेन्टेन नहीं कर पाते हैं, वहां संख्या बहुत घट जाती है। उसका कारण यह है कि हम पर्याप्त मात्रा में अध्यापक नहीं देते। इस कारण बच्चों में निराशा होती है और परिवार वाले हैं वह सोचते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल में जाकर पढ़ते नहीं, वहां अध्यापक नहीं हैं। इस कारण स्कूल में क्यों भेजें। घर पर कुछ काम करेगा, ढोर, पशु चरायेगा। इस तरह की व्यवस्था है। इसलिए हम आगे देखते हैं कि आगे की कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या कम हो रही है, वह इस कारण हो रही है। मैं सोचता हूं, जो भी नये बजट में प्रावधान रखा है, अभी भी मैं सोचता हूं कि अपर्याप्त होगा। इसलिए उनकी ओर विशेष ध्यान दिया जाय ताकि इस तरह की सुविधा हो सके।

दूसरे आपने महिला अध्यापक के लिए एक बात प्रगति रिपोर्ट में आगामी वर्ष के लिए कही है कि महिलाओं में अधिक शिक्षा का प्रसार करने की नीयत से आप जो कोई क्वालिफाइड टीचर, लेडी टीचर हैं उनको भी नौकरी में रखेंगे ताकि उनके द्वारा शिक्षा में ज्यादा बढ़ोतरी हो — इस तरह की व्यवस्था करेंगे। छोटे गांवों में अच्छी प्रशिक्षित महिला नहीं मिलती है, यह स्थिति मेरे क्षेत्र में है, आदिवासी इलाका है, उसमें सत्रह गांव हैं, वह गिरासिया, भील व मीणों के गांव हैं। वहां देखा है कि पंचायत समिति में जिन जिन टीचर को अपाइन्ट किया, तो

(श्री मोहनराज)

कुछ स्कूल तो ठीक चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे स्कूलों में ज्योंही कोई अध्यापक आदिवासी इलाके में गया तो उसने सोचा, मैं कहां आकर कालेपानी में पहुंच गया। वह तत्काल छोड़कर भागने की सोचता है। वह बच्चों को पढ़ाने की नहीं सोचता है। वह यह सोचता है कि यह स्कूल किसी तरह से उठ जाय तो इस आदिवासी इलाके से उसका पिण्ड छूट जाय। मैं यह चाहता हूं, आदिवासी क्षेत्र में बराबर स्कूल चले, वहां के छात्रों को अच्छी तरह से शिक्षा मिले। वहां कितने ही आदिवासी पढ़े लिखे बच्चे हैं, मेट्रिकुलेट, फर्स्ट ईयर सैकिण्ड ईयर पास हैं, यहां तक कि चार-पांच ग्रेजुएट भी मिल जावेंगे लेकिन उन्होंने मास्टर, टीचर का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। इस तरह लोग बेकार बैठे हैं। तो जिस तरह से आप महिलाओं को सुविधा दे रहे हैं उसी तरह आदिवासी इलाके में आदिवासी शिक्षित युवकों को मौका दीजिये। और साल, दो साल बाद जब स्कूल जमा लें, वहां के छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि पैदा कर लें तो उन शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्ति देकर भेज दीजिये और उनकी जगह नये अध्यापक लगा दीजिये। यह सुझाव पहले भी मैंने दिया था। इसको आप मंजूर करेंगे तो आदिवासी क्षेत्र में जो पाठशालायें खोल रखी हैं वह अच्छी तरह से चल सकती हैं, वरना मुश्किल है।

इसके साथ ही जो भी प्राथमिक शालायें, उच्च प्राथमिक शालायें चल रही हैं, उनमें जितने भी अध्यापक हैं वह नजदीक के होने के कारण, आदिवासियों की व्यवस्था या गांव के विचारों में नहीं मिलने के कारण वहां से वापिस घर चले जाते हैं। नतीजा यह होता है कि उन अध्यापक का सम्पर्क है, वह गांव की जनता से बिल्कुल नहीं हो पाता। गांव के लोग अध्यापक को, मास्टर को पहिचानते नहीं हैं। ज्योंही दस बजे स्कूल खुलता है वह आते हैं और पांच बजते ही, घण्टा बजते ही साइकिल पर बैठ कर वापिस चले जाते हैं। इस कारण से बच्चों के अन्दर, खास तौर से छोटे बच्चों के अन्दर खेल, व्यायाम बिल्कुल नहीं हो पाता है। सारा का सारा जो प्रावधान है उसमें हम चाहते हैं कि राजस्थान में आगे चल कर हाई स्कूल में, कालेज में, विश्वविद्यालय में हमारे बहुत अच्छे खिलाड़ी निकलें और देश के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर विजेता बनें। आखिरकार बच्चों की नींव बनाते वक्त प्राथमिक शालाओं, उच्च प्राथमिक शालाओं में बच्चों के व्यायाम, खेल-कूद की ओर उचित ध्यान नहीं दिया तो हमारे बच्चों में व्यायाम व खेल-कूद के प्रति आकर्षण नहीं बढ़ेगा न रुचि पैदा होगी और न दक्षता आ पायेगी। इसलिए ऐसी व्यवस्था की जाए कि कम से कम जहां सिंगल टीचर स्कूल्स हैं वहां पर अध्यापक गांव में रहें, भवन बनाने की बाद में सोचें लेकिन अध्यापक की आवास समस्या पहले हल हो, यह जरूरी है। तभी वह जाएगा। विकास के काम जो पढ़े लिखे मास्टर की मार्फत गांव में करवाना चाहते हैं 20 सूत्री कार्यक्रम में उनका सहयोग लेना चाहते हैं, वह तभी सम्भव होगा जब वह गांव में रहें, बच्चों से जानकारी करें, उनके माता पिता से जानकारी करें तभी जाकर स्कूल की आगे की नींव दृढ़ हो सकती है।

इसके अलावा सिर्फ एक उदाहरण दूंगा कि जहां कहीं भी गांवों में स्कूलों के लिए

(श्री मोहनराज)

भवन बनाकर लोग देने को तैयार हैं, उनमें भी हमारे नियम कहिए या प्रशासनिक व्यवस्था वह बाधक हो रही है। गत वर्ष इन्हीं दिनों में मैंने आपसे निवेदन किया था बाली क्षेत्र में बेला गांव में 4 लाख रुपए की लागत से एक गांव के सरपंच ने लिखकर दिया दानदाता ने लिखकर दिया कि मैं भवन बनाने को तैयार हूं। मौजूदा जो हाई स्कूल चल रहा है, पुराने मकान में चल रहा है वहां बच्चों के बैठने की व्यवस्था नहीं है, पेड़ के नीचे कक्षायें चलानी पड़ती हैं और वहां पर दानदाता तैयार है। 12 महीने से ज्यादा हो गया अब तक क्लियरेन्स यहां से नहीं मिला। इसमें जो छोटी छोटी शर्तें हैं वे बैठकर तत्काल निपटानी चाहिए। मैं भी इस संबंध में भूतपूर्व व मौजूदा शिक्षा आयुक्त से मिला था और डिप्टी सेक्रेटरी से भी मिला था लेकिन वह अभी तक नहीं हो पाया। मैं समझता हूं, अगर वह जल्दी नहीं हो पाया, हफ्ते भर में निराकरण नहीं होता है तो दानदाता कभी भी गांव आता है फिर चला जाता है, न सिर्फ 4 लाख का भवन जाएगा बल्कि इसका प्रभाव दूसरे लोगों पर भी पड़ेगा कि हम सरकार को भवन बनाकर देना चाहते हैं फिर भी कागज आगे नहीं बढ़ता है। तो इस संबंध में जल्दी कोई न कोई निर्णय करें।

न्याय व्यवस्था के बारे में गत वर्ष पाली ज़िले के वकील मण्डल ने एक आवेदन-पत्र न्याय मंत्री व मुख्य मंत्री की सेवा में पेश किया। पाली जिले के विधायक भी साथ थे और हमने निवेदन किया था कि बाली और देसूरी के न्याय की अपीलों का अधिकार क्षेत्र सिरोही से हटाकर पाली किया जाए। पाली हमारे जिले का मुख्यालय है, वहां की जनता कई मामलों में जाती है वकीलों से सम्पर्क करने के लिए। सिरोही जाने की खर्चीली और अव्यवस्था फैलाने वाली बात है। सरकार की ओर से कहा गया कि सिरोही में काम कम है। इसलिए इन दो तहसीलों का अधिकार-क्षेत्र सिरोही में रखा है, यह हमारे साथ न्याय नहीं है। राजनैतिक दृष्टि से या जनता की सुविधा की दृष्टि से भी यह उचित नहीं है। इसलिये बाली और देसूरी तहसीलों की ग्राम जनता की सुख-सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस पर पुनर्विचार करें और ग्राम लोगों को अधिक सुविधा हो, इस बारे में सोचें।

अभी जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने राजस्थान की हाई कोर्ट बेंच का प्रश्न उपस्थित किया था। वह खुद कह रहे थे कि इसी सदन में सदस्यों की बहस को देखते हुए आम राय लेकर यह मसला प्रधान मंत्री पर छोड़ दिया गया। जब प्रधान मंत्री के विचाराधीन यह मामला है तो बार-बार यह प्रश्न इस सदन में उठाकर कटुता पैदा करें, यह समझदारी की बात नहीं है। हमें अपने नेता में विश्वास है तो उनके निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए और इस बीच में किसी तरह का वातावरण नहीं बिगाड़ना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता जो एकीकृत हाई कोर्ट के पक्ष में हैं लेकिन पुरानी बातों को दोहरा दोहरा कर क्षेत्रीय भावना फैलाने की कोशिश करेंगे तो अव्यवस्था और अशांति फैलेगी। इस प्रश्न पर चुप रहना चाहिए और अपने नेता में

(श्री मोहनराज)
आस्था रखते हुए उनके निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए ।

**श्री सभापति :** श्री किशोरीलाल ।

**श्री किशोरी लाल** (सलूम्बर) : सभापति महोदय, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा देर से ही सही आपने मुझे मौका तो दिया। शिक्षा और न्याय व्यवस्था के बारे में मेरे कुछ विचार है......

**श्री खेतसिंह** (मुख्य सचेतक) : मेरा निवेदन है कि सदन का समय जब तक आज की मांगें पारित हो जायं, बढ़ाया जाए ।

**श्री सभापति :** क्या सदन की सहमति है कि मांगों के पारित होने तक समय बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया ।

**श्री किशोरीलाल** : उदयपुर जिला राजस्थान में शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है । आर्थिक दृष्टि से तो है ही लेकिन शिक्षा की दृष्टि से भी उपेक्षित रहा है । शिक्षा विभाग ने प्रारम्भिक शालाएं जो पंचायत समितियों को दे रखी हैं, 5-6 मील पर कहीं भी स्कूल नहीं है, आदिवासियों के लड़के वहां नहीं पहुंच पाते और कोई व्यवस्था नहीं है । शहरों में जहां अध्यापक रहते हैं उनके लिए मकानों की व्यवस्था की जाती है लेकिन आदिवासी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में जो अध्यापक जाते हैं रहने के लिए, मकान न शाला के लिए हैं न उनके रहने के लिए, इसलिये कोई अध्यापक टिक नहीं सकता । ऐसी हालत में जहां अधिक शिक्षा की आवश्यकता है वहां पर यह दिक्कत है । तो शिक्षा मंत्री इस ओर ध्यान दें और पिछड़े हुए आदिवासी क्षेत्र में खास तौर से अध्यापकों के रहने के लिए व्यवस्था की जाए ।

शिक्षा विभाग ने शिक्षा कर लगाने के लिए पंचायत समितियों को निर्देश दिए हैं । मेरी समझ में नहीं आता कि जो गरीब इलाका है, जहां के लोगों की पढ़ने में रुचि नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, वहां शिक्षा कर लगाया जाता है, जबकि शहर और कस्बों में कर का नामोनिशान नहीं है । तो इस भेदभाव को दूर किया जाय । अगर यह कर शहरों में लगाते तो ज्यादा अच्छा होता । पिछड़े इलाके के साथ यह न्याय नहीं है । इसके अलावा शिक्षक पर कई प्रकार का बोझ लादा जाता है—कभी कर वसूल करने की, कभी परिवार नियोजन की बात कही जाती है, कभी अल्प बचत की बात कही जाती है, निरंतर उसे दूसरे कामों में लगाया जाता है । अध्यापक कहता है कि मैं क्या करूं, मुझ पर दूसरे तरह के भार थे । तो कृपा करके शिक्षक को बिलकुल मुक्त रखें और केवल शिक्षा का ही कार्य उसे दिया जाए । शिक्षक ऐसी चीज है कि वह हमारी आधारशिला है, अगर उसे अन्य कामों में उलझाये रखेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे । इसके अलावा, सभापति महोदय, प्राथमिक शालाओं का और उच्च प्राथमिक शालाओं का सवाल है, माध्यमिक शालाओं का सवाल है हमारे उदयपुर जिले में और खास तौर से हमारे सलूम्बर एरिया में बहुत कम हैं ।

(श्री किशोरी लाल)

आज पिछले तीन सालों में वहां पर आपने एक भी प्राथमिक शाला नहीं खोली और न एक भी उच्च प्राथमिक शाला को क्रमोन्नत किया गया। सभापति महोदय, गत वर्ष भी जब सत्र चल रहा था तो मैंने निवेदन किया लेकिन मेरी समझ में नहीं आता क्या कारण है कि मेरा जो सलूम्बर निर्वाचन क्षेत्र है उसकी उपेक्षा राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। यहां पर बैठे कांग्रेसी भाई सोचते होंगे कि हमारे उदयपुर के दो मन्त्री हैं और जिस क्षेत्र से मैं चुन कर आता हूं वहां तो कोई शिक्षा का स्कूल नहीं खोला गया है। अब तो स्थिति यह भी हो गयी है, सभापति महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र सलूम्बर को आपने रिजर्व सीट कर दिया है। मैं, मेरा टर्म समाप्त होने के बाद यहां आऊंगा या नहीं यह नहीं कह सकता हूं। लेकिन जब वहां पर रिजर्व सीट हो गयी है तो आपको उस इलाके को आदिवासी क्षेत्र और पिछड़ा हुआ क्षेत्र मानते हुए विशेष तौर से वहां स्कूल खोलने की व्यवस्था करनी चाहिये।

सभापति महोदय, वहां का इलाका पिछड़ा है, लोग कमजोर वर्ग के अधिक हैं, वहां पर कोई काम आज तक नहीं हुआ है। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान मेरे निर्वाचन क्षेत्र सलूम्बर की तरफ क्यों नहीं जा पा रहा है। सभापति महोदय, इस बार मैंने बजट में सुना है कि शिक्षा मंत्रीजी ने 200 प्राथमिक शालाओं के खोलने की घोषणा की है। मुझे खुशी है, कि यह एक अच्छी घोषणा है। सलूम्बर को पिछड़ा और पहाड़ी एरिया मानते हुए शिक्षा मंत्रीजी जरूर वहां विशेष प्रकार की सुविधा देंगे। वहां पर ज्यादा से ज्यादा प्राथमिक शालाएं खोली जायेंगी जिससे कि वहां की जनता को राहत मिलेगी।

इसके अलावा, सभापति महोदय, जहां तक सैकेन्डरी स्कूल का सम्बन्ध है, हमारे क्षेत्र में सेरिया, बामनिया, करावती, अतलारा, साकरोद, डबोक, कलढ़वास ऐसी जगह हैं जहां कि कई वर्षों से कोई माध्यमिक स्कूल नहीं खोला गया है, वहां सिर्फ प्राथमिक शालाएं हैं। इन स्कूलों को, मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है, क्रमोन्नत करके वहां पर उच्च प्राथमिक शालाएं और माध्यमिक शालायें खोली जानी चाहिये। आज वहां यह स्थिति है कि वहां के लोग गरीब हैं। जब यह लोग प्राथमिक शिक्षा पास कर लेते हैं तो उनके पास पैसे नहीं हैं कि वह लोग उदयपुर जाकर अपना विद्या-अध्ययन कर सकें। इसलिये मेरा निवेदन है कि वहां पर माध्यमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय ज्यादा से ज्यादा खोले जायं। साथ ही मैं शिक्षा मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वहां, हमारे सलूम्बर में हायर सैकेन्डरी स्कूल एक है। बच्चे हायर सैकेण्डरी पास होने के बाद वहां पर कालेज नहीं होने की वजह से आगे नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिये, मेरा निवेदन है कि पिछड़े हुए इलाके और गरीब तबके के लोगों को देखते आपको वहां पर कालेज की व्यवस्था करनी चाहिये ताकि गरीब लोग आगे पढ़ सकें। इसी के साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि सलूम्बर में एक सैकेन्डरी स्कूल कन्याओं का है जहां पर कन्याएं सिर्फ सैकेण्डरी स्कूल होने के कारण आगे पढ़ने

(श्री किशोरी लाल)
उदयपुर जा नहीं सकतीं। उनकी पढ़ाई वहीं पर समाप्त हो जाती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि वहां पर कन्याओं के लिये उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने की व्यवस्था करें तो वहां की कन्याएं आगे पढ़ सकेंगी।

सभापति महोदय, शिक्षा मन्त्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इन पिछले दो-तीन सालों में काफी काम किया है, काफी क्रान्तिकारी परिवर्तन भी किये हैं। जो अनुशासनहीनता और अव्यवस्था शिक्षा विभाग में फैली हुई थी उसको समाप्त किया है। शिक्षा में सुधार हुआ है। मैं राज्य सरकार और मन्त्रि-मण्डल को भी धन्यवाद देना चाहता हूं।

इसके बाद में, सभापति महोदय, मैं थोड़ा न्याय विभाग के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा।

**श्री सभापति** : जल्दी समाप्त करें।

**श्री किशोरी लाल** : बस जल्दी दो मिनिट में ही समाप्त कर रहा हूं।

सभापति महोदय, हमारा उदयपुर एक ऐसा जिला है जो पिछड़ा है उसमें भी सलूम्बर में, जो कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, मुन्सिफ कोर्ट है। वहां पर सिर्फ एक मुन्सिफ कोर्ट होने के कारण काफी मुकद्मे आज वर्षों से पैन्डिंग पड़े हुए हैं। लोग बेचारे पेशियों पर आते हैं लेकिन कार्यभार अधिक होने के कारण या एस० डी० ओ० साहब के पास काम अधिक होने के कारण वह बिना सूचना के दूसरी जगह टूर पर चले जाते हैं जिसका नतीजा यह होता है कि गरीब लोग गांवों से पैसा लगाकर पेशियों पर आते हैं और एस० डी० ओ० साहब का प्रोग्राम बदलने के कारण उस दिन पेशियां वहां पर नहीं हो सकती ह और उसके कारण लोग बेचारे तबाह और बरबाद हो रहे हैं। लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। आज यहां पर हम सस्ते न्याय की बातें करते हैं लेकिन कहीं भी हमारे इलाके में सस्ता न्याय नहीं मिल पा रहा है। जब से एमर्जेन्सी लगी है वहां की स्थिति वैसी ही है, कोई असर वहां पर नहीं हुआ है। चाहे विधि मन्त्रीजी वहां का रिकार्ड मंगा कर देख लें कोई फैसले नहीं हो रहे हैं। सालों से मुकद्मे बिना फैसले हुए पड़े हैं और उन गरीब लोगों का वकील लोग खून चूसते हैं। चाहे उनका फैसला उनके हक में हो या नहीं हो वह लोग बेचारे अदालतों में चक्कर काटते रहते हैं और अन्त में दुखी होकर खुद ही फैसला कर लेते हैं। इसलिये मैं विधि मन्त्रीजी का इस ओर विशेष ध्यान आकर्षित करते हुए यह निवेदन करना चाहूंगा कि वहां की जनता को सस्ता और शीघ्र न्याय दिलाने की जल्दी से जल्दी व्यवस्था करें।

बस इतना कहते हुए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

**श्री सभापति** : श्री विजयसिंह।

(व्यवधान : अश्रव्य)

**श्री रामलाल** (बाड़ी) : सभापति महोदय, हमको बोलने का मौका दिया जाना चाहिये। हम बार बार बोलने के लिये उठते हैं लेकिन हमें मौका नहीं मिल पा रहा है।

(व्यवधान : शोरगुल)

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। आर्डर, आर्डर प्लीज! श्री विजयसिंह।

**श्री विजयसिंह** : सभापति महोदय, मैं बहुत कम बोलूंगा ।

(व्यवधान : शोरगुल)

**श्री सभापति** : आर्डर, आर्डर प्लीज ! श्री विजयसिंह, बोलें ।

**श्री विजयसिंह** (मांडल) : सभापति महोदय, मैं बहुत कम बोलूंगा पर क्या बोलूं, यहां सदन में शोरगुल होने की वजह से कुछ सुनाई पड़ेगा नहीं, रिकार्ड नहीं हो सकेगा । माननीय सभापति, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा । बस थोड़ी खास खास बातें निवेदन करूंगा। सदन में बहुत ही उतावलापन है। काफी माननीय सदस्य बोलने को उतावले हो रहे हैं । इसलिये मैं बहुत कम और खास खास बातें निवेदन करना चाहूंगा ।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : आप थोड़ा क्यों पूरा बोलें । आप अपना पूरा समय लीजिये हम आपका भाषण सुनने को तैयार हैं ।

**श्री विजयसिंह** : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा का एक क्षेत्र है जिसमें जब से हमारा देश आजाद हुआ है, जब से आजादी आयी है हमारे यहां पर बहुत बड़े डवलपमेंट हुए हैं, इस बात को कोई भी मना नहीं कर सकता । इसके अलावा हमारे यहां पर राजस्थान में जितने भी शिक्षा मन्त्री वक्तन फवक्तन आये उन सभी ने यही कहा कि शिक्षा पद्धति का स्वरूप हमारे यहां पर ऐसा है जिसका बदलना अति आवश्यक है । हर मन्त्री ने शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करने की बात की आवश्यकता व्यक्त की है ।

(5.08 म० प०)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पीठासीन)

सभापति महोदय, सभी शिक्षा मन्त्रियों ने आमूलचूल परिवर्तन शिक्षा क्षेत्र में करने की बात कही लेकिन आज तक कोई मन्त्री ऐसा नहीं आया कि जिसने शिक्षा को सही स्वरूप दिया हो अथवा किया हो । सभापति महोदय, आमूलचूल परिवर्तन तो दूर रहा यहां पर किसी शिक्षा मन्त्री ने सोद्देश्य शिक्षा को भी लागू नहीं किया । सभापति महोदय, शिक्षा मन्त्रीजी सदन में उपस्थित नहीं हैं लेकिन राज्य मन्त्रीजी बैठे हुए हैं, मैं उन्हें ही निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप देश में सोद्देश्य शिक्षा को भी लागू कर देते तो मैं समझता हूं कि आप एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर लेते । मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए खास खास बातें ही निवेदन करना चाहता हूं । सभापति महोदय, हमारे यहां पर आपात् स्थिति जून, 1975 में लागू हुई है और जुलाई, 1975 में मैंने एक पत्र मन्त्रीजी को लिखा, उसमें मैंने यह निवेदन शिक्षा मन्त्री जी को किया था कि हमारे जिले भीलवाड़ा में मांडल में एक ऐसी स्कूल है जिसका नाम आदर्श बाल विद्या मन्दिर है । वह स्कूल आर० एस० एस० द्वारा चलाया जाता है । सभापति महोदय, हमारे देश में जितने भी आर०एस०एस० के माध्यम से आदर्श बाल विद्या मन्दिर चलाये जाते थे वह इमर्जेन्सी लगने के बाद बन्द हो गये । लेकिन मुझे बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ता है कि मान्डलगढ़ में एक ऐसा आदर्श विद्या मन्दिर अभी तक चालू है उसको बन्द नहीं किया गया है । उसके लिये मैंने कलेक्टर साहब को भी कहा और उन्होंने पुलिस के माध्यम से उस स्कूल का पता लगाया,

(श्री विजयसिंह)

जांच करवायी और जांच करने के पश्चात् उस स्कूल को आर०एस०एस० द्वारा संचालित करना पाया गया, लेकिन अभी तक वह बन्द नहीं हुआ। सभापति महोदय, हम 20 सूत्री कार्यक्रम में विश्वास रखते हैं, उसको अमल में ला रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज दिन तक वह स्कूल बन्द नहीं हुआ। सिर्फ उसका बन्द नहीं होने के कारण यही है कि उस स्कूल वालों ने एक प्रस्ताव पास करके राज्य सरकार के पास भेज दिया। उसमें उन्होंने लिख दिया कि हम 20 सूत्री कार्यक्रम में विश्वास रखते हैं। इसलिए वह बन्द नहीं हो सका है। मुझे बहुत अफसोस होता है कि शिक्षा मंत्रीजी ने मेरे पत्र की तरफ बिलकुल ध्यान नहीं दिया। हालांकि उन्हें मैंने मौखिक भी कहा, सिर्फ मॉडल ही एक ऐसी जगह है जहां पर आदर्श विद्या मन्दिर चल रहा है जो कि आर०एस०एस० द्वारा संचालित है।

इसके अलावा एक बात और है, आज हमारे शिक्षा विभाग में 90 प्रतिशत आर० एस०एस० में विश्वास रखने वाले अधिकारी बैठे हैं। इनमें चाहे इन्सपेक्टर आफ स्कूल को ले लें, चाहे डिप्टी इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स को ले लें, एस०डी०आई० को ले लें, चाहे आप डिप्टी डायरेक्टर को ले लें सभी में 80 पर्सेन्ट लोग ऐसे हैं जो कि आर०एस०एस० के बैठे हुए हैं। यही कारण है कि जब आप जांच करवाते हैं तो वह उनके खिलाफ कुछ भी नहीं करते। वह मौन रहते हैं।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : कितना गम्भीर तथ्य सदन में आ रहा है और मंत्री महोदय सदन में उपस्थित नहीं हैं।

**श्री विजयसिंह** : जब पूछते हैं तो यह कहा जाता है कि अधिकारियों द्वारा जांच करा ली गयी। लेकिन, सभापति महोदय, यह अधिकारी लोग अपने ढंग से जांच करते हैं। अपनी मनमानी करते हैं। दूसरी जो पुलिस के द्वारा जांच करायी गयी उससे यह जानकारी मिली कि वह स्कूल आर०एस०एस० द्वारा संचालित की जाती है। मुझे दुख है कि अभी तक वह स्कूल बन्द नहीं हुआ है। लेकिन अब भी अगर राज्य सरकार ने उसे बन्द नहीं करवाया तो मुझे इसके लिये आगे कार्यवाही करनी पड़ेगी। जिसके नतीजे काफी बुरे निकल सकते हैं।

दूसरी बात खास तौर से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और जिसका जिक्र इस सदन में दो माननीय सदस्यों ने भी किया वह है हमारे राजस्थान यूनीवर्सिटी के वाइस-चान्सलर के बारे में। वह हैं श्री जी०सी० पाण्डे, उनके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनका इतिहास आज तक का क्या रहा है उसको तो मैं यहां नहीं निवेदन करूंगा। वह तो राजस्थान के होम कमिश्नर साहब और होम डिपार्टमेन्ट ज्यादा जानते हैं। उनकी सारी तस्वीर स्याह है। उन्होंने आज दिन तक क्या क्या काम किये हैं उसके बारे में कुछ बातें सदन के सामने सदन की माननीय सदस्या, श्रीमती सुमित्रासिंह ने रखी हैं। उस आदमी ने, जी०सी० पाण्डे ने एक पुस्तक लिखकर प्रकाशित करवाई है, जो सारी की सारी आनन्द-मार्गी है। जिसके नाम से लिट्रेचर है, जिसके नाम से अखबार छपे हैं और जो हमारे रेल मंत्री, स्व० श्री ललितनारायण मिश्र के हत्यारों को पनाह देते हैं। अवधूतों

(श्री विजयसिंह)

को रिसीव करने हवाई अड्डे पर जाते हैं यह समाचार अखबारों में छपते हैं और उनको आप संरक्षण देते हो। मुझे अफसोस है कि वह आदमी जेल के सींखचों से कैसे बच गया? आपका विभाग, मंत्री महोदय और राज्य के सारे अधिकारी इस ओर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आप देखिये, वे गोरखपुर यूनीवर्सिटी से आये हैं और जब से वी०सी० बने हैं सारे के सारे आदमी ट्यूटर, लेक्चरार, प्रोफेसर, रीडर सबके सब 80 पर्सेन्ट यू०पी० के हैं। आपके राजस्थान के जितने टेलेन्ट्स हैं उनको मौका नहीं देकर बाहर के व्यक्तियों को लेते हैं। बड़ा अफसोस है कि हमारे यहां के गोल्ड मेडेलिस्ट बाहर जाते हैं। यू०पी० के लोगों को भरा है और मैं तो यहां तक कहूंगा कि उन्होंने बागवान तक यू०पी० से लाकर रखा है। इस तरह के आदमी को यहां लाकर विठाया है, इतने बड़े पद पर, जहां से शिक्षित निकलकर देश का भविष्य बनाने वाले हैं वहां ऐसे आदमी को बिठाकर रखा है। मुझे अफसोस है और हमें शर्म आती है कि उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है।

इसके अलावा मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा स्पोर्ट्स कौन्सिल पर– हमारे किसी माननीय सदस्य ने अपने विचार प्रकट नहीं किये हैं। स्पोर्ट्स कौन्सिल में 12 लाख का बजट है। माननीय सभापतिजी, 12 लाख का बजट..

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय मंत्री महोदय नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कृपा, सर्किट हाउस के चैम्बर में गये हैं?

श्री विजयसिंह : उसका सदुपयोग होता है या दुरुपयोग होता है। 12 लाख में कौन-कौनसी संस्थायें हैं जो सारे प्रान्त में चल रही हैं? मैं समझता हूं इसका लेखा-जोखा शायद माननीय मंत्री महोदय के पास हो कि फलां फलां इन्स्टीट्यूशन को, चाहे वह अखाड़े के रूप में ही चल रहा हो, कभी प्रोत्साहन दिया है या नहीं, यह सभी माननीय सदस्य जानते हैं। केवल दो-तीन टूर्नामेंट करवा देते हैं और वहां हमारे काक साहब घूम लेते हैं और सारे बजट की इतिश्री कर देते हैं। मैं कहता हूं 12 लाख में 3 लाख तो इनके खुद के मेकअप पर खर्च होता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तीन लाख का वे मक्खन खरीद कर सारे अधिकारियों की और मंत्रियों की बटरिंग करते हैं।

श्री विजयसिंह : जो हमारे दूसरे सदस्य हैं, अपने आप को कैसे नाकाबिल समझते हैं और न जाने किस प्रकार वे बर्दाश्त करते हैं। स्पोर्ट्स कौन्सिल में इस सदन के चार माननीय सदस्य भी मेम्बर हैं। कहां गया उनका स्वाभिमान जो ऐसे थर्ड रेट के आदमी के नीचे काम कर रहे हैं? उनको किस प्रकार बर्दाश्त होता है, यह मेरी समझ में नहीं आता है। मैं किसी और बात पर यह कहूं कि आप हमारे यहां एजूकेशन की संस्था खुलवाइये तो वह दूसरी बात है।

इसी तरह का मसला एक और है, मुझे इसकी नॉलेज ज्यादा नहीं है, लेकिन आपका

(श्री विजयसिंह)

जो वनस्थली विद्यापीठ है, उसकी क्या स्थिति है ? क्या उसके तथ्य राज्य सरकार के सामने नहीं आये हैं जहां से जय प्रकाश नारायणजी की समग्र क्रान्ति के लिये चन्दा दिया है? यह भी ऐसी स्थिति है जिस पर राज्य सरकार को इस आपातकालीन स्थिति में सख्त कदम उठाने चाहिये। आपातकालीन स्थिति केवल इसलिए है कि हमारा मारल ऊंचा रहे, हमारा उत्पादन बढ़े, हमारे देश की स्थिति सुधरे–इस तरह की बातें इस समय में चाहते हैं तो ऐसे एलीमेन्ट्स को वाश आउट क्यों नहीं कर रहे हैं ? मैं एक चीज और निवेदन करना चाहता हूं ....

(व्यवधान : अश्रव्य)

माननीय सभापति जी, मैंने जरूर खरी खरी बातें कही हैं। कहीं ऐसा न हो कि मेरे यहां स्कूल नहीं खुले, विषय नहीं खुले। आपका काम बहुत बढ़िया है, आप बड़े काबिल मंत्री हैं और मेरे दादा भाई हैं, क्योंकि राठौड़ हैं, लेकिन उसके बावजूद जो बातें सुनानी चाहिये थीं, वह कही हैं क्योंकि घर के ही सुनाते हैं। अगर आपको लिख कर देते हैं तो वह कोट के साथ जेब में ही घुल जाती हैं। इसलिये मैंने सदन में सही सही बात कही है। उनका आप अवश्य निराकरण करवायें, यही मेरा निवेदन है।

**श्री सभापति : श्री चेतराम।**

**श्री चेतराम** (टोडाभीम) : सभापति महोदय, शिक्षा और न्याय पर मेरे भी कटौती प्रस्ताव हैं लेकिन सर्वप्रथम मैं न्याय-प्रशासन के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। सभापति जी, एक अच्छे समाज और अच्छे प्रशासन का आज तकाजा है कि वहां के नागरिकों को जो न्याय मिले, वह सस्ता और सुलभ मिले। इस दृष्टिकोण से यदि हम राजस्थान में देखते हैं तो जो हमने सिद्धान्त बनाया है या जो जनता का सिद्धान्त है उस पर अमल नहीं हो रहा है। आज राजस्थान के हाई कोर्ट में डेढ़ हजार के लगभग केसेज हैं। 14 हजार 500 पैन्डिंग हैं, और उनका कोई निराकरण नहीं हो रहा है जिसमें 50-60 केसेज तो ऐसे हैं जो दस साल के पुराने हैं। पांच साल से पुराने केसेज साढ़े तीन हजार से ज्यादा हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, कि कोई केस इतने लम्बे समय तक पैन्डिंग रहे और उनको समय पर निर्णय नहीं मिल सके, उनको कोई सुविधा नहीं मिल सके ऐसे न्याय से कोई फायदा नहीं है और जो न्याय का पर्पज है वह डिफीट हो जाता है।

इसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट्स कोर्ट्स और नीचे के जुडिशियल कोर्ट्स की भी ऐसी ही स्थिति है। हमारे सवाई मधोपुर में एडीशनल सैशन्स जज का कोर्ट गंगापुर में है लेकिन हमारे राज्य मंत्री महोदय किन्हीं कारणों से यह कहें कि अपनी कान्सटीट्यूएन्सी के आधार पर उस कार्यालय को अपने हैडक्वार्टर पर ले जाना चाहते हैं। मैं शिक्षा मंत्रीजी से, जिनका सब्जेक्ट है, निवेदन करूंगा कि जनता को सस्ता और सुलभ न्याय मिले इस बात को आप पहले एग्जामिन करवायें और गंगापुर व सवाई माधोपुर की सिचुएशन को देखें, वहां पर आने-जाने का साधन देखें। ऐसी स्थितियों को देखते हुये हमारे मंत्रीजी यह सोचें कि सवाई माधोपुर पास है तो सरासर गलत है। गंगापुर, हिन्डौन, करोली सब-डिवीजन की बात है इसलिये एडीशनल सैशन्स जज का जो न्यायालय है इस समय गंगापुर में, वह रहना चाहिये। चीफ

(श्री चेतराम)

जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जो कोर्ट है उसमें मैं निवेदन करूंगा कि न्याय की दृष्टि से, उसे भी गंगापुर में ही रखा जाय।

सभापति जी, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा, महुआ के लिये वहां पहले मजिस्ट्रेट का कोर्ट तय हुआ था, वह दो साल से नहीं हो पाया है। उस कोर्ट को भी खुलवाने की व्यवस्था की जाय।

सभापति जी, अब मैं शिक्षा के बारे में थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा। पहले राजस्थान उन प्रांतों में से था जहां शिक्षा का बुनियादी ढांचा गांधीजी की शिक्षा के ऊपर आधारित था। वैसे देखें तो राजस्थान की शिक्षा का जो स्वरूप है, इसकी जो व्यवस्थाएं हैं वे दो तरह की हैं। शिक्षण संस्थायें हैं, कालेज हैं, यूनीवर्सिटी के कालेज हैं, यूनीवर्सिटी है, सब गवर्नमेन्ट के कब्जे में हैं। यूनीवर्सिटी के फंक्शन्स हैं अपने कॉलेजेज की निगरानी करना और एग्जामिनेशन कन्डक्ट करना। साइंस की जहां तक व्यवस्था है वह राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के पास है। यहां की परिपाटी और प्रणाली अलग होने के कारण इनका जो स्वरूप है वह निखर नहीं पाता है। मैं निवेदन करूंगा कि यूनीवर्सिटी के शिक्षा शास्त्री और राजस्थान के उच्च शिक्षा के अफसर अधिकारी की एक कॉओर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिये जिससे वित्तीय और शिक्षा के मामले हैं वे कॉओर्डिनेशन कमेटी तय किया करे।

माननीय सभापतिजी, मैं अब इसके अलावा एक और निवेदन करना चाहूंगा। पिछले दो-तीन सालों में हमारे प्रांत में मिडिल स्कूल और सैकेन्डरी स्कूल काफी फैले हैं। हालांकि सवाई माधोपुर की समस्या हल नहीं हो पायी है लेकिन जो भी स्कूल हैं उनमें अध्यापकों का इतना अभाव है कि जितने अध्यापकों की सेन्क्शन्ड स्ट्रेंथ है, जितनी संख्या उनकी होनी चाहिये, उस संख्या के अनुरूप अध्यापक नहीं हैं। आज स्कूल खोले हैं और खोले जा रहे हैं, उस स्थिति में भी यह संख्या पूरी नहीं हो पायी है। इसलिये जहां जहां पर भी आपने स्कूल खोले हैं वहां पर निर्धारित संख्या में जितने अध्यापक चाहिये वे अध्यापक वहां आपको रखने हैं और यह निहायत जरूरी है वरना यह प्रचार और यह प्रसार कि इतने स्कूल खोल दिये केवल थोथा होगा। बच्चों का वर्गीकरण हो जाय, उनकी संख्या बढ़ जाय और अध्यापक-अध्यापिकायें स्कूलों में निर्धारित संख्या में न दें यह उचित नहीं है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि एक एक क्लास में इतने बच्चे हैं कि तीन-तीन, चार-चार क्लासों को एक साथ बिठाया जाता है और पूरे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाये जा सकते हैं। यह बच्चों के जीवन को सुधारने की निशानी नहीं कही जा सकती किन्तु इससे बच्चों का उल्टा भविष्य बिगड़ता है।

आपने महिला शिक्षा के बारे में जोर दिया है। यह कार्य आप सम्पन्न कर सकते हैं, यदि आपकी विल हो। प्राइमरी शिक्षा में जितनी अच्छी महिलायें उपयुक्त होती हैं उतने पुरुष नहीं। बच्चों के जीवन पर जितना असर महिलायें डाल सकती हैं उतना पुरुष नहीं।

# Page No 152

(152)



(श्री चेतराम)
जहां पर सरकार ने मिडिल स्कूल खोले हैं वहां पर दो-तीन महिला टीचर्स के अलावा और कोई नहीं है। मेरे यहां पर जो स्कूल हैं वहां तीन टीचर्स के अलावा नहीं हैं। सैकेन्डरी स्कूल में सब पुरुष टीचर्स हैं। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार यह कहे कि महिला-शिक्षा के लिये व्यवस्था कर रहे हैं यह हास्यास्पद लगता है।

सभापति जी, मैं गवर्नमेंट कॉलेज, बढोली और सवाई माधोपुर के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। हमारी सरकार का उद्देश्य है अधिक से अधिक शिक्षा का प्रसार और प्रचार किया जाय। प्राइम मिनिस्टर के 20 सूत्री कार्यक्रम में से एक कार्यक्रम यह भी है। माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये छात्रावास हैं। समाज-कल्याण विभाग से छात्रावास के लिये 1,800 रुपया फर्नीचर और बिस्तरों के लिये सेंक्शन हुआ। छात्रों की पढ़ाई-लिखाई में वह 1,800 रुपया न लगाकर प्रिन्सिपल महोदय ने लग्जरी चेयर्स बनायीं। जो इन प्रिंसिपल महोदय ने यह कार्य किया है उनसे समाज-कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग पूछें कि समाज-कल्याण का पैसा था, जो शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये था उसका सदुपयोग हुआ है या दुरुपयोग हुआ है?

इसके साथ ही करौली कालेज के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के छात्रों ने जितनी छात्रवृत्ति के फार्म भरे थे वे अब तक विभाग को नहीं पहुंचे हैं जब कि यह सेशन समाप्त होने जा रहा है। हम उम्मीद करेंगे कि शिक्षा मंत्री जी फार्म मंगवाकर छात्रवृत्ति उनको दे पायेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति जी, मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा। अभी पिछले महीने हिण्डौन में फासिस्ट विरोधी सम्मेलन हुआ था। उसमें राजस्थान सरकार के एक राज्य मंत्री, एम०एल०ए० उपस्थित थे। कम से कम 15 हजार जनता इकट्ठी थी, उसमें एक इन्क्वायरी के लिये निवेदन किया कि हिन्डौन में बी०एड० कालेज है वहां के व्यवस्थापक प्रिन्सिपल कमिशन के नाम पर मनमाने तरीके से पैसा इकट्ठा करते हैं एडमिशन में और उसका दुरुपयोग होता है और प्रिन्सिपल खुले रूप में यह कहते हैं कि पैसा देकर लाते हैं इसलिये लेते हैं। क्या इसकी जांच करवायेंगे? हर साल प्रश्न उठता है और शिक्षा मंत्री जी यह कहते हैं कि उनको मान्यता नहीं देंगे लेकिन होता कुछ नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

**श्री सभापति** : श्री नाथूराम।

**श्री नाथूराम** (बागीदोरा) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं न्याय प्रशासन के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। बांसवाड़ा जिले में अधिकतर आदिवासी लोग रहते हैं। उनसे संबंधित सामाजिक मुद्दे कोर्ट में आते हैं। हमारे प्रधान मंत्री जी ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा की है उसके बाद भी उनको सस्ता न्याय और शीघ्र न्याय नहीं मिलता है। इसलिये आपक

(श्री नाथूराम)

द्वारा निवेदन करूंगा कि इस आपात् स्थिति के समय में वकील लोग जो मनमाना उन गरीब लोगों से पैसा लेते हैं और उनको तरह तरह के सामाजिक मामलों में फंसा करके उनके ऊपर कार्यवाही करवा कर केसेज पर केसेज लेते हैं। गरीब लोगों ने अपनी काश्त की जमीनें गिरवी रख दी थीं उनके लिये भी उनको कोर्ट में जाना पड़ता है। उस जमीन को वापिस लेने के लिये वकीलों के चक्कर में आकर अदालतों में चक्कर काटते फिरते हैं। इसलिये विधि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि गरीब लोगों की भूमि के केसेज आते हैं उसके लिये उनको सस्ता और सुलभ न्याय मिलना चाहिये।

सभापति महोदय, शिक्षा के विषय में निवेदन है कि 28 साल की आजादी के बाद भी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और आदिवासियों के लिये उचित प्रबन्ध नहीं हुआ है। हमेशा यह सुझाव दिया है कि पहाड़ी क्षेत्र के जो आदिवासी लोग हैं, जिनको वर्षों से पढ़ने का मौका नहीं मिला है उनके लिये ग्रामीण क्षेत्र में व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिये। बालिकाओं की शिक्षा के लिये व्यवस्था करनी चाहिये। लेकिन बांसवाड़ा, डूंगरपुर में, जहां पर बालिकाओं के लिये मिडिल स्कूल खोले हैं, पढ़ाने के लिये अध्यापिकायें नहीं भेजी जाती हैं। पिछली बार मंत्री महोदय से निवेदन किया था कि बालिकाओं के लिये व्यवस्था कीजिये। महिला इन्सपेक्टर का उदयपुर हैडक्वार्टर है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर बहुत दूर हैं। इसलिये जब तक उनका हैडक्वार्टर बांसवाड़ा नहीं होगा तब तक शालाओं की व्यवस्था ठीक नहीं होगी। अभी साल भर से महिला इन्सपेक्टर नहीं पहुंचती है। शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन दिया था और डाइरेक्टर साहब ने भी आश्वासन दिया था कि जो कमी है वह पूरी करवायेंगे लेकिन आज तक वही दशा है। मुझे शिक्षा मंत्री जी बतायेंगे कि महिला इन्सपेक्टर का बांसवाड़ा में कहां कहां और कब कब दौरा हुआ? वे दौरा नहीं करती हैं तो यह यों ही नाममात्र का पद है। या तो फिर जो एजूकेशन की इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स हैं उनके अण्डर में कर देना चाहिए या फिर बांसवाड़ा में महिला इन्सपेक्टर का ऑफिस खोल देना चाहिए ताकि कुशलगढ़, बागीदोरा और भूखिया जो आदिवासी क्षेत्र हैं और जो गुजरात के बोर्डर से जुड़े हुए हैं उनकी उचित व्यवस्था हो। बालिकाओं की शिक्षा के लिए जिस तरह से रिपोर्ट में बताया है मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों से आयी हुई अध्यापिकायें हैं उनके बजाय ग्रामीण महिला अध्यापिकाओं के प्रशिक्षण के लिए सरकार सोच रही है। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं और अपना आभार प्रकट करता हूं। आदिवासी क्षेत्रों के लिए मेरी मांग है कि पहले तो आदिवासी नहीं पढ़ते थे लेकिन अब प्राथमिक शालाओं से निकल कर मिडिल स्कूलों में जाते हैं और उसके बाद फिर सैकेण्डरी में जाते हैं। पिछली साल मिडिल स्कूल सरकार ने काफी खोले लेकिन बांसवाड़ा जिले में दो ही सैकेण्डरी स्कूल खोले और मेरे क्षेत्र में तो एक भी नहीं खोला। मैं आपके द्वारा शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आज आदिवासी क्या चाहते हैं? वह एजुकेशन चाहते हैं। आदिवासी लड़के कुछ पढ़े-लिखे भी हैं, लेकिन वे

(श्री नाथूराम)

आज भी बेरोजगार हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आदिवासी क्षेत्रों में सैकेण्डरी स्कूलों के खोलने की मांग है, लेकिन इस साल एक भी सैकेण्डरी स्कूल खोलने का प्रावधान नहीं है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि फण्ड्स रिवाइज करके और ट्राइबल सब-प्लान को रिवाइज करके जहां जहां सैकेण्डरी स्कूल की मांग है वहां सैकेण्डरी स्कूल खोलिये और जहां मिडिल स्कूल खोलने की मांग है वहां मिडिल स्कूल खोलिये। आदिवासी क्षेत्रों में आश्रम स्कूल खोलें। हमारे पड़ौसी राज्य गुजरात में आश्रम शालाओं की व्यवस्था है। इन आश्रम शालाओं से निकल कर वह हायर एजूकेशन में जायेंगे और उनको पढ़ने का अच्छा अवसर मिलेगा। ट्राइबल सब-प्लान में प्रावधान है तो वहां से अधिक से अधिक फण्ड लेकर ज्यादा से ज्यादा आश्रम स्कूल खोलिये ताकि वहां से निकल कर बच्चे आगे हायर एजूकेशन के लिये जा सकें।

इसके साथ ही साथ मैं निवेदन करता हूं कि हायर सैकेण्डरी स्कूल और सैकेण्डरी स्कूलों में छात्रावासों की व्यवस्था करनी चाहिए। सभापति महोदय, मैं आदिवासी क्षेत्रों के लिए एक और मांग करता हूं। हमारे देश में प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने गरीब आदिवासियों की गरीबी मिटाने के लिए बीस सूत्री आर्थिक प्रोग्राम रखा है, लेकिन जब तक आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं होगी तब तक गरीबी मिटने वाली नहीं है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करता हूं कि आपने हायर सैकेण्डरी स्कूल खोलने के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा है। मेरा शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर जो आदिवासी क्षेत्र हैं बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को राष्ट्रपति महोदय ने शिड्यूल्ड एरिया घोषित किया है तो वहां कम से कम हायर सैकेण्डरी स्कूल आप खोलिये। पांच साल से एक भी हायर सैकेण्डरी स्कूल वहां आपने नहीं खोला है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा ज्यादा से ज्यादा वहां चालू करनी चाहिए ताकि हमारी बेरोजगारी मिटे आदिवासी क्षेत्र भूखिया, ग्रोरी और चाननवाड़ा, जहां कि अभी सैकेण्डरी स्कूल हैं, के लिए मेरा निवेदन है कि उनको हायर सैकेण्डरी में क्रमोन्नत करें।

इसी तरह से, सभापति महोदय, बांसवाड़ा जिले में पोस्ट-ग्रेजुएट क्लासेज का गत वर्ष आश्वासन दिया गया था लेकिन नहीं हुआ तो कम से कम इस शिड्यूल्ड एरिया के लिए एक पोस्ट-ग्रेजुएट कालेज खोलेंगे तो आपकी कृपा होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैंने ये कटौती के प्रस्ताव रखे हैं। आपने मुझे समय दिया उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं।

**श्री सभापति :** श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय।

**श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय (बून्दी):** माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम तो मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, जैसा कि पहले भी निवेदन कर चुका हूं का स्वागत करता हूं कि जहां जहां भी जिला मुख्यालयों पर हायर सैकेण्डरी स्कूल गर्ल्स के नहीं थे उसके लिए इस साल

(श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय)

उन्होंने अनाउन्स किया है—इसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं। किन्तु इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे ख्याल से माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने इस तरह की पहले स्कीम भी बनाई थी।

मांग संख्या 6 के बारे में मैं पहले अर्ज करूंगा कि हर जिला हैडक्वार्टर पर आप यह भी देखें कि डिस्ट्रिक्ट जज का आॅफिस है या नहीं। डिस्ट्रिक्ट जज के आॅफिस के लिए मैं समझता हूं कि जहां आज हमारी प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी जी कहती हैं कि न्याय को सुलभ बनाया जाये, सस्ता बनाया जाये, तो मैं निवेदन करूंगा कि जिन जिन जिला हैडक्वार्टर पर डिस्ट्रिक्ट जज का आफिस नहीं है वहां राज्य सरकार इस तरह का प्रयोजन करे कि जिला हैडक्वार्टर पर डिस्ट्रिक्ट जज का आॅफिस हो और मैं दुबारा मुबारक देने के लिए ही इस सदन के अन्दर खड़ा होऊं, यह मैं न्याय मंत्री जी से उम्मीद करके चलता हूं।

दूसरे, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जैसा कि बीस सूत्री कार्यक्रम है और हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने देश के अन्दर शिक्षा-प्रणाली किस प्रकार से छोटे से छोटे लोगों के पास जाय यह बात की है और 10+2+3 की योजना हो रही है, और जॉब ओरियेन्टेड की तरफ आप कदम बढ़ा रहे हैं उसके लिए भी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि राजस्थान प्रान्त इस देश के अन्दर सबसे अग्रगामी इस मायने में रहे आप इस बात का प्रयत्न करें। आप इस बात की पहल करें मेरा आपसे यह निवेदन है कि राजस्थान को इस मामले में भी सबसे ऊपर के स्थान पर ले जाने का कष्ट करें।

इसी प्रकार जैसा कि कई बार मैं आपसे निवेदन कर चुका हूं, बूंदी में जो महाविद्यालय है उसके अन्दर एलएल० बी० और एम०ए० की क्लासेज की बात मैं आपसे करना चाहता हूं। जैसी पहले आपकी इस तरह की स्कीम थी, इस तरह का विचार भी था कि कम से कम जिला हैडक्वार्टर पर हम पोस्ट-ग्रेजुएट कॉलेजेज स्थापित करेंगे। अब मैं नहीं समझता कि किस प्रकार आपकी गाड़ी जो आगे के गेयर में जा रही थी वह वापिस जाने लग गयी। शुरू में आपने मिडिल स्कूल्स दिए, उसके बाद आपने सैकेण्डरी स्कूल्स दिए। अब की बार हम समझते थे कि आप हायर सैकेण्डरी और कुछ कालेजेज और पोस्ट-ग्रेजुएट कालेजेज देंगे। इस प्रान्त की प्रगति के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है। सिर्फ मिडिल स्कूलों से इस प्रान्त की प्रगति नहीं हो सकती। जैसा मैंने पहले भी आपके सामने निवेदन किया था, हमारे नौजवान आज ग्रेजुएट होने के बाद पोस्ट-ग्रेजुएट बनने की बात करते हैं। रिसर्च की बात करते हैं। मौजूदा बजट जो आपने दिया है, आपकी दिक्कतों को हम समझते हैं, आपकी परेशानी को मैं समझता हूं, शिक्षा मंत्री महोदय, किन्तु इस प्रकार का पोस्ट-ग्रेजुएट कालेजेज का, रिसर्च सेंटर पोस्ट-ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को देने का कोई प्रोविजन इस बजट में नहीं रखा गया है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं इस बात पर स्ट्रेस करके वित्त मंत्री महोदय से कि इस बजट को हासिल करने का कष्ट करें।

(श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय)

दूसरा, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार आपने सैकेण्डरी स्कूल्स को क्रमोन्नत किया और बहुत सी जगह अभी भी जिलों के अन्दर ऐसी हैं जो डिजर्व करती हैं कि वहां सैकेण्डरी स्कूल्स बनें। किन्तु बजट में केवल मिडिल स्कूल रखे गए हैं। उनके लिए कम से कम एक एक जिले के लिए प्रावधान करने का कष्ट करें। हमारे प्राइम मिनिस्टर के बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत गांवों तक शिक्षा को पहुंचाने के लिए, दस-दस, बीस-बीस माइल के एरिया के अन्दर कम से कम एक सैकेण्डरी स्कूल होना बहुत ही आवश्यक है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसका आप प्रावधान करें। दूसरे जो अनौपचारिक शिक्षा और टेलिविजन शिक्षा का आपने प्रावधान किया है वह अवश्य प्रगति की तरफ एक कदम है, इसमें कोई दो राय नहीं है।

इन सब मुबारकबादों के बाद अब मैं कुछ कमियों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा और उन कमियों में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं जैसा कि मेरे से पूर्व कई वक्ताओं ने भी कहा कि राजस्थान के अन्दर, राजस्थान विश्वविद्यालय के अन्दर एक इस प्रकार का वाइस-चान्सलर आज तक मौजूद है जो डिक्लेयर्ड आनन्द-मार्गी है। इस सदन में कई बार इस बात को लॉबी किया है। कई बार राज्य सरकार को इस बात को कहने का प्रयास किया है, लेकिन आज तक उन पर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। जो अवधूतों को ट्रेनिंग में भेज देता है, जिनकी श्रीमती इस प्रकार का आफिस होल्ड करती हैं, इतने सीरियस चार्जेज उनके ऊपर हैं और वे समझते हैं कि हमारी पार्टी को या हमारे कुछ लोगों को प्रसन्न करके वे अपने ऑफिस को कायम रख लेंगे तो इसके लिए मैं आपके सामने एक नमूना रखना चाहता हूं। वह नमूना यह है कि किस प्रकार की साजिश चल रही है। हमारी पार्टी के ही एक श्री आर०के०मिश्रा हैं। यह एक पत्र मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं जो फरवरी 14 का है—

"Shri R.K.Mishra, M.P., Member of Syndicate, will address the girl students of the main campus on Monday, the 16th February, 1976 at 2.30 P.M. in room No. 5 of the Humanities Block."

बड़े शर्म के साथ इस बात को कहना पड़ता है कि क्या जरूरत है? क्या आर०के०मिश्रा स्पेशलिस्ट हैं गर्ल्स के? क्यों उनकी बात को प्रोटेक्शन दे रहे हैं वाइस-चांसलर साहब? मैं भी तीन साल तक सिंडीकेट का मेम्बर रहा हूं जोधपुर का, लेकिन कहीं कोई किसी प्रकार का प्रोवीजन नहीं है। जब वह पार्लियामेंट के मेम्बर हैं तो वह सर्किट हाउस में ठहर सकते हैं। क्या जरूरत है कि उनके लिए डीलक्स नम्बर 2 का कमरा रिजर्व रहे? क्या जरूरत है कि उनके लिए टेलीफोन रिजर्व रहे? क्या कमजोर वाइस-चांसलर यह समझता है कि मैं मिश्रा के प्रोटेक्शन में रह कर जिन्दा रह जाऊंगा राजस्थान में? मैं इस बात को चैलेंज करता हूं और बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है कि जो आर०के०मिश्रा अपने आपको प्रगतिशील कहते हैं वे प्रोटेक्शन देते हैं और उनकी छत्रछाया में रंगरेलियां करने की बात होती है। यह इग्नोर करने वाली बात नहीं है। मैं, माननीय सभापति महोदय, . . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

**श्री सभापति** : ऑर्डर प्लीज ।

**श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय** : आपके जरिये यह कह देना चाहता हूं इस राज्य सरकार को कि अगर यह बीमारी दूर नहीं होगी वाइस-चांसलर की तो दिल्ली तक इस मामले को लॉबी किया जाएगा और इसको छोड़ा नहीं जाएगा। रि-एक्शनरी आदमियों को ऐसे प्रगतिशील तत्व प्रोटेक्शन दे रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के फंक्शन होते हैं, जहां हम देखते हैं कौन-से ये शिक्षाविद् हैं, हर फंक्शन के अन्दर जहां देखिये आर०के० मिश्रा साहब। वहां तक ही कायम नहीं रहे, चीफ मिनिस्टर के साथ में जाकर बैठेंगे तो बराबर मिश्रा बैठेंगे और वाइस-चांसलर ने अपनी सारी इज्जत इसलिए बेच दी कि आनन्दमार्गी होने से उनको वे बचा सकते हैं। इसलिए जो कुछ भी करें, खुली छूट कैम्पस में दे रखी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को आपके जरिये कि इस तरह की इन बातों को रोका जाय। दिल्ली और जयपुर में बहुत दूर का फर्क नहीं है। प्राइम मिनिस्टर तक आपकी यह बात पहुंच सकती है कि हमारे प्रगतिशील मेम्बर से यह उम्मीद नहीं की जा सकती है जो कि आज जनता के सामने रिफ्लेक्शन ला रही है। यह नहीं समझें कि हम किसी बन्द कमरे के अन्दर रंगरेलियां करते रहें और कैम्पस के अन्दर यह होता रहे। क्या इस तरह से रंगरेलियां करना यह एम.पी. पर आक्षेप नहीं है ?

(समय-समाप्ति-सूचक अनवरत घण्टी)

सख्त अफसोस से निवेदन करना पड़ता है कि सरकार के मेम्बरान और मिनिस्टर साहब वहां पर मौजूद हों, तो मैं समझता हूं कि वह भी उनके साथी हो रहे हैं। इस सदन के मेम्बर्स के पास कन्वोकेशन के इन्वीटेशन तक नहीं पहुंचे और वह साइड ट्रेक करें। बड़े बड़े कन्वोकेशन ऑर्गेनाइज कर लें, फंक्शन्स कर लें। कब तक इस यूनीवर्सिटी को इस प्रकार से चलाने की बात करते हैं? मैं चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री को इस बारे में सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। ऑटोनॉमस बॉडी हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि ऑटोनॉमस बॉडी मनमानी करती रहे। यू०पी० के लोगों को लाकर जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने इस बात को कहा है, यहां तक कि सामान्य जो गार्डनर है उस तक को वहां से लेकर आए। तो क्या राजस्थान में टेलेंट नहीं है? माननीय शिक्षा मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान का टेलेंट आपके तत्वावधान में खड़ा देख रहा है और यू०पी० वाले सारी की सारी पोजीशन्स लेकर पड़े हैं। इस सदन की सारी जिम्मेदारी इस ढाई करोड़ जनता के प्रति है और ढाई करोड़ जनता के प्रति जिम्मेदार होने से हम इस बात को बरदाश्त नहीं कर सकते किसी प्रकार कि जिन पोस्टों पर हमारे लोग आने चाहिए थे उन पर वे श्रीमानजी यह तरीके अपना कर कायम रह सकते हैं। इस प्रकार मैं आपसे निवेदन करूंगा और सिर्फ एक ही एग्जाम्पल नहीं है। आप यह समझें, 14 फरवरी, 1976 को श्री आर०के० मिश्रा ने महारानी कॉलेज में अपना भाषण दिया है 4 पी०एम० को।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

चार वजे शाम को।

**श्री सभापति** : कृपया समाप्त करें।

(श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : वाइस-चांसलर ने एक मीटिंग की। इस प्रकार से मैं समझता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, इन सब चीजों को आप ध्यान दे करके देखेंगे और इस तरह के वाइस-चांसलर को आप जल्दी से जल्दी राजस्थान से विदा करेंगे।

एक बात और रह गई थी उसको मैं, माननीय सभापति जी, आपकी इजाजत से एक मिनिट में अर्ज कर देना चाहता हूं। क्योंकि Justice delayed is justice denied, ईस्टर्न पार्ट ग्राफ राजस्थान, जहां से मैं आता हूं, कोटा, बूंदी, झालावाड़, हाई कोर्ट जोधपुर में होने से झालावाड़ से चलने वाले को, कोटा से चलने वाले को जस्टिस डिनाई होती है। वह वहां तक पहुंच नहीं सकता। जैसा कि हमारी प्राइम मिनिस्टर, हमारी नेता प्रधानमंत्री को मामला सौंप रखा है उसके लिए आपकी ओर से भी प्रयास होना चाहिए। यही मैं आपसे निवेदन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करूंगा।

**श्री सभापति** : श्री लूणाराम।

**श्री लूणाराम** (डूंगरगढ़) : सभापति महोदय, शिक्षा सम्बन्धी मांग पर माननीय सदस्यों ने बहुत कुछ कहा है। आज हम देखते हैं कि ग्रामों के अन्दर प्राथमिक शिक्षा का स्तर बहुत गिरा है। उसके गिरने के कई कारण हैं। इन कारणों में से एक कारण यह है कि आज प्राथमिक शिक्षा का भार, ग्रामीण शिक्षा का भार, पंचायत समितियों को देकर एक तरह से आप और आपका शिक्षा विभाग अपने आप से बरी हो गये हैं। यह निश्चित तौर पर सत्य है कि शुरू शुरू के अन्दर जब पंचायत समितियों को यह प्राथमिक शालायें दी गईं तो उस समय जो उनको बजट दिया गया उस बजट में सिवाय तनख्वाह के और मामूली सा टी०ए०, डी०ए० के और किसी प्रकार का साधन नहीं दिया गया। नतीजा यह हुआ कि उनकी यात्रा व चिकित्सा तक का खर्चा पंचायत समितियों को अपनी निजी आय से देना पड़ता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार की समाज-शिक्षा या अन्य प्रवृत्तियों के लिए किसी भी प्रकार का बजट नहीं दिया गया है। पंचायत समिति के पास इतनी गुंजाइश नहीं रहती है जिसके कारण वे अपनी आय को बढ़ा सकें। इसलिए, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम इस प्रकार की प्रवृत्तियां चलाई जायें जो प्राथमिक शाला में चल सकें। इस प्रकार का बजट तो पंचायत समिति को मिलना चाहिए।

दूसरी जो शिक्षा में अव्यवस्था और फैली है, वह इस कारण से है कि किसी को भी सर्विस न मिलने के कारण वह व्यक्ति पंचायत समिति की सर्विस में जाता है और उसको सर्विस करते हुए एक महीने का भी समय नहीं होता है मुश्किल से कि उसको शिक्षा विभाग ले लेता है। यह भी एक बार नहीं, साल भर में कितनी ही बार होता है। एक-एक प्राथमिक शाला में साल भर में, एक सत्र में तीन-चार बार होता है। नया अपाइन्टमेन्ट होते ही वह शिक्षा विभाग में चला जाता है। नतीजा क्या होता है इसी से आप अन्दाज लगा सकते हैं कि किस प्रकार से प्राथमिक शाला का सुधार हो सकता है।

तीसरी समस्या क्या होती है? इसके

(श्री लूणाराम)

लिए मेरा निवेदन है कि प्राथमिक शालाओं में टीचर की जो नियुक्ति की जाती है, उसको शिक्षा विभाग में लेने के लिए एक निश्चित अवधि होनी चाहिए कि कम से कम तीन साल तक वे पंचायत समिति में रहेंगे इसके बाद ही इनको पंचायत समिति से शिक्षा विभाग में लिया जायगा। ऐसा नियम बना दिया जाये तो फायदा होगा। हमारा जो मूलभूत प्राथमिक शिक्षा का सिद्धांत है वह तभी अच्छी तरह से हासिल हो सकता है जब कि अनुभवी और पुराने टीचर प्राथमिक शालाओं में हों। कम से कम जहां पर दो टीचरों की प्राथमिक शाला है वहां पर एक पुराना टीचर और एक नया टीचर डेप्यूट किया जाना चाहिये। एक नया और एक पुराना टीचर होने से वहां पर शिक्षा का स्तर बना रहेगा और सुधार होगा। यह मेरा निवेदन है–कम से कम यह व्यवस्था कर दी जाये तो सुधार हो सकता है।

बजट के अभाव के कारण भी पंचायत समितियों के सामने दिक्कत आ रही है। बजट के अभाव के कारण किसी भी प्रकार से पाठशालाओं को नहीं रख पा रहे हैं। कम से कम जो अच्छे मेधावी छात्र हैं, उनका रहन-सहन अच्छा हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, और उनको प्रोत्साहन देने के लिए किसी न किसी प्रकार से हर प्रकार की प्रवृत्तियां छोटे-छोटे रूप में चालू करायी जायं ताकि उनका मनोबल बढ़े। यह चाहे तो जिला स्तर पर, और ब्लाक स्तर पर भी चालू की जाये।

एक यह भी हमारे सामने समस्या है, वास्तव में माननीय सदस्यों ने भी कहा है, पांचवीं पंचवर्षीय योजना समाप्त होने जा रही है, परन्तु अभी तक गांवों को प्राथमिक शालाएं नसीब नहीं हो पायी हैं। हम कॉलेज, डिग्री कॉलेज खोलने की बात करते हैं, यह खुशी की बात है। इसलिए कम से कम एक गांव के अन्दर एक अध्यापक और एक स्कूल की व्यवस्था तो आप करें। चाहे कितनी ही अनिवार्य शिक्षा की बात आप करें, यह मैं निवेदन करना चाहूंगा चाहे आपने इसके लिए बजट में प्रावधान नहीं रखा हो तो भी दूसरे प्रकार से प्रावधान रख कर यह घोषणा आज फर्मा दें कि इस वर्ष में हर एक गांव में एक प्राथमिक शाला खोल दी जायगी ताकि गांव के बच्चों का उद्धार व उन्नति हो सके।

हमारा बहुत सारा धन मान्यता प्राप्त कालेजों, स्कूलों को चला जाता है। हमारा लाखों रुपया खर्च हो रहा है। माननीय मंत्री जी का यह प्रगतिशील और साहसिक कदम उस समय होगा अगर वे यह घोषणा कर दें कि योजनाबद्ध तरीके से अगले दो वर्षों में मान्यता प्राप्त स्कूलों को समाप्त करके उनको सरकार चलायेगी और उसमें लगने वाला धन प्राथमिक शालाओं को सुव्यवस्थित करने में लगाएंगे।

इसी प्रकार से दूसरा मेरा निवेदन है। गांव के अन्दर समाज-शिक्षा के अन्तर्गत जब हम देखते हैं तो हमारे सामने न रेडियो, न अखबार, न पुस्तकालय की ही कोई गतिविधि नजर आती है। प्राथमिक पाठशालाओं के अन्दर कम से कम 100-200-300 रुपयों की पुस्तकें रहती हैं विभाग से या पंचायत समिति की ओर से। आज इनका उपयोग स्कूलों के बच्चों

(श्री लूणाराम)

तक ही होता है । मैं यह निवेदन करूंगा कि प्रत्येक पाठशाला में जो ग्रामीण क्षेत्र में है वहां ग्राम पुस्तकालय, वाचनालय हो जिसमें एक हजार की पुस्तकें ही हों और जहां ग्रामों में मुख्यालय न हों वहां स्थानीय शाला के पुस्तकालय से छात्रों के साथ-साथ ग्रामीणों को भी पढ़ने के लिये वितरित की जायं ।

इसी प्रकार से एक समस्या हमारे सामने है । आज प्राथमिक शालाओं में जो अव्यवस्था और अवरुद्धता शिक्षा में फैल रही है, इसका कारण स्थानान्तरण का मामला है । समय-समय पर विभाग को लिखना पड़ता है । यह बात समझ में नहीं आ रही है कि कोई भी ट्रान्सफर के लिए चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, सीधे ही शिक्षा मंत्री जी के पास दौड़ कर जाना पड़ता है। नीचे के लेवल पर यह नहीं होता है । शिक्षा मंत्री जी बड़े उदार हैं। किसी भी प्रकार से उत्तर ना का नहीं देते हैं । कह देते हैं यह काम हो गया । इसी भरोसे से हम सदस्य लोग आगे भी कह देते हैं, काम हो गया। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) तुम्हारा काम हो जाएगा । हो गया । नतीजा यह होता है कि किसी भी प्रकार तीन, चार महीने तक काम नहीं होता है। अब इधर अध्यापक की सारी छुट्टियां समाप्त हो जाती हैं और दूसरा जो आता है वह यह देखता है कि कब ट्रान्सफर केन्सिल होकर आता है। इस प्रकार वह टीचर अधर में झूलता है और वह शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दे पाता है, जो उसका कार्य है उसकी तरफ भी ध्यान नहीं देता है। जिसका स्थानान्तरण हो गया वह भी शिक्षा मंत्रीजी के पास चला जाता है···

**श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** : शिक्षा मंत्री जी हर काम के लिए हां, हां करते हैं और अभी हां पक्ष हो जायेगा हां, हां में।

**श्री लूणाराम** : सभापति महोदय, निराशा उस समय होती है जब शिक्षा मंत्री जी का आदेश तो हो जाता है, यह सही है कि शिक्षा मंत्री जी आदेश कर देते हैं और आदेश जारी हो जाते हैं, लेकिन जब जाकर के शिक्षा अधिकारी से मिलते हैं तो उनसे यह जवाब मिलता है कि यह जो आदेश शिक्षा मंत्रीजी ने दिया है उसको हम नहीं मानते हैं । वह हमारी बात को सुनता नहीं है । शिक्षा मंत्री जी आदेश दें और उसको वह सुने नहीं, यह शर्म की बात है···

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : सभापति महोदय, यह सही बात है । शिक्षा मंत्री की अपने अधिकारियों के साथ मिलीभगत है। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है ।

**श्री सभापति** : अपने भाषण में तो आपने इसका उल्लेख नहीं किया ।

**श्री लूणाराम** : हम यह चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री जी कोई काम नहीं होने वाला है तो वह हम को अच्छी तरह से उत्तर दे दें तो यह नहीं हो । आपका हम बुरा नहीं मानते हैं, क्योंकि सारा प्रशासन आपको देखना पड़ता है । लेकिन जिले के शिक्षा अधिकारी यह कहें कि हम शिक्षा मंत्री जी के आदेश को नहीं मानेंगे या दूसरे अधिकारी कहें कि नहीं मानेंगे तो यह हमारे लिए शर्म की बात है। तो, माननीय शिक्षा मंत्री जी, इस प्रकार का व्यवहार है तो आप उत्तर दे दें तो अच्छा रहे।

**श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** : आप किस चक्कर में पड़ गये, नहीं मानने के आदेश भी इन्हीं के हैं।

**श्री लूणाराम** : मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि ट्रान्सफर के बारे में समय निश्चित कर दें...

(6.00 सायं)

**(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)**

एक बार ट्रान्सफर का आदेश दे दिया तो वह क्रियान्वित होना चाहिए। 3-3, 4-4 महीने ज्वाइन करने का समय उनको नहीं देना चाहिए ताकि लड़कों की पढ़ाई में दिक्कत नहीं आये......

**श्रीमती सुमित्रासिंह** : फिर एम० एल० एज० के पास क्या काम रहेगा ?

**श्री लूणाराम** : एम० एल० एज० तो ठीक है।

दूसरा निवेदन जो है वह यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि पूरे सत्र के अन्दर जिला शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति नहीं होती है। हमारे चूरू जिले में अब नियुक्त किया है। इतने टाइम में न जाने कितने इम्तिहान हो गये। इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा एक महीने के लिए स्थानान्तरण किया जाय। यह न हो कि पूरा ही सत्र निकल जाय और उस जिले की शिक्षा की प्रोग्रेस की बात करें यह एक नामुमकिन बात है। इसलिए मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आइन्दा के लिए इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि जिससे इस प्रकार से जगह रिक्त न रहे।

इतनी बात के पश्चात् मैं एक निवेदन न्याय के सम्बन्ध में माननीय न्याय मंत्रीजी से करना चाहता हूं। एक तो यह है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ के लिए न्याय व्यवस्था के लिए सरदारशहर में नई मुन्सिफ कोर्ट स्थापित करके उसके साथ में उसको लगाया गया है। इस सम्बन्ध में न्याय मंत्री महोदय से पत्र-व्यवहार कर चुका हूं और उसमें यही बात है कि सरदार शहर का सब-डिवीजन चूरू लगता है और डूंगरगढ़ का सब-डिवीजन रतनगढ़ लगता है और सारे कामों के लिए तो रतनगढ़ जाना पड़ेगा और सिर्फ मुन्सिफ कोर्ट के लिए सरदार-शहर जाना पड़े और जो भी सुविधाएं मौजूदा टाइम के अन्दर यातायात की इस वक्त में उपलब्ध हैं वह सारी सुविधाएं खत्म होती हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम इस प्रकार की व्यवस्था हो, जो अभी तक रतनगढ़ में मुन्सिफ कोर्ट है उसी प्रकार से रहना चाहिए।

दूसरी जो बड़ी समस्या आती है वह पब्लिक नोटेरी की है। पब्लिक नोटेरी को सब-डिवीजन में नियुक्त किया जाता है। जो कोई किसी प्रकार के रजिस्ट्रेशन का काम, उपाध्यक्ष महोदय, होता है वह सब-रजिस्ट्रार के यहां तहसीलों में होता है। तहसीलों में पब्लिक नोटेरी नियुक्त नहीं हैं। तहसीलदारों को यह अधिकार नहीं है। या तो सब-डिवीजनल ऑफिसर की पहले तस्दीक कराकर लायें या नोटेरी पब्लिक से लायें। गरीब काश्तकार खेत बेचने के लिए या घर बेचने के लिए मुसीबत में आता है और आते ही उसको यह जवाब मिलता है कि सब-डिवीजन के हैडक्वार्टर पर जाना पड़ेगा तो दो-तीन दिन यों ही बरबाद हो जाते हैं। वह जा नहीं पाता है और अगर वह जाता है तो 3-4 दिन खराब होते हैं। अगर नहीं जाता है तो दूसरे

(श्री लूणाराम)
लोग जो पैरोकारी करने के लिए खड़े रहते हैं उनकी मार्फत करता है तो हैरान होता है और खर्चा उसको उठाना पड़ता है तब जाकर 3-4 दिन में तस्दीक होकर आता है तब जाकर उसकी रजिस्ट्री होती है। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय न्याय मंत्रीजी से निवेदन है कि कम से कम ऐसी व्यवस्था की जाय कि जिस कोर्ट को रजिस्ट्री करने का अधिकार है उसी कोर्ट में ऐसी व्यवस्था पब्लिक नोटेरी या और किसी की कर दी जाय जिससे गरीब को किसी दूसरी जगह पर जाना न पड़े।

**श्री सभापति :** कृपया समाप्त करें।

**श्री लूणाराम :** हां जी।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आज मुकदमों की इतनी बढ़ोत्तरी हो रही है कि मुकदमे बहुत अधिक टाइम तक पड़े रहते हैं और कोई सुनवाई नहीं होने से गरीब लोगों को परेशानी और हैरानी होती है। तो इसके लिए एक निश्चित समय बान्ध देना चाहिए ताकि हरएक को यह ख्याल रहे कि इतने समय में यह तय करने पड़ेंगे।

इन सब बातों के साथ में मैंने जो कटौती प्रस्ताव पेश किये हैं उनको मैं प्रस्तुत करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री मोहरसिंह।

**श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) :** उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष जो डिमाण्ड्स के तीन विषय आज चर्चा हेतु प्रस्तुत हैं उनमें से शिक्षा विषय पर मैं चन्द शब्द कहना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष, शिक्षा इन्सान को सही इन्सान बनाने के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन शिक्षा कैसी हो, कैसा उसका स्वरूप हो, कैसी उसकी व्यवस्था हो, वह इसके ऊपर निर्भर है कि वास्तव में वह समाज को आगे बढ़ा सकती है या बढ़ने के अन्दर अवरोध पैदा कर रही है या पिछाड़ी ले जा सकती है। आज तक जैसी शिक्षा चलती आई है वह युग के अनुसार, समय के अनुसार पूंजीवादी दृष्टिकोण के अन्दर जैसी हो सकती है उसी प्रकार की थी, क्योंकि हमारा देश दूसरों का गुलाम था। पहले अंग्रेजियत की शिक्षा ने देश के नौजवानों के अन्दर सही भावना नहीं आने दी। आज देश 28 वर्ष से आजाद है और हम समाजवादी नक्शे कदम पर चलने का प्लान बना चुके हैं तो यह निश्चित बात है कि हमारी शिक्षा के अन्दर भी उसी तरह का परिवर्तन आना चाहिए। जब प्रगति का रास्ता अपनाते हुए आगे बढ़ना है और देश के नक्शे को सही तरीके से ले जाना है, समाजवादी दृष्टिकोण हमने अपनाया है तो शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करना होगा। आज तक की शिक्षा, उपाध्यक्ष महोदय, देश के अन्दर जहां बेरोजगारी बढ़ाने के अन्दर सहायक हुई है। वैसे तो अब तक हमारा दृष्टिकोण, आर्थिक ढांचा जो है वह सही लाइन पर नहीं आया है। अब भी पूंजीवाद और समाजवाद के अन्दर दुनिया भर में बड़ा भारी फर्क है, और उसी का लक्षण आज देश के अन्दर देखने को हमें मिल रहा है। आज यह कहा जा रहा है कि हम ऊंचा उठा रहे हैं गरीब लोगों को, इस विषय

(श्री मोहरसिंह)

पर न जाकर इतना ही मैं कह देना चाहता हूं कि पूंजी और मोनोपोली के बढ़ने के अन्दर अवरोध नहीं आया है। अब भी खुली छूट आगे बढ़ने के लिए उन्हें मिली हुई है।

इसके साथ-साथ जहां आर्थिक ढांचे को बदल रहे हैं उसी तरह से शिक्षा के अन्दर भी बहुत सी गलतियां हैं। जहां पर हमारा यह आर्थिक ढांचा देश के अन्दर बेरोजगारी बढ़ा रहा है उसी तरह से शिक्षा प्रणाली देश के अन्दर बेरोजगारी बढ़ाने की बायस हुई है। एडमिशन्स से लेकर लड़का पढ़कर संसार-समरांगण में घुसता है, शिक्षा बन्द करके आता है अपने फील्ड के अन्दर उस वक्त किस प्रकार की शिक्षा मिलती है उसी प्रकार से फलीभूत होकर आगे कदम बढ़ा सकता है। इस तरह की जो शिक्षा है उसका स्वरूप बदलना है। बेरोजगारी से छुटकारा पाने के लिए व्यवसायिक शिक्षा को हाथ में लेना पड़ेगा। थ्योरी पढ़ते हैं तो प्रैक्टिकल में व्यवसायिक शिक्षा को भी साथ में लागू किया जाय। जैसे कि समाजवादी मुल्कों में पढ़ाई के सारे दृष्टिकोण को, सारी प्रणाली को, सारे स्वरूप को बदल दिया है। इसी तरह से हमारे देश के अन्दर भी आज इस बात की आवश्यकता है कि हम शिक्षा के स्वरूप को बदलें। जहां तक शिक्षा के स्वरूप का सम्बन्ध है वह व्यवसायोन्मुखी होनी चाहिए।

जहां तक व्यवस्था का सवाल है प्रान्त के लेवल पर बहुत-से सदन के माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं, मैं उन्हीं बातों को बार बार नहीं कहना चाहता, क्योंकि सदन के सामने एडमिशन्स के मामले, ट्रान्सफर्स के मामले, एपाइंटमेंट्स के मामले, रिट्रेन्चमेंट के मामले, रिटायरमेंट के मामले, यह सारी बातें आ चुकी हैं। मैं चन्द शब्दों में यही कहना चाहता हूं कि एडमिशन के अन्दर यहां पर इस साल हजारों लड़कों को वंचित रखा गया है, यह कहकर कि तुम बड़े नटखट हो, नोटोरियस हो, असामाजिक तत्व हो, और इस प्रकार से गड़बड़ियां फैलाना चाहोगे। खास तौर से कॉलेज एजूकेशन से इस लोगों को वंचित रखा गया है। इस तरह का एक नजरिया सामने आया है, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें दो राय नहीं हैं कि सब लड़के शरीफ ही नहीं होते हैं। सबके अन्दर पुराने संस्कार सही भी नहीं हैं, लेकिन ज्यादातर हमको यह मानकर चलना पड़ेगा कि लड़कों में फ्रस्ट्रेशन है, लड़कों में एक ऐसी भावना है उसका सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी है, और बेरोजगारी के पहलू को हमें मानना पड़ेगा। अगर लड़कों को सही ढंग से देश के नक्शे को चेन्ज करने के तरीके में ढालना चाहते हैं तो सबसे पहले शिक्षा को चेन्ज करना पड़ेगा, शिक्षा के स्वरूप को चेन्ज करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि इस तरह से स्कूलों में पढ़ाने वाले जो होते हैं, सबसे पहले इस स्वरूप को बदलना है। उसके मैनेजमेंट को, छोटे से लेकर यूनीवर्सिटी तक बदलना पड़ेगा। किस प्रकार की गड़बड़ियां हो रही हैं। श्रीमान शिक्षा मन्त्री महोदय, थोड़ी-सी बात आई है, जिला स्तर पर उन्होंने जो लड़कियों के स्कूलों को रखने की बात कही है, उसकी खुशी हुई है। इसके अलावा बेहद गड़बड़ियां, पक्षपात, और अव्यवस्था चल रही है। पक्षपात और

(श्री मोहरसिंह)
सिफारिश चल रही है । कई वरिष्ठ अध्यापक मेरे पास आये । शायद आपके पास भी पहुंचे होंगे । चार पांच साल से वह टीचर हैं । उनको हटा दिया गया है। उनसे जो जूनियर थे, उनको प्रमोशन दे दिया गया है । उनको हटा दिया गया है कि तुम पी० एस० सी० से सलेक्ट नहीं हो। इधर के कैमिस्ट्री के 27 प्रवक्ताओं को हटा दिया गया उनमें से जो पी०एस०सी० से सलेक्ट हो गये तो उनको लिया नहीं । यह कैसा कान्ट्रेडिक्शन है । माननीय शिक्षा मन्त्रीजी ने खुद कहा है कि उनको अपाइण्टमेण्ट दे दिया जाएगा। लेकिन असेम्बली में प्रश्न रखा गया । क्योंकि मैं विरोधी दल का हूं। मार्क्सवादी हूं, जिसके नाम से शिक्षा मन्त्रीजी को छींक आती है। इस स्थिति में वह मामला रहा गया । उनकी लिस्ट, शायद कुछ दिन बाद यह कहा जायेगा, टाइम बार हो गई। इसलिए वे नौकरी से वंचित रह जावेंगे । यह स्थिति है, उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के महकमे में, इस तरह से अपाइन्ट-मेन्ट के बारे में, ट्रांसफर के सवाल में, एडमिशन के सवाल में, जहां नीचे से लेकर यूनीवर्सिटी तक हमारा मैनेजमेन्ट बढ़िया होना चाहिए । सबसे पहले चूरू में जाकर देखिये। जहां हमारे स्कूल हैं । उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं । प्राइमरी शिक्षा को जाकर देखियेगा । महीनों तक स्कूल खाली पड़े रहते हैं। टाइम पर टीचर जाता नहीं है। लड़के घूमते रहते हैं। कोई पढ़ाने वाला नहीं है । मास्टर शराब पीकर स्कूल जायें । लड़कों के सामने मास्टर चिलम पीता हो । इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। यह मामूली चीज समझी जाती है । अच्छी आदतें डाली जायें । अच्छी बातें सिखाएं तो, उपाध्यक्ष महोदय, वह अच्छे नवयुवक बनकर निकलते हैं । उनमें अच्छी नैतिकता आयेगी । तभी सफलता होगी ।

**श्री उपाध्यक्ष** : समाप्त कीजिए ।

**श्री मोहरसिंह** : 15 मिनट तक मेरा टाइम है । उससे ज्यादा नहीं बोलूंगा । तो मैं आपके सामने कह रहा था । आगे चलें । मोहरसिंह मार्क्सवादी है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, चूरू जिला माननीय शिक्षा मंत्री की डायरी में 'सी' क्लास का जिला है । थर्ड क्लास का जिला है । महीनों तक इन्सपेक्टर और आई० ओ० एस० वहां नहीं रहते हैं । वहां कितने ही आई० ओ० एस० चले गये । कोई अगर नया आई० ओ० एस० बनता है, तो उसको पहले चूरू में भेजा जाता है या जिसके रिटायरमेन्ट में दो तीन साल होते हैं, उसको भेजा जाता है । तीन चार महीने तक वह वहां रहता है । यह हालत वहां के इन्सपैक्टर की है । इसके बाद आगे चलकर राजगढ़ तहसील जो मेरा क्षेत्र है, उसके बारे में आता हूं । माननीय शिक्षा मंत्री जी, मैंने कह दिया, मैं प्रार्थना तो नहीं करता हूं, मैं मार्क्सवादी हूं और ये राठौड़ हैं, झुकना मैं भी नहीं जानता हूं। कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था ।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप भी नहीं झुकेंगे, वह भी नहीं झुकेंगे तो स्थिति तो वहां की वहां रहेगी ।

**श्री मोहरसिंह** : वह झुकेंगे तब मैं भी झुकूंगा । पहले वह झुकेंगे । तो मैं निवेदन कर रहा था, बूंदीताल, रतनपुरा और राजगढ़, ये तीन स्कूल हैं आप कहेंगे शुरू में याद नहीं दिलाया,

(श्री मोहरसिंह)
इस मामले में आपकी कृपा नहीं हुई। एक बार भी नहीं कहा कि तुमको हम दे देंगे। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा। राजगढ़ ने 250-300 स्वतन्त्रता सेनानी दिये हैं। इनमें स्कूल हमारे फोर फादर्स ने खुलवाये हैं। जो वहां पर एक ऐसा मरकज था। हरियाना, शेखावाटी, और गंगानगर जिलों के बीच में है। वहां महाविद्यालय खुलवाया जाना निहायत आवश्यक है अगर आप हां कर लें तो……

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

हम तीन चार महीने में बिल्डिंग बनवा दें। लेकिन जब तक यह नहीं कहते हैं तब तक लोग कुछ नहीं करते हैं। मुझे उम्मीद है, इन सारी बातों पर आप ठंडे दिल से विचार करेंगे। आप इस तरह से इस पर नहीं सोचेंगे कि यह फलां जिला है, यह फलां जिला है। या यह क्षेत्र मेरा नहीं है। मैं दूसरे का हक काटकर नहीं लेना चाहता हूं। हमारा हक है। वह शिक्षा मंत्रीजी औरों को बखशिश नहीं करें। राजगढ़ के इन स्कूलों को टेक ओवर करें। स्कूलों से यूनीवर्सिटी तक जो गड़बड़ियां चल रही हैं, उनको सुधारें। शिक्षा व्यवसायोन्मुखी हो ताकि देश को बढ़िया से बढ़िया नागरिक मिल सकें।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री किशन मोटवानी।

**श्री किशन मोटवानी** (अजमेर-पश्चिम): उपाध्यक्ष महोदय, समय के अभाव के कारण मैं और कुछ न कहकर सीधा हमारे क्षेत्र की जो मांग है, उस पर आ जाता हूं। हमारे यहां का गवर्नमेंन्ट कालेज है। वहां एल-एल० एम० क्लासेज और लेवर लॉ क्लासेज के लिए कहा गया था। लेकिन धनाभाव के कारण हम सक्सेस नहीं हो पाये थे। लेकिन इस बार शिक्षा मंत्रीजी इसका ध्यान रखेंगे। साथ ही मैं निवेदन करूंगा बी० ए० तक सिन्धी सब्जेक्ट आप्शनल में चलाया गया और गत वर्ष लड़के ग्रेजुएट होकर के निकलें और एम० ए० की मांग की है वह खुल जाने से माइनोरिटी लैंग्वेज के लिये, उसके विकास के लिये जो आप आज एक उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं उसको पूरा करने में मदद मिलेगी। प्राइमरी के बाद जो इन्फ्रास्ट्रक्चर चल रहा है उनके लिये भी टीचर्स की जरूरत है। तो जब तक एम० ए० पास लड़के नहीं मिलेंगे तब तक आप स्कूलों को कमीशन करने में अपनी असमर्थता दिखाते रहेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप उनकी ओर ध्यान देंगे ताकि माइनोरिटी लैंग्वेज के विकास का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति करने में मदद मिले।

उपाध्यक्ष महोदय, बी० एड० के कालेज हैं उसको एम० एड० करने की चर्चा भी चल रही है, गत वर्ष भी यह एक्सरसाइज में आया था और मामला काफी आगे बढ़ गया था। इस सम्बन्ध में भावनाएं भी व्यक्त की थीं, आपके पास सारा लिट्रेचर है जो कि सारे राजस्थान के लिये उपलब्ध है इसलिए जो आखिर तक एक्सरसाइज मोशन में रखी गई थी इस वर्ष भी आप कुछ ध्यान देकर एम० एड० खुलवाने की कोशिश करेंगे।

(श्री किशन मोटवानी)

एन० टी० बी० बोर्ड को बदल दिया, वहां जो क्लासेज लगती थीं, उनमें माइनोरिटी सब्जेक्ट्स की बुक्स उपलब्ध करायीं परन्तु मैं आशा करता हूं कि कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं के लिये हमको दिक्कतें आती हैं, मैट्रिक और हायर सैकेण्डरी में सिन्धी और उर्दू में भी आपने लिखने का मौका दिया है लेकिन बुक्स के अभाव के कारण साइक्लोस्टाइल करानी पड़ती है। उन बुक्स से जो कि मान्यता प्राप्त बुक्स हैं, आप महसूस कर सकते हैं कि विद्यार्थियों को कितनी दिक्कत आती होगी। पांचवीं के बाद अप-टू हायर सैकेण्डरी लेवल तक भी आप पुस्तकें उपलब्ध करानें की कृपा करें जिससे आपकी जो प्रशंसा हो रही है उसमें और वृद्धि करें।

( समय-समाप्ति-सूचक घंटी )

एक बहुत बड़ी प्रोब्लम जो हमारे सामने आ रही है जिसमें मन्त्री महोदय ने भी रुचि दिखाई है रिफ्यूजी टीचर्स को बार-बार एक्सटेन्शन मिलता है, उसकी पाकिस्तान की सर्विस काउन्ट नहीं की जाती है जिसकी वजह से पेन्शन और ग्रेच्युटी में उसको काफी फर्क पड़ जाता है इसलिए उसमें स्पेशल पेन्शन का प्रावधान दिया गया है। लेकिन उसमें जो एवीडेन्स मांगी जाती है जिसका प्रावधान आर० एस० आर० के 151 में है कि कोलेटरल एवीडेंस देकर भी किन्हीं भी दो कर्मचारियों का प्रमाण-पत्र लगाकर वे ऐसी एवीडेन्स दे सकते हैं। लेकिन यह देखा गया है कि गजेटेड आफिसर्स की एवीडेन्स भी रिजेक्ट हो जाती है इसलिये इस सम्बन्ध में डाइरेक्टर साहब स्पेशल तवज्जह देंगे तो ठीक रहेगा।

एक बात यह है कि गजेटेड पोस्ट पर कोई टीचर आ गया हो तो उसको एक्सटेन्शन नहीं दिया जाता है। मन्त्री महोदय ने भी कहा है कि किन्हीं कारणों से ऐसा डिसीजन हो गया है। उनकी जो पाकिस्तान की सर्विसेज थीं उनको भी काउन्ट नहीं किया जाता है। मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि किन्हीं कारणों से जो यह ऐसा आदेश निकल गया है उसको केबीनेट में ले जाकर रद्द कराने का प्रयास करेंगे।

साथ ही माइनोरिटी लैंग्वेज की बढ़ोतरी के जो प्रयास चल रहे हैं लेकिन जो आपने प्राइमरी और मिडिल स्कूल दिये हैं उनसे जो पास होकर बच्चे आयेंगे वे आगे पढ़ने के लिये कहां जायेंगे? आपने हर जगह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक हायर सैकेण्डरी स्कूल की व्यवस्था की है, मुझे आशा है कि स्पेशल प्रावधान करके अजमेर में भी एक स्कूल रखें ताकि बच्चों को लाभ मिल सके।

मुझे यह भी आशा है कि गर्ल्स एजूकेशन के बारे में एक ही गर्ल्स हायर सैकेण्डरी स्कूल है और अजमेर का तो मुझे मालूम है, कितनी लड़कियां पढ़ने के लिये जाती हैं, इसलिए जो आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिये प्रावधान रखा है तो अजमेर में भी एक गर्ल्स स्कूल आप दें। इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात भी बार बार आती हैं। बुक बैंक की बात आती है, आप पुअर फन्ड्स से लेकर खोल दें, बच्चों के पिताओं से लेकर खोल दें यह कोई कन्सीडरेशन्स नहीं है। इसका अन्डरलाइन्ड प्रिन्सिपल यह है कि बच्चों में कोओपरेशन की भावना पैदा हो। उनमें डिसीप्लीन की भावना हो। उनके मन में यह भावना होनी चाहिए कि मेरे दूसरे भाई

(श्री किशन मोटवानी)
भी इसको पढ़ेंगे इसलिए इसको सम्भाल कर रखा जाय, इसमें आप और भी दो तीन चीजें कर सकते हैं, बच्चों में . .

( समय–समाप्ति–सूचक घंटी )

इस तरह से आप पैसा लेकर बुक बैंक खोलेंगे, आप कहते हैं कि 1100 बुक बैंक खोल दिये और 51 हजार खोल दिए तो इससे तो जो इसका अन्डरलाइन्ड प्रिन्सिपल है उसकी प्राप्ति नहीं होगी ।

साथ में एक बात और निवेदन कर देना चाहता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय के जो वाइस चान्सलर साहब हैं वह बहुत चर्चित व्यक्ति हैं। उनके बारे में भी एक बात कहना चाहूंगा कि जब आपको सारी चीजें मालूम हैं कि वे किस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं उनसे जो हम आशा रखते हैं उसकी पूर्ति हो सकेगी या नहीं ? उनकी ख्याति हस्तरेखा में है, जन्म कुण्डलियां वे देखते हैं और भविष्य के बारे में अच्छा बता सकते हैं। केवल इसी कारण से उनको रोक रखा हैं तो आप उनकी सारी पावर छीनकर उनको रख सकते हैं। मंत्रीगण केवल कन्सल्टेशन के लिए रखना चाहें तो उनको रखा जा सकता है, उनको पैसा पहुंचा सकते हैं । परन्तु यूनीवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन में इन्टरफियर को रोकने के लिए तो कम से कम उनकी पावर छीन ली जानी चाहिये । मैं इन्हीं शब्दों के साथ मन्त्री महोदय से आशा करता हूं कि जो कटौती प्रस्ताव रखें हैं उन पर कोई निश्चित उत्तर देंगे ।

**श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरसिंह रावत ।**

**श्री शंकरसिंह रावत** (नसीराबाद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के सम्बन्ध में जो कटौती प्रस्ताव रखे हैं, मांगों के सम्बन्ध में उस बारे में मुझे इतना ही निवेदन करना है, मिडिल स्कूल के लिए मैं विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने 1 मील के दायरे में मिडिल स्कूल लगाने की बात कही तो हमारे यहां पर भी खोला जाना चाहिए था । यहां सदन में आश्वासन देने के बावजूद भी नहीं खोला गया। मैं सेक्रेट्रिएट भी गया लेकिन वहां तो लिस्ट में नाम ही नहीं था। मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि 15 मील के दायरे में आप क्रमोन्नत करने जा रहे हैं तो अब तो आप कर दीजिये ।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि नसीराबाद के अन्दर जो लड़कियों का कॉलेज है उसमें मिलिट्री एरिया से होकर जाना पड़ता है। उसमें लड़कियां जा नहीं सकतीं। इसलिए कोई मिनी बस या और कोई सुविधा की व्यवस्था कीजिये जिससे लड़कियों को जाने में सुविधा हो और उनको लाभ मिल सके ।

इसके अलावा मुझे निवेदन करना है कि स्काउटिंग की बात किसी ने नहीं की है। स्काउट गाइड का कम्पलसरी अलग से बजट रखना चाहिए । तीसरी बात !

चौथी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नसीराबाद के अन्दर गांव हैं वहां केवल एक मिडिल स्कूल है । और गांव हैं उनको उससे वंचित न रखा जाय ।

पांचवा मेरा निवेदन है, शिक्षा विभाग के अन्दर भ्रष्ट व्यक्तियों को कम्पलसरी रिटायर किया । उसके लिए

(श्री शंकर सिंह रावत)

तो आपको बधाई है। मुझे अफसोस है कि आनन्द स्वरूप सिंह, अजमेर का है वह लाल बहादुर शास्त्री कालेज, जयपुर में नौकरी करता था। उसको सरकार ने निकाला। दुबारा एप्लीकेशन दी और नौकरी के आदेश आये तो शिक्षा मंत्री ने आर्डर देकर स्टे कर दिया। वह नौ जगह से निकाला गया है, अजमेर से निकाला गया है। उसे नौकरी में रखना उचित नहीं है। 10-11, 15-11-75 को आदेश दिया, उसकी अनुपालना हुई। सरकार के आदेश के आर्डर की अनुपालना करने में इतनी देरी होती है — यह दुर्भाग्य की बात है।

आखिर में एक सुझाव देता हूं, अगर शिक्षा मंत्रीजी उसको मान जायं तो राजस्थान में सबसे पहला काम होगा। वह यह है कि अध्यापक को मिटा कर आप शिक्षक रख दें तो अच्छा होगा। इसका कारण है कि रावण के आगे 'अ' लग गया तो अहिरावण हो गया। नीति के आगे 'अ' लग गया तो अनीति हो गया, सुर के आगे 'अ' लग गया तो असुर हो गया। पहले गुरु था, मास्टर था तो महा जैसे लक्षण थे। आज बैठा है गुरु और मास्टर के बीच, और अध्यापक जब से लग गया तब से चाकू-छुरे चलने शुरू हो गये। मेरा निवेदन है कि आप अध्यापक के नाम को छोड़ कर अगर शिक्षक रख दें तो और उचित हो जायगा। प्रधान शिक्षक, सहायक शिक्षक इस प्रकार रख दें। मेरा सुझाव मानते हैं तो राजस्थान में ही नहीं हिन्दुस्तान में यह आपका सबसे पहला काम होगा। मेरा निवेदन है कि अमीर में भी 'अ' लगा हुआ है। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप अध्यापक को हटा कर शिक्षक कर दें। यही मेरा निवेदन है।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री गोकुलचन्द जाटव।

**श्री गोकुलचन्द जाटव** (कठूमर): उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो मेरा कट मोशन हाई स्कूल, हायर सैकेण्डरी स्कूल बनवाने के लिए है। लेकिन मैं इसके साथ और बात भी कहना चाहता हूं। उसके लिए मैं बहुत दिन से प्रयास कर रहा हूं और सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। मैंने एक प्रश्न भी विधान सभा में पूछा, उसका उत्तर आज मुझे मिला है। अलवर जिले में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 14 पंचायत समिति हैं, 13 में हायर सैकेण्डरी स्कूल है। मेरे यहां एक नहीं है। यह काबिले गौर बात है कि वह सुरक्षित स्थान है, आदिवासी और हरिजनों की संख्या ज्यादा है। 1952 से कितने ही शिक्षा मंत्री बदल गये लेकिन कठूमर क्षेत्र में आज तक हायर सैकेण्ड्री स्कूल नहीं बना है। पर्सेन्टेज हरिजनों व आदिवासियों का ज्यादा है इसलिए उसे सुरक्षित स्थान से बदला नहीं जा सकता मेरे सामने यह प्राब्लम है और शिकायत है लोगों की कि यह सुरक्षित स्थान है, खेडली जैसी मण्डी है और नगरपालिका क्षेत्र है फिर भी वहां हायर सैकेण्डरी स्कूल नहीं बन पाया है।

**श्री उपाध्यक्ष** : गोकुलचन्द जैसे एम० एल० ए० हैं।

**श्री गोकुलचन्द जाटव** : माननीय उपाध्यक्ष, आप भी पिछले दिनों एक फंक्शन में गये थे, आप जानते हैं कि किस तरह मैं तरकीब से बच कर निकला। सोचा, अगली साल कुछ न कुछ हो जायगा, लेकिन आपकी पालिसी, जब सुनता हूं, अब भी हायर सैकेण्डरी स्कूल बनाने की नहीं है

(श्री गोकुल चन्द जाटव)

तो चिन्ता हो जाती है, जनता को क्या जवाब दें, यह बात अच्छी नहीं है। मेरा ख्याल है, इसमें जो नीति आपकी है स्कूल नये खोलने की, या नये रेज करने की, मेरा निवेदन यह है कि इस बजट में काफी बड़ी रकम, अब की बार शिक्षा विभाग को दी है खर्च करने के लिए। इसमें जो योजना बनाते हैं उसमें ध्यान रखा जाय कि किस को प्राइमरी स्कूल की आवश्यकता है, किस क्षेत्र में मिडिल स्कूल की आवश्यकता है, किस क्षेत्र में गर्ल्स, बॉयज हायर सैकेण्डरी स्कूल, कालेज की आवश्यकता है। इस प्रकार की योजना बनाई जानी चाहिए। आपने घोषणा की है, गर्ल्स स्कूल भी खोले जाने चाहिए, आवश्यकतानुसार खोले जाने चाहिए। मेरे ख्याल में मेरी दर्द भरी आवाज को मंत्री महोदय सुनेंगे, सुनते भी हैं। मुझे बड़ी खुशी है, काफी बड़ा बजट अब की बार आपको मिला है खर्च करने के लिए, आपका विभाग भी बहुत बड़ा है, विभाग का काम भी बहुत बड़ा है, और मंत्री महोदय, आपका दिल और मस्तिष्क भी बहुत बड़ा है—ऐसा मैं मानता हूं।

आज प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर मिला है। आई० टी० आई० के समापन समारोह में गया था। वहां जो अधिकारीगण हैं, उन्होंने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया, अलवर जिले में 172 छात्र संख्या है। यह उत्तर आज मुझे मिला है। उसमें कुल सीट 172 हैं। आई० टी० आई० बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। आप 172 से थोड़ा बढ़ा दें, 200 कर दें तो अनुचित बात नहीं होगी। रोजगार देने की सरकार की नीति है। बीस सूत्री कार्यक्रम में भी कमजोर वर्ग को ऊंचा उठाना है। इसमें आठवीं पास करके लड़के आते हैं, उनको काम मिल जाय, तो इसमें हर्ज नहीं है। यह अच्छा काम होगा। इसको 172 से बढ़ा कर 200 स्थान कर दिये जायें तो अच्छा कदम होगा....

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : हिअर ! हिअर !

**श्री गोकुल चन्द जाटव** : स्कूल खोलने की बात तो मैंने कह दी, अब ट्रांसफर सम्बन्धी नीति के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं, कई माननीय सदस्यों ने भी इस सम्बन्ध में कहा है, ट्रान्सफर होते रहे हैं। प्रशासनिक कर्मचारी और अधिकारियों के यथायोग्य आवश्यकतानुसार ट्रान्सफर होते रहे हैं और होने चाहियें अब थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रान्सफर पर बैन लगा दिया है, यह क्या आवश्यक है। आप देख लीजिये, थर्ड ग्रेड टीचर के ट्रांसफर्स अन्तर्जिला नहीं होते हैं। अब इसमें क्या परेशानी आयी, यह मैं नहीं कहता, वैसे मुझे मालूम है। कितने ही ट्रांसफर हो भी गये, कहना वाजिब नहीं है कि किसकी गलती से हुआ, एक हो गया, दसों के उत्तर में। निदेशक महोदय ने लिखा है पति-पत्नी विभिन्न जिलों में कार्यरत हों तो इस शर्त पर ट्रान्सफर हो सकता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उद्देश्य यह है कि पति-पत्नी साथ न रह सकें, अगर भिन्न-भिन्न जिले में कार्यरत हों। किसी के पास पांच चार बीघा जमीन है, पत्नी के अलावा जमीन को कोई देखने वाला नहीं है, वह खुद देखती है तो ऐसी दशा में उनको भिन्न भिन्न जिलों में मानना चाहिये।

**श्री शंकरसिंह रावत** : पति-पत्नी को तो दूर ही रखना चाहिए।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप दोनों के बीच में क्यों आते हैं ?

**श्री गोकुल चन्द जाटव** : अब.....

**श्री शंकरसिंह रावत** : परिवार नियोजन करना है इसलिए ।

**श्री गोकुल चन्द जाटव** : वह बच्चों का पालन-पोषण करे, गुजर बसर करे, अपने बूढ़े सास-ससुर की देखभाल करे । वह जमीन छोड़ कर पति के पास जा नहीं सकती और गई भी नहीं तो उस पालिसी में यह मानना चाहिए, अगर पति-पत्नी एक साथ नहीं रह सकें और भिन्न भिन्न जिले में रह रहे हैं, तो उस श्रेणी में ही मान कर हस्बेण्ड का ट्रान्सफर कर देना चाहिए, भले ही सर्विस में पत्नी नहीं है, लेकिन उसके पास कृषि भूमि है, उसकी देखभाल उसे करनी है । मेरा इशारा रामप्रसाद की ओर है जो जैसलमेर में है । वह अलवर जिले का है लेकिन आठ साल से वहां बैठा है । इतने साल बाद उसका ट्रान्सफर कर देना चाहिये ।

**एक माननीय सदस्य** : अभी सदन में आदेश दे दें ।

**श्री गोकुल चन्द जाटव** : न्याय प्रशासन के बारे में तरह तरह की बातें सदन में कही गई हैं । मैं एक वाक्य में कह देना चाहता हूं कि यह बड़ी परेशानी का विषय है । गरीब लोग ज्यादा दुखी होते हैं और पैसे वालों को दुख नहीं पहुंचता है । एक विधवा बूढ़ी महिला है । उसका केस चल रहा है । कभी गवाह नहीं मिलता, कभी मुन्सिफ साहब छुट्टी चले जाते हैं । तारीख दो दो, तीन तीन महीने में मिलती है । वह मकान के बिना बैठी है । आप सोचिये । मेरा दिमाग तो काम नहीं करता है । मैं सुझाव नहीं दे सकता । सरकार को यह बात सोचनी चाहिए । न्याय प्राप्त करने के लिये कोई लिमिट तो होनी ही चाहिए........

**श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा** : आप समझते हैं कि मंत्री जी का दिमाग काम करता है ?

**श्री गोकुल चन्द जाटव** : इसी तरह से एक किसान को जमीन को एक्वायर किया गया, आज सोलह साल हो गये, यह मेरी जानकारी में है कि आज तक केस नहीं निपटा है । एक मामूली केस में सोलह साल लग जायें और सोलह साल में वह किसान भी मर जाय, उसके बेटे पोते केस लड़ते रहें । दोनों पार्टी के दोनों हैड मर गये हैं और उनके परिवार के केस लड़ रहे हैं । इसको सोलह साल हो गये हैं । यह बड़े दुख की बात है । इसका कोई रास्ता निकालना चाहिए ।

कमजोर वर्ग के बच्चे, जो छात्र हैं, के लिए कम से कम यह सोचना चाहिए कि यह जो किताबें दी जाती हैं कमजोर वर्ग के बच्चों को, उनकी ऐसी व्यवस्था हो जाय कि जिनको मिलनी चाहिए उनको मिल जाय । यह भी बड़ी सहायता उनकी होगी ।

तो मैंने आपको दो तीन बात कही हैं, और ज्यादा कहूंगा तो आपके ध्यान में नहीं रहेगी । इस समय तो जो आवश्यकता की बात है, तकलीफ है, इनका वाकई आप ध्यान रखें । हायर सैकेण्डरी स्कूल बनायें, कालेज बनायें, इन्टर कालेज बनायें–मेहरबानी करके कुछ न कुछ तो करना ही चाहिये । बच्चों को दसवीं पास करके आज बहुत दूर जाना पड़ता है, आदिवासी और हरिजन हैं, वैसे ही कमजोर व निर्धन होते हैं । उनकी आवश्यकता के लिए और उनकी परेशानी को दूर करने के लिए गौर फर्मायें । आशा है मेरी बात को मानें ।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री उम्मेदीलाल ।

**श्री उम्मेदीलाल** (हिन्डौन) : बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं अपने कट मोशन्स के बारे में शिक्षा मंत्री से कहना चाहता हूं। वैसे हमारे भारत की प्रधान मंत्री ने जो 20 सूत्री कार्यक्रम दिया है विशेष कर एक पिछड़े वर्ग, पिछड़े इलाके के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सबसे पहले यह देखा कि पिछड़े वर्ग के लिए 28 वर्ष में कुछ लोग रह गए, जिनके लिए जमीन नहीं मिली, शिक्षा नहीं मिली, खाने के लिए नहीं मिला, रहने के लिए घर नहीं मिला। मैं यह तो नहीं मानता हूं कि आपने 28 वर्षों में कुछ नहीं किया है। काफी किया है लेकिन इसके साथ ही साथ मैं शिक्षा के बारे में निवेदन कर दूं कि सवाई माधोपुर में हिण्डौन एक ऐसा क्षेत्र है जो कि सवाई माधोपुर में ही नहीं बल्कि राजस्थान में एक खास कस्बा है और जिसकी संख्या लगभग 15,000 है। वहां हायर सैकेण्डरी स्कूल काफी समय से था और उस स्कूल में आज से 20 साल पहले भी 1,100-1,200 लड़के थे और आज उस स्कूल के बच्चों की संख्या करीब 2॥ हजार है। सन् 1957 में सदस्य था उस समय माननीय सुखाड़ियाजी मुख्य मंत्री थे उनके द्वारा मुझे इसी सदन में आश्वासन मिला कि अगर आपने कमरों की पूर्ति करा दी तो अगले साल कालेज की व्यवस्था जरूर होगी। उसके बाद पिछले वर्ष वहां की जनता ने करीब 3 लाख रुपये का भवन बनाया और फिर अर्ज की और उसके बाद भी कालेज नहीं खुला। उसके बाद में आंदोलन हुआ और उसमें पुलिस ने गोली चलाई, उसमें एक मेट्रिक में पढ़ता हुआ छात्र मर गया, एक सेठ मरे और तीसरे आदमी को गोली लगी। उसके बाद सरकार के यहां से सूचना मिली कि अगर वहां की जनता आंदोलन वापिस ले ले तो इस पर पूर्ण विचार करेंगे। वहां की जनता ने आंदोलन वापिस ले लिया और आज तक उस पर कोई विचार नहीं किया गया। मैं आपके द्वारा शिक्षा मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि आज हमारे देश में मेरा जिला और मेरे जिले में हिन्डौन ऐसा पिछड़ा क्षेत्र है जहां शिड्यूल्ड कास्ट्स व ट्राइब्स के 70 प्रतिशत लोग हैं और वे जब हाई स्कूल पास करके निकलते हैं तो न तो जयपुर आ सकते हैं, भरतपुर जायं तो 50 मील पड़ता है, करौली 30 मील। इसलिए कालेज की मांग उनकी 20 साल से चली आ रही है, इस पर विचार करें। अगर वह मांग पूरी नहीं हुई तो हिन्डौन के साथ न्याय नहीं होगा क्योंकि आपके पास में काफी बजट है और आप अगर वहां की जनता को राहत देना चाहें तो कालेज की घोषणा आज इसी सदन में करेंगे, उसके बाद ही मैं कहूंगा कि शिक्षा मंत्री ने हिण्डौन की जनता के साथ न्याय किया।

न्याय प्रशासन के बारे में मैं एक मिनिट निवेदन करूंगा। मेरे साथियों ने कहा कि सवाई माधोपुर मुख्यालय एक कोने में है। हिण्डौन से सवाई माधोपुर 135 किलोमीटर है और गंगापुर सवाई माधोपुर और हिण्डौन के मध्य में है। तो मेरी मान्यता है कि सेशन्स कोर्ट गंगापुर में रखा जाए, तो यह गरीबों के साथ सुविधा होगी।

मेरे एक साथी ने बताया है, शिक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा आनन्द स्वरूप सेठ भूतपूर्व लाल बहादुर शास्त्री कालेज, जयपुर में काम करता था। नौकरी से निकालने का कारण........।

**श्री खेतसिंह** : आपको उससे क्या लेना देना ?

**श्री उपाध्यक्ष** : आपको जब मालूम नहीं है तो छोड़ दीजिए। श्री रामलाल।

# Page No 172

(172)



**श्री रामलाल** (बाड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के संबंध में मैंने भी कटौती प्रस्ताव रखे हैं। हमारा राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ था। गत 28 साल में शिक्षा का प्रसार बहुत हुआ है। मगर गत 4 साल के अंदर तो इतना प्रसार हुआ है कि मैं शिक्षा मंत्री को धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि वह और भी शिक्षा का प्रसार करेंगे। जैसे शिक्षा मंत्री ने 200 मिडिल स्कूलों के लिए घोषणा की है, यदि वह 100 मिडिल स्कूल और सौ सैकेन्डरी स्कूलों के लिए घोषणा करते तो मैं उन्हे धन्यवाद देता क्योंकि सैकेन्डरी स्कूलों की कमी बहुत है। 5-6 मिडिल स्कूलों पर एक सैकेन्डरी स्कूल होना जरूरी है। पिछले वर्ष कुछ सैकेन्डरी स्कूल आपने खोले थे लेकिन कुछ सदस्य रह गए, उनकी पूर्ति इस साल हो जाती तो अच्छा होता क्योंकि किसी क्षेत्र में मिडिल स्कूल ज्यादा हैं और सैकेन्डरी स्कूल कम हैं। मेरे क्षेत्र में ही मिडिल स्कूल इतने हैं कि उन पर दो तीन सैकेन्डरी स्कूल होने चाहिए। मंत्री जी इस साल सैकेन्डरी स्कूलों के लिए प्रावधान रखते तो हम आशा करते कि सैकेन्डरी स्कूल मिलेगा। पिछले वर्ष जो पूर्ति मंत्री जी नहीं कर सके वह उन्हें इस साल करनी चाहिए। भरतपुर जिले में बाड़ी और बसेड़ी मेरे क्षेत्र में दो तहसीलें हैं वहां 6 सैकेन्डरी स्कूल और हायर सैकेण्डरी स्कूल हैं। बाड़ी धौलपुर से 32 किलोमीटर है जबकि बसेड़ी 40 किलोमीटर है। धौलपुर में एक ही कालेज है। धौलपुर की जनसंख्या 6 लाख से ऊपर है। इसलिए उस एक कालेज में जगह न मिलने से कुछ लोग मध्य प्रदेश जाते हैं, कुछ यू० पी० जाते हैं, कुछ जयपुर आते हैं। पैसे वाले लड़के तो खर्चा वहन कर रहे हैं लेकिन गरीबों के बच्चे कैसे खर्च करें? इसलिए बाड़ी में कालेज खोलने की कृपा करें। इसके अलावा धौलपुर में जो कालेज है उसमें लॉ क्लासेज खोली जायं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे धौलपुर में लॉ कालेज नहीं है वह खोला जावे। नहीं तो वहां के विद्यार्थियों को यू० पी० में पढ़ने को जाना पड़ता है, जयपुर में पढ़ने को जाना पड़ता है। भरतपुर में तो लॉ कालेज है नहीं। इसलिये मैं शिक्षा मन्त्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वह धौलपुर में लॉ कालेज खुलवाई जावे। धौलपुर में कालेज में कमरे भी कम है उन कमरों की कमी को पूरा कराया जावे। धौलपुर में कृषि कालेज की कमी है इसलिये वहां पर कृषि कालेज खुलवाया जावे। लड़के बहुत ज्यादा हैं और लड़के ज्यादा होने की वजह से उन लड़कों को काफी परेशानी होती है इसलिये आप कालेज बाड़ी में खुलावें ताकि लड़कों को परेशानी कम हो। इसके अलावा धौलपुर में कालेज में पानी की बहुत कमी है। लड़के ज्यादा हैं उनके रहने के लिये व्यवस्था करायी जावे ताकि उन लड़कों को पानी की परेशानी नहीं हो। धौलपुर में छात्रों के लिये होस्टल बनाये जाने चाहियें। लड़के वहां पर बाहर से आते हैं दूर से आते हैं वहां पर लड़के गरीब हैं, 40-50 रुपये कमरे के किराये के लिये देना पड़ता है इधर फीस और उधर कमरे का किराया देने से लड़कों के पास पैसे नहीं होने से वह लोग पढ़ नहीं सकते हैं। इसलिये लड़कों के लिये धौलपुर में होस्टल बनाये जाने चाहिये।

**श्री उपाध्यक्ष** : समाप्त करें।

**श्री रामलाल** : उपाध्यक्ष महोदय; मैं अभी दो मिनिट में ही समाप्त कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, बाड़ी, धौलपुर, बसेड़ी समर्थपुरा के बीच में पड़ता है वहां पर कालेज नहीं है अगर आप वहां पर कालेज खोल दें।

(श्री रामलाल)

तो वहां के लड़के अच्छी तरह से पढ़ सकेंगे धौलपुर में इन्जीनियरिंग कालेज नहीं है वह भी खोला जावे। धौलपुर में कृषि कालेज भी खुलवाया जावे ताकि लड़के कृषि की पढ़ाई कर सकें। इसके अलावा वहां के लड़कों को उद्योग धन्धे भी सिखाये जाने चाहियें ताकि लड़के पढ़ लिख कर अपने उद्योग खोल सकें। बस इतना ही कह कर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मन्त्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा और आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। बस इतना ही मुझे निवेदन करना है।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री प्रद्युम्नसिंह।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा) : शिक्षा मन्त्री जी आ जाइये। उपाध्यक्ष महोदय, आज आपने मुझे कृपापूर्वक बोलने के लिये अपना समय दिया है उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : मेरा समय नहीं शिक्षा मन्त्री जी का समय।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : ठीक है मैं शिक्षा मन्त्री जी की तारीफ कर देता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान में पिछले बीस वर्षों में जो काम शिक्षा के अन्दर नहीं हुआ वह हमारे शिक्षा मन्त्री जी ने दो वर्षों में कर के दिखा दिया है। शिक्षा में काफी तरक्की हुई है इसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस सदन में यह घोषणा की गयी थी, राजस्थान में एक यूथ बोर्ड की स्थापना की जायेगी। लेकिन मैं शिक्षा मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि आप उस यूथ बोर्ड की स्थापना करना चाहते हैं या नहीं?

**एक माननीय सदस्य** : आप यूथ में आते हैं।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : मैं तो आपकी यूथ में नहीं आता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1969 में मथुरादास जी माथुर, जो कि उस वक्त वित्त मन्त्री थे ने यूथ बोर्ड की स्थापना करने की घोषणा की थी और उसके बाद में यह यूथ बोर्ड का सवाल इस सदन में प्रश्नों के माध्यम से कई बार उठाया गया और उपाध्यक्ष महोदय, आज के माहोल में यूथ बोर्ड की स्थापना करना बहुत अनिवार्य है। आप आज के युवकों की कल्पना कीजिये मैं कहना चाहता हूं कि यह यूथ बोर्ड की इन्स्टीट्यूशन यूथ्स के लिये काफी फायदेमन्द होगी। इसको अभी तक क़ायम नहीं करने के क्या कारण हैं? आपको क्या असुविधा हो रही है, क्या कारण है कि आप उसको नहीं कर पा रहे हैं? आखिर किस बात के लिये आप नहीं कर पा रहे हैं? इस बात को माननीय मन्त्री महोदय सदन में बताने की कृपा करें? आपने उसको आखिर क्यों लेट कर रखा है? आप उसके बारे में क्यों कोई बात तय नहीं कर पा रहे हैं यह बतावें?

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह है बुक बैंक के बारे में आपने कहा कि हमने 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत बुक बैंक की स्थापना की है लेकिन आपने उसके लिये बजट में प्रावधान किसी तरह का नहीं रखा। आप उसे किस तरह से चलाना चाहते हैं। आपने उसको पब्लिक से

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

कन्ट्रीब्यूशन लेकर चलाने की बात की है आपने लाइब्रेरी में कितनी बुक्स रखी हैं ? आपने बजट प्रावधान क्या रखा ? इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें। आज छात्रों की संख्या को देखते हुए आपने जो भी मिडिल और प्राइमरी स्कूलों में बुक्स की व्यवस्था की है। कितने रुपये आपने कन्ट्रीब्यूशन से प्राप्त किये हैं ? अखबारों में तो हम रोजाना पढ़ते हैं कि आपने बुक बैंक्स की स्थापना की पर किताबें कितनी हैं उसकी स्थापना करने के बाद क्या आपके पास इतने पैसे हैं कि आप उससे काम चला सकेंगे ? मैं समझता हूं कि आपने जो व्यवस्था की उससे काम चलने वाला नहीं है। इतना मैं आपको बता देना चाहता हूं पब्लिक कन्ट्रीब्यूशन से मैं समझता हूं, इतना पैसा आपको नहीं मिलेगा। इसके बारे में आप कृपया स्पष्ट रूप से सदन के सदस्यों को अवगत करावें। इसके साथ साथ आप यह भी बतावें कि आपने कितना पैसा इकट्ठा किया है। आज राजस्थान भर में कितनी पुस्तकों की जरूरत है ? वह भी बतावें और उसके लिये आप क्या कर रहे हैं ?

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने एस० टी० सी० का एक साल का कोर्स ट्रेनिंग का रखा है। अपने राजस्थान में एक साल की सैंकड़ों नहीं हजारों लोग ऐसे हैं जो कि एस० टी० सी० ट्रेनिंग किये हुए हैं और उनको नौकरी नहीं मिलने के कारण वह लोग आज दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। आखिर आप उन गरीब लोगों को खपाने की क्या व्यवस्था कर रहे हैं ? उस पर भी अपना प्रकाश डालें।

इसके अलावा एक बात मैं और शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि आज पंचायत समितियों में जितने भी टीचर्स हैं उन लोगों को आपने छूट दे दी है कि वह इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स में टीचर की पोस्ट के लिये आप्शन दे सकते हैं। इसलिये टीचर्स सैंकड़ों की संख्या में पंचायत समितियों की सर्विसेज को छोड़कर इन्सपेक्टोरेट की सर्विसेज ज्वोइन कर रहे हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि पंचायत समितियों के स्कूलों में टीचर्स की संख्या बहुत कम हो रही है। और आज इसकी बहुत-सी शिकायतें राज्य सरकार के पास आ रही हैं। उसके लिये राज्य सरकार क्या व्यवस्था कर रही है, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें तो आपकी बड़ी महती कृपा होगी।

दूसरी बात जो मैं अत्यन्त आवश्यक निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि आप धड़ाधड़ स्कूल तो खोल रहे हैं लेकिन आप बच्चों के खेलने के लिये उन स्कूलों में प्ले ग्राउण्ड की कोई व्यवस्था कर पा रहे हैं या नहीं ? यह भी बतावें। जहां तक मुझे जानकारी है आप प्ले ग्राउण्ड्स के लिये कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। यह व्यवस्था नहीं होने के कारण आज जो आर० एस० एस० के लोग हैं वह इन बच्चों को खेलने के बहाने अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उनको वहां बहकाते हैं, बरगलाते हैं। जिसका नतीजा यह होता है कि इनमें आर० एस० एस० की भावना ज्यादा फैलती है। वहां वह लोग ले जाकर उनको लाठी चलाना वगैरह सिखाते हैं। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि स्कूलों में आप प्ले ग्राउण्ड्स की व्यवस्था उन स्कूलों के बच्चों के लिये करावें। नहीं तो मन्त्री महोदय से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो आर० एस० एस० की बीमारी अभी तो शहरों में

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

ही फैली है लेकिन अगर यह बीमारी ग्रामीण क्षेत्रों में एक बार भी फैल गयी तो फिर यह बीमारी आपसे रोके नहीं रुकेगी और उसके भयंकर दुष्परिणाम होंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज, माननीय सदस्य तो बोल चुके हैं अब दूसरों को भी बोलने दें ।

इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं राज्य सरकार से कि अब गांवों में जब आप स्कूल खोलने जा रहे हैं तो वहां पर आपको प्ले ग्राउण्ड के लिये भूमि उपलब्ध करानी चाहिये और अगर भूमि वहां नहीं है तो आपको चाहिये कि आप जो वहां पर सिवाय चक जमीन है या जो चरागाह जमीन है उसमें से थोड़ी जमीन स्कूलों के बच्चों के लिये प्ले ग्राउण्ड के लिये अलाटमेन्ट करावें । इसके लिये आपको राजस्व विभाग के अधिकारियों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक बुला कर बात करें । तथा उनके लिये प्ले ग्राउण्ड के लिये भूमि के अलाटमेन्ट की व्यवस्था करावें ताकि वहां के बच्चे इन आर० एस० एस० वालों के चंगुल से बच सकें । नहीं तो यह आर० एस० एस० वाले पहले तो हमारे यहां के छोटे छोटे बच्चों को हिन्दू धर्म के नाम से, खेलने के नाम से अपनी ओर आकर्षित करते हैं फिर उन्हें अपनी ओर, देश विरोधी, साम्प्रदायिकता की ओर, आगे बढ़ाते हैं ।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज आप हर साल स्कूल खोलते जा रहे हैं । अब नये स्कूल जो आप खोलते हैं उनके लिये तो वहां के लोग ही नया भवन बना कर देते हैं सो तो कोई बात नहीं लेकिन पुरानी जो स्कूल्स की बिल्डिंग्स हैं उनकी हालत बहुत ही खस्ता होती जा रही हैं । वहां उनकी मरम्मत की कोई व्यवस्था नहीं है । इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इस ओर, उन स्कूल्स की स्थिति क्या है उसकी रिपोर्ट्स मंगावें । और फिर पी० डब्ल्यू० डी० से उनकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करावें अन्यथा आज स्थिति यह है कि पी० डब्ल्यू० डी० वाले उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं । इसलिये इस पर भी आप प्रकाश डालें । उनकी क्या हालत है उसकी आपको रिपोर्ट मांगनी चाहिये और उनकी मरम्मत करने की व्यवस्था करनी चाहिये । बस मेरे इन्हीं प्रश्नों का शिक्षा मन्त्री जी मुझे जवाब दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष : शिक्षा मंत्री जी ।

(व्यवधान:अश्रव्य)

आखिर समय की कोई सीमा होती है ।

एक माननीय सदस्य : हमारी भी मांगें हैं, उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये । माननीय सदस्य आप बिराजिये ।

(व्यवधान:अश्रव्य)

श्री खेत सिंह (शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि आज ......

(व्यवधान:अश्रव्य)

श्री चतुरभुज : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत संक्षिप्त में एक दो बातें निवेदन करना चाहता हूं .... ।

श्री उपाध्यक्ष : नो । आप अब बिराज जाइये ।

**श्री खेत सिंह** (शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि आज जो मांगें प्रस्तुत की गई हैं उसमें जिन जिन सदस्यों ने भाग लिया और अपने बहुमूल्य सुझाव सदन के सामने प्रस्तुत किये हैं। जहां तक शिक्षा विभाग का ताल्लुक है, मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही निवेदन करना चाहता हूं जब राजस्थान बना था तब से आज के दिन में बहुत बड़ा अन्तर आया है। उन दिनों राज्य सरकार बजट का सात प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करती थी जहां आज 23 प्रतिशत खर्च करती है। उन दिनों में कुल हमारी प्राथमिक शालाओं में 3 लाख 91 हजार बच्चे पढ़ते थे उसके मुकाबले आज 31 लाख बच्चे स्कूल जाते हैं और इसी प्रकार उच्च प्राथमिक शालाओं में 20 हजार बच्चे थे वे आज बढ़कर उसी अनुपात में 19 लाख बच्चे हो गये हैं। अध्यापकों की संख्या में भी बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। उस समय में अध्यापक 19 हजार थे जो बढ़कर करीब आज एक लाख अध्यापक हो गये हैं ये सब बातें मैं आपके सामने इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस बात के लिये कह रहे थे कि उनके कई स्थानों पर जितनी वृद्धि होनी चाहिये थी, जितने स्कूल खुलने चाहिये थे और जितने स्कूल क्रमोन्नत होने चाहिये थे वे नहीं हुये हैं। यह बात सही है कि दिन प्रति दिन ज्यों ज्यों शिक्षा का विस्तार होता गया, शिक्षा की मांग भी बढ़ती गई और उसके अनुपात में हरएक माननीय सदस्य चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा स्कूल खुलें और ज्यादा से ज्यादा शिक्षा का विस्तार हो। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आज पूरे भारत में इस अनुपात को देखें तो राजस्थान के अन्दर हमने चार प्राथमिक शालाओं पर एक मिडिल स्कूल खोल दिया है वहां पंजाब में 7 प्राथमिक शालाओं पर एक मिडिल स्कूल है, हरियाणा में 7 प्राथमिक शालाओं पर एक मिडिल स्कूल है, मध्य प्रदेश में 6 प्राथमिक शालाओं पर एक मिडिल स्कूल है और उत्तर प्रदेश में 7 प्राथमिक शालाओं पर एक मिडिल स्कूल है और हमारे यहां चार प्राथमिक शालाओं पर एक मिडिल स्कूल है। इस बात को तो आप मानेंगे कि यह राजस्थान जिस वक्त बना था, छोटे छोटे रजवाड़ों से बना था और उस वक्त कितना पिछड़ा हुआ था और आज हम भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर सके हैं।

पिछले वर्ष 167 स्कूलों को क्रमोन्नत किया गया था–माध्यमिक शालायें बनाई गई थीं और जन सहयोग से शालायें क्रमोन्नत की गई थीं और उससे हम आज एक माध्यमिक शाला 6 मिडिल स्कूलों पर कर चुके हैं। इस लक्ष्य को भी प्राप्त कर चुके हैं। जहां तक कालेजों का प्रश्न है हमारे यहां राजस्थान बना था उस समय कुल 19 कालेज थे जिनके स्थान पर आज राजस्थान में 107 कालेज हैं, 3 यूनीवर्सिटीज हैं और एक बिरला इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी का है। इस प्रकार शिक्षा के अन्दर बहुत वृद्धि हुई है। हमने हरएक जिले में यह प्रयत्न किया है कि एस० टी० सी० खोल दें। उसका मकसद यह है कि टीचर्स का सलेक्शन करके ट्रेन्ड किया जाय और उनको उसी जिले में लगा दिया जाय। इस प्रकार 33 एस० टी० सी० स्कूल में 5,500 टीचर्स की ट्रेनिंग की व्यवस्था है, इसी प्रकार बी० एड० में 2500 सीटों का प्रावधान है और उसी प्रकार हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है, ये बातें इसलिये बता रहा हूं कि हमने इन वर्षों में निश्चित रूप से प्रगति अवश्य की है और जहां इतनी विशाल प्रगति होती है और जहां इतना बड़ा डिपार्टमेन्ट होता है उसके

(श्री खेतसिंह)

अन्दर कमियां भी अवश्य रहती हैं। माननीय सदस्यों ने जो सुझाव रखे हैं उनका मैं एक एक का जवाब देने का प्रयास करूंगा। उसके पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं खास तौर से मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्री जी का मैं आभारी हूं कि उन्होंने हमें इस वर्ष एक करोड़ रुपया और दिया है। उसके लिये उन्होंने कहा है 5 लाख रुपया कालेजों में सब्जेक्ट्स खोलने के लिये दे रहे हैं। हमने सारे विभागों से जानकारी हासिल करके यह तय किया है कि 17 कालेजों में विभिन्न विषयों के नये केन्द्र खोलने हैं और इसी प्रकार सैकेण्डरी और हायर सैकेण्डरी के लिये जो 17 लाख का प्रावधान हुआ है उसमें 50 सब्जेक्ट्स सैकेण्डरी में और 100 हायर सैकेण्डरी में खोलेंगे।

आई० टी० आई० के लिये भी जैसा बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि बाड़मेर में यूथ सेन्टर इस वर्ष से खोला जा रहा है और बांसवाड़ा में आई० टी० आई० का केन्द्र खोला जा रहा है। जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के क्षेत्रों के विकास के बारे में 7 करोड़ का प्रावधान किया है जैसा कि वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में बताया है, इस वर्ष 91 लाख का प्रावधान रखा गया है। बागीदोरा से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया, उनको विस्तार में बाद में बता दूंगा कि किस प्रकार हम पैसे को खर्च करने वाले हैं और जो सुझाव उन्होंने रखे हैं, मैं समझता हूं काफी हद तक उनकी समस्याओं का समाधान हो जायगा।

पंचायत समितियों में 130 पद सृजित किये गये हैं और इस वर्ष जो पैसा दिया है उसमें 400 पद और सृजित कर रहे हैं-400 अध्यापक और लगायेंगे। इसी प्रकार 50 लाख रुपया प्रयोग शालाओं और भवनों की मरम्मत के लिये दिया गया है। अभी माननीय सदस्य, जो राजा खेड़ा से आते हैं, ने कहा था। मैं उनसे यही निवेदन करना चाहता हूं इसके लिये भी हम हरएक जिले से स्कूलों के नाम मंगायेंगे कि कौन कौन से ऐसे भवन हैं जिनकी हालत खस्ता हो रही है। उनको प्राथमिकता देते हुए मरम्मत की कार्यवाही करवायेंगे।

अब मैं आपसे जो शिक्षा की नीति के बारे में माननीय सदस्यों ने बातें कहीं, उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। जहां तक शिक्षा नीति का प्रश्न है, आपको भलिभांति मालूम है पिछले वर्ष एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था और भारत के अच्छे अच्छे शिक्षा शास्त्री जिसमें श्री श्रीमन्नारायण भी पधारे थे, डी० एस० कोठारी भी थे, उन सबकी राय ली है और उनकी राय के आधार पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है और उसके आधार पर हमने कई मुद्दों पर प्रकाश डाला है जिसमें अनिवार्य शिक्षा, औपचारिक शिक्षा पर भी कहा है, शारीरिक शिक्षा पर भी कहा है, व्यवसायिक शिक्षा पर भी कहा है और इसमें व्यवसायिक शिक्षा पर पूरा एक चेप्टर दिया है। उन बिन्दुओं पर विस्तार में न जाकर संक्षिप्त में निवेदन करना चाहता हूं। जहां तक औपचारिक शिक्षा का प्रश्न है, हमने अच्छी तरह देखा है आज राजस्थान में परिस्थिति है, 150 छात्र प्राथमिक कक्षाओं में एडमिशन लेते हैं वे पांचवीं तक जाते हैं और पांचवीं के बाद 47 रह जाते हैं और बाकी ड्राप हो

(श्री खेतसिंह)

जाते हैं और उसका कारण उनके माता-पिता की असमर्थता है, माता-पिता की गरीबी उसका एक कारण है या उनके कुछ ऐसे काम-काज की वजह से बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, हालांकि बच्चे पढ़ना चाहते हैं और माता-पिता भी पढ़ाना चाहते हैं लेकिन कहीं न कहीं रुकावट आ जाती है। हमने अब यह तरीका किया है और एक दूसरी पद्धति अपनाई है कि जिन कारणों से बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं उनको नान-फार्मल एजूकेशन के मार्फत शिक्षित करें और हम ऐसे बच्चों को शालाओं में बुलायेंगे जिस समय वे काम से फ्री हों और हम उनको बुला कर शिक्षा देंगे। उनके लिये यह भी प्रावधान रखा है कि एग्जामिनेशन पास करने के बाद रेगुलर स्टूडेन्ट की तरह शालाओं में दाखिल होना चाहते हैं तो उनको उसके लिये मौका दिया जावेगा और रेगुलर स्टूडेन्ट की तरह कक्षा में पास करके आवेंगे तो आगे भर्ती कर लिया जावेगा।

इसी प्रकार से बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य, जो यहां अभी नहीं हैं, ने कहा कि यौगिक शिक्षा अपनायी जानी चाहिये और बच्चों को यह शिक्षा देनी चाहिये। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शारीरिक शिक्षा में जितने पी० टी० आईज० हैं उनको हम ग्रीष्मावकाश में ट्रेनिंग देंगे यौगिक शिक्षा की जिससे वे अपने स्कूलों में बच्चों को शारीरिक शिक्षा के साथ साथ यौगिक शिक्षा भी दे सकें जिससे बच्चों का मानस सुदृढ़ बने।

वोकेशनल शिक्षा और 10+2+3 की जो शिक्षण पद्धति निर्धारित की गयी है उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन प्रिन्सिपल हमने इस बात को मान लिया है और भारत के सारे राज्यों ने इस को माना है कि शिक्षा में कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा और उस परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए हमने इसको माना है। आपने देखा होगा कि डिस्ट्रिक्ट एजूकेशन आफिसर्स की एक मीटिंग दिल्ली में हुई थी जिसको भारत की प्रधान मंत्री ने एड्रेस किया था। उन्होंने अपने भाषण में एक बात कही थी कि :

"This is a much controversial point, when implemented, should be done with caution. However, educational reform should be introduced."

यह पेपर्स में जो उनके वर्ड्स हैं उसका कटिंग मैं आपके सामने रख रहा हूं। कहने का मतलब यह है कि भारत की प्रधान मंत्री भी यह स्वयं सोचती हैं कि यह कन्ट्रोवर्शियल प्रश्न है कि 10+2+3 को सारे भारत में एक साथ लागू कर दें। पहले, जैसा आपने देखा होगा, मल्टी-पर्पज स्कूल कायम करने के लिये राजस्थान ने पहल की और खोले। वह स्कीम जितनी आगे जाकर कामयाब होनी चाहिये वह नहीं हुई और इस कारण क्रिटिसिज्म रहा। इसलिये अब हम ऐसा एक्सपेरिमेन्ट नहीं करना चाहते हमारे विद्यार्थियों, बच्चों के साथ जो आगे जाकर भविष्य में उनके लिये लाभदायक सिद्ध नहीं हो। यह बात सही है कि हजारों की तादाद में सैकेण्डरी और हायर सैकेण्डरी पास होने के बाद और कोई जोब उनको नहीं मिलता है तो वे कालेज और

(श्री खेतसिंह)

यूनीवर्सिटीज में जाकर दाखिल होते हैं— और यदि थर्ड डिविजनर्स हैं तो एम० ए० पास करने के बाद भी उनको जोब नहीं मिलता है तो उनके दिमाग में टेंशन रहता है और जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि चप्पलें घिस कर माननीय सदस्यों के पीछे घूमते रहते हैं और उदर पूर्ति न कर सकने के कारण उनके दिमाग में फ्रस्ट्रेशन निश्चित रूप से हो जाता है। एम० ए० पास करने के बाद आकांक्षायें और आवश्यकतायें बढ़ जाती हैं और उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है और इस कारण फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है। यह भी इसके साथ सोचना होगा कि हर एक शिक्षित व्यक्ति को हर एक जगह नौकरी मिले इस बात को लेकर चलेंगे तो कामयाब हो नहीं सकेंगे। आज विश्व में भी यही स्थिति है कि हरएक शिक्षित आदमी को हरएक जगह नौकरी मिल जाय यह संभव नहीं है। जिनके घरों में काश्त का धंधा है, जिनके घरों में ट्रेक्टर हैं, उनसे काश्त करते हैं उनके बच्चों को वापिस काश्त में जाना चाहिये और काश्त के लिये जो नये वैज्ञानिक मेथड्स हैं उनको अपनाना चाहिये। और उनको खेती में भाग लेना चाहिये। जिनके घरों में व्यापार है उनको उस तरह से व्यापार करना चाहिये। और उसी प्रकार से जो वोकेशन वह सीखता है उसको ऐसे वोकेशन में पड़ना चाहिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम भी बड़े परेशान हैं कि हजारों की तादाद में यूनीवर्सिटीज में पढ़ जाते हैं, इससे प्रेशर उन पर बढ़ता है, युटिलाइजेशन होना चाहिये वह होता नहीं है। छः वर्ष तक यूनीवर्सिटी में पढ़ता है, मां-बाप पर बोझा रहता है, मां-बाप पर खर्च का भार पड़ता है, उसके बाद भी उसको जब कोई व्यवसाय नहीं मिलता है तो वह घर के लिये परेशानी का कारण बन जाता है, समाज के लिये परेशानी का कारण बन जाता है और राज्य सरकार के लिये भी परेशानी का कारण बन जाता है। इसलिये यह सोचा गया कि हम भी व्यवसायिकरण क्यों न करें? उस दृष्टि से पिछले वर्ष इसका कुछ एक्सपेरीमेन्ट भी किया कि कुछ इन्सटीट्यूशन्स में जोब ओरियेन्टेड कोर्सेज खोले।

आज राज्य में विद्युतिकरण हो रहा है। जगह जगह सिंचाई के साधन बढ़ रहे हैं और कुओं पर काश्तकार कर्ज लाकर भी मशीन लगाता है। काश्तकार की मोटर खराब हो जाती है तो उसको गांव से दूर कस्बे में जाकर रिपेयर करानी पड़ती है। इसलिये क्यों न ऐसा कोर्स खोलें जिससे मोटर इन्जिन का कार्य इलेक्ट्रिक मोटर वाइन्डिंग सिखा कर इतना पारंगत कर दें कि गांवों में जाकर वे लोग उनको ठीक करके काश्तकारों को लाभ पहुंचा सकें। पिछले वर्ष प्रयास किया। कुछ सफल रहे। कुछ असफलता रही। असफलता का कारण यह था कि इसमें कुछ शहरी लोग ले लिये गये। वे इतना इसमें सफल नहीं हुए। इसलिये यह निश्चित किया है कि उन्हीं लड़कों को इसमें एडमिशन दें जो उन इलाकों में रहने वाले हैं। वे वहां वापिस जाकर कामयाबी से अपना काम कर सकते हैं। इसी प्रकार से स्टेनोग्राफी और टाईपिंग का कोर्स भी शुरू किया है। दफ्तरों में आप देखते हैं कि काफी इसकी आवश्यकता रहती है और इसमें पास होने वाले लड़कों को निश्चित रूप से जोब मिल जावेगा।

(श्री खेतसिंह)

ड्रेस डिजाइनिंग एन्ड टेलरिंग का भी काम शुरू किया है। बीकानेर के स्कूल को चलाया है। आज हमने यह देखा है कि एक अनपढ़ व्यक्ति इन काम धंधों से काफी कमा लेता है जितना कि, एक पीएच०डी० नहीं कमा पाता। यदि हमारे विद्यार्थियों को, बच्चों को ऐसे कामों में लगायेंगे उनको ऐसे काम सिखायेंगे तो वे निश्चित रूप से अपना भरण पोषण कर सकेंगे और समाज के लिये भी अच्छे नागरिक साबित होंगे। इसके लिये 10+2+3 की नीति को अपनाना चाहते हैं। दस वर्ष तक बच्चों को शिक्षा दी जावेगी और उसमें साइन्स कम्पलसरी होगी और जो लोग जोब में जाना चाहेंगे उनके लिये अलग अलग स्कूलों में अलग अलग कोर्सेज हैं। वोकेशनल कोर्सेज में दो साल के लिये उनको ट्रेनिंग दी जावेगी और उनको ऐसा बना देंगे कि वे अपना वोकेशन पकड़ कर, उसके जरिये अपना धन्धा पकड़ कर भरण पोषण कर सकें और समाज के लिये उपयोगी साबित हो सकें। समाज की सेवा कर सकें। इसके लिये न तो हमने पूरा स्लेबस तैयार किया था और नहीं पूरी किताबें छपवाई थीं। आर्थिक प्रावधान भी करना था और यह भी देखना चाहते थे कि जिन राज्यों ने ये कोर्सेज प्रारंभ किये हैं उनको कितनी कामयाबी हुई है जिससे हमें भी थोड़े दिनों के बाद वापिस पीछे न हटना पड़े। इसलिये उन सब बातों को देखते हुए एक साल के लिये मुल्तवी किया है। उसके बाद इसको लेने का प्रयास करेंगे।

माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं और आपत्तियां उठायी हैं उन सब का जवाब मैं बाद में दूंगा पहले मैं एक पोलिसी के संबंध में निवेदन कर दूं।

जहां तक 20 सूत्री कार्यक्रम को राजस्थान में लागू करने का प्रश्न है राजस्थान पीछे नहीं रहा है। राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने बुक बैंक्स की स्थापना के सिलसिले में कहा कि राजकीय सहायता कितनी दी है। आप यह मत समझिये कि हरएक स्कीम राजकीय सहायता से चालू होती है। यह कोई जरूरी नहीं है। राजकीय सहायता उतनी उपयुक्त नहीं होती है जितनी कि वालेन्टीयरी सहायता उपयुक्त होती है। हमने राजस्थान की यूनीवर्सिटीज में 25 बुक बैंक्स स्थापित कर दिये हैं। कालेजेज में 92 और स्कूल्स में भी बुक बैंक्स स्थापित किये हैं। इसी प्रकार हमने 5,438 बुक बैंक्स स्थापित किये हैं।

जहां तक होस्टल्स के अन्दर रहने वाले बच्चों को राशन वगैरह और जो उनकी जरूरी चीजें हैं उनके मुहैय्या कराने का प्रश्न है उसके बारे में भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर 1,204, होस्टल्स के अन्दर 52,790 बच्चों को हम यह चीजें मुहैय्या करा रहे हैं। उसमें शक्कर खास चीज है। गेंहू तो आज बाजार में सस्ता हो गया है और कन्ट्रोल रेट से कोई लेता नहीं है लेकिन कोक है, घासलेट है इन चीजों के लिए भी हमने प्रयास किये हैं। जहां तक किताब और कापियों का प्रश्न है मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पहली से लेकर आठवीं तक की जितनी बुक्स हैं वह पाठ्य पुस्तक मंडल के द्वारा राष्ट्रीयकृत हैं और वह उन्हीं के द्वारा छपाई जाती हैं और उन्हीं की डिपोज के द्वारा वितरित भी की जाती हैं आपने प्रगति विवरण पढ़ने का कष्ट किया हो, झुंझुनूं से आई हुई माननीय सदस्या हैं उन्होंने इसको पढ़ा नहीं होगा बाकी उसमें हमने साफ लिखा है कि 18 पर्सेन्ट कम कीमत पर हमने बच्चों को बुक्स अवेलेबल कराईं....

**श्रीमती सुमित्रासिंह** : लिखा हुआ तो है लेकिन वहां पर उपलब्ध किसी को नहीं हुई क्योंकि मेरे भी बच्चे पढ़ते हैं।

**श्री खेतसिंह** : आपके बच्चे मुझे मालूम है कि ऊंची कक्षा में पढ़ते हैं, छोटी कक्षाओं में नहीं। यह किसी और से आप कह सकती हैं, मुझे नहीं।

मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक नवीं, दसवीं और ग्यारहवीं क्लास का प्रश्न है और खास तौर से किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य ने इस प्रश्न को रखा था मैं उनके सेटिस्फेक्शन के लिए और उनकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि हमने यह निर्णय ले लिया है कि हम नवीं, दसवीं, और ग्यारहवीं क्लास की किताबों का भी राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं।

अब मैं माननीय सदस्यों ने जो जो यहां पर अपने विचार व्यक्त किये हैं संक्षिप्त में उनके बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य स्वयं ही गैरहाजिर हैं उन्होंने इस बात को कहा था......

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : आप चिन्ता मत कीजिए। उनको हाजिर ही समझिये।

**श्री खेतसिंह** : हां, आप बैठे हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के अन्दर आम तौर पर बाहर के व्यक्तियों को भर्ती किया जाता है और मेरे पास में भी कई माननीय सदस्यों ने और कई लोगों ने इस बात को रखा था कि क्योंकि एक्सपर्ट्स भी बाहर से आते हैं, क्योंकि यूनीवर्सिटी के प्रोफेसर भी आम तौर पर बाहर के हैं और जब सलेक्शन होता है तो वह बाहर के लोगों का ही सलेक्शन करते हैं और इस प्रकार से राजस्थान के टेलेन्टेड लोग महरूम रह जाते हैं। मैंने इस बारे में विश्वविद्यालय से जानकारी हासिल की और मुझे राजस्थान विश्वविद्यालय से जानकारी मिली है वह मैं आपके सामने निवेदन कर रहा हूं। यदि यह जानकारी गलत हो तो आप मुझे वापिस अभी तो नहीं लेकिन इस बारे में मैं बिल ला रहा हूं और जिस रोज इस पर वादविवाद हो और आपके पास जो फैक्ट्स हों वह बता सकते हैं ताकि हम उस पर कार्यवाही करें। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 179 टेम्प्रेरी लेक्चरार्स का अपाइन्टमेंट किया गया जिसमें से 161 और परमानेन्ट रेजिडेन्ट्स आफ राजस्थान..

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : उनके सर्टीफिकेट के आधार पर ?

**श्रीमति सुमित्रासिंह** : पिछले दो साल के अपाइन्टमेंट्स के लिए बता दीजिए आप तो।

**श्री खेतसिंह** : पिछले दो साल के फिगर्स तो नहीं हैं लेकिन मैंने टोटल बता दिया कि 179 लेक्चरार्स को अपाइन्ट किया जो कि अभी टेम्प्रेरी हैं और टेम्प्रेरी इसलिए हैं कि यह आर्डीनेन्स आया और हमने जो बिल पेश किया और जो एक्ट बनाया था उसमें यह प्रावधान था कि एक यूनीवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन का रिप्रेजेन्टेटिव आयेगा और क्योंकि इसके लिए यूनीवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन ने रिफ्यूज कर दिया इसलिए सलेक्शन नहीं हो सका और वह इस कारण टेम्प्रेरी ही चलते रहे और आज वह चार पांच साल के टेम्प्रेरी लेक्चरार्स चल रहे हैं। और इस आर्डीनेन्स को मैं बिल के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। फिर उसके तहत उनका सलेक्शन होगा लेकिन टेम्प्रेरी 179 हैं और उसमें से 161 राजस्थान के निवासी

(श्री खेतसिंह)

हूं लेकिन जैसा कि सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि उनके सर्टीफिकेट्स के आधार पर कह रहा हूं या निश्चित तौर पर वह राजस्थान के निवासी हैं तो मैं इस बात की भी जांच करने का प्रयत्न करूंगा कि निश्चित तौर पर राजस्थानी हैं या नहीं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी यह भावना है कि राजस्थान के जहां तक टेलेन्टेड व्यक्ति मिलें बाहर से नहीं लेना चाहिए। आम तौर पर दूसरी यूनीवर्सिटीज में इसी प्रकार की प्रक्रिया है कि अगर उनको उसी यूनीवर्सिटी का व्यक्ति मिलता है तो उसी को लेते हैं और अगर उसी का नहीं मिलता है तो फिर बाद में बाहर का लेते हैं। लेकिन बाहर के लोगों को कम चान्स देते हैं। हमको भी यह प्रवृत्ति डालनी पड़ेगी और हमारे यहां ज्यादा शिक्षा नहीं होने से बाहर से लोग अपनी यूनीवर्सिटी में बहुत तादाद में आ गये और अब यह प्रयत्न होना चाहिए कि अपने ही यहां पीएच० डी० और एम० ए० पास लोग उपलब्ध हैं तो हमारा उत्तरदायित्व है कि हमारे लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए।

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : यह प्राइमरी और सैकेण्डरी में भी लागू कर दिया जाये।

**श्री खेतसिंह** : उसमें तो है ही।

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : यू०पी० के लोग भरतपुर और अलवर जिले में गलत पते लिखाकर और झूठा सर्टीफिकेट देकर आ जाते हैं।

**श्री खेतसिंह** : यह मेरी नालेज में है। मैं तो बोल ही रहा था। आप आतुर होकर यह बात कह रहे हैं। मैं स्वयं कह रहा हूं कि यह गलती धौलपुर और राजाखेड़ा के लोगों की है और वहां के विधायकों की है कि आप यू०पी० के लोगों को अपने यहां का निवासी बताकर उनको अपने यहां पर नौकरी दिलाते हैं।

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, हम सलेक्शन कमेटी में नहीं बैठते। आपने कैसे धौलपुर और राजाखेड़ा के मेम्बर्स के लिए कह दिया, We are not members of the Selection Committee. It is not our responsibility.

इसमें आपके इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स बैठते हैं आप उनको इसके लिए बाउण्ड कीजिए।

**श्री खेतसिंह** : मैं इस बात को मानता हूं कि आप उसमें तशरीफ नहीं रखते। उसमें प्रमुख ही बैठता है और इत्तिफाक से आप प्रमुख नहीं हैं। आप अगली बार प्रयत्न कीजिए इसके लिए लेकिन हरएक टीचर के लिए आवश्यक है कि वह राजस्थान का निवासी हो। उसका सर्टीफिकेट आम तौर पर वहां के म्युनिसिपेलिटी के प्रेसीडेन्ट या एम०एल०ए० से लिया जाता है और लोग लेते हैं। मैं यह नहीं कहता कि आपने दिया है और आपसे तो यह उम्मीद कर भी नहीं सकते क्योंकि आप तो बहुत ही सीजन्ड और पुराने एम० एल० ए० हैं और मिनिस्टर रहे हुए हैं लेकिन ऐसा हुआ करता है। इसी की वजह से यू०पी० और हरियाणा से कई टीचर्स राजस्थानी बनकर आ जाते हैं और फिर वह नौकरी पर भी आजाते हैं और यह बात सही है और इन जिलों में ही यह बात ज्यादा है लेकिन मैं समझता हूं कि आगे आने वाले वर्षों में इस समस्या का समाधान हो जायेगा। अब उन डिस्ट्रिक्ट्स के अन्दर स्वयं ही इतने ट्रेण्ड टीचर्स निकलने शुरू हो

(श्री खेतसिंह)
गये हैं कि अब वहां यह दिक्कत नहीं रहेगी। अब तो यह सोच रहे हैं कि हमको एस०टी० सी० और बी०एड० कालेजेज कम करने पड़ेंगे क्योंकि अब हमको ज्यादा टीचर्स की आवश्यकता नहीं रहेगी । आपने यह भी कहा कि कई टीचर्स बेकार घूमते रहते हैं। आम तौर पर वह टीचर्स इन जिलों के हैं कि जहां पहले से ही बहुत ज्यादा शिक्षा का प्रसार रहा है और वहां वेकेन्सीज कम हैं। जैसे जयपुर है, भरतपुर है, अलवर है, अजमेर है। इन जिलों के टीचर्स यह चाहते हैं कि ट्रेनिंग लेने के बाद उनको जाब भी वहीं मिले और वह खैरवाड़ा में नहीं जाना चाहते हैं, वह थूमट के एरिया में नहीं जाना चाहते हैं, वह चौहटन में नहीं जाना चाहते हैं, वह शिव के एरिया में नहीं जाना चाहते हैं इसलिए वह ट्रेनिंग लेने के बाद भी इधर उधर घूमते रहते हैं। उनको ट्रेनिंग देने के बावजूद भी वह आदिवासी इलाकों में जाने के बाद ड्यूटी ज्वाइन करके भाग जाते हैं और हमको परेशानी बनी रहती है। बाद में वह इस तरह की शिकायतें करते हैं कि हम ट्रेण्ड हैं, हमको नौकरी नहीं मिलती। इसके लिए अब हमने यह तय कर दिया है कि हम एक एक आप्शन देंगे और उस आप्शन के बाद यदि वह जहां हमने नौकरी दी है वहां पर नहीं जाते हैं तो उनका लियन हमारे डिपार्टमेंट से हम खत्म कर देंगे और इस तरह से इस समस्या को हम हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहते हैं। जो ट्रेंड टीचर्स होंगे उनको जोब मिलता है, जहां मिलता है, वहां जाने को तैयार होंगे वहां भेज देंगे।

माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि थर्ड ग्रेड टीचर्स जो हैं वे लो पेड एम्पलाई हैं और आप उनको स्वयं के जिले में आने से रोकते हैं। इसके पीछे भावना यही थी कि हमारी कई ऐसी डेफिसिट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके अन्दर इन टीचर्स की उस वक्त में जरूरत थी और इसलिए उन टीचर्स को वहां पर ले जाकर एम्पलायमेंट दिया और पढ़ाई जारी कराई। आज वे वहां पर वर्षों से जमे हुए हैं और ठीक तौर पर पढ़ाई करा रहे हैं। इसमें उनको कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम पूरे दरवाजे खोल दें तो हरएक टीचर यह चाहेगा, आम तौर पर बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, जैसलमेर, सिरोही, आपके उदयपुर, इन जिलों के अन्दर जो इस तरह से टीचर लगे हुए हैं वे सारे के सारे यह चाहेंगे कि मैं भरतपुर में आ जाऊं। हम अलवर चले जायें, झुंझुनूं चले जायें, जिन जिलों में पहले से कोई कमी नहीं है। इसलिए हम यह सोच रहे हैं कि अगर जनरल इस तरह की नीति बना देंगे तो टीचर्स के लिए भी नुकसान की चीज होगी और इन स्कूलों के लिए और जिलों के लिए भी नुकसान की चीज होगी। वह इसी भागदौड़ में लगे रहेंगे और पढ़ाई नहीं करायेंगे। लिहाजा यह तय किया है कि जो बहुत ही पुराने हैं, जिनके हार्ड केसेज हैं उनके लिए टेन पर्सेन्ट इस तरह से ट्रांसफर का प्रोविजन किया है। जो टीचर बहुत पुराने हैं और जिनके बहुत हार्ड केसेज हैं उनमें टेन पर्सेन्ट अपने जिलों में आ सकेंगे।

जहां तक....

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : गोकुल प्रसादजी का क्या होगा ?

**श्री खेतसिंह** : गोकुलप्रसादजी का भी जवाब दूंगा।

जहां तक मिडिल स्कूलों का प्रश्न है जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया था कि

(श्री खेतसिंह)

200 मिडिल स्कूल हम खोल रहे हैं। बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि पहले जिस प्रकार से सारे स्कूल दे दिये थे जिला लेवल कमेटीज को उसी प्रकार से ये दिये सौ स्कूल भी जिला लेवल कमेटीज को दे दिये जावें। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उस वक्त ढाई हजार स्कूल थे और काफी मात्रा में एक एक जिले को स्कूल दिये। लेकिन अब दो सौ स्कूल हैं जिनको हमें देखने के बाद देना पड़ेगा कि कौन सी सेचुरेशन पोइन्ट पर पहुंच गये हैं, कौन से जिलों में जरूरत है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और दो सौ स्कूलों के बारे में खास तौर से यह भी कहा गया कि शिक्षा मंत्री पर बड़ा वजन रहता है, परेशान रहते हैं, लेकिन यह तो जोब ही ऐसा है जिसमें परेशानी तो रहेगी और इस परेशानी को सहने की क्षमता है। लिहाजा मैं यह समझता हूं कि यह दो सौ स्कूल यहां पर ही खोले जायं और उसमें मैं यह चाहूंगा कि माननीय सदस्य अपने सुझाव दें ताकि सही स्थानों पर स्कूल खुल सकें और जनता को सही रूप में उनसे राहत मिल सके।

जहां तक सैकेन्डरी और हायर सैकेन्डरी स्कूलों की बात आपने कही, मैंने जैसा कि निवेदन किया इस साल हमारी नीति नहीं है। हम किसी भी प्रकार से कोई भी न तो सैकेन्डरी स्कूल खोल रहे हैं और न हायर सैकेन्डरी स्कूल खोल रहे हैं।

जहां तक गर्ल्स का सवाल है, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने यहां घोषणा की थी उस प्रकार से दस ऐसे जिले हैं जहां पर हायर सैकेन्डरी स्कूल्स गर्ल्स के नहीं हैं। वहां पर इस साल जो सैकेन्डरी हैं उनको हायर सैकेन्डरी में कन्वर्ट कर दिया जावेगा। ऐसी दस डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें बाड़मेर, झुंझुनूं ये सभी आते हैं।

अब दूसरा सवाल जैसा कि खंडली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, उनको बड़ी परेशानी है कि वह किस प्रकार से अपने चुनाव क्षेत्र में जावें और लोगों को क्या कहें। अगर हमारे पास में इस साल ऐसा प्रोविजन होता तो निश्चित रूप से मैं उनको मायूस नहीं करता। अब यह प्रोविजन नहीं है और वे महसूस करते हैं कठिनाई और जनता के बीच में जाने में हिचकिचाते हैं तो मैं कहूंगा कि वे ग्राम सभा कर लें और मुझे बुला लें। मैं पोजीशन क्लियर कर दूंगा और उनकी समस्या का समाधान हो जायगा।

जहां तक माइनोरिटीज के बारे में अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा जैसा कि आप जानते हैं और मैं इस बारे में निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि राजस्थान पहली स्टेट है जहां पर हमने आपके लिए एस० टी० सी० खोला और उसके अन्दर हमने एस० टी० सी० की ट्रेनिंग, उर्दू में गुजराती, सिंधी और पंजाबी में, इन चार भाषाओं में, जिनको आपने यहां राज्य में मान्यता दे रखी है, देने के लिए जो टीचर्स हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग देने के बाद में आपके स्कूलों में भेजते हैं। जहां कहीं भी दस लड़के जिस भाषा को पढ़ने के लिए तैयार हों, चाहे सिंधी हों, चाहे उर्दू हो, चाहे पंजाबी हो और चाहे गुजराती हो, वहां पर एक टीचर भेज देते हैं और इस प्रकार से हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इन लैंग्वेजेज को प्रोत्साहन दिया जाये और उस दृष्टि से आपने देखा कि हमने उर्दू में एकेडेमी की स्थापना की है और इससे निश्चित

(श्री खेतसिंह)

तौर पर उर्दू भाषी व्यक्तियों को यह प्रोत्साहन रहेगा और हम यह चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उर्दू का प्रसार और प्रचार हो और हमारे लोग उर्दू सीखें।

जहां तक राजस्थानी के बारे में आपने बात कही, उसमें भी मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि हमने यूनीवर्सिटी आफ जोधपुर और यूनीवर्सिटी आफ राजस्थान दोनों को निवेदन किया था। जोधपुर यूनीवर्सिटी ने राजस्थानी का सब्जेक्ट खोल दिया है और मैं आपको यह भी बतादूं कि हमने एक से लेकर आठवीं तक के बच्चों को राजस्थानी भाषा को पढ़ाने के लिए थर्ड लेंग्वेज के तौर पर किताबें छपवाने का कार्य शुरू कर दिया है और राजस्थानी भाषा पढ़ाना चाहते हैं जो लेना चाहते हैं, उनके लिए हैं, जो नहीं लेना चाहे उनके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी मान्यता यह है कि राजस्थानी हिन्दी की ही एक उप-भाषा है और जिस तरह से डिंगल और पिंगल दोनों मिला कर हिन्दी हुई है। यह डिंगल है और पिंगल भाषा राजस्थानी का अंग है। राजस्थानी में कई छोटी 2 भाषायें आती हैं, जैसे ढूंढारी है, मेवाड़ी है, मेवाती है, मारवाड़ी है, हाड़ौती है, इस प्रकार से मैं समझता हूं कि अपने को इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिये। आखिर हिन्दी का ही अंग राजस्थानी है और राजस्थानी और हिन्दी में खास अन्तर नहीं है। मैं फिर भी यह चाहता हूं कि जिनको इस भाषा के प्रति लगाव और प्रेम है उनको पढ़ने के लिए सुविधा देने को तैयार हूं।

जहां तक आपने ट्रांसफर की नीति की बात कही, उसके बारे में आपसे निवेदन करना चाहता हूं। इसके बारे में आपने कहा, माननीय सदस्य जो नसीराबाद से आते हैं, उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्रीजी तो ना देना जानते ही नहीं।

शिक्षा मंत्री तो ना देना जानता है लेकिन आप जबरदस्ती मनवा भी लेते हैं। खैर, इस बात को छोड़िए। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसके बारे में भी हमने हमारी आफिशियल मीटिंग के अन्दर बड़े विस्तार से डिस्कशन किया है और हमने निर्णय लिया है। अब से पहले जो पालिसी थी उसके अन्दर भारी चेंजेज कर दिए हैं। अध्यापक को हर मामले में पहले बीकानेर तक, निर्देशक तक देखना पड़ता था और किसी भी अध्यापक को ट्रांसफर की आवश्यकता होती तो वहां तक चक्कर काटना पड़ता था। अब हमने इनकी पावर्स को काफी हद तक डीसेंट्रलाइज कर दिया है और आज हमने हमारे इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स को यह पावर दे दी है। वे अपने स्कूलों के थर्ड ग्रेड और सैकिण्ड ग्रेड टीचर्स का ट्रांसफर और मिडिल स्कूलों के हैड मास्टर्स का ट्रांसफर कर देंगे। उनको यह अधिकार दे दिया है। जो रेंज लेवल पर आते हैं, यानि जो डिप्टी डायरेक्टर्स आफ एजूकेशन हैं उनको हमने सीनियर टीचर्स को ट्रांसफर और सैकेण्डरी के हैड मास्टरों के और हायर सैकेन्डरी के हैड मास्टरों की ट्रांसफर के अधिकार दे दिए हैं। इस प्रकार से काफी बड़ी हमने राहत दे दी है। हमने यह भी तय किया है कि प्रिंसिपल्स के जो ट्रांसफर पहले सेक्रेटेरियेट से होते थे, हमने तय किया है, हमको यह मालूम नहीं होता था कि कौन सा प्रिंसिपल कौन से स्कूल को ठीक तरह से चला सकता है। जिन स्कूलों में बारह सौ, पन्द्रह सौ विद्यार्थी पढ़ते हों, उनको वह ठीक से कन्ट्रोल कर सकेंगे या नहीं, क्या उनकी कैपेसिटी है, कैसे वह एडमि-

(श्री खेतसिंह)
निस्ट्रेशन चला सकते हैं, उनको निदेशक खुद ही जान सकते हैं। इसलिए यह जो ट्रांसफर्स सेक्रेटरियेट से किया करते थे, वह अधिकार अब डायरेक्टर आफ एजूकेशन को दे दिए हैं। इस प्रकार हमने काफी हद तक डी-सेंट्रलाइज कर दिया है जिससे निश्चित रुप से आने वाले वर्षों में यह समस्या कम होगी।

इसके अलावा माननीय सदस्य ने सुझाव दिया था तारीख का कि आप कोई तारीख तय कर दीजिए। हमने तारीख तय कर रखी है लेकिन उस तारीख का पालन नहीं हो सकता और उसमें मेरी मजबूरी होती है। यह आखिर में प्रजातांत्रिक ढांचा है, इसमें कई प्रेशर आ जाते हैं। आप पर आते हैं, हम पर आते हैं और इनको, आपको और हमको बरदाश्त करना पड़ता है। इसके अन्दर डैड-लाइन फिक्स करने की बात है वह हो नहीं सकेगी और मैं इसके पक्ष में भी नहीं हूं....

जहां तक एजूकेशनल ......

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : इनके पास तो केवल हां है ?

**श्री खेतसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात भी यहां पर कही गयी है कि एजूकेशनल इन्सटीट्यूशन्स में आर० एस० एस० और आनन्द मार्ग के व्यक्ति बहुत हैं। मैं इस बात से ना नहीं कहता हूं। मैं कहता हूं कि हैं और इसके लिए मैंने पहले भी कहा है। अभी बीकानेर के अन्दर हमारे आफिसर्स की एक मीटिंग हुई थी अपने लेविल पर और डिस्ट्रिक्ट एजूकेशन आफिसर के अधीन एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया था और यह कहा गया था कि यह कमेटी जांच करे। परन्तु कई माननीय सदस्यों ने यह कहा कि यह कमेटी तो डिपार्टमेन्टल लेविल पर काम करेगी, वह सही व्यक्ति को चुन सकती है और नहीं भी चुन सकती है। कोई दोषी है तो भी छोड़ सकती है और जो दोषी नहीं है और अधिकारियों की नाराजगी है तो उसको भी दंडित कर देगी। इसलिए माननीय सदस्यों ने यह सन्देह व्यक्त किया था कि यह इन्क्वायरी सही नहीं होगी। मैंने इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री महोदय से बात की और जो हमारा बीस सूत्री प्रोग्राम है और इसकी जो मीटिंग अभी सेक्रेटेरियेट में हुई थी, उसमें यह निर्णय लिया है कि जो इम्पली-मेन्टशन कमेटी जिला लेवल कमेटी के रुप में बनी हुई है और उसके सभी माननीय सदस्य आम तौर पर सदस्य हैं, इस इम्पलीमेन्टेशन कमेटी की एक सब-कमेटी बना दी जाय, यह सब कमेटी नान आफिशियल होगी और यह सब कमेटी टीचर्स की ही नहीं बल्कि उस जिले के अन्दर जितने भी गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स हैं, उन सब की स्क्रीनिंग करेंगी और जो कर्मचारी, अधिकारी आर० एस० एस०, आनन्द मार्ग या साम्प्रदायिक संस्थाओं का काम करते हैं, उनकी जांच करने के बाद वह रिपोर्ट देगी और उस रिपोर्ट पर एक्शन लिया जायगा।

जहां तक अनुदान प्राप्त संस्थाओं के बारे में कहा गया है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सही है कि हमने पिछले वर्ष में अध्ययन किया है कि जितनी भी हमारी स्वयं सेवी संस्थाएं हैं उनका हमने री-केटे-गेराइजेशन किया। हमारा मकसद, लक्ष्य यह था कि हम यह देखें कि आज से 12 वर्ष पहले इन संस्थाओं का केटेगराइजेशन हुआ था, उनको अनुदान उसी तरीके से दिया जा रहा था। इन पिछले वर्षों में कई संस्थाओ ने तरक्की की है, तो कई संस्थाओं का स्टेण्डर्ड

(श्री खेतसिंह)

गिरा है। कई संस्थाओं का रिजल्ट गिरा है। कई संस्थाओं में लड़कों की तादाद गिरी है और कई संस्थाओं में बढ़ी है। आम तौर पर स्वयं सेवी संस्थाएं एक व्यक्ति पर चलती हैं। कहीं ये हैड मास्टर पर चलती हैं, कहीं व्यवस्थापक के कारण चलती हैं और जैसे ही ये वृद्ध हो जाते हैं, या उनमें से किसी का स्वर्गवास हो जाता है तो वह संस्था गिरनी शुरू हो जाती है और उसकी मैनेजिंग कमेटी में भी झगड़े शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे संस्था का डाउनफाल शुरू हो जाता है। इसलिए इन सारी संस्थाओं कारीकेटेगेराइजेशन कराया है। तो यह देखा कि कई संस्थाओं का रिजल्ट गिरा हुआ है उनके यहां पर छात्रों की संख्या 250 है और ऐड दे रहे हैं 80 पर्सेन्ट। ऐसी भी संस्थाएं हैं जहां पर कि लड़कों की संख्या 1200 है, रिजल्ट अच्छा है, मेनेजिंग कमेटी भी काम ठीक कर रही है और ऐड दे रहे हैं 50 पर्सेन्ट तो हमने यह देखा और निर्णय भी किया है एक फार्म तैयार किया और जो कमेटी बनाई उसने उसे सारे जिलों में भेजा, जांच की गई और जांच कर निर्णय किया गया और यह पाया गया कि सौ से ऊपर ऐसी संस्थाएं हैं जिनके लिए कमेटी ने रिपोर्ट दी है कि बोगस संस्थाएं हैं। यह केवल ऐड लेती है न तो इनके पास स्कूल भवन है और न खेल का मैदान है। रिजल्ट भी अच्छा नहीं है और न इनके पास ट्रेन्ड टीचर हैं। ये जो अनुदान लेती हैं उनसे केवल अपना भरण पोषण करती हैं, अपने परिवार को पालती हैं इसलिए यह निर्णय किया गया कि इन संस्थाओं की ऐड बन्द कर दी जाये।

इसी प्रकार कहीं पर यह भी देखा गया कि कई संस्थाएं जो 20 पर्सेन्ट ऐड ले रही है वे 70 पर्सेन्ट अनुदान पाने की हकदार है। कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनको 60 पर्सेन्ट ही दिया जाना चाहिये। ऐसी तीन केटेगरी की संस्थाएं हैं। कुछ ऐसी भी संस्थाएं हैं जिनको ऐड, ग्रान्ट कुछ भी नहीं दिया जाता है। कुछ ऐसी भी संस्थाएं हैं जिनको 90 पर्सेन्ट ऐड दी जा रही है और इन संस्थाओं का रिजल्ट भी अच्छा है और उनकी परफोर्मेन्स भी अच्छी है। इन संस्थाओं के बारे में निर्णय लिया गया है। मैंने इस बात को मुख्य मंत्रीजी के सामने रखा था। यह सोचें उससे पहले मैंने यह भी बताया कि हमारे यहां पर कुछ ऐसी भी संस्थाएं बची हुई हैं जो कि 7-8 साल से चल रही है और उनको हमारी ऐड नहीं मिल रही है। हम उनको एडहाक ग्रान्ट भी नहीं दे रहे हैं। एडहाक ग्रान्ट से उनका कोई पर्पज सर्व नहीं होता है। जहां पर वे हजार, हजार बच्चों को पढ़ाते हैं वहां हमारी एडहाक ग्रान्ट से कुछ नहीं होगा क्योंकि एडहाक ग्रान्ट में हम 1,250 रुपया से अधिक एक संस्था को नहीं दे पाते हैं। हमारे पास में एडहाक ग्रान्ट का भी प्रावधान बहुत कम है। फण्ड्स बहुत कम है। फण्ड्स की शार्टेज होने से हम चाहते हुए भी इन संस्थाओं को ऐड नहीं दे पाये। इस बार यह निर्णय लिया गया है कि ऐसी संस्थाएं जिनका चलते हुए 6/7 वर्ष हो गये हैं, जिनका रिजल्ट अच्छा है, जो ट्रेन्ड टीचर रखती हैं, जो वेतन का भुगतान ठीक तरह से करती है, जिनके खिलाफ कोई शिकायत, शिकवा नहीं है उनको हम पहले ऐड लिस्ट पर लें और उसके बाद में बढ़ाने की बात सोचें। इसलिए ऐसी संस्थाओं को प्रायोरिटी देने का तय किया गया है। ऐसी इन्सटीट्यूशन्स को इस साल लेने जा रहे हैं। यह तय है।

(श्री खेतसिंह)

जहां तक एडहाक ग्रान्ट का प्रश्न है उसमें ग्राम तौर पर ऐसी इन्स्टीट्यूशन्स को देने का प्रयत्न करेंगे जिनको ग्राज कुछ भी नहीं दे रहे हैं। दो-चार पाइन्ट ग्रौर कह कर मैं इस विषय को समाप्त कर रहा हूं क्योंकि मेरे जवाब से लगता है ग्राप सेटिसफाई हो गया हूं।

जहां तक राजस्थान यूनीवर्सिटी के बारे में ग्रापने बात कही। बूंदी से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही कि सिन्डीकेट के मेम्बर श्री मिश्रा साहब ने राजस्थान यूनीवर्सिटी में इस तरीके से लड़कियों को भाषण दिया। मैं नहीं समझता कि उसमें कोई ग्रापत्ति की बात हो सकती है। ग्राप स्वयं जोधपुर विश्वविद्यालय की सिन्डीकेट के मेम्बर थे। ग्राप भी इस तरीके से तशरीफ ले जाया करते थे। ग्राप ने भी भाषण दिया होगा। ग्रगर श्री मिश्रा ने किसी प्रकार से राष्ट्र द्रोही भाषण दिया है ग्रथवा ऐसा कोई ग्रनुचित भाषण दिया है, जो उनको नहीं देना चाहिये था, तो मैं कार्यवाही करूंगा, ग्राप बतावें।

**श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय** : खास तौर से महिलाग्रों की मीटिंग नहीं करता था।

**श्री खेतसिंह** : इसमें ग्रापको ग्रापत्ति नहीं होनी चाहिये।

जहां तक सवाल रहा पाण्डे साहब का कि वे ग्रानंद मार्गी हैं। झुंझुनू से ग्राने वाली माननीय सदस्या ने ग्रारोप लगाया, इसी प्रकार सूरतगढ़ से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने ग्रारोप लगाये, ग्रौर मांडल से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने भी उन पर ग्रारोप लगाये। मैं यह कह सकता हूं कि वाइस-चांसलर का अपाइन्टमेन्ट चांसलर करता है ग्रौर खास तौर से इस तरह से करता है। पहले तीन व्यक्तियों की एक कमेटी बनती है, उसमें एक यू० जी० सी०, यूनीवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन का नामीनी होता है, एक चांसलर का नामीनी होता है ग्रौर एक नामीनी होता है सिन्डीकेट की तरफ से, सिन्डीकेट ग्रपने में से किसी को नामीनेट करती है। ये तीन व्यक्ति वाइस-चांसलर का चयन किया करते हैं। इस प्रक्रिया से वाइस-चांसलर चुना जाता है ......

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : कोई मर्डर कर दे तो क्या एक्शन नहीं लेंगे ?

**श्री खेतसिंह** : इस प्रकार वाइस-चांसलर का चयन होता है। उसके खिलाफ कोई शिकायत है तो वह चांसलर के पास जानी चाहिये जिससे कि वह उसकी जांच करवा सकें। ग्रापने जो मुद्दे उठाये, मैं चांसलर साहब के सामने जल्दी से जल्दी जब भी वे समय देंगे तब जाकर सारे मुद्दे रखूंगा। ग्रौर जहां तक .....

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : सैकेंन्डरी को हायर सैकेन्डरी बनाने की ग्रापने स्वीकृति दी थी 5 साल वालों के लिए कहा था ....

**श्री खेतसिंह** : वह मैंने कह दिया है।

जहां तक सांचोर ग्रौर बाड़मेर से ग्राने वाले माननीय सदस्यों ......

**श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा** : शिक्षा मंत्रीजी, वाइस-चान्सलर साहब की एन्टी-नेशनल एक्टीविटीज को लगातार इस सदन में बताया जा रहा है। यह राज्य सरकार का कर्तव्य है कि जिस ग्रानन्दमार्गी, ग्रार० एस० एस० ग्रौर एक्सट्रीम लेफ्ट विंग को वह

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)।

पनपा रहे हैं उसके लिए राज्य सरकार की ड्यूटी है कि उसके ऊपर पाबन्दी लगाई जाए और वाइस-चान्सलर को मीसा के अन्दर रेस्ट किया जाय। इसमें चान्सलर की स्वीकृति की जरूरत नहीं है।

**श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय** : इसके बारे में आपके क्या विचार हैं?

**श्री खेतसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि वाइस-चान्सलर से मुझे कोई ऐसा प्रेम नहीं है। इनके खिलाफ में कोई केस बनता है या अगर वे आनन्दमार्ग या राष्ट्रद्रोही एक्टीविटीज में भाग लेते हैं या ले रहे हैं तो उनके खिलाफ में एक्शन होना चाहिए। मैंने जैसा कि आपसे कहा इसका प्रोसीजर हुआ करता है। माननीय सदस्य आजाद हैं वह कुछ भी कह सकते हैं लेकिन मैं एक सीमा तक ही कह सकता हूं और जैसा मैंने निवेदन किया उसमें कम से कम नहीं छोड़ूंगा।

राजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही कि 6 लेक्चरार्स का सलेक्शन होने के बाद में उनको एपाइंटमेंट नहीं दिया। इस प्रकार से केमिस्ट्री के लिए 6 लेक्चरार्स का सलेक्शन हुआ था, और जिस वक्त में सलेक्शन किया गया था उस वक्त में यह अनुमान था कि कालेजेज में इनकी जरूरत पड़ेगी और इनको एब्जार्ब कर लेंगे, लेकिन उसके बाद में हकीकत यह हुई कि साइन्स में लड़कों का नम्बर गिरना शुरू हो गया इसलिए जितने लड़के चाहिए उतने उपलब्ध नहीं हुए। जब लड़के ही नहीं हैं पढ़ने वाले और ये सलेक्ट हो गये तो इनको यों ही तनख्वाह देना शुरू कर दें, ऐसा हमारे यहां नहीं होता है। आपकी पार्टी में होता होगा।

**श्री मोहरसिंह** : सलेक्टेड लेक्चरार्स को मुकर्रर नहीं किया और उनके सिवाय 3-4 दूसरे लेक्चरार्स को मुकर्रर नहीं किया, उनको नहीं लिया गया।

**श्री खेतसिंह** : यदि आपके पास में नाम हों तो निश्चित तौर से नाम दें। मैं जांच कर लूंगा, और किसी ने इसका उल्लंघन किया है तो निश्चित तौर से मैं कार्यवाही करूंगा। आप कृपापूर्वक नाम तो दें। आप मेरी आंखें हैं, आप ही मुझे बता दें।

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन** : आप सीनियर टीचर्स का जवाब दे रहे हैं।

**श्री खेतसिंह** : 5 साल के सीनियर टीचर्स का आपका प्रश्न था तो उसके बारे में परिस्थिति यह हुई कि इन टीचर्स को जिस वक्त में रखा था उस वक्त में हमारे पास में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से सलेक्टेड टीचर्स नहीं थे, इसलिए उनको एडहाक बेसिस पर रख लिया था। जिस वक्त में पब्लिक सर्विस कमीशन से सलेक्टेड टीचर्स आ गये तो उस वक्त में उनको निश्चित तौर से हटाना पड़ा, और उनकी जगह सलेक्टेड टीचर्स को लगाना पड़ा। यह बात सही है कि मानवीय दृष्टिकोण से उनके बारे में विचार करना चाहिए क्योंकि उनकी 5 साल की सर्विस हो गयी और वह ओवर-एज हो गये हैं और अब घर बैठे हैं तो मैंने कमिश्नर साहब से बात की है और यदि कोई नियमों में एमेंडमेंट इनके लिए करना पड़ेगा तो वह लायेंगे और इनके साथ न्याय करेंगे।

इन शब्दों के साथ में मैं यही निवेदन करता हूं कि इस मांग को पास कर दें।

**श्री मोहरसिंह** : माननीय शिक्षा मंत्रीजी

**(श्री मोहरसिंह)**
एक दो बातें और रह गई हैं उनका जवाब दे दें। पुरानी परम्परा को छोड़ दें और मैंने कुछऔर भी कहा था उसका भी जवाब दे दें...........

**कई माननीय सदस्य** : बैठ जाइये, बैठ जाइये।

**श्री खेतसिंह** : मैंने वैसे तो शिक्षा की डिमाण्ड पर बात समाप्त कर दी, लेकिन आपने जो कहा, राजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने, तो पिछले वर्ष उनके यहां मिडिल स्कूल नहीं खोला गया लेकिन इस बार मैं मिडिल स्कूल का ख्याल रखूंगा।

अब मैं विधि विभाग की मांग पर आपसे निवेदन करूंगा। मैं माननीय सदस्यों का बहुत ही आभारी हूं कि उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव इस बारे में दिये हैं। जहां तक हाई कोर्ट की बैंच का प्रश्न है मैं इस पर ज्यादा विवाद में नहीं पड़ता हूं। इसी हाउस के सभी माननीय सदस्यों ने एक मत से या सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया था कि इस प्रश्न को अब इस हाउस में कभी भी नहीं लायेंगे। यही आपने तय किया था कि इस प्रश्न को भारत सरकार के सुपुर्द करते हैं, और आपने यही कहा था कि जो भारत सरकार का निर्णय आयेगा उसको यह हाउस सहर्ष स्वीकार कर लेगा। लिहाजा मैं इस बात पर आगे कुछ नहीं कहना चाहता।

माननीय सदस्यों ने यहां पर अपनी-अपनी कान्सटीट्यूएन्सीज और अपने अपने इलाकों की सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यह बात कही है। मैं आपसे यही निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस पाइंट पर जब हमने सर्वसम्मति से निर्णय ले लिया तो उसी पर अटल रहना चाहिए और जो भी निर्णय आ जायेगा उसको अपने को मान लेना चाहिए।

दूसरा मैं आपसे यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस वर्ष में न्याय के डिपार्टमेंट में काफी बड़ी नियुक्तियां हुई हैं। यह बड़े हर्ष की बात हुई कि आजादी के बाद में राजस्थान का जज सुप्रीम कोर्ट में जज बनकर गया है। जस्टिस सिंघल गये हैं।

**श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा** : पहले भी बन चुके हैं।

**श्री खेतसिंह** : मैं यह आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि अब हमारे हाई कोर्ट में पर्मनिन्ट जजेज 8 की जगह 10 हो गये हैं और एडहाक जजेज 3 की जगह 4 हो गये हैं। इस प्रकार से टोटल जजेज की संख्या 14 हो गई है। यह बात सही है, जो माननीय सदस्यों ने कहा कि अभी भी हमारे यहां कई स्थान रिक्त पड़े हुए हैं। हम इसके लिए प्रयत्नशील हैं और पिछली बार जब मैं दिल्ली गया तो चीफ जस्टिस आफ इंडिया से मिलकर आया हूं और नम्रतापूर्वक मैंने कहा है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे जल्दी ही फैसला ले रहे हैं। मैं समझता हूं कि जल्दी ही सारी वेकेन्सीज भरी जायेंगी। लेकिन एक बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी जजेज की इतनी संख्या कम होते हुए भी राजस्थान में कई राज्यों के बनिस्बत हाई कोर्ट के अन्दर केसेज कम हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट को ले लें या इलाहाबाद हाई कोर्ट को ले लें वहां पर नम्बर आफ केसेज ज्यादा हैं। हमारे यहां का जुडिशियल परफार्मेन्स उनसे किसी भी हालत में पुअर नहीं है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स जजेज की पहले संख्या 16 थी और अब 17 हो गई है। एक

(श्री खेतसिंह)

पोस्ट और बढ़ गई है। जहां पर हमारे यहां डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स जज 17 हो गये हैं वहां पर हमारी कोर्ट की संख्या 25 हो गई है। कई ऐसे स्थान जो डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स तो नहीं है लेकिन उनकी दूरी को देखते हुए, लोगों की सुविधा को देखते हुए और उनको सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके यह बढ़ाई गई हैं। अभी जैसा कि गंगापुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात कही थी उसी को ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स ही नहीं बल्कि सब-डिवीजनल हैडक्वार्टर्स पर डिस्ट्रिक्ट एण्ड एडीशनल सेशन्स जजेज..

**श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** : सी० जे० एम० की कैम्प कोर्ट के बारे में कहा था।

**श्री खेतसिंह** : आप तसल्ली रखें।

इस प्रकार से मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि सिविल जजेज एण्ड मुन्सिफ मजिस्ट्रेट्स के पहले 198 स्थान थे उनको और अधिक कर रहे हैं और 116 स्थान अभी और बढ़ाये हैं और इस प्रकार से टोटल हो गये हैं 314 स्थान जिनमें से 40 स्थान रिक्त हैं तो उनका सलेक्शन होना बाकी है। बाकी स्थानों के लिए सलेक्शन हो चुका है। इस सलेक्शन में 28 परसेंन्ट रिजर्वेशन का भी हमने पूरा ख्याल रखा है, और उसी हिसाब से यह सलेक्शन किये गये हैं और उनकी नियुक्तियां की जा रही हैं। यहां पर एडीशनल डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स जजेज की जगहों में से 2 एस० सी० और एस० टी० के लिए रिजर्व रखी हैं, क्योंकि इसके अन्दर 7 साल का अनुभव चाहते हैं और उस अनुभव के आदमी शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स में नहीं मिले हैं इस वजह से दो स्थान अगले साल के लिए केरी फार्वर्ड किये हैं और भरे नहीं उनको हैं रिजर्वेशन के लिए रख छोड़े हैं।

इसी प्रकार से मैं यह कहना चाहता हूं कि जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यहां पर पी० पी० का एपाइन्टमेन्ट होता है उनमें गड़बड़ी होती रही है। मैं निश्चित तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती है। जाब्ता फौजदारी की धारा 124 के अनुसार यह जो एपाइन्टमेन्ट किया करते हैं और इनके लिए जिला कलेक्टर और जिला सेशन्स जज वहां से पैनल भेजते हैं। उन दोनों की राय में जो भी वह पैनल भेजते हैं तो आम तौर पर यह प्रयत्न किया गया है कि पहला नाम जिस व्यक्ति का भेजते हैं उसी को हम पी० पी० मुकर्रर करते हैं और उसमें हमने कोई कोताही नहीं की। इसके अलावा थोड़े ही समय पूर्व हमने यह तय कर दिया है कि इमर्जेन्सी लगी हुई है इसलिए ऐसी संस्थाओं से ताल्लुक रखने वाले लोग पी० पी० मुकर्रर न हो जायं जिनको कि बान कर रखा है। तीन-चार ऐसे केसेज पहले भी गये हैं जिनको हटाया गया है। और अब हमने एक सर्क्यूलर दे दिया है कि जहां से भी इस तरह के नाम आयेंगे तो मुकर्रर करने से उन व्यक्तियों के लिए यह भी पता लगाया जाय कि वे किस पोलिटिकल पार्टी के फालोअर हैं ताकि एपाइंटमेन्ट करने से पहले सारी बातें मालूम कर ली जायं, और इसी के अनुसार यह मुकर्रर किये जाते हैं। उन्होंने यह बात कही है। जहां तक शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स का नहीं आ सकता है, इसके लिए 7 वर्ष का एक्स-पीरिएन्स होना चाहिए। पी०पी० के लिए 10 वर्ष और एडवोकेट के लिए 5 वर्ष का हाई कोर्ट का अनुभव

(श्री खेतसिंह)
होना चाहिए। यह शिक्षा का प्रसार इन वर्षों में हुआ है। अब ज्यों ज्यों लोग आयेंगे हम उनको स्थान देंगे। हम उनके लिए 28% रिजर्व रखेंगे। लेकिन अगर आज रखेंगे तो कई कोर्ट खाली रह जायेंगी। इसलिए आज नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही खाली होंगे, हम करेंगे। जहां तक माइनोरिटीज के बारे में कहा गया है, चार स्थानों पर माइनोरिटीज के खास तौर से हमारे मुस्लिम भाई पी० पी० हैं। जो वर्क कर रहे हैं। दूसरी बात कुछ माननीय सदस्यों ने अपने अपने इलाकों के बारे में कही हैं। खास तौर से गंगापुर से आने वाले माननीय सदस्य बहुत परेशान हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का हैडक्वार्टर क्यों नहीं गंगापुर कर दें। जब कि गंगापुर के डिस्ट्रिक्ट जज का हैडक्वार्टर सवाई माधोपुर होता है। उसमें कहना यह है कि जाब्ता फौजदारी के अनुसार चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर ही रहेगा। आपने कहा है कि लोगों को परेशानी होती है। मैं इस केस को हाई कोर्ट को रेफर कर दूंगा।

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : धौलपुर का भी रेफर कर देंगे ?

**श्री खेतसिंह** : आप अभी तक क्या 7 महीने से चांदमारी कर रहे हैं।

इसी प्रकार से बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा है कि हमारे यहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की स्थापना करनी चाहिए। इस प्रकार की स्थापना करने का काम हाई कोर्ट का होता है। कहां पर हैडक्वार्टर होगा। नम्बर आफ केसेज और मीन्स आफ कम्यूनिकेशन के आधार पर वह देखते हैं। हाई कोर्ट तय करती है, उसी स्थान पर रखते हैं।

**श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय** : सिफारिश तो आप कर सकते हैं।

**श्री खेतसिंह** : इसके अलावा बूंदी और टोंक के बारे में कुछ कहने में मैं असमर्थ हूं। जहां तक डूंगरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि हमको तारानगर के साथ जोड़ दिया गया है। यह बात सही है कि आप तारानगर के साथ लगाये गये हैं। लेकिन सरदार शहर में इसीलिए लगाये गये हैं क्योंकि आपके लायर्स ने रिप्रेजेण्टेशन दिया है। हमने वह हाई कोर्ट भेज दिया है। वह फैसला आएगा तो हम देख लेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि सभी माननीय सदस्य मेरे रिप्लाई से पूर्ण संतुष्ट हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इन तीनों मांगों को पारित कर दिया जाये।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 6 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,19,45,000 रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 6 स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 24 के संबंध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त

(श्री उपाध्यक्ष)
राज्यपाल महोदय को 84,28,24,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 24 स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 25 के संबंध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 62,37,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 25 स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही कल शनिवार, दिनांक 20 मार्च, 1976 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 8.5 बजे शनिवार, दिनांक 20 मार्च, 1976 के म०पू० 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

(१९५)



## परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या 185 की सूची)

प० सं० 7(35)व्य० एवं प०/5/74

राजस्थान सरकार

व्यवस्था एवं पद्धति विभाग (ग्रुप 5)

आज्ञा

जयपुर, दिनांक 2-12-75.

शिक्षा नीति के संबंध में समय-समय पर राज्य सरकार को परामर्श देने हेतु निम्नलिखित सदस्यों की एक राज्य-स्तरीय शिक्षा सलाहकार परिषद् के गठन किये जाने की राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री हरिदेव जोशी, मुख्य मंत्री | अध्यक्ष |
| 2. | श्री खेतसिंह, शिक्षा मंत्री | सदस्य |
| 3. | श्री फारुक हसन, शिक्षा राज्य मंत्री | " |
| 4. | उप-कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर | " |
| 5. | उप-कुलपति, उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर | " |
| 6. | उप-कुलपति, जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर | " |
| 7. | शिक्षा आयुक्त, राजस्थान, जयपुर | " |
| 8. | श्री डी० एस० कोठारी, दिल्ली | " |
| 9. | विकास आयुक्त, राजस्थान, जयपुर | " |
| 10. | सिंचाई आयुक्त, राजस्थान, जयपुर | " |
| 11. | श्री रामसिंह, गृह आयुक्त | " |
| 12. | अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर | " |
| 13. | निदेशक, कालेज शिक्षा, जयपुर | " |
| 14. | निदेशक, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर | सदस्य सचिव |
| 15. | निदेशक, टेक्निकल एज्युकेशन, जोधपुर | सदस्य |
| 16. | निदेशक, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर | " |
| 17. | निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर | " |
| 18. | निदेशक, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान | " |
| 19. | निदेशक, राज्य शिक्षा संस्थान, उदयपुर | " |
| 20. | प्रिन्सिपल, शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय, बीकानेर | " |
| 21. | निदेशक, संस्कृत शिक्षा, जयपुर | " |

22. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर ... सदस्य
23. अतिरिक्त निदेशक, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर ,,
24. संयुक्त निदेशक, शिक्षा (महिला), जयपुर ,,
25. सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर ,,
26. श्री नवलकिशोर, संसद सदस्य, नई दिल्ली ,,
27. रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत, संसद सदस्या, नई दिल्ली ,,
28. श्री रामजीलाल, अध्यक्ष, क्रीड़ा परिषद्, जयपुर ,,
29. श्रीमती निर्मलासिंह, विधायिका ,,
30. श्री निरंजन नाथ आचार्य, ,,
31. श्री पूनमचन्द विश्नोई, विधायक ,,
32. प्रो० केदार शर्मा, विधायक ,,
33. श्रीमती कान्ता कथूरिया, विधायिका ,,
34. श्री केसरी लाल बोर्डिया ,,
35. सुश्री लूटर, एम० जी० डी० स्कूल, जयपुर ,,
36. प्रिन्सिपल, खालसा कालेज, गंगानगर ,,
37. प्रोफेसर के० एन० श्रीवास्तव, विद्या भवन, उदयपुर ,,
38. डॉ० मेहता, उप-कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, अहमदाबाद ,,
39. श्री० मिश्रा, बिड़ला एज्युकेशन, पिलानी ,,
40. प्रो० गौड़, वनस्थली विद्यापीठ ,,
41. श्री० गजराजसिंह, भू० शिक्षा निदेशक ,,
42. श्रीमती गीता बजाज ,,
43. श्री जनार्दनराय नागर ,,
44. श्री सैयद इन्तजाम अली, घाटगेट, जयपुर ,,
45. अध्यक्ष; शिक्षक संघ; जयपुर ,,
46. अध्यक्ष; ,,
47. श्री डंडिया, सचिव, महावीर दिगम्बर जैन उ०मा०वि०; जयपुर ,,
48. श्री उमाशंकर गौड़, रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर ,,
49. श्री० एस० एम० एल० श्रीवास्तव ,,
50. श्री कोशलसिंह, प्रिन्सिपल, चौपासनी ,,

आज्ञा से

ह० हर प्रसाद अग्रवाल,

उप०शासन सचिव ।

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

(1) मुख्य सचिव,
(2) सचिव; राज्यपाल/मुख्य मंत्री
(3) निजी सचिव, मंत्री/राज्यमंत्री, शिक्षा विभाग
(4) शिक्षा विभाग को उनके टीप संख्या एम०आर० 833/शिक्षा/2/74, दि० 22-11-74 के संदर्भ में।
(5) समस्त सदस्य
(6) निदेशक जन सम्पर्क कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
(7) व्यवस्था एवं पद्धति विभाग (ग्रुप 7) को, दो अतिरिक्त प्रतियों सहित।
(8) उचित पत्रावली।

ह० यमुना दत्त,
अनुभाग अधिकारी।

## परिशिष्ट 2

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं पूछे गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

187. श्री मोहनराज (बाली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य में प्रौढ़ शिक्षा

(1) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम हेतु पिछले तीन वर्षों में कितनी धन राशि खर्च की गई और कितने प्रौढ़ साक्षर किए गए ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या प्रौढ़ शिक्षा हेतु राज्य से किसी भाग में सघन कार्यक्रम अपनाया गया है ? यदि हां, तो इसके फलस्वरूप सम्पूर्ण रूप से साक्षर हुए ग्रामों की सूची देने की कृपा करें।

(3) क्या प्रौढ़ शिक्षा हेतु कतिपय निजी संस्थाओं को अनुदान भी दिया जाता है ? उनके नाम मय दी जा रही अनुदान की राशि का ब्यौरा देने की कृपा करें।

उत्तर

(1) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम हेतु पिछले तीन वर्षों में 7,24,400/- रुपये खर्च किये गये और 39,090 प्रौढ़ साक्षर किए गए।

(2) जी हां। सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(3) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

सूची (ब)

सघन साक्षरता कार्यक्रम

(पंचायत समिति, बहरोड़)

गांवों की सूची–

1. नागलखोड़िया
2. जखराना
3. गन्डाला
4. खोहरा
5. हुडरिया
6. दहमी
7. बर्डोद
8. शेरपुर
9. खरखकड़ा
10. महाराजावास
11. अनन्तपुरा
12. भगवाड़ी खुर्द
13. रिवाली
14. खातनखेड़ा
15. तसींग

प्रौढ़ शिक्षा हेतु निजी संस्थाओं को दिये जाने वाले अनुदान का ब्यौरा:–

| क्र०सं० | नाम संस्था | अनुदान की राशि |
|---|---|---|
| 1. | प्रौढ़ शिक्षा समिति, बीकानेर | 16,000/- |
| 2. | लोक शिक्षण विभाग, राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर | 15,000/- |
| 3. | अजमेर प्रौढ़ शिक्षा समिति, अजमेर | 18,000/- |
| 4. | बाल संसार कन्या विद्यालय, श्री गंगानगर | 5,000/- |
| 5. | लोक भारती प्रतिष्ठान, बड़बई | 6,000/- |
| 6. | गांधी सेवा सदन, राजसमन्द, उदयपुर | 5,000/- |
| 7. | सेवा मंदिर, उदयपुर | 15,000/- |
| | कुल योग .. | 80,000/- |

**अनुसूचित जाति व जन-जाति के व्यक्तियों की नियुक्तियों/पदोन्नतियों में आरक्षण**

188. **श्री रमेश चन्द्र सैनिक** (हिन्डोली) **व श्री हरिकिशन** (राजगढ़) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कार्मिक विभाग (क 5) के पत्र संख्या एफ० 15 (24) डी०ओ०पी० (क 5)।75, दिनांक 15 दिसम्बर, 1975 के अन्तर्गत प्रत्येक विभाग में एक वरिष्ठ अधिकारी को अनुसूचित जाति व जन-जाति के व्यक्तियों की नियुक्तियों, पद्दोन्नतियों में आरक्षण से सबंधित जांच करने व त्रैमासिक प्रमाण-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में लगाने का निर्देश है ?

(2) यदि उक्त निर्देश है तो अब तक किन किन विभागों में ऐसे अधिकारियों को लगाया जा चुका है ? तालिका मय अधिकारी के नाम व पद के सदन की मेज पर रखें।

(3) जिन विभागों में ऐसे अधिकारी अभी तक नहीं लगाये हैं, उनके विभागाध्यक्षों के विरूद्ध क्या कोई कार्यवाही होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? और अब कब तक इन विभागों में ऐसे अधिकारी लगा दिये जायेंगे ?

**उत्तर**

(1) जी हां। अनुसूचित जाति व जन-जाति के व्यक्तियों की नियुक्ति/पद्दोन्नति में आरक्षण के मामलों की देखभाल करने तथा कार्मिक (क–5) विभाग एवं प्रशासनिक विभाग को त्रैमासिक प्रमाण-पत्र भेजने हेतु समस्त विभागाध्यक्षों को उनके विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी को लगाने के निर्देश जारी किये गये हैं।

(2) तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां। जिन विभागों में अब तक वरिष्ठ अधिकारी नहीं लगाये गये हैं उनमें शीघ्र ही अधिकारी लगा दिये जायेंगे।

**अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के आरक्षण की देखभाल करने हेतु लगाये गये अधिकारियों की तालिका**

| क्र० सं० | विभाग का नाम | आरक्षण की देखभाल करने हेतु अधिकारी का नाम व पद |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | ज़िलाधीश; अलवर | श्री बी० एल० सारस्वत, अतिरिक्त जिलाधीश, अलवर |
| 2. | जिलाधीश, बांसवाड़ा | श्री बी० के० शर्मा, कोषाधिकारी, बांसवाड़ा |
| 3. | जिलाधीश, भरतपुर | श्री चन्द्र शेखर शर्मा, अतिरिक्त जिलाधीश, भरतपुर |
| 4. | जिलाधीश, बीकानेर | श्री गणेश प्रसाद नागर, परियोजना निदेशक, डी० पी० ए० पी०, बीकानेर |

# Page No 199

(१९)



| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 5. | जिलाधीश, बूंदी | श्री दीनदयाल सूद, अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी, बूंदी |
| 6. | जिलाधीश, चित्तौड़गढ़ | श्री कानसिंह, अतिरिक्त जिलाधीश, चित्तौड़गढ़ |
| 7. | जिलाधीश, चूरू | उप-जिला विकास अधिकारी, चूरू |
| 8. | जिलाधीश, जैसलमेर | श्री देवीलाल बंधु, जिला रसद अधिकारी, जैसलमेर |
| 9. | जिलाधीश, सीकर | श्री आर० एस० मित्तल, अतिरिक्त जिलाधीश, सीकर |
| 10. | जिलाधीश, सिरोही | कोषाधिकारी, सिरोही |
| 11. | जिलाधीश, उदयपुर | श्री रामरूप शर्मा, कोषाधिकारी, उदयपुर |
| 12. | उपनिवेशन आयुक्त, बीकानेर | श्री मातादीन शर्मा, अतिरिक्त उपनिवेशन आयुक्त (प्रशा०), बीकानेर |
| 13. | खाद्य आयुक्त, राजस्थान, जयपुर | श्री सत्यनारायण सक्सेना, सहायक संचालक (प्रशा०), जयपुर |
| 14. | जागीर आयुक्त, जयपुर | श्री मोहनलाल अग्रवाल, लेखाधिकारी, राजस्थान, जयपुर |
| 15. | संचालक, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर। | श्री ब्रजलाल, सहायक निदेशक, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर। |
| 16. | निदेशक, सांख्यकीय एवं आर्थिक, राजस्थान, जयपुर। | श्री दुर्गा शंकर व्यास, उप-निदेशक (प्रशासन), राजस्थान, जयपुर। |
| 17. | निदेशक, उद्योग एवं नागरिक रसद, राजस्थान, जयपुर। | श्री वी० के० व्यास, संयुक्त निदेशक, उद्योग एवं नागरिक रसद, राजस्थान, जयपुर। |
| 18. | निदेशक, सेवा नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर। | श्री जी० एन० पारीक, सहायक निदेशक, सेवा नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर। |
| 19. | परीक्षक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर। | श्री बी० डी० अग्रवाल, लेखाधिकारी, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर। |
| 20. | महानिरीक्षक, आरक्षी, राजस्थान, जयपुर। | उप-महानिरीक्षक, आरक्षी (मुख्यालय), राजस्थान, जयपुर। |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 21. | महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, राजस्थान, जयपुर । | श्री वी० के० रस्तोगी, उप-महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक अधीक्षक, राजस्थान, अजमेर । |
| 22. | सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर। | श्री के० एस० भट्टनागर, सहायक सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर । |
| 23. | निदेशक, भूमि एवं भवन कर विभाग, राजस्थान, जयपुर। | उप-निदेशक (प्रशासन), भूमि एवं भवन कर विभाग, राजस्थान, जयपुर |
| 24. | निदेशक, सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग, जयपुर। | श्री पूर्णसिंह, उप-विकास आयुक्त (प्रशासन); सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग, राजस्थान, जयपुर । |
| 25. | प्रधानाचार्य, राजकीय पोलोटेक्निक, अलवर । | श्री रामवीर सिंह, व्याख्याता (गणित), राजकीय पोलोटेक्निक, अलवर। |
| 26. | प्रधानाचार्य, एस० पी० मेडीकल कालेज, बीकानेर। | श्री एच० एस० सौरल; प्रोफेसर एण्ड हैड आफ दी डिपार्टमेन्ट आफ एनेटोमी, मेडीकल कालेज; बीकानेर । |
| 27. | प्रधानाचार्य, राजकीय महा-विद्यालय, करौली। | श्री दिनेश चन्द्र शर्मा, वरिष्ठ अधिकारी एवं कार्यवाहक प्रधानाचार्य, राजकीय महाविद्यालय; करौली । |
| 28. | प्रधानाचार्य, लोहिया महा-विद्यालय, चूरू। | श्री सी० एल० शर्मा, व्याख्याता (व्यापार प्रशासन) |
| 29. | प्रधानाचार्य, एम० एस० जे० महाविद्यालय, भरतपुर। | श्री एस० एस० दुबे, उप-प्रधानाचार्य एवं विभागाध्यक्ष, कैमिस्ट्री । |
| 30. | निदेशक, पुरातत्व संग्रहालय, राजस्थान, जयपुर। | श्री मोहन लाल गुप्ता, अधीक्षक, शिक्षा अधिकारी; जयपुर ब्रांच, जयपुर । |
| 31. | मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग, राजस्थान, जयपुर। | श्री बस्ती राम पुरोहित, सहायक तकनिकी, मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग, राजस्थान, जयपुर। |
| 32. | राजस्थान सचिवालय, जयपुर । | श्री सोहन लाल दवेरा, पंजीयक, राजस्थान सचिवालय; जयपुर । |
| 33. | भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर। | श्री श्याम सुन्दर जोशी, अतिरिक्त भू-प्रबन्ध आयुक्त; राजस्थान, जयपुर । |
| 34. | राजस्थान महर मंडल, जयपुर । | श्री आर० एम० बधवार, उप-सचिव; राजस्थान महर मंडल, जयपुर । |

### आदर्श विद्या मन्दिर की प्रबन्ध समिति द्वारा रेकार्ड व सामान का चार्ज

189. श्री मोहम्मद गफ्फार अली : (जौहरी बाजार, जयपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि आदर्श विद्या मंदिर, जयपुर की प्रबन्ध समिति ने अनेक कर्मचारियों को पी० एफ० की पास-बुक्स व्यक्तिगत पंजिकाएं समिति की मिनिट बुक्स आदि बहुत सा रेकार्ड सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक को चार्ज में नहीं दिया ? यदि हां, तो उस रेकार्ड को उनसे प्राप्त करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(2) क्या यह भी सच है कि उक्त प्रबन्ध समिति ने स्कूल का टेपरेकार्डर और अन्य बहुत सा सामान भी चार्ज में प्रशासक को नहीं दिया ? क्या यह सच है कि टेपरेकार्डर की जगह स्टाक रजिस्टर में काट कर पीपा कर दिया गया और टेपरेकार्डर गायब कर दिया गया। यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस सारे मामले की पुलिस से जांच करायेगी ?

#### उत्तर

(1) केवल 133 कर्मचारियों की पी० एफ० की पास-बुकें चार्ज में प्राप्त हुई हैं।

(2) स्टाक रजिस्टर में टेपरेकार्डर कहीं भी दर्ज नहीं है। स्टाक रजिस्टर के अनुसार पूरा सामान संस्था ने राज्य सरकार को नहीं संभलवाया है।

### राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि का आवंटन

190. श्री मानसिंह चौधरी (भादरा): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान नहर क्षेत्र में अब तक कुल कितनी भूमि में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी हैं ?

(2) राजस्थान नहर की सिंचित भूमि में से कितनी भूमि का स्थाई तथा कितनी का अस्थाई और कितनी का किन-किन श्रेणियों एवं वर्गों के लोगों को आवंटन किया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि आवंटन के अभाव में गत वर्षों में सिंचित भूमि पर पड़े क्षेत्र में खेती नहीं की गई और उपलब्ध पानी का भी पूरा उपयोग नहीं हो सका ?

(4) गत रबी और खरीफ की फसल में राजस्थान नहर क्षेत्र की कितने एकड़ भूमि में काश्त की गई थी ?

#### उत्तर

(1) राजस्थान नहर योजना के प्रथम चरण में फरवरी, 1976 तक 9.30 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई कार्यक्रम दिया है।

(2) राजस्थान नहर की सिंचित भूमि का स्थाई, अस्थाई तथा जिस-जिस श्रेणी व वर्गों को भूमि आवंटन किया गया है इसका विवरण संलग्न तालिका में अंकित है।

(3) जी नहीं।

(4) गत रबी 1974-75 में राजस्थान नहर के कमाण्ड क्षेत्र में 3,65,859 एकड़ में तथा खरीफ 1975 में 2,93,662 एकड़ में काश्त की गई ?

सूची

| आवंटी श्रेणी | आवन्टी संख्या | आवंटित क्षेत्र (एकड़ में) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| (1) नियम, 1967 के भूमिहीन | 1192 | 9936 |
| (2) भूतपूर्व जागीरदार | 945 | 26951 |
| (3) भाडारा भूमिहीन | 18 | 269 |
| (4) पेंतालीसा क्षेत्र के गैर दाखिलकार | 1088 | 22856 |
| (5) अस्थाई कृषि पट्टा धारक | 17653 | 204698 |
| (6) भू-सैनिक | 1177 | 16719 |
| (7) विस्थापित मुसलमान परिवार | 64 | 1000 |
| (8) कृषि विभाग | — | 687 |
| (9) कृषि स्नातक | 141 | 2176 |
| (10) विशिष्ट श्रेणी | 2 | 31 |
| (11) पंचायतें | 14 | 130 |
| (12) घुमक्कड़ पशुपालक | 4 | 187 |
| (13) राजनैतिक पीड़ित | 35 | 552 |
| (14) कृषि यांत्रिक फार्म | — | 13128 |
| (15) कृषि में पद्मश्री प्राप्त | 1 | 62 |
| (16) वन विभाग | — | 1004 |
| (17) विस्वेदार | 10 | 169 |
| (18) पशुपालन विभाग | — | 940 |
| (19) जैसलमेर फील्ड फायरिंग रेन्ज के विस्थापित | 294 | 3969 |
| (20) पोंग बांध विस्थापित | 6861 | 105716 |
| (21) नियम, 1967 के अन्तर्गत नीलाम | 114 | 2329 |
| (22) नियम, 1975 में भूमिहीन | 10949 | 112724 |
| (23) छोटे भू-खण्ड | — | 1445 |
| उच्चत्तम न्यायालय के फैसले 1975 से प्रभावित | 9367 | 175460 |
| आरक्षित क्षेत्र | — | 1,81,231 |
| आबादी, विस्वे-दार, कृषि स्नातक, पोंग बांध विस्थापित इत्यादि | | |
| योग .. | 4,91,929 | 8,84,369 |

**बाल विद्यापीठ पुत्री पाठशाला, सूरसागर, जोधपुर को अनुदान**

191. श्री **अमृतलाल गहलोत** (सरदारपुरा, जोधपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि बाल विद्यापीठ पुत्री पाठशाला, सूरसागर, जोधपुर को 70 प्रतिशत मिलता रहा राजकीय अनुदान अब पूर्णतया बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब से और क्यों ?

(2) उपरोक्त पाठशाला कितने वर्षों से अनुदान पा रही है ?

(3) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त पाठशाला में लगभग 300 छात्राएं शिक्षा पा रही हैं और राजकीय अनुदान के अभाव में यह शाला बन्द होने जा रही है ? यदि हां, तो इन अभागी छात्राओं के शिक्षा का राज्य सरकार क्या प्रबन्ध करने जा रही है।

**उत्तर**

(1) जी हां। पुनः वर्गीकरण समिति की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार द्वारा 1-8-75 से अनुदान बन्द कर दिया गया है।

(2) यह विद्यालय 1960 से अनुदान सूची पर है।

(3) उपरोक्त पाठशाला में कुल 264 छात्र छात्रायें शिक्षा पा रही हैं। पाठशाला बन्द करने की सूचना राज्य सरकार को नहीं है।

**चूरू जिले में सिपाहियों को भर्ती**

192. श्री **रावत राम आर्य** (तिजारा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जनवरी, 1974 से अब तक चूरू जिले में पुलिस सिपाहियों की भरती कब कब हुई और हर बार कितने कितने सिपाही भरती किये गये ?

(2) क्या यह सही है कि निर्धारित रिजर्वेशन के मुताबिक अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को भी भरती किया है ? यदि हां, तो भरती किये गये समस्त सिपाहियों की सूची, जिसमें अनुसूचित जाति के कितने व कौन कौन हैं, मेज पर रखें ?

(3) क्या यह सही है कि चूरू पुलिस ने अनुसूचित जाति के लिए रोस्टर सिस्टम मेन्टेन किया है ? यदि हां, तो किस प्रकार ? कृपया स्पष्ट बतावें कि उनका कितना कोटा बनता था ?

**उत्तर**

(1) चूरू जिले में जनवरी, 74 से फरवरी, 76 तक भरती किये गये सिपाहियों की संख्या व भरती की तारीख संलग्न तालिका के कालम नं० 2, 3 व 4 में अंकित की गई है।

(2) जी हां। उक्त अवधि में भरती किये समस्त सिपाहियों की वर्षवार संख्या एवं अनुसूचित जाति के सिपाहियों की संख्या मय उनके नाम, संलग्न तालिका के कालम नं० 5 एवं 6 में अंकित है।

(3) जी हां। रोस्टर सिस्टम राज्य सरकार के आदेशानुसार ही मेन्टेन किया गया है। नियमानुसार अनुसूचित जाति का कोटा 17 व्यक्तियों का था जिसके स्थान पर 19 व्यक्तियों को भर्ती किया गया है।

जनवरी, 1974 से फरवरी, 1976 तक जिला चूरू में भर्ती किये गये सिपाहियों की सूची

| क्रम० सं० | वर्ष | भर्ती की तारीख | भर्ती किये गये सिपाहियों की कुल सं० | भर्ती किये गये अनु० जाति के कानि० की संख्या | अनुसूचित जाति के सिपाहियों के नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1974 | 26-4-74 | 1 | | 1. श्री सावर मल |
| | | 27-6-74 | 3 | | 2. श्री पूर्ण मल |
| | | 10-7-74 | 1 | | 3. श्री पेमाराम |
| | | 26-7-74 | 12 | | 4. श्री प्रहलादराम |
| | | 16-9-74 | 1 | | 5. श्री रतन चन्द |
| | | 15-10-74 | 1 | | |
| | | 2-11-74 | 4 | | |
| | | 3-12-74 | 1 | | |
| | | | 24 | 5 | |
| 2 | 1975 | 2-1-75 | 2 | | 1. श्री बनवारीलाल |
| | | 6-1-75 | 2 | | 2. श्री छोटराम |
| | | 2-4-75 | 12 | | 3. श्री डूंगरमल |
| | | 8-9-75 | 29 | | 4. श्री राजेन्द्र प्रसाद |
| | | | | | 5. श्री श्योचन्द |
| | | | 45 | 12 | 6. श्री रामप्रताप |
| | | | | | 7. श्री मोतीलाल |
| | | | | | 8. श्री पृथ्वी सिंह |
| | | | | | 9. श्री हजारी राम |
| | | | | | 10. श्री हेतराम |
| | | | | | 11. श्री देवकरण |
| | | | | | 12. श्री जसवन्त सिंह |
| 3 | 1976 फरवरी तक | 30-1-76 | 9 | | 1. श्री पीथा राम |
| | | 2-2-76 | 6 | | 2. श्री बनवारी लाल |
| | | 4-2-76 | 2 | | |
| | | | 17 | | |

**पाली जिले की कृषि विस्तार योजना**

193. **श्री शंकर लाल** (पाली) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले के लिये कृषि विस्तार योजना स्वीकृत की गई है ? यदि हां, तो कब और इस योजना के तहत क्या क्या कार्य कब कब किये जायेंगे ?

(2) इस योजना पर कुल कितनी धनराशि व्यय होगी ?

**उत्तर**

(1) जी हां। पाली जिले के लिये कृषि विस्तार योजना चालू की गई है। यह योजना जनवरी, 1976 माह से चालू की गई है। योजना के अन्तर्गत ग्राम सेवक को प्रति सप्ताह जो अगले सप्ताह में कार्य करना हैं उसके हेतु प्रशिक्षण दिया जावेगा। वह सप्ताह में 4 दिन कृषकों से सम्पर्क करके उन विषयों का उनको ज्ञान करावेगा जो उस सप्ताह में उसको करना है। यह योजना अभी उपलब्ध साधनों के द्वारा ही क्रियान्वित की जा रही है।

(2) इस योजना पर फिलहाल गाड़ियां चलाने और यात्रा भत्ता पर ही व्यय किया जावेगा। पूरी योजना भारत सरकार की सहायता प्राप्त होने पर ही चालू की जावेगी। इसका मसविदा एवं अनुमान तैयार किया जा रहा है।

**ग्राम चौथवाड़ी (जयपुर) का संस्कृत स्कूल**

194. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में ऐसे कितने संस्कृत महाविद्यालय हैं जहां उपाध्याय और शास्त्री तक की क्लासेज लगती हैं ?

(2) उक्त संस्कृत महाविद्यालयों में किस किस कक्षा में कितने कितने छात्र अध्ययनरत हैं ?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम चौथवाड़ी, जिला जयपुर की जनता ने वहां की संस्कृत स्कूल को क्रमोन्नत करने की मांग की है ?

(4) क्या यह सही है कि अन्य स्थानों के मुकाबले वहां छात्रों की संख्या बहुत अधिक है एवं अन्य स्थानों की अपेक्षा वहां के विद्यालय का अपना शानदार भवन है जहां इसे आसानी से क्रमोन्नत कर कक्षाएं चलाई जा सकती हैं ?

(5) क्या सरकार ग्राम चौथवाड़ी की उक्त शाला को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) राजस्थान में राजकीय 14 कालेजों में उपाध्याय स्तर की एवं 11 कालेजों में शास्त्री स्तर की कक्षाएं चलती हैं।

(2) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(3) जी हां।

(4) जी हां, किन्तु नवीं एवं दसवीं कक्षाओं के छात्रों की संख्या के आधार पर इसका नम्बर आठवें स्थान पर आता है।

(5) फिलहाल कोई विचार नहीं है।

राजकीय संस्कृत संस्थाओं की उपाध्याय एवं शास्त्री कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों की संख्या

| क्रम सं० | नाम महाविद्यालय | छात्र संख्या | |
|---|---|---|---|
| | | उपाध्याय | शास्त्री |
| 1. | राजकीय आचार्य संस्कृत कालेज, जयपुर | 44 | 47 |
| 2. | राजकीय महाराणा संस्कृत कालेज, उदयपुर | 44 | 37 |
| 3. | राजकीय शास्त्री संस्कृत कालेज, मनोहरपुर | 43 | 76 |
| 4. | राजकीय शास्त्री संस्कृत कालेज, महापुरा | 12 | 24 |
| 5. | राजकीय शास्त्री संस्कृत कालेज, कालाडेरा | 24 | 20 |
| 6. | राजकीय शास्त्री संस्कृत कालेज, दौसा | 18 | 17 |
| 7. | राजकीय शास्त्री संस्कृत कालेज, सीकर | 15 | 15 |
| 8. | राजकीय शास्त्री संस्कृत कालेज, चिराणा | 7 | 11 |
| 9. | राजकीय शास्त्री संस्कृत कालेज, अजमेर | 3 | 2 |
| 10. | राजकीय शास्त्री संस्कृत कालेज, जोधपुर | 9 | 10 |
| 11. | राजकीय शास्त्री संस्कृत कालेज, कोटकासिम | 7 | 10 |
| 12. | राजकीय उपाध्याय संस्कृत कालेज, नाथद्वारा | 5 | — |
| 13. | राजकीय उपाध्याय संस्कृत कालेज, गनोडा | 8 | — |
| 14. | राजकीय उपाध्याय संस्कृत कालेज, अलवर | 3 | — |

**थाना अकलेरा में दर्ज हत्या का मामला**

195. **श्री भैरूलाल** (अकलेरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कस्बा अकलेरा (जिला झालावाड़) में माह नवम्बर, 1975 में श्री अब्दुल हमीद नामक मुसलमान व्यक्ति की हत्या के मामले की थाना अकलेरा में रिपोर्ट दर्ज हुई थी ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि मृतक के पुत्र श्री अब्दुल मजीद ने समय पर ही पुलिस अधिकारियों को अपने पिता की हत्या का सन्देह जिन जिन व्यक्तियों पर था के संबंध में मौखिक बतला दिया था किन्तु पुलिस ने उक्त हत्या काण्ड की जांच में अपनी ओर से उदासीनता बरती और मामले को दबाया जा रहा है ?

(3) क्या यह भी सही है कि अकलेरा के पुलिस अधिकारियों की उदासीनता ने जांच में ढिलाई देख कर मृतक के पुत्र श्री अब्दुल मजीद ने समय समय पर उच्च अधिकारियों को उक्त मामले की शीघ्र जांच कराई जाने हेतु प्रार्थना-पत्र भी दिये किन्तु इस मामले की जांच में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस मामले की जांच हेतु कोई उच्च पुलिस अधिकारी नियुक्त करने का विचार रखती है ?

**उत्तर**

(1) जी हां।

(2) अब्दुल मजीद ने जिन जिन व्यक्तियों की जांच हेतु पुलिस से कहा उनकी जांच की गई।

(3) जी नहीं। जांच उप-अधीक्षक आरक्षी कर रहे हैं।

**गांव मोरा (तहसील रेल मगरा) में चरणोट भूमि पर नाजायज कब्जा**

196. **श्री नाना लाल** (राजसमंद): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जब उदयपुर जिले की तहसील रेलमगरा के गांव मोरा में चरणोट भूमि पर नाजायज कब्जों को हटाने हेतु तहसील द्वारा आदेश हुये तो उन पर अतिरिक्त जिलाधीश उदयपुर द्वारा स्थगन आदेश दे दिये गये ? यदि हां, तो कब से और उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त स्थगन आदेशों की अवधि बराबर बढ़ाई जा रही हैं ? यदि हां, तो क्यों और इस संबंध में राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

**उत्तर**

(1) जी हां, मामले सक्षम न्यायालय में विचाराधीन हैं। न्यायालय की कार्यवाही के बाबत कुछ कहना उचित नहीं होगा।

(2) मामलों में आगामी तारीख पेशी 1-4-76 नियत है। कार्यवाही सक्षम न्यायालय द्वारा ही की जावेगी।

**डूंगरपुर जिले के कातिलों के चालान**

197. **श्री रामचन्द्र रोत** (चोरासी): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डूंगरपुर जिले में सन् 1971 से लेकर 29 फरवरी, 1976 तक कितने

Page No 208

(208)



(श्री रामचन्द्र रोत)
कत्ल हुए ? वर्षवाइज सूची सदन के पटल पर रखें ।

(2) डूंगरपुर पुलिस ने कितने कातिलों के चालान कोर्ट में किये हैं ?

(3) जिन कातिलों के चालान हुए हैं, उसके क्या कारण रहे हैं ?

उत्तर

(1) डूंगरपुर जिले में सन् 1971 से 29 फरवरी, 76 तक कुल 41 कत्ल के मुकद्दमें दर्ज हुए । वर्ष वार सूची सदन के पटल पर रखदी गई है ।

(2) 33 मामलों में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है ।

(3) शेष 8 मामलों में एक झूठा पाया गया, 6 में अदम पता व अदम सबूत होने से अन्तिम प्रतिवेदन दिया जा चुका है ।

**जिला डूंगरपुर में वर्ष 1971 से 29 फरवरी, 1976 तक पंजिकृत हुए कत्ल के मुकद्दमात की विवरण सहित तालिका**

| वर्ष | कुल मुकद्दमात पंजीकृत | नतीजा तफतीश | | | | न्यायालयों में निर्णय | | | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अदम बकु | अदम पता | अदम सबूत | चालान | सजायाबी | बरी | पेन्डिग कोर्ट | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1971 | 6 | - | 2 | 1 | 3 | 3 | - | - | |
| 1972 | 9 | - | - | - | 9 | 2 | 7 | - | |
| 1973 | 12 | 1 | 3 | - | 8 | 2 | 6 | - | |
| 1974 | 9 | - | - | - | 9 | 5 | 2 | 2 | |
| 1975 | 5 | - | 1 | - | 4 | - | - | 4 | |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | |

**जिलाधीश सिरोही के कार्यालय में वरिष्ठ लिपिकों की पदोन्नति**

198. **श्री जेठमल आर्य** (रेवदर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सिरोही जिले के जिलाधीश कार्यालय में गत वर्षों में छः कार्यालय सहायक के पद पर वरिष्ठ लिपिकों को पदोन्नत किया गया है ? यदि हां, तो अनुसूचित जाति व जन-जाति के कर्मचारियों को कितने पदों पर पदोन्नत किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सिरोही जिलाधीश कार्यालय में एक भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति का कर्मचारी शाखा प्रभारी नहीं है जबकि वे अधिक योग्यता प्राप्त व कुशल कर्मचारी हैं ? यदि हां, तो उन्हे शाखा प्रभारी क्यों नहीं बनाया गया ?

(3) क्या यह सही है कि गत लम्बे समय से सिरोही जिला कार्यालय में कुछ कर्मचारी शाखा प्रभारी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर जमे हुए हैं ? यदि हां, तो कौन कौन कर्मचारी, कितने कितने वर्षों से सिरोही में ही नियुक्त हैं ? पूर्ण विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी नहीं। सिरोही जिलाधीश के कार्यालय में केवल दो पद राजस्व मद में सहायकों के हैं। अनुसूचित जाति एवं जन-जाति का कोई वरिष्ठ लिपिक स्थाई नहीं है। इस कारण सहायक पद पर पदोन्नति ही दी जा सकी।

(2) जिलाधीश कार्यालय में शाखा प्रभारी का कोई पद नहीं होता। प्रशासनिक सुविधा के लिए किसी वरिष्ठ लिपिक को शाखा के कार्य हेतु उत्तरदायी बना दिया जाता है। यह सही नहीं है कि अधिक योग्य व्यक्ति उपलब्ध होते हुए भी उन्हे यह कार्य नहीं दिया गया।

(3) जी नहीं।

**ग्राम अकलेरा (बारां) में अनुसूचित जाती के व्यक्तियों के साथ मारपीट का मामला**

199. **श्री रामचरण** (अटरू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम अकलेरा, तहसील बारां, जिला कोटा में अनुसूचित जाति (बैरवा) के लोगों के साथ कुछ बदमाशों ने मारपीट कर ग्राम से भगा दिया है ? यदि हां, तो बारां पुलिस ने इस पर क्या कार्यवाही की ?

(2) क्या इस मामले का केस दर्ज कर लिया है ? यदि हां, तो इस प्रकार के मामले का कितने समय में चालान देना जरूरी है ?

**उत्तर**

(1) श्री लाल पुत्र हरबक्स बैरवा निवासी अकलेरा ने जबानी रिपोर्ट थाना अकलेरा में की, कि जब वह अपने खेत की रखवाली करने गया था तो उसके खेत में खड़ी गेहूं की फसल को दुर्गा व प्रहलाद, गायों व भैंसों को उसकी फसल खिला रहे हैं। पास में ही छोट्या, श्री किशन और प्रताप भी उसी खेत में खड़े थे। उसके मना करने पर सब एक राय होकर मारपीट करने लगे। छोट्या व

(गृह मंत्री)
प्रताप ने उसको लाठी व गंडासे से मारपीट की जिस पर पुलिस में अभियोग अंकित होकर अनुसंधान हुआ ।

(2) जी हां, मुकदमा दर्ज किया गया। चालान पेश करने का कोई समय निर्धारित नहीं है ।

**खातेदारी देने का प्रावधान**

200. **श्री लूणाराम** (डूंगरगढ़) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जून, 1970 के संशोधित टेनेन्सी एक्ट की धारा 18 के अनुसार 10 वर्षों तक की ढाई गुना मालगुजारी जितना समय दस वर्षों में शेष हों, लेकर खातेदारी देने का प्रावधान किया गया था ?

(2) यदि हां, तो यह प्रावधान दिसम्बर 1970 तक की, अलॉट शुदा भूमि के लिए ही किया गया था या उससे आगे भी यह चालू है ?

(3) क्या यह सही है कि कहीं पर 1970 तक मानकर कार्यवाही की जाती है और कहीं पर आज तक जो भूमि अलॉट होती है उस पर भी यह कार्यवाही होती है ? यदि हां, तो इसमें सही स्थिति कौन-सी है, बताने का कष्ट करें ।

**उत्तर**

(1) जी नहीं । राजस्थान टेनेन्सी एक्ट में ऐसा कोई संशोधन नहीं किया गया था ।

(2) यह सही नहीं है । राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के उप-नियम (2), नियम 18 के अनुसार पूर्व में दिसम्बर, 1969 तक अलॉटशुदा भूमि पर 10 वर्षों की अवधि में से शेष वर्षों की अवधि का ढ़ाई गुना लगान लेकर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते थे किन्तु अब दिसम्बर, 1969 के बजाय यह अवधि दिसम्बर, 1974 तक कर दी गई है ।

(3) यह सही नहीं है । दिसम्बर 1974 तक आवंटित भूमि पर राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के उप-नियम (2), नियम 18 के अनुसार खातेदारी अधिकार दिया जा सकता है ।

**पुलिस में हरिजन ग्रेजुएट सिपाही**

201. **श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** (बानसूर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान पुलिस विभाग में कितने सिपाही नौकर हैं जिनकी योग्यता बी० ए० पास है और जो दस साल से अधिक सेवा कर रहे हैं तथा जो अनुसूचित जाति के हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) अब तक इन हरिजन सिपाहियों को दस साल से अधिक सेवा होने पर प्रमोशन क्यों नहीं दिया गया ?

**उत्तर**

(1) राजस्थान पुलिस विभाग में केवल एक अनुसूचित जाति का बी० ए० पास सिपाही श्री सुआ लाल, जिला अलवर में तैनात है । जिसका सेवाकाल दस वर्ष से अधिक है ।

(गृह मंत्री)

(2) पुलिस सिपाहियों को प्रमोशन राजस्थान पुलिस सबोर्डिनेट सर्विसेज एक्ट, 1974 के अन्तर्गत क्वालीफाईंग टैस्ट पास करने के उपरान्त ही दिया जाता है। इस सिपाही द्वारा अब तक उक्त क्वालीफाईंग टैस्ट पास नहीं किये जाने के कारण उसे प्रमोशन नहीं दिया गया है। श्री सुवालाल को अब दिनांक 19-1-76 से अस्थायी तौर पर (एडहाक) मुख्य आरक्षक के पद पर प्रमोशन दिया गया है।

### झालावाड़ जिले में तेंदू पत्ते की रायल्टी

202. **श्री केशरीमल** (ब्यावर): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ जिले में हर वर्ष करीब 60 लाख का तेंदू पत्ता पैदा होता है? यदि हां, तो इसको कितनी वन खण्डों की इकाइयों से इकट्ठा किया जाता है?

(2) पिछले 3 वर्ष में तेंदू पत्ते से कितनी रायल्टी प्राप्त हुई? वर्षवार आमद का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इस वर्ष अधिकारियों ने ठेकेदारों से मिलकर कम रॉयल्टी लेकर अधिक माल निकले जाने दिया, इससे सरकार को लाखों रुपये का नुकसान हुआ?

(4) क्या यह भी सही है कि झालावाड़ जिले के नागरिकों की ओर से इस भ्रष्ट कार्यवाही के सम्बन्ध में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इन घटनाओं पर क्या कार्यवाही की तथा इसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेवार है? क्या ऐसे भ्रष्ट ठेकेदारों को काली सूची में दर्ज किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) जी नहीं। तेंदू पत्ता व्यापार के राष्ट्रीयकरण उपरान्त जिले से औसतन 36-50 लाख रुपये का तेंदू पत्ता विभिन्न वन खण्डों की 55 ईकाईयों से एकत्रित होता है।

(2) सूची संलग्न है।

(3) पत्ता तेंदू सम्बन्धी विभिन्न प्रकरणों में जांच राज्य सरकार द्वारा कराई जा रही है। जांच सम्पन्न होने पर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

(4) जी हां। प्रश्न संख्या 3 सम्बन्धी जांच पूर्ण होने पर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

### झालावाड़ वन मण्डल से पत्ता तेंदू सम्बन्धी 3 वर्ष की आय का विवरण

| वर्ष | कुल आय | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| 1973–74 | रु० 5,66,949-00 पैसे | ठेकेदार प्रणाली से (वन क्षेत्र में) |
| 1974–75 | रु० 34,54,354-45 पैसे | राष्ट्रीयकरण उपरान्त। |
| 1975–76 | रु० 38,45,769-52 पैसे | राष्ट्रीयकरण उपरान्त। |

# Page No 212

(212)



## परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न सं० 74 की सूची)

**प्राथमिक विद्यालय जिन्हें उच्च प्राथमिक विद्यालय के एवम् सत्र 1974-75 में क्रमोन्नत किया गया की सूची जिलेवार**

**अजमेर**

(1) गोला - पं० स० पीसांगन

**भरतपुर**

(1) गांगरोली - पं० स० नदबई
(2) विरोदी - पं० स० धौलपुर
(3) देहरी - पं० स० धौलपुर
(4) हथेली - पं० स० सेवर

**झुंझुनू**

(1) बालिका विद्यालय, पूंख
(2) कालियासर -
(3) कारी - पं०स० नवलगढ़
(4) बासबिजोली - झुन्झुनू
(5) पंचेरीकलां (कन्या)

**सवाई माधोपुर**

(1) सुनारी, तहसील सवाई माधोपुर
(2) श्यामपुरा (कन्या)
(2) अमावड़ा - पं०स० वामनवास
(4) अलीगंज - पं०स० सवाई-माधोपुर
(5) आंधियां खेड़ा - पं०स० बामनवास
(6) खेड़ा जमालपुर, तहसील हिण्डोली
(7) बगलाई - पं० स० गंगापुर

**बीकानेर**

(1) ढाणी चारणान - कोलायत
(2) गारमदेसर - बीकानेर

**गंगानगर**

(1) बरवाली - पं० स० नोहर
(2) सागड़ा - पं० स० भादरा
(3) रतनपुरा - पं० स० हनुमानगढ़
(4) भगवान - पं० स० नोहर
(5) ,, जी (हुरनियात)
(6) भोजासर - पं० स० भादरा
(7) सतपुरा - श्री गंगानगर

**जैसलमेर**

(1) दईकोट - पं० स० सम

**अलवर**

(1) श्यामपुरा - पंचायत समिति बांसुर
(2) खानपुरा अहीर - पंचायत समिति कोटकासिम
(3) प्रतापपुर (कन्या) - पं० स० अलवर
(4) द्वारापुर - तहसील थानागाजी

**जयपुर**

(1) काशोपुर - पं० स० बरी
(2) गोकुलपुरा - पं० स० झोटवाड़ा
(3) बिचून - पं० स० बिचून
(4) मलिकपुर - पं० स० गोविन्दगढ़
(5) लूणियाबास - पं० स० सांगानेर
(6) चन्देरा - त० बसोरा
(7) बारहेड़ी का बास - पं० स० दौसा
(8) गादरवाड़ा बायणानी - पं०स० बांदीकुई

Page No 213

(213)



**सीकर**

(1) हरिपुरा - पं०स० खण्डेला

**टोंक**

(1) लानिया जनाडर-पं० स०
(2) सवारियां - तहसील टोडा रायसिंह
(3) नानेर - पं० स० टौंक
(4) उर्दू प्राथमिक विद्यालय, मालपुरा

**चूरू**

(1) बींग्गा वास, रामसर
(2) आबसर - सुजानगढ़
(3) मनीन - तारानगर
(4) पिठीसर - ग्राम काकलासर, त० सरदार शहर
(5) जैतासर - श्री डूंगरगढ़
(6) जैतासर - तहसील सरदार शहर
(7) काकलासर - तहसील सरदार शहर

**बाड़मेर**

(1) रेंडाना (पं०स० शिव)
(2) हीरा की ढाणी - पं० स० बायतु
(3) कोजा - धोरियाबास - बाड़मेर
(4) लगेरा - बाड़मेर

**जोधपुर**

(1) सीमेसर - पं० स० शेरगढ़
(2) गढा - पं० स० शेरगढ़
(3) बालेश्वर - दुर्गावतां (पं०स० शेरगढ )
(4) कापरड़ा - पं० स० बिलाड़ा
(5) सिहड़ा - तहसील फलोदी
(6) हिंगोली -
(7) जाम्बा की ढाणी - ग्राम जावर, त० फलोदी
(8) - मालकल्ला, जोधपुर
(9) उठवालिया -
(10) पाबूपुरा - जोधपुर
(11) रोहिला कलां
(12) लाड़ता अचलावता-जोधपुर
(13) सदरी टांका - ग्राम पीलवा (फलोदी)
(14) चांदसभा - पं० स० शेरगढ़

**पाली**

(1) गुड़ावीर - पं०स० सोजत
(2) निम्बाड़ - पं०स० रानी
(3) इड़ारियां - पं०स० रानी
(4) धनी - पाली
(5) ग्राम धनी—पं०स० बाली
(6) नादड़ा कला - पं० स० लूनी
(7) जोजावर (कन्या)

**झालावाड़**

(1) झालरापाटन शहर (कन्या)

**भीलवाड़ा**

(1) सरथला - मांडलगढ़
(2) सुरास - पं०स० माण्डल
(3) सरसिया - पं०स० भीलवाड़ा
(4) आमाली - पं० स० सुवाना
(5) आसीन्द
(6) गूंगा का खेड़ा - पं०स० कोटड़ी
(7) तरवारियां बावड़ी - तहसील जहाजपुर
(8) रघुनाथपुरा - आसीन्द

# Page No 214

(214)



**जालौर**

(1) सिराना - चांचग की ढाणी (पं० स० सायला )
(2) कोरा - पं०स० भीनमाल
(3) लियादरा की ढाणी - पं० स० सांचोर

**सिरोही**

(1) पोसालिया (कन्या) - पं० स० शिवगंज
(2) गोयली - पं०स० सिरोही

**नागौर**

(1) रोहिसा - पं०स० रीयां
(2) बदवासी - पं० स०,
(3) देवली - तहसील नांवा
(4) जसवन्तपुरा - पं० स० मकराना
(5) कातिलसर - नागौर

**कोटा**

(1) ग्राम चाचोड़ा - तहसील छबड़ा

**बून्दी**

(1) गुमानपुरा - पं०स० तालेड़ा

**बांसवाड़ा**

(1) बरड़िया - पं०स० घाटोल
(2) सीयापुर - पं० स० बांसवाड़ा
(3) सून्दनी - पंचायत समिति गढी

**चित्तौड़गढ़**

(1) महूडा - पं०स० डूंगला
(2) मंजीवी (तहसील निम्बाहेड़ा)
(3) ग्राम मरमी - पं० स० राशमी (चित्तौड़गढ)
(4) ग्राम रोलाहेड़ा - तहसील चित्तौड़गढ
(5) ग्राम विलोदा (पं०स० डूंगला)

**उदयपुर**

(1) नीमड़ी - पं०स० भिण्डर
(2) बली - पं०स० गिरवा
(3) ढढियां - तहसील मावली
(4) चपावदा - पं०स० गिरवा
(5) जनावद - पं०स० कुम्भलगढ

सूची मिडिल स्कूल, जिला नागौर

(1) रोहिसा - पं०स० रीयां
(2) बदवासी - पं० सं०
(3) देवली - तहसील नांवा
(4) जसवन्तपुरा - पं० सं० मकराना
(5) कातिलसर - नागौर

———

## परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न सं० 180 की सूची)

लिस्ट बाबत मुकद्मा, थाना तारानगर के बन्धक मजदूरी (सागड़ी प्रथा) विरोधी अध्यादेश

| | नाम मुस्तगीस मय पता | नाम मुल्जिमान मय पता | मुकद्में की प्रोग्रेस रिपोर्ट |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री सहीराम, पुत्र माहुराम, चमार (धांमी), निवासी जिगसनावाल | चान्दाराम, पुत्र हरजीराम, जाट, निवासी जिगसानावाल । | मु० नं० 73, दिनांक 13-11-75, थाना तारानगर, रंजिस की वजह से झूठा मुकदमा दर्ज करवाया जाना पाया गया इसलिए 12-12-75 को एफ० आर० अदमवकुआ दी गई । |
| 2. | श्री रिछपान, पुत्र दलूराम, चमार, निवासी मलाऊ टीबा । | बेगराज, पुत्र हरदयाल, निवासी सलाऊ टीबा | मु० नं० 74, दिनांक 29-11-75, थाना तारानगर, बहकाने में आकर झूठा मुकदमा करवाना पाया गया । इसलिए 20-11-75 को एफ० आर० अदमवकुआ दी गई । |
| 3. | श्री लालचन्द, पुत्र मानाराम, चमार, सा० मलाऊ टीबा । | हेमराज, पुत्र दयाल, जाट, सा० मलाऊ टीबा । | मु० नं० 75, दिनांक 29-11-75, थाना तारानगर, बहकाने में आकर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया जाना पाया गया । इसलिए 20-12-75 को एफ० आर० अदमवकुआ दी गई । |
| 4. | श्री फूलाराम, पुत्र भासुराम, हरिजन, सा० गाजुवास । | रामकुंवर पुत्र केशाराम, जाट, सा० गाजुवान | मु० नं० 32, दिनांक 10-1-76, थाना तारानगर, जेर तफतीश है । |
| 5. | श्री राजकरण, पुत्र लिछमनराम, मेघवाल, सा० ढाणी झुनझीयान । | पुरखाराम पुत्र बिड़दाराम, जाट सा० कैलाशवाली । | मु० नं० 7, दिनांक 3-2-76, थाना तारानगर, जेर तफतीश है । |

## परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 76 की सूची)

दुर्घटनाओं की पिछले वर्ष (सन् 1975) की तालिका

| क्रम संख्या | नाम जिला | नम्बर केसेज | संख्या मरने वालों की | संख्या घायल होने वालों की |
|---|---|---|---|---|
| 1. | जयपुर | 435 | 111 | 441 |
| 2. | अजमेर | 179 | 50 | 158 |
| 3. | टोंक | 51 | 27 | 35 |
| 4. | सवाई माधोपुर | 78 | 40 | 57 |
| 5. | सीकर | 63 | 15 | 67 |
| 6. | झुंझुनूं | 97 | 16 | 20 |
| 7. | अलवर | 88 | 36 | 69 |
| 8. | भरतपुर | 88 | 39 | 50 |
| 9. | जोधपुर | 132 | 37 | 114 |
| 10. | पाली | 71 | 18 | 15 |
| 11. | सिरोही | 40 | 6 | 49 |
| 12. | नागौर | 21 | 8 | 42 |
| 13. | बाड़मेर | 27 | 10 | 32 |
| 14. | जैसलमेर | 9 | 2 | 11 |
| 15. | जालोर | 36 | 12 | 37 |
| 16. | उदयपुर | 191 | 69 | 148 |
| 17. | डूंगरपुर | 33 | 18 | 33 |
| 18. | चित्तौड़गढ़ | 62 | 21 | 83 |
| 19. | भीलवाड़ा | 67 | 16 | 59 |
| 20. | बांसवाड़ा | 48 | 11 | 96 |
| 21. | बीकानेर | 56 | 17 | 53 |
| 22. | गंगानगर | 167 | 45 | 148 |
| 23. | चूरू | 25 | 10 | 25 |
| 24. | कोटा | 149 | 36 | 117 |
| 25. | बूंदी | 21 | 16 | 13 |
| 26. | झालावाड़ | 22 | 9 | 31 |

## तालिका "ब"

### दुर्घटनाओं की पिछले वर्ष (सन् 1971 से 1975) तक की तालिका

| क्र० सं० | नाम जिला | सन् 1971 | | | सन् 1972 | | | सन् 1973 | | | सन् 1974 | | | सन् 1975 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | दुर्घटना सं० | मारे गये व्यक्तियों की सं. | घायल हुए | दुर्घटना सं० | मारे गये व्यक्तियों की सं. | घायल हुए | दुर्घटना सं. | मारे गये व्यक्तियों की सं. | घायल | दुर्घटना सं. | मारे गये व्यक्तियों की सं. | घायल | दुर्घटना सं. | मारे गये व्यक्तियों की सं. | घायल |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | जयपुर | 469 | 122 | 458 | 513 | 145 | 446 | 422 | 143 | 428 | 409 | 85 | 453 | 435 | 111 | 441 |
| 2. | अजमेर | 195 | 48 | 191 | 185 | 45 | 167 | 176 | 48 | 253 | 165 | 58 | 190 | 179 | 50 | 158 |
| 3. | टोंक | 36 | 9 | 25 | 45 | 17 | 53 | 42 | 8 | 73 | 46 | 16 | 39 | 52 | 27 | 35 |
| 4. | स० माधोपुर | 55 | 26 | 26 | 49 | 12 | 46 | 58 | 18 | 70 | 63 | 21 | 61 | 78 | 40 | 57 |
| 5. | सीकर | 47 | 11 | 41 | 47 | 17 | 26 | 56 | 19 | 85 | 61 | 19 | 85 | 63 | 15 | 67 |
| 6. | झुंझुनू | 27 | 10 | 21 | 17 | 8 | 9 | 32 | 37 | 41 | 38 | 21 | 64 | 97 | 16 | 20 |
| 7. | अलवर | 97 | 28 | 96 | 74 | 24 | 72 | 91 | 24 | 80 | 73 | 20 | 54 | 88 | 36 | 69 |
| 8. | भरतपुर | 88 | 30 | 75 | 94 | 32 | 107 | 121 | 33 | 123 | 87 | 25 | 62 | 88 | 39 | 50 |
| 9. | जोधपुर | 99 | 22 | 86 | 83 | 39 | 76 | 125 | 27 | 148 | 145 | 47 | 167 | 132 | 37 | 114 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | पाली | 92 | 29 | 32 | 92 | 22 | 61 | 58 | 10 | 24 | 53 | 17 | 11 | 71 | 18 | 15 |
| 11. | सिरोही | 43 | 9 | 63 | 45 | 14 | 45 | 56 | 23 | 62 | 32 | 13 | 64 | 40 | 6 | 49 |
| 12. | नागौर | 24 | 2 | 31 | 25 | 25 | 44 | 30 | 13 | 25 | 37 | 10 | 25 | 21 | 8 | 42 |
| 13. | बाड़मेर | 29 | 9 | 29 | 29 | 6 | 16 | 20 | 5 | 16 | 23 | 9 | 25 | 27 | 10 | 32 |
| 14. | जैसलमेर | 9 | 2 | 12 | 14 | 5 | 19 | 8 | 1 | 11 | 8 | 2 | 15 | 9 | 2 | 11 |
| 15. | जालौर | 23 | 10 | 21 | 20 | 5 | 20 | 24 | 5 | 30 | 33 | 13 | 33 | 36 | 12 | 27 |
| 16. | उदयपुर | 145 | 16 | 91 | 119 | 9 | 78 | 147 | 24 | 115 | 134 | 39 | 176 | 191 | 69 | 148 |
| 17. | डूंगरपुर | 5 | 1 | 4 | 7 | 5 | 1 | 7 | 2 | 5 | 23 | 13 | 51 | 33 | 18 | 33 |
| 18. | चित्तौड़गढ़ | 43 | 14 | 40 | 46 | 15 | 114 | 36 | 15 | 75 | 48 | 15 | 89 | 62 | 22 | 83 |
| 19. | भीलवाड़ा | 62 | 10 | 37 | 60 | 6 | 40 | 69 | 8 | 36 | 68 | 13 | 48 | 67 | 16 | 59 |
| 20. | बांसवाड़ा | 28 | 18 | 41 | 36 | 13 | 25 | 40 | 7 | 41 | 38 | 14 | 68 | 48 | 11 | 96 |
| 21. | बीकानेर | 67 | 18 | 69 | 50 | 21 | 46 | 69 | 29 | 49 | 48 | 12 | 38 | 56 | 17 | 53 |
| 22. | गंगानगर | 115 | 31 | 96 | 148 | 40 | 96 | 132 | 45 | 133 | 184 | 49 | 172 | 167 | 45 | 148 |
| 23. | चूरू | 31 | 13 | 3 | 25 | 6 | 40 | 26 | 6 | 32 | 30 | 17 | 70 | 25 | 10 | 25 |
| 24. | कोटा | 174 | 48 | 145 | 171 | 40 | 145 | 172 | 25 | 185 | 184 | 53 | 166 | 149 | 36 | 17 |
| 25. | बूंदी | 16 | 6 | 13 | 27 | 17 | 29 | 13 | 8 | 15 | 166 | 30 | 10 | 117 | 21 | 16 |
| 26. | झालावाड़ | 19 | 13 | 17 | 4 | 1 | 3 | 10 | 2 | 18 | 19 | 6 | 19 | 22 | 9 | 31 |

## परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 79 की सूची)

जयपुर जिले के स्वतंत्रता सैनानियों एवं उनके आश्रितों को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पेंशन संबंधी सूची :—

| क्र० सं० | स्वतन्त्रता सैनानी का नाम व पूरा पता | मासिक पेंशन केन्द्र सरकार | मासिक पेंशन राज्य सरकार | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री गोपाल दत्त वैद्य, म० नं० 344, आकड़ों का रास्ता, जयपुर । | 100/- | 100/- | |
| 2. | श्री कपूर चन्द, मनीरामजी की कोठी के पास, छावड़ा भवन, जयपुर । | 125/- | 75/- | |
| 3. | श्री लक्ष्मी नारायण श्रीधर शर्मा, मौनभवन, हल्दियों का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर। | 125/- | — | |
| 4. | श्री कपिल देव गौतम पुत्र श्री गंगा सहाय सुरखडी, जयलाल मुन्शीजी का रास्ता, जयपुर। | 100/- | 150/- | |
| 5. | श्री जमुना प्रशाद मथुरिया पुत्र श्री सालिगराम, 184 ब्रह्मपुरी, खारी कुआ, जयपुर। | 100/- | 100/- | |
| 6. | श्री राधेश्याम शर्मा पुत्र श्री राम प्रताप शर्मा, देवड़ीजी का मन्दिर, जौहरी बाजार, जयपुर। | 200/- | — | |
| 7. | श्री जेठा राम पुत्र श्री हारूमल खिलियानी, मकान नं० 480, आदर्श नगर, जयपुर । | 50/- | 150/- | |
| 8. | श्री गोवर्धन पन्त, पन्त भवन, जोवनेर बाग, जयपुर–6 । | 200/- | — | |
| 9. | श्री हरिन्द्र कुमार चौधरी, सी–252, पत्रकार कालोनी, मोती डूंगरी एक्सटेन्शन एरिया, जयपुर । | 200/- | — | |
| 10. | श्री प्यारे मोहन लाल पुत्र श्री शम्भूनाथ, एफ-27, मेजर शैतान सिह् कालोनी, जयपुर-6। | 200/- | — | |
| 11. | श्री लक्ष्मीचन्द बजाज पुत्र श्री कन्हैया लाल, चांद मल पंड्या का मकान, मणिहारों का रास्ता, जयपुर । | 200/- | — | |

# Page No 220

(२२०)



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 12. | श्री प्रकाश चन्द जैन पुत्र श्री मिश्री लाल, टिक्कीवालों का रास्ता, अजमेरी गेट, जयपुर । | 200/- | -- | |
| 13. | श्री अलाबख्श चौहान पुत्र श्री कालूखां, करीम मंजिल, परशुराम मार्ग, जयपुर । | 100/- | 100/- | |
| 14. | श्री मेत राम पुत्र श्री जीता राम जाट, ग्राम गोरिरा, तहसील खेतड़ी, जिला झुंझुनू (वर्तमान निवास जयपुर श्रीमती कमला, हास्पिटल के सामने, बंगला नं० 11, रामसिंह रोड़, जयपुर ।) | 200/- | — | |
| 15. | श्री सूर्यमल मौर्य, 28 हाथी बाबू का बाग, जयपुर । | 100/- | 100/- | |
| 16. | श्री नन्द लाल पुत्र श्री रामदेव भाव, सुधीर भवन, पोस्ट बस्सी, जिला जयपुर । | 200/- | 100/- | |
| 17. | श्री चन्द्र गुप्ता वार्ष्णेय पुत्र श्री ग्यारसी लाल वार्ष्णेय, नागौरी चौक, जयपुर । | 200/- | — | |
| 18 | श्री सुवा लाल पुत्र श्री राम प्रताप शर्मा, निवासी नीदड़, तहसील आमेर, जिला जयपुर। | 150/- | 50/- | |
| 19 | श्री मूल राज टडंन पुत्र श्री दीवान लाहोड़ीमल, निवासी वारिशों का बड़, 2449 गोविन्द राजियों का रास्ता, जयपुर । | 200/- | 100/- | |
| 20. | श्री बाला सहाय भारतीय पुत्र श्री भंवरी लाल, ग्राम मनोहरपुर, जिला जयपुर । | 200/- | — | |
| 21. | श्री भगवती प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री शिव वदन गुप्ता, अमृतपुरा, अजमेर रोड़, जयपुर । | 100/- | 100/ | |
| 22. | श्री गणेश नारायण द्विवेदी पुत्र श्री मांगी लाल, म० नं० 1838, जयलाल मुन्शीजी का रास्ता, पुरानी बस्ती, जयपुर । | 200/- | — | |
| 23. | श्री हरिराम पुत्र श्री जैसा राम, निवासी 3850, फूटाखुर्रा, रामगंज बाजार, जयपुर । | 150/- | 50/- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 24. | श्री सूरज प्रकाश पापा पुत्र श्री श्रीनाथ ब्राह्मण, निवासी बृजनिधिजी का मन्दिर, आतिश मार्केट, जयपुर। | 200/- | -- | |
| 25. | श्री बाबा गोविन्द दास पुत्र श्री जगवंशराय द्वारा खादी भण्डार, नेहरू बाजार, जयपुर। | 200- | - | |
| 26. | श्री राजेन्द्र कुमार अजेय पुत्र श्री स्व० (मुन्शी) सी० एम० सक्सेना, निवासी मन्दिर श्री गोवर्धननाथजी, हवामहल बाजार, जयपुर। | 200/- | — | |
| 27. | श्री रघुवीर दयाल चतुर्वेदी पुत्र श्री तुलसी चतुर्वेदी, डी -64 बापू नगर, जयपुर। | 35/- | 100/- | |
| 28. | श्री सोमदेव ग्रोवर पुत्र श्री रामशरण ग्रोवर, निवासी अम्बावाड़ी स्कीम, झोटवाड़ा, जयपुर। | 125/- | 75/- | |
| 29. | श्री सदाशिव व्यास पुत्र श्री विश्वनाथ ब्राह्मण, गवर्नमेन्ट हायर सैकण्डरी स्कूल, सांभर लेक, जयपुर। | 200/- | — | |
| 30. | श्री कल्याणनारायण शर्मा पुत्र श्री मूलचन्द शर्मा, निवास सतनारायण पालीवाल का मकान, पुरानी बस्ती, गोविन्दराजियों का रास्ता, जयपुर। | 100/- | 100/- | |
| 31. | श्री सुधार चन्द्र चौधरी पुत्र स्व० श्री सिरस चन्द्र, 3 हाथी बाबु का बाग, जयपुर। | 125/- | 75/- | |
| 32. | श्री अरविन्द कुमार सोनी पुत्र श्री जमना लाल, निवासी 1672, ऊंचा कुआ, हल्दियों का रास्ता, जयपुर। | 125/- | 75/- | |
| 33. | श्री बद्री नारायण शर्मा पुत्र श्री रामगोपाल ब्राह्मण, जी-846, गांधी नगर, जयपुर। | 150/- | 50/- | |
| 34. | श्रीमती जड़ाव बाई बजाज पत्नी स्व० श्री वृन्दावन दास बजाज, निवासी मित्तल भवन, ब्रह्मपुरी, जयपुर। | 100/- | — | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 35. | श्रीमती प्रेमसुखी व्यास, पत्नी स्व० श्री गणेश लाल उस्ताद (व्यास), ई-30, गांधीनगर, जयपुर। | 50/- | 100/- | |
| 36. | श्रीमती गुलाब देवी सेठी, पत्नी स्व० श्री अर्जुन लाल सेठी, डी 49 ए-मालविया मार्ग, 'सी' स्कीम, अशोक नगर, जयपुर। | 50/- | 50/- | |
| 37. | श्री हरिनारायण पुत्र श्री महादेवलाल माथुर, निवासी ग्राम व पोस्ट गोविन्दगढ़ तहसील आमेर, जिला जयपुर। | 125/- | 75/- | |
| 38. | श्री शीतल चन्द्र उर्फ स्वामी सोमानन्द पुत्र श्री जगतपिता यू० एस० लेखी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, एम० आई० रोड, जयपुर। | 200/- | — | |
| 39. | श्रीमती कलावती देवी पत्नी स्व० श्री रमणलाल, भट्टों की गली का पहला चौराया, किशनलाल सर्राफ का मकान, म० नं० 2013, जयपुर। | 100/- | — | |
| 40. | श्री घनश्याम गुप्ता पुत्र श्री जमनालाल महाजन, नि० ग्राम चौमू, जिला जयपुर। | 200/- | — | |
| 41. | श्री जयदेव वेदालंकार पुत्र श्री चान्दूराम, निवासी डी-24, शान्ति पथ, तिलकनगर, जयपुर। | 200/- | — | |
| 42. | श्री शेवाराम पुत्र श्री गंगाराम, नि० 5-कंवर नगर, जयपुर। | 50/- | 150/- | |
| 43. | श्री चन्द्रप्रकाश वर्मा पुत्र श्री लालचन्द वर्मा, होमियों का औषधालय, 44 लाल मन्दिर, सिंधी कालोनी, बनीपार्क, जयपुर। | 100/- | 100/- | |
| 44. | श्री युधिष्ठर शर्मा पुत्र श्री भूरामलजी, नि० सामोद हाऊस, नाहरगढ़ रोड, जयपुर। | 200/- | — | |
| 45. | श्री कृष्ण नारायण राम पुत्र श्री वी० डी० राम, नि० पदम भवन, स्टेशन रोड, जयपुर। | 200/- | — | |
| 46. | श्री परतुमल पुत्र श्री तोरमल कृष्णानी, नि० प्लाट नं० ए-12, अर्जुनलाल सेठी कोलोनी, जयपुर। | 200/- | — | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 47. | श्री सेवापुरी पुत्र श्री चन्दनपुरी गोस्वामी, द्वारा सिन्धु साहित्य सभा, बोरडी का रास्ता, किशनपोल बाजार, जयपुर। | 200/- | — | |
| 48. | श्री तुरमल पुत्र श्री रेलूमल ग्रासुदानी, नि० 238 वल्लभ भवन, नाहरगढ़ रोड, जयपुर। | 200/- | — | |
| 49. | श्री गोकुल लाल ग्रसावा पुत्र श्री हजारीलाल, ारा श्री डा० बी०एल० असावा, ग्राईसोलेशन हॉस्पिटल, मोतीडूंगरी रोड, जयपुर। | 200/- | — | |
| 50. | श्री सुपारसचन्द्र उर्फ सुभाष चन्द्र जैन पुत्र श्री गट्टुलाल, निवासी गोपिका भवन, कुन्दीगरों के भैरों का रास्ता, जयपुर। | 200/- | 75/- | |
| 51. | श्रीमती गोपी बाई पत्नी स्व० श्री गुरदासमल, नि० सोहनलालजी का मकान, वीरों की गली, नागों का खुरि, सुलोचना इन्डस्ट्रीज के पास, रामगंज बाजार, जयपुर। | 50/- | 100/- | |
| 52. | श्रीमती बसन्ती देवी पत्नी स्व० श्रीमन स्वामी राम, नि० ग्राम व पोस्ट ग्रमरसर, तह० बैराठ, जिला जयपुर। | 100/- | — | |
| 53. | श्री चुन्नीलाल मलिक पुत्र श्री गंगाराम मलिक, द्वारा श्री एच० सी० मलिक, इन्सपेक्टर सेन्ट्रल एक्साइज, 55 गुरु नानकपुरा, राजापार्क, जयपुर। | 200/- | — | |
| 54. | श्रीमती शीला गोड पत्नी स्व० श्री चतुर्थी हीरानन्द गोड, द्वारा मदनलाल शर्मा, म० नं० एफ-2, मेजर शंतानसिंह कालोनी, जयपुर। | 27/- | 75/- | |
| 55. | श्री सन्तूमल पुत्र श्री रघुमल, नि० बना नं० 221, राजापार्क, सिंधी कालोनी, जयपुर। | 125/- | 75/- | |
| 56. | श्री याज्ञवल्क्य गुरु उर्फ विजय कुमार दत्त पुत्र श्री दुर्गाप्रसाद, नि० सी-252, पत्रकार कोलोनी, मोती डूंगरी रोड एक्सटेन्शन, जयपुर। | 200/- | — | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 57. | श्रीमती फूलकौर पत्नी स्व० श्री सुमनेश जोशी, नि० नरानौल भवन, सांगानेर दरवाजे बाहर, जयपुर। | 200/- | — | |
| 58. | श्रीमती ओममती पत्नी स्व० श्री रोहपालसिंह, ग्राम व पोस्ट वेन्डावाला नरेहरा, जिला जयपुर। | 150/- | — | |
| 59. | श्री जयमल पुत्र श्री सरदारा, निवासी ग्राम व पोस्ट ओलाड़ाहा, तह० कोटपूतली, जिला जयपुर। | 100/- | — | |
| 60. | श्रीमती देवकी बाई पत्नी स्व० श्री वासुदेव, नि० जे -96, अशोक चौक, आदर्शनगर, जयपुर। | 150/- | — | |
| 61. | श्री शंकरलाल पुत्र श्री खिलूमल, ख्वासजी की हवेली, हवामहल रोड, जयपुर। | 100/- | — | |
| 62. | श्री देवराम दवे पुत्र श्री गिरधारीलाल दवे, नि० पंचवटी प्याऊ, राजापार्क, गवर्नमेन्ट मिडिल स्कूल के पास, जयपुर। | 200/- | 100/- | |
| 63. | श्री राजेश्वर नारायण सिन्हा पुत्र श्री बिहारी लाल वैशाली प्रेस, घी वालों का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर। | 200/- | — | |
| 64. | श्री युगलकिशोर चतुर्वेदी पुत्र श्री मक्खनलाल चतुर्वेदी, प्रियम्वदा सदन, अशोक मार्ग, जयपुर। | 200/- | — | |
| 65. | श्री बाघसिंह पुत्र श्री भैरोंसिंह, नि० ग्राम अमरापुरा, त० आमेर, वाया चौक, जिला जयपुर। | 200/- | — | |
| 66. | श्री भगवान दास पुत्र श्री सिद्ध राम, नि० क्व० नं० बी-59 राजापार्क कालोनी, जयपुर | 200/- | -- | |
| 67. | श्री नर्बदा प्रसाद तिवाड़ी पुत्र श्री प्यारे लाल, नि० प्लाट नं० 33, नाहरी का नाका (पूर्व), अमानी शाह रोड, जयपुर। | 200/- | — | |

# Page No 225

225



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 68. | श्री उमरावमल आजाद पुत्र श्री इन्द्र लाल जैन, म० नं० 811, लालजी सांड का रास्ता, चौकी मोदी खाना, जयपुर । | 50/- | — | |
| 69. | श्रीमती भगवन्ती पत्नी स्व० श्री लाल प्रकाश सहगल ब्यूरा कल्याणमल, वी० लि० वित्त विभाग, राज० सचिवालय, जयपुर। | 200/- | — | |
| 70. | श्री मदन लाल खेता श्री जमना प्रसाद, ए 22, बजाज नगर, जयपुर । | 200/- | — | |
| 71. | श्री चन्द्र शेखर पाराशर पुत्र श्री विजय सिंह, खेजड़ों का रास्ता, जयपुर । | 200/- | — | |
| 72. | श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री डालू सिंह, ग्राम टहतरा, पोस्ट जवादा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर। | 200/- | — | |
| 73. | श्री राज बहादुर सिंह पुत्र श्री मथुरा सिंह, सरस सदन प्रतापनारायण पुरोहित का मकान, पुरानी बस्ती, जयपुर । | 200/- | — | |
| 74. | श्रीमती असगरी बेगम पत्नी स्व० श्री मुराद अली, 828 मोहल्ला नालवदान, चौकड़ी गंगापोल, जयपुर । | 200/- | — | |
| 75. | श्री कमल सिंह पुत्र श्री किशन सिंह द्वारा श्री रमेश चन्द्र, गोड, उदासीन आश्रम, बड़ा अखाड़ा, पुराना आमेर, जयपुर । (वर्तमान 942, बहादुर जब, उज्जैन) । | 200/- | — | |
| 76. | श्रीमती अगची पत्नी, स्व० श्री थानाराम, नि० कोटपूतली ढाणीसालुदेवात, पोस्ट कोटपूतली। | 200/- | — | |
| 77. | श्री हनुमान शर्मा पुत्र श्री चुन्नी लाल बागड़ा, नि० ग्राम खेजडोली, जिला जयपुर । | 100/- | 100/- | |
| 78. | श्री उत्तर बी० मोटवानी, एडवोकेट पुत्र श्री वसरमल, किशन पोल बाजार, जयपुर । | 200/- | — | |
| 79. | श्री श्याम पान्डे पुत्र श्री जुगराज, सुन्दरलाल का खुर्रा, खवासजी का रास्ता, जयपुर । | 125/- | 75/- | |

२२६.



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 80. | श्रीमती ग्यारसी देवी पत्नी स्व० कल्याण प्रसाद शर्मा, नि० झोटवाड़ा, जयपुर पश्चिम । | 100/- | — | |
| 81. | श्री छुट्टन लाल मथुरिया पुत्र श्री पन्ना लाल, 1537, रास्ता तहवीलदारों का, चौकड़ी तोपखाना देख, जयपुर । | 200/- | — | |
| 82. | श्री लादू राम पुत्र श्री परताप राम रावत, नि० नागलबाड़ा, तह० कोटपूतली, जयपुर । | 200/- | — | |
| 83. | श्रीमती गोपी बाई पत्नी स्व० श्री सेवा राम, नि० 5 कवंर नगर, जयपुर । | 200/- | 100/- | |
| 84. | श्री प्रीतम सिंह तेजा पुत्र श्री मंगल सिंह, निवासी 25 भट्टों का रास्ता, जयपुर । | 200/- | — | |
| 85. | श्री सत्यपाल चोपड़ा पुत्र श्री नृसिंह दास, ई-1 कान्ती चन्द्र रोड, बनी पार्क, जयपुर । | 200/- | - | |
| 86. | श्री मदन लाल शर्मा, पुत्र श्री केदारनाथ, नि० रामचन्द्र ठठेर का मकान, ठठरों का रास्ता, चौड़ा रास्ता, जयपुर । | 200/- | — | |
| 87. | श्री गुलाब चन्द चौधरी पुत्र श्री जमनालाल, नि० जनता कालोनी, जयपुर । | — | 75/- | |
| 88. | श्री भंवर लाल गोयल पुत्र श्री चुन्नी लाल अग्रवाल, नि० गोवर्धन नाथजी का मन्दिर, गलता रोड, जयपुर । | — | 150/- | |
| 89. | श्रीमती अयोध्या देवी पत्नी स्व० बाबा हरिश चन्द्र शर्मा, तहवीलदारों का रास्ता, जयपुर । | — | 75/- | |
| 90. | श्री नृसिंह देव सरस्वती पुत्र श्री रामचन्द्र शर्मा, देवर्षि आश्रम मानव दुर्गा फतेह राम का टीबा, नाहरगढ़, पुरानी बस्ती, जयपुर । | — | 200/- | मृत्यु हो गई । |
| 91. | श्री लेख राज शर्मा पुत्र श्री जानकी प्रसाद | — | 75/- | |
| 92. | श्री दुनी चन्द जैन पुत्र श्री किशन लाल, निवासी बैराठी भवन, मोती सिंह भोमियों का रास्ता, जयपुर । | — | 100/- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 93. | श्रीमती शान्ति देवी बैराठी पत्नी श्री अर्जुनलाल | — | 50/- | |
| 94. | श्री मोहनलाल आजाद पुत्र श्री जयशंकर शर्मा, चांदपोल बाजार, जयपुर । | — | 75/- | मृत्यु हो गई। |
| 95. | श्री जवाहर लाल माली पुत्र श्री केशी राम; निवासी चौमू, जिला जयपुर । | — | 75/- | |
| 96. | श्री सुगनों मल पुत्र श्री लाल राम | — | 50/- | |
| 97. | श्रीमती कमला पत्नी श्री प्रभू दयाल | — | 75/- | |
| 98. | श्री कल्याण शर्मा पुत्र राम वल्लभ | — | 75/- | |
| 99. | श्रीमती सुन्दर देवी आजाद पत्नी स्व० श्री मोहन लाल शर्मा, निवासी आजाद भवन, चांदपोल बाजार, जयपुर । | — | 100/- | |
| 100. | श्री कुमारानन्द पुत्र श्री नव कुमार नाग | 250/- | | मृत्यु हो गई। |
| 101. | श्री राधावल्लभ पुत्र श्री चुडावणी, निवासी पुरानी बस्ती, जयपुर वर्त० नि० भरतपुर । | — | 100/- | |
| 102. | श्री रघुनाथ सिंह पुत्र श्री इन्द्र सिंह, वर्तमान निवास अमृतसर । | — | 75/- | |
| 103. | श्री चन्द्र गुप्त अग्रवाल पुत्र श्री लाला लेख राज वर्तमान निवासी मथुरा । | — | 75/- | |
| 104. | श्री बनारसी दास टांक | — | 60/- | |
| 105. | श्री बालू राम पुत्र श्री नवलाराम, नि० चौमू | — | 65/- | |
| 106. | श्री चन्दगी राम पुत्र श्री किशना राम | — | 75/- | |
| 107. | श्री भवानी शंकर पुत्र श्री कन्हैया लाल | — | 30/- | |
| 108. | श्री नन्द किशोर पुत्र श्री बल्देव शर्मा | — | 75/- | |
| 109. | श्रीमती सेवी बाई पत्नी शांवर दास शंकर, गूजर की गली, चांदी की टकसाल, जयपुर । | — | 73/- | मृत्यु हो गई। |
| 110. | श्री ओम दत्त शास्त्री पुत्र श्री सुन्दर सिंह, गंगवाल पार्क; जयपुर । | — | 200/- | मृत्यु हो गई । |

(२२८)



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 111. | श्री देवी नारायण शर्मा पुत्र श्री भंवरलाल, निवासी पुरानी बस्ती, जयपुर । | — | 75/- | मृत्यु हो गई। |
| 112. | श्री गोविन्द नारायण शर्मा पुत्र श्री गंगा बक्श, निवासी पुरानी बस्ती, जयपुर । | — | 75/- | |
| 113. | श्री सुरेन्द्र शर्मा उर्फ सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री शिव नारायण, पाटनी भवन, किशन पोल बाजार, जयपुर । | — | 50/- | |
| 114. | श्री रामचन्द्र हकीम पुत्र श्री रवीदत्त, निवासी बनी पार्क, जयपुर । | — | 100/- | |
| 115. | श्री लक्ष्मीनारायण भंवरलाल पुत्र श्री भूरा | — | 150/- | |
| 116. | श्री बलवंत देश पांडे पुत्र श्री सांवलाराम C/o खादी आश्रम, जौहरी बाजार जयपुर | — | 250/- | मृत्यु हो गई। |
| 117. | श्री सोहन सिंह पुत्र श्री मंगल सिंह, निवासी भट्टों की गली, जयपुर । | — | 75/- | " |
| 118. | श्री हरबंसलाल पुत्र श्री कृपा दास, 574. आदर्श नगर, जयपुर। | — | 100/- | |
| 119. | श्रीमती सरस्वती देवी पांण्डे पत्नी श्री केदार नाथ, 1016 नाटानियों का रास्ता, चौड़ा रास्ता, जयपुर । | — | 75/- | |
| 120. | श्रीमती सरोजनी देवी चौहान पत्नी श्री विरेन्द्र सिंह ( दो बच्चों के लिये), निवासी दुर्गापुर, जयपुर । | — | 50/- | |
| 121. | श्री बांके लाल चौरसिया पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण, डाक तार कोलोनी, अशोक नगर, सी स्कीम, जयपुर । | — | 75/- | |
| 122. | श्रीमती भारती देवी पत्नी श्री राम सुन्दर लाल बाजपेई, 1016 नाटानियों का रास्ता, चौड़ा रास्ता, जयपुर। | — | 75/- | |
| 123. | श्री हरिनारायण शर्मा पुत्र श्री रूप नारायण, निवासी पुरानी बस्ती, जयपुर । | — | 100/- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 124. | श्रीमती सुन्दरी पत्नी स्व० टोडा अपी की चौकी, अचरोल, जिला जयपुर । | — | 75/- | |
| 125. | श्रीमती आशा देवी मिश्रा पत्नी स्व० श्री चिरंजी लाल मिश्रा, एडवोकेट, पुरानी बस्ती, जयपुर । | — | 75/- | |
| 126. | श्री भंवर लाल जैन पुत्र श्री मूल चन्द ग्राम भादवा, जिला जयपुर । | — | 75/- | |
| 127. | श्री छीतर मल अहीर (यादव) पुत्र श्री राम चन्द्र उर्फ चन्दा, निवासी चौमू व० निवास स्थान बारह गणगोर का रास्ता, जयपुर । | — | 75/- | |
| 128. | श्री राधा किशन अहीर पुत्र श्री विजय लाल, निवासी चौमू, जिला जयपुर। | — | 100/- | |
| 129. | श्री जयनारायण शर्मा पुत्र श्री श्रीनिवास, वैरी का वास, कुन्दीगरी भैरों जी का रास्ता, जयपुर। | — | 75/- | |
| 130. | श्री नाथुलाल दर्जी पुत्र श्री जयनारायण दर्जी, नाहरगढ़ रोड़, पुरानी बस्ती, जयपुर । | — | 75/- | |
| 131. | श्री पन्नाराम बुनकर पुत्र श्री छोटूराम,. निवासी अचरोल । | — | 75/- | |
| 132. | श्री बद्रीलाल यादव पुत्र श्री हुक्मीचन्द यादव, निवासी ग्राम सिरसी । | — | 75/- | |
| 133. | श्री मोहनलाल शर्मा उर्फ मदनमोहन, गौतम पुत्र श्री दुर्गा प्रसाद गौतम, नि० नारायण भवन, 907 नाटानियों का रास्ता, जयपुर । | — | 75/- | |
| 134. | श्री रामेश्वर पुत्र श्री राम प्रताप उर्फ गंगा विशन, नि० रामलखेर, वर्त० नि० पीतलियों का चौक, जयपुर । | — | 75/- | |
| 135. | श्रीमती लक्ष्मी बाई पत्नी स्व० श्री सतनारायण वैद, वर्त० नि० वर्धा (महाराष्ट्र) । | — | 75/- | |
| 136. | श्री छींगा पुत्र श्री मुन्ना, निवासी रेनवाल माजी (किशनगढ़), जयपुर। | — | 100/- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 137. | श्रीमती शान्ति देवी पत्नी श्री सवत कुमार शर्मा, गणगोरी बाजार, जयपुर। | — | 100/- | |
| 138. | श्रीमती फूंदी देवी शर्मा पत्नी स्व० श्री कस्तूर चन्द शर्मा, डी० 98, बापू नगर, जयपुर। | — | 75/- | |
| 139. | श्री मथुरा दास शर्मा पुत्र श्री दामोदर लाल, नि० ग्राम नागल जैसा बोहरा। | — | 75/- | |
| 140. | श्रीमती रतन शास्त्री पत्नी स्व० श्री हीरा लाल शास्त्री, खेजड़े का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर, व० नि० वनस्थली। | — | 10[illegible] | |
| 141. | श्री ताराचन्द हरसीलिया पुत्र श्री राधे श्याम शर्मा, बाबा हरिशचन्द्र मार्ग, जयपुर। | — | 100/- | |
| 142. | श्री हनुमान बक्श खाती पुत्र श्री सूरजा राम, 118 नाहर चबूतरा, चाणक्य मार्ग, सुभाष चौक। | — | 100/- | |
| 143. | श्रीमती रतन देवी शास्त्री पत्नी श्री ओम दत्त, 26 गंगवाल पार्क, जयपुर। | — | 100/- | |
| 144. | श्रीमती गीता बजाज पत्नी स्व० श्री गिरधारी लाल, बाल मन्दिर, मोती डूंगरी रोड़, जयपुर। | — | 150/- | |
| 145. | श्रीमती केशर देवी शर्मा पत्नी स्व० श्री देवी नारायण शर्मा, मृदंगा भवन, गोविन्द राजियों का रास्ता, पुरानी बस्ती, जयपुर। | — | 75/- | |
| 146. | श्रीमती गौरा देवी अहीर पत्नी स्व० श्री घीसा लाल अहीर, नि० बागड़ों का बास, चौमू। | — | 75/- | |

# परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 81 की सूची)

**राज्य सरकार द्वारा (उद्योग सचिव के माध्यम से) उद्योगपतियों/उद्योगों को दिये गये ऋण, उसकी वसूली एवं बकाया आदि का विवरण**

(रुपये लाखों में)

| क्र०सं० | उद्योगपतियों/उद्योगों का विवरण | स्वीकृत ऋण राशि | कब दिया गया | 29-2-76 तक वसूली की राशि | 29-2-76 तक बकाया की राशि | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई माधोपुर । | 60.00 | 2-1-75 | 53.34 | 6.66 | कम्पनी को भुगतान हेतु नोटिस दिये गये हैं । कम्पनी की आर्थिक हालत खराब है । |
| 2. | जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई माधोपुर । | 12.00 | 29-6-60 | 12.00 | — | पूरी राशि वसूल हो चुकी है । |
| 3. | जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई माधोपुर । | 25.00 | 12-10-68 | — | 25.00 | कम्पनी को नोटिस भुगतान हेतु दिये गये हैं । |
| 4. | मै० जे० के० सिन्थेटिक्स लि०, कानपुर | 30.00 | 12-2-59 व 16-3-61 | 30.00 | — | पूरे ऋण की अदायगी दिनांक 28-8-68 को हो चुकी है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | मैं० जे० के० सिन्थेटिक्स लि०, कानपुर | 20.00 | 24-7-65<br>व 3-9-65 | 20.00 | — | 10-4-68 को ऋण वसूल हो चुका है। |
| 6. | मैं० जे० के० सिन्थेटिक्स लि०, कानपुर | 50.51 | 31-3-67 | 50.51 | — | 15-1-73 को ऋण वसूल हो चुका है। |
| 7. | मैं० जे० के० सिन्थेटिक्स लि०, कानपुर | 60.00 | 28-3-68 | 60.00 | — | 26-3-74 को ऋण वसूल हो चुका है। |
| 8. | मैं० जे० के० सिन्थेटिक्स लि०, कानपुर | 50.00 | 14-8-68 | 50.00 | — | 22-2-75 को ऋण वसूल हो चुका है। |
| 9. | मैं० जे० के० सिन्थेटिक्स लि०, कानपुर | 50.00 | 11-4-69 | 50.00 | — | 22-11-75 को ऋण वसूल हो चुका है। |
| 10. | मैं० जे० के० सिन्थेटिक्स लि०, कानपुर | 25.00 | 10-2-70 | 20.00 | 6.00 | आगे की किश्त जो 12-3-76 को देय थी जो प्राप्त हो गई है एवं अब 12-9-76 को देय होगी। |
| 11. | मैं० जे० के० सिन्थेटिक्स लि०, कानपुर | 25.00 | 27-1-71 | 17.50 | 7.50 | आगे की किश्त 27-7-76 को देय है। |
| 12. | मैं० महालक्ष्मी मिल्स, ब्यावर | 18.10 | 7-4-69<br>11-10-71<br>31-3-72<br>31-3-73<br>31-3-73<br>31-3-74 | 18.10 | — | महालक्ष्मी मिल्स एव एडवर्ड मिल्स, ब्यावर को दिया गया ऋण को एन० टी० सी० लि० में विनियोजन के रूप में परिवर्तन करने का निर्णय लिया जा चुका है एवं आवश्यक स्वीकृत प्रचलित की जा रही है। अतः वसूली का प्रश्न ही नहीं उठता। |
| 13. | मैं० एडवर्ड मिल्स, ब्यावर | 19.90 | 26-3-73<br>19-9-73<br>21-3-73<br>28-2-75<br>31-3-75 | 19.90 | — | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | विजयनगर शुगर मिल्स | 3.85 | 20-11-59 | 2.20 | 1.65 | वसूली की कार्यवाही जिलाधीश, अजमेर के यहां पी० डी० आर०/लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत चल रही है। |
| 15. | कमानी इन्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन | 4.50 | 5-7-65 | 4.50 | — | यह ऋण कम्पनी को उदयपुर में पिग आयरन प्रोजेक्ट के लिये भूमि अवाप्ति में सम्भावित व्यय के लिये दिया गया था। कम्पनी को औद्योगिक लाईसेन्स भारत सरकार द्वारा निरस्त किये जाने के फलस्वरूप भूमि राजस्थान उद्योग एवं खनिज विकास निगम को औद्योगिक क्षेत्र के लिये दी गई जिसकी कीमत भी निगम ही देगा। |
| 16. | राजस्थान राज्य उद्योग एवं खनिज विकास निगम। | 0.05 | 25-4-69 | 0.05 | — | राशि 26-6-69 को राज्य कोष में जमा हो चुकी है। |
| 17. | ओरियन्टल पावर केबिल्स लि० | 5.00 | 28-3-72 | 5.00 | — | 26-8-72 को वसूली पूरी हो चुकी है। |
| 18. | आदित्य मिल्स लि०, मदनगंज-किशनगढ़ | 5.00 | 14-7-73 | 1.00 | 4.00 | अग्रिम किश्त 1-7-76 को देय है। |
| 19. | जयपुर स्पिनिंग एवं विविंग मिल्स लि०, जयपुर। | 10.73 | 24-9-74 | — | 10.73 | कम्पनी ने भुगतान की तिथि के रिशिड्यूलिंग के लिये आवेदन किया है जो अस्वीकृत हो गया है। कम्पनी को भुगतान करने हेतु नोटिस दे दिया गया है। |
| 20. | फालना उद्योग मण्डल लि०, फालना | 3.04 | 27-6-72<br>12-3-73<br>23-6-73<br>व<br>19-6-74 | 2.72 | 0.98 | जिलाधीश, पाली के यहां पी०डी० आर०के तहत वसूली की कार्यवाही चल रही है। |

# परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न सं० 82 की सूची)

अनुसूचित जाति / जनजाति के अधिकारियों की जिलेवार सूची

| क्रम सं० 1 | जिले का नाम 2 | आई०ए०एस० अधिकारी का नाम व पद 3 | आई०पी०एस० अधिकारी का नाम व पद 4 | आर०ए०एस० अधिकारी का नाम व पद 5 | आर०पी०एस० अधिकारी का नाम व पद 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | जयपुर | (1) श्री हनुमान प्रसाद, अल्प बचत एवं स्टेट लाटरीज एवं पदेन शासन उप-सचिव तथा निदेशक, अभाव अभियोग, मुख्य मंत्री कार्यालय, जयपुर। (अनु० जाति) | | (1) श्री गोपाल दास, उपायुक्त, विभागीय जांच जयपुर। (अनु० जाति) | (1) श्री हनुमान प्रसाद, अपर पुलिस अधीक्षक, सी०आई०डी० (सी०बी०)। (अनु० जाति) |
| | | (2) श्री जी० रामचन्द्र, जिलाधीश, जयपुर। (अनु० जनजाति) | | (2) श्री रोशनलाल, सहायक निदेशक, भेड़ व ऊन, जयपुर। (अनु० जाति) | (2) श्री पुखराज सीरवी, अपर पुलिस अधीक्षक, सी०आई०डी० (एस०बी०) (अनु० जाति) |
| | | | | (3) श्री आर०एल०डाबी०, सहायक निदेशक, अल्प बचत एवं लाटरीज, जयपुर। (अनु० जाति) | (3) श्री नत्थीलाल, अपर पुलिस अधीक्षक, (एस०बी०), जयपुर। (अनु० जाति) |

# Page No 235



235

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (4) श्री आर०पी० निहर, सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी, जयपुर। | (अनु० जाति) | (4) श्री मदन लाल वंध्या, पुलिस उप-अधीक्षक, | (अनु० जाति) |
| | | | (5) श्री एम० एस० दाहिमा, विशेषाधिकारी, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर। | (अनु० जाति) | (5) श्री गंगाराम बैरवा, पुलिस उप-अधीक्षक (प्रशिक्षणार्थी); राजस्थान पुलिस अकेडेमी, जयपुर। | (अनु० जाति) |
| | | | (6) श्री यादराम गोड़, सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी, जयपुर। | (अनु० जाति) | | |
| 2. अलवर | | | (1) श्री सी० एल० कांवरिया, भू-प्रबन्ध अधिकारी, अलवर। | (अनु० जाति) | | |
| 3. बीकानेर | (1) श्री धर्मसिंह मीणा, विशेषाधिकारी, लैण्ड रिकार्ड्स, बीकानेर। | (अनु० जन-जाति) | (1) श्री एस० एल० वोती, उपायुक्त (उपनिवेशन), पोंग डैम, बीकानेर। | (अनु० जाति) | श्री महावीर प्रसाद, पुलिस उप-अधीक्षक। | (अनु० जाति) |
| | | | (2) श्री बद्रीलाल मीणा, सहायक निदेशक, भूमि एवं भवन कर, बीकानेर। | (अनु० -जन जाति) | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) श्री जे० पी० चन्देलिया, सहायक उपनिवेशन आयुक्त, लूनकरणसर (बीकानेर)। (अनु० जाति) | |
| | | | | (4) श्री देवीराम जोधावत, सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी, बीकानेर। (अनु० जाति) | |
| 4. | कोटा | (1) श्री हरीराम मीणा, नगर दंडनायक, कोटा। (अनु० जनजाति) | | (1) श्री पी० एल० मीणा, जिला रसद अधिकारी, कोटा। (अनु० जनजाति) | |
| | | | | (2) श्री डालूराम मीणा, जिला आबकारी अधिकारी, कोटा। (अनु० जनजाति) | |
| 5. | गंगानगर | (1) श्री एन० के० वर्मा, जिलाधीश, गंगानगर। (अनु० जाति) | | (1) श्री के० आर० मीणा, अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी, गंगानगर। (अनु० जनजाति) | श्री लक्ष्मीनारायण मीणा, पुलिस उपअधीक्षक। (अनु० जनजाति) |
| | | (2) श्री गुरुदेवसिंह, उपखण्ड अधिकारी, गंगानगर। (अनु० जाति) | | (2) श्री बी० एल० वर्मा, जिला रसद अधिकारी, गंगानगर। (अनु० जनजाति) | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | (3) श्री वनवारीलाल मेहरड़ा, उप-खण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़। (अनु० जाति) | | |
| 6. उदयपुर | | (1) श्री रामनारायण, पुलिस अधीक्षक, उदयपुर। (अनु० जाति) | (1) श्री घीसालाल वर्मा, उप-जिलाधीश, सलूम्बर, उदयपुर। (अनु० जाति) |
| | | | (2) श्री सूरजमल मीणा, सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी, उदयपुर। (अनु० जन-जाति) |
| | | | (3) श्री एम० के० दमोर, सहायक जिलाधीश एवं एक्स्ट्रा मजि० (प्रशिक्षण के दौरान), उदयपुर। (अनु० जन-जाति) |
| 7. अजमेर | | (1) श्री रोहिताश्व कुमार, सहायक अधीक्षक (ग्रामीण), अजमेर। (अनु० जाति) | (1) श्री भोमाराम, उप-निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर (अनु० जाति) |

# Page No 238

238



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) श्री पी॰सी॰ वलाई, जिला यातायात अधिकारी, अजमेर। (अनु॰ जाति) | |
| 8. | चित्तौड़गढ़ | | (1) श्री हरिनारायण मीणा, सहायक पुलिस अधीक्षक, निम्बाहेड़ा। (अनु॰ जन-जाति) | (1) श्री गर्नसिंह रावल, अतिरिक्त जिलाधीश, चित्तौड़गढ़। (अनु॰ जाति) | |
| 9. | सवाईमाधोपुर | | | (1) श्री थानसिंह जाटव, अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी, सवाईमाधोपुर। (अनु॰ जाति) | |
| 10. | भरतपुर | | | (1) श्री आर॰ सी॰ जेफ॰, उप-जिलाधीश, भरतपुर। (अनु॰ जन-जाति) | |
| 11. | सिरोही | | (1) श्री किशनलाल, पुलिस अधीक्षक, सिरोही। (अनु॰ जन-जाति) | (1) श्री रामजीवन मीणा, वाणिज्य कर अधिकारी, सिरोही। (अनु॰ जन-जाति) | |
| 12. | सीकर | | | (1) श्री आर॰ एल॰ बैरवा, अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी, सीकर। (अनु॰ जाति) | (1) श्री धर्मचन्द सागर, पुलिस उप-अधीक्षक। (अनु॰ जाति) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13. जोधपुर | | (1) श्री जी०सी० सिंदल, निरीक्षक रजि-स्ट्रेशन व स्टाम्प्स, जोधपुर। (अनु० जाति) | (1) श्री चुन्नीलाल, पुलिस उप-अधी-क्षक। (अनु० जाति) |
| 14. चूरू | | (1) श्री आर० एल० बूनवाल, उप-जिला-धीश, राजगढ़, चूरू। (अनु० जन-जाति) | (1) श्री मुरलीधर मीणा, पुलिस उप-अधीक्षक। (अनु० जन-जाति) |
| 15. नागौर | | (1) श्री एस० एन० व्यादवाल, उप-जिला विकास अधिकारी, नागौर। (अनु० जन-जाति) | |
| 16. भीलवाड़ा | | (1) श्री जगदीश प्रसाद, सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी, भील-वाड़ा। (अनु० जाति) | |
| 17. बाड़मेर | (1) श्री नमो नारायण मीणा, पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर। (अनु० जन-जाति) | | |

## परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न सं॰ 87 की सूची)

*Statement Showing Number of Cases Pending in the Court of Munsif-cum-Judicial Magistrate in Tonk District*

| Name of the Coust | Criminal Cases | Criminal Misc. Cases | Civil Suits | Civil N.P. Revisions | Civil Misc. | Civil Exe. | S.C.C. Cases | D.B.C. Cases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Tonk. | 535 | 3 | 483 | 20 | 185 | 240 | 4 | 185 |
| 2. Additional Munsif-cum-Judicial Magistrate, Tonk. | 1418 | 211 | — | 31 | — | — | — | — |
| 3. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Malpura. | 401 | 22 | 164 | 3 | 19 | 68 | — | 58 |
| TOTAL .. | 2354 | 236 | 647 | 54 | 204 | 308 | 4 | 243 |

## परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न सं० 89 की सूची)

### List of Government Colleges in Rajasthan 1975-76

| S. No. 1 | Name of College 2 |
|---|---|

**Post-Graduate Colleges (Men)**

1. Government College, Ajmer.
2. R. B. College, Alwar.
3. S. D. Government College, Beawar.
4. M. S. J. College, Bharatpur.
5. M. L. V. Government College, Bhilwara.
6. Dungar College, Bikaner.
7. Government College, Kota.
8. Government College, Sri Ganganagar.
9. S. K. College, Sikar.
10. Lohia College, Churu.

**Degree Colleges (Men)**

1. Government College, Banswara.
2. Government College, Baran.
3. Government College, Barmer.
4. Government College, Bhinmal.
5. Government College, Bundi.
6. Government College, Chittorgarh.
7. Government College, Dausa.
8. Bangar College, Didwana.
9. Government College, Dholpur.
10. Government College, Dungarpur.
11. Government College, Jalore.
12. Government College, Jhalawar.
13. Government College, Jaisalmer.
14. Government College, Kaladera.
15. Government College, Karauli.
16. Government College, Kishangarh.
17. Government College, Kotputli.

| 1 | 2 |
|---|---|
| 18. | M. L. Bengani College, Ladnun. |
| 19. | Government College, Nagaur. |
| 20. | S. M. B. Government College, Nathdwara. |
| 21. | S. N. K. P. Government College, Neem-ka-Thana. |
| 22. | Government College, Nasirabad. |
| 23. | Bangar College, Pali. |
| 24. | Government College, Partapgarh. |
| 25. | Government College, Ramgarh. |
| 26. | Government College, Rajgarh. |
| 27. | Government College, Sardarshar. |
| 28. | Government College, Shahpura (Bhilwara). |
| 29. | Government College, Sirohi. |
| 30. | Government College, Sambhar Lake. |
| 31. | Government College, Sujangarh. |
| 32. | Government College, Sawai Madhopur. |
| 33. | Government College, Tonk. |
| | **Girls Colleges** |
| 1. | G. B. Girls College, Alwar. |
| 2. | M. S. College, Bikaner. |
| 3. | J. D. B. Girls College, Kota. |
| 4. | Meera Girls College, Udaipur. |
| 5. | Ch. B. R. G. Girls College, Sri Ganganagar. |
| 6. | Government College (Girls), Bharatpur. |
| 7. | Government Girls College, Bhilwara. |

**List of aided Colleges in Rajasthan 1975-76.**

| S. No. | Name of the College |
|---|---|
| 1. | D. A. V. College, Ajmer. |
| 2. | B. J. S. R. Jain College, Bikaner. |
| 3. | Savitri Girls College, Ajmer. |
| 4. | Jain College, Bikaner. |
| 5. | Banasthali Vidhayapith, Banasthali. |
| 6. | Chirawa College, Chirwa. |
| 7. | S. P. U. Degree College, Falna. |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 8. | G. R. Chamaria College, Fatehpur. |
| 9. | L. B. S. College, Jaipur. |
| 10. | Agarwal College, Jaipur. |
| 11. | Pareek College, Jaipur. |
| 12. | S. S. Jain Subodh College, Jaipur. |
| 13. | Kanoria Mahavidhyalaya (Mahila), Jaipur. |
| 14. | Motilal College, Jhunjhunu. |
| 15. | B. D. Todi College, Laxmangarh. |
| 16. | S. S. College, Mukandgarh. |
| 17. | G. B. Poddar College, Nawalgarh. |
| 18. | Khalsa College, Sri Ganganagar. |
| 19. | Seth G. L. Behani College, Sri Ganganagar. |
| 20. | B. M. College, Udaipur. |
| 21. | Shramjeevi College, Udaipur. |
| 22. | Udaipur School of Social work. |
| 23. | Vidya Bhawan Rural Institute, Udaipur. |
| 24. | Rajasthan Institutions of Historical Research, Jaipur. |
| 25. | Lachoo Memorial College of Science, Jodhpur. |
| 26. | Indira Gandi Balika Niketan, Ardawata (Jhunjhunu). |
| 27. | Sona Devi Sethia Girls College, Sujangarh. |
| 28. | Nehru Memorial College, Hanumangarh. |

List of non-aided Colleges in Rajasthan 1975-76

| S. No. | Name of Colleges |
|---|---|
| 1. | Sophia Girls College, Ajmer. |
| 2. | Nehru Shardapith, Bikaner. |
| 3. | Sh. Vijay Singh Pathik Shramjeevi College, Ajmer, |
| 4. | Hitkari Shramjeevi College, Kota. |
| 5. | M. G. College, Sri Ganganagar. |
| 6. | M. B. College, Sri Ganganagar. |
| 7. | Sahoo College, Pilani. |
| 8. | Gyan Jyoti College, Sri Karanpur (Sri Ganganagar). |
| 9. | G. D. College, Badagown (Jhunjhunu). |
| 10. | Praggy College, Vijaynagar (Ajmer). |
| 11. | Onkar Mal Somani College, Jodhpur. |
| 12. | Adarsh Degree College, Ajmer. |
| 13. | Mohta College, Sadulpur (Churu). |
| 14. | Sat Sai Girls College, Jaipur. |
| 15. | Birla College, Arts and Commerce, Bhawani Mandi (Jhalawar). |
| 16. | C. R. J. Babulal Nirmal Kumar Bhansali Commerce College, Ranawas (Pali). |
| 17. | C. J. Sethia J. T. Arts College, Ranawas (Pali). |
| 18. | Jawahar Arts Vidyapith, Kanore (Udaipur). |

# परिशिष्ट 11

(अतारांकित प्रश्न सं० 90 की सूची)

| क्र० सं० | संस्था का नाम | अनुदान का स्तर | पुराने नियमों के तहत अनुदान प्रतिशत | तदर्थ प्रतिशत | अनुदान समिति द्वारा निर्धारित श्रेणी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | महेश टी० टी० कालेज, जोधपुर | ट्रेनिंग कॉलेज | 75% | 70% | ए |
| 2. | महेश एम० पी० उ० मा० वि०, जोधपुर | उ० मा० वि० | 70% | 75% | ए |
| 3. | सुमेर पुष्टिकर उ० मा० वि०, जोधपुर | ,, | 75% | 70% | ए |
| 4. | सरप्रताप एम० पी० उ० मा० वि०, जोधपुर | ,, | 75% | 70% | ए |
| 5. | सरदार एम० पी० उ० मा० वि०, जोधपुर | ,, | 75% | 70% | ए |
| 6. | चौपासनी एम० पी० उ० मा० वि०, जोधपुर | ,, | 90% | 90% | विशेष |
| 7. | उम्मेद एम० पी० उ० मा० वि०, जोधपुर | ,, | 75% | 70% | ए |
| 8. | मोर्डन उ० मा० वि०, जोधपुर | माध्यमिक | 75% | 70% | ए |
| 9. | आई० ए० एफ० उ० मा० वि०, जोधपुर | उ० मा० | 90% | 90% | विशेष |
| 10. | हनुवंत मा० वि०, जोधपुर | माध्यमिक | 75% | 0% | बी |
| 11. | सुमेर मा० वि०, जोधपुर | ,, | 75% | 70% | ए |
| 12. | नेहरु मा० वि०, जोधपुर | ,, | 75% | 70% | बी |
| 13. | विद्या भवन मा० वि०, जोधपुर | माध्यमिक | 50% | 50% | ए |
| 14. | बाल विद्या भवन उ० प्रा० वि०, जोधपुर | उ० प्रा० वि० | 75% | 70% | बी |
| 15. | अशोक मिडिल स्कूल, जोधपुर | ,, | 50% | 50% | डी |
| 16. | उम्मेद आर्ट उ० प्रा० वि०, जोधपुर | ,, | 50% | 50% | सी |
| 17. | इशाकिया उ० प्रा० वि०, जोधपुर | ,, | 60% | 50% | डी |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18. | रफीकुल श्रावाम उ० प्रा० वि०, जोधपुर | उ०प्रा०वि० | 75% | 70% | डी |
| 19. | महाराजा विद्यालय, जोधपुर | ,, | 75% | 70% | सी |
| 20. | सार्वजनिक बेसिक उ० प्रा० वि०, जोधपुर | ,, | 90% | 90% | ए |
| 21. | महावीर कन्या उ० प्रा० वि०, जोधपुर | ,, | 75% | 70% | ए |
| 22. | महालक्ष्मी कन्या उ० प्रा० वि०, जोधपुर | ,, | 65% | 60% | बी |
| 23. | आर्य कन्या पाठशाला, जोधपुर | ,, | 65% | 60% | बी |
| 24. | गुरू नानक उ० प्रा० वि०, जोधपुर | ,, | 65% | 60% | बी |
| 25. | फूलचन्द कन्या पाठशाला, जोधपुर | ,, | 75% | 70% | बी |
| 26. | जैन कन्या उ० प्रा० वि०, जोधपुर | ,, | 65% | 60% | बी |
| 27. | सुमेर कन्या पाठशाला, जोधपुर | ,, | 65% | 60% | बी |
| 28. | वैदिक कन्या पाठशाला, बागर | ,, | 75% | 70% | ए |
| 29. | किशन कन्या पाठशाला, जोधपुर | ,, | 65% | 60% | सी |
| 30. | दयानन्द विद्या मंदिर, जोधपुर | ,, | 65% | 60% | बी |
| 31. | उम्मेद प्रा० वि०, जोधपुर | प्राथमिक | 75% | 70% | बी |
| 32. | सेवा सदन प्रा० वि०, जोधपुर | ,, | 60% | 50% | सी |
| 33. | ओरियन्ट कालेज, प्रा० वि०, जोधपुर | ,, | 60% | 50% | बी |
| 34. | मदरसा मुबारक हुसैन, जोधपुर | ,, | 65% | 60% | डी |
| 35. | गोपाल प्रा० वि०, जोधपुर | ,, | 60% | 50% | डी |
| 36. | महेश प्रा० वि०, जोधपुर | ,, | 50% | 50% | सी |
| 37. | मदरसा इस्लामिया प्रा० वि०, जोधपुर | ,, | 50% | 50% | सी |
| 38. | राजेन्द्र विद्यालय, जोधपुर | ,, | 50% | 50% | सी |
| 39. | मदरसा फैज मोहम्मद प्रा० वि०, जोधपुर | ,, | 60% | 50% | डी |
| 40. | वर्द्धमान जैन पाठशाला, जोधपुर | ,, | 70% | 50% | बी |
| 41. | श्रीराम पाठशाला, जोधपुर | ,, | 60% | 50% | सी |
| 42. | हनुवंत प्रा० वि०, जोधपुर | ,, | 60% | 50% | सी |
| 43. | गान्धी बाल मंदिर, जैसलमेर | ,, | 70% | 60% | बी |
| 44. | सरदार प्रा० वि०, जोधपुर | ,, | 75% | 70% | बी |
| 45. | बाल शिक्षा भवन, जोधपुर | ,, | 50% | 50% | सी |
| 46. | बाल बाड़ी, जोधपुर | ,, | 50% | 50% | सी |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 47. | विन्डम हैप्पी स्कूल, जोधपुर | ,, | 50% | 50% | सी |
| 48. | बाल विकास केन्द्र, जोधपुर | ,, | 50% | 50% | सी |
| 49. | टैगोर बाल निकेतन, जोधपुर | ,, | 50% | 50% | डी |
| 50. | मसूरिया प्रा० वि०, जोधपुर | ,, | — | 50% | सी |
| 51. | उम्मेद प्रा० वि०, चौपासनी | ,, | — | 50% | सी |
| 52. | सार्वजनिक प्रा० वि०, जोधपुर | ,, | 90% | 90% | विशेष |
| 53. | सेन्ट एन्ड्रूज प्रा० वि०, जोधपुर | ,, | 65% | 60% | सी |
| 54. | बाल विद्यापीठ प्रा० वि०, जोधपुर | ,, | 75% | 70% | बी |
| 55. | उम्मेद कन्या पाठशाला, जोधपुर | ,, | 65% | 60% | बी |
| 56. | बाल निकेतन, जोधपुर | मोन्टेसरी | 90% | 90% | विशेष |
| 57. | बाल मंदिर, सरदारपुरा | ,, | 75% | 70% | ए |
| 58. | बरकत रीडिंग रूम, जोधपुर | पुस्तकालय | 60% | 60% | डी |
| 59. | लोकप्रिय विद्यालय (वाचनालय) जोधपुर | वाचनालय | 60% | 50% | डी |
| 60. | महेश्वरी पुस्तकालय, जोधपुर | पुस्तकालय | 60% | 50% | सी |
| 61. | भूतेश्वर सार्वजनिक वाचनालय, जोधपुर | ,, | 60% | 50% | डी |
| 62. | राष्ट्रीय कला मंदिर, जोधपुर | बन्ध | 75% | 70% | ए |
| 63. | राजस्थान शोध संस्थान, जोधपुर | ,, | 90% | 90% | विशेष |
| 64. | किसान बोर्डिंग हाउस, जोधपुर | हॉस्टल | 60% | 60% | सी |
| 65. | महेश बोर्डिंग हाउस, जोधपुर | ,, | 34% | 50% | डी |
| 66. | गांधी बोर्डिंग हाउस, जोधपुर | ,, | 60% | 60% | सी |
| 67. | हनुवंत बोर्डिंग हाउस, जोधपुर | ,, | 50% | 50% | डी |
| 68. | चौपासनी बोर्डिंग हाउस, जोधपुर | ,, | 68% | 60% | सी |
| 69. | दधीच बोर्डिंग हाउस, जोधपुर | ,, | 55% | 60% | डी |
| 70. | जबरसिंह मिलिट्री बोर्डिंग हाउस, जोधपुर | ,, | 50% | 50% | डी |
| 71. | सुमेर छात्रावास, जोधपुर | ,, | 60% | 60% | सी |
| 72. | उम्मेद होस्टल, जोधपुर | ,, | 60% | 60% | सी |

(248)



## परिशिष्ट 12

(तारांकित प्रश्न सं० 9: की सूची)

जयपुर जिले में सरकारी एवं गैर सरकारी उच्च माध्यमिक कन्या विद्यालयों की सूची

(1) राजकीय महाराजा कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, जयपुर

(2) राजकीय महारानी कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, बनीपार्क, जयपुर

(3) राजकीय श्रीमती कमला नेहरु कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, जयपुर

(4) राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, गांधीनगर, जयपुर

(5) राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, आदर्शनगर, जयपुर

(6) राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, गनगौरी बाजार, जयपुर

(7) एन्जेला सोफिया कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, जयपुर (निजी)

(8) वीर बालिका कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, जयपुर (निजी)

(9) वैदिक कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, जयपुर (निजी)

## परिशिष्ट 13

### (अतारांकित प्रश्न संख्या 93 की सूची)

1 अगस्त, 1975 से राज कीय अनुदान कम किए जाने वाली संस्थाओं की सूची

| क्रम सं० | संस्था का नाम | अनुदान का वर्तमान प्रतिशत | 1 अगस्त, 75 से दिए जाने वाले अनुदान का प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | **बीकानेर** | | |
| 1. | जैन प्रा०वि०, बीकानेर | 70 | 60 |
| 2. | बालिका विद्यालय, बीकानेर | 60 | 50 |
| 3. | राष्ट्रीय उन्नति विद्यालय, नं० 2 बीकानेर | 60 | 50 |
| 4. | सादुल राजस्थानी रिसर्च इन्स्टीट्यूट, बीकानेर | 90 | 80 |
| 5. | एस०के०एस०आई०जैन कन्या पाठशाला, बीकानेर | 70 | 60 |
| 6. | महिला जागृति परिषद्, बीकानेर | 70 | 60 |
| | **चूरू** | | |
| 1. | जैन श्वेताम्बर तेरापंथी मा०वि०, चूरू | 60 | 50 |
| 2. | मोर्डन उ०प्रा०वि०, सरदार शहर | 70 | 60 |
| 3. | राजेन्द्र विद्यालय, सरदार शहर | 60 | 50 |
| 4. | आल इंडिया संगीत, चूरू | 60 | 50 |
| | **गंगानगर** | | |
| 1. | आदर्श शिक्षा सदन, गंगानगर | 60 | 50 |
| | **जोधपुर** | | |
| 1. | मदरसा इस्लामियां प्रा० वि०, जोधपुर | 60 | 50 |
| 2. | उम्मेद प्रा० वि०, जोधपुर | 70 | 60 |
| 3. | दयानंद कन्या प्रा०वि०, जोधपुर | 70 | 60 |
| 4. | उम्मेद कन्या उ०प्रा०वि०, सोजती गेट, जोधपुर | 70 | 60 |
| 5. | सेन्ट एन्ड्स प्रा० वि०, जोधपुर | 60 | 50 |
| 6. | बाल मंदिर, सरदारपुरा, जोधपुर | 80 | 70 |
| 7. | सार्वजनिक बेसिक प्रा०वि०, जोधपुर | 90 | 80 |

250



| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | **नागौर** | | |
| 1. | जे० वी० मा० वि०, लाडनूं | 70 | 60 |
| 2. | परमानन्द उ०प्रा०वि०, डीडवाना | 80 | 70 |
| 3. | के० बी० प्रा० वि०, लाडनूं | 70 | 50 |
| 4. | राष्ट्रीय प्रा०वि०, लाडनूं | 60 | 50 |
| 5. | हिन्दुस्तानी प्रा०वि०, डीडवाना | 70 | 60 |
| | **कोटा** | | |
| 1. | अकलंक विद्यालय, कोटा | 60 | 50 |
| 2. | गुरु नानक प्रा०वि०, कोटा | 60 | 50 |
| 3. | बाल भारती मंदिर आर्य शिशु शाला, कोटा | 70 | 60 |
| 4. | महिला उद्योग शाला, कोटा | 70 | 50 |
| | **उदयपुर** | | |
| 1. | पोस्ट बेसिक स्कूल वि०पी०; झाड़ोल | 90 | 80 |
| 2. | मिशन प्रा०वि० खैरवाड़ा | 80 | 50 |
| 3. | मीरा कन्या उ०प्रा०वि०, उदयपुर | 70 | 60 |
| 4. | रा०म०प०उ०प्रा०वि०, उदयपुर | 90 | 70 |
| 5. | रा०म०प०उ०प्रा० बाल निकेतन, उदयपुर | 80 | 70 |
| 6. | रा०म०प०उ० महिला उद्योगशाला, उदयपुर | 90 | 50 |
| | **चित्तौड़गढ़** | | |
| 1. | ग्राम सेवाश्रम, चित्तौड़गढ़ | 70 | 50 |
| 2. | प्रताप प्रा०वि०, चित्तौड़गढ़ | 60 | 50 |
| | **जयपुर** | | |
| 1. | गौड विप्र मा० वि०, जयपुर | 70 | 50 |
| 2. | चित्रगुप्त उ०प्रा०वि०, जयपुर | 60 | 50 |
| 3. | भगत आशानन्द पब्लिक स्कूल, जयपुर | 70 | 60 |
| 4. | जयहिन्द सिंधी उ० प्रा० वि०, जयपुर | 60 | 50 |
| 5. | बालशिक्षा मंदिर महावीरपार्क, जयपुर | 70 | 60 |
| 6. | गौड विप्र प्रा०वि, जयपुर | 70 | 50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 7. | खण्डेलवाल वैश्य प्रा० वि०, जयपुर | 70 | 50 |
| 8. | सनातन धर्म हिन्दी विद्यापीठ, जयपुर | 60 | 50 |
| | **झुंझनू** | | |
| 1. | विद्या मंदिर मा० वि०, हनुमानपुरा (उ० प्रा० वि०) | 70 | 60 |
| | **अलवर** | | |
| 1. | ओंकार उ० प्रा० वि०, अलवर | 60 | 50 |
| 2. | महिला प्रा० वि० शिक्षण केन्द्र, अलवर | 60 | 50 |
| 3. | हेपी स्कूल, अलवर | 90 | 80 |
| 4. | आर्य कन्या प्रा० वि०, अलवर | 70 | 60 |
| | **भरतपुर** | | |
| 1. | गोपालजी पाठशाला, भरतपुर | 60 | 50 |
| 2. | ग्राम प्रचार सोसायटी प्रा० वि०, भाघेरा | 60 | 50 |
| 3. | महिला प्रा० वि०, भुसावर | 90 | 80 |
| 4. | महिला विद्यापीठ उ० प्रा० वि०, भुसावर | 90 | 80 |
| | **अजमेर** | | |
| 1. | के० डी० ए० वी० मा० वि०, अजमेर | 80 | 70 |
| 2. | कायस्थ प्रा० वि०, अजमेर | 70 | 60 |
| 3. | डी० ए० यू० वी० प्रा० वि०, अजमेर | 90 | 70 |
| 4. | आर्य पुत्री प्रा० वि०, अजमेर | 70 | 60 |
| 5. | राष्ट्रीय गोविन्द कन्या प्रा० वि०, अजमेर | 70 | 60 |
| 6. | गुलाब कंवर ओसवाल कन्या प्रा० वि०, अजमेर | 70 | 50 |
| 7. | मिशन प्रा० वि०, केकड़ी | 80 | 60 |
| 8. | आर्य पुत्री उ० मा० वि०, अजमेर | 70 | 60 |

# Page No 252

(252)



1 अगस्त, 1975 से राजकीय अनुदान कम किये जाने वाली संस्थाओं की सूची

| क्र० सं० | संस्था का नाम | अनुदान का वर्तमान प्रतिशत | 1 अगस्त, 75 से दिए जाने वाले अनुदान का प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| | **कालेज शिक्षा** | | |
| 1. | इन्द्रा गांधी बाल निकेतन, अरड़ावता | 80% | 70% |
| | **संस्कृत शिक्षा** | | |
| 1. | श्री सनातन धर्म प्रका० संस्कृत महा विद्यालय, ब्यावर | 90% | 80% |
| 2. | श्री हनुमत संस्कृत विद्यालय, सारंगपुर (जयपुर) | 70% | 60% |
| 3. | श्री सरस्वती विद्यापीठ, जयपुर | 70% | 60% |

# परिशिष्ट 14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 100 की सूची)

राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय में विचाराधीन मुकद्दमों की सूची

माह फरवरी, 1976 के अंत तक के मामले

| | विचाराधीन मुकदमात की संख्या | छः माह से कम | छः माह से अधिक एक वर्ष से कम | 1 वर्ष से अधिक 2 वर्ष से कम | 2 वर्ष से अधिक 3 वर्ष से कम | 3 वर्ष से अधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| बीकानेर कोर्ट में कुल विचाराधीन मामले। | 1836 | 538 | 368 | 518 | 169 | 243 |
| जिला गंगानगर के विचाराधीन मामले। | 1028 | 338 | 193 | 264 | 120 | 113 |